	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 4, सोमवार, शाके 1941 अगस्त 26, 2019 *Bhadra 4, Monday, Saka 1941–August 26, 2019*	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 20, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप–2/2015 पार्ट II :–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 14(9)खान/ग्रुप–2/2015 पार्ट II दिनांक 28.02.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राज्यपाल के आदेश से,
डॉ.बी.डी. कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : 28 फरवरी, 2017

जी.एस.आर.118 :–खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अप्रधान खनिज से संबंधित खदान अनुज्ञप्ति, खनन पट्टे और अन्य खनिज रियायतों की स्वीकृति को विनियमित करने और उससे संबद्ध प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 है।

(2) इनका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) ''अधिनियम'' से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) अभिप्रेत है;

(ii) ''अपील प्राधिकारी'' से सरकार या इन नियमों के अधीन ऐसी शक्तियों से विनिहित कोई भी अन्य प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(iii) ''निर्धारिती'' से कोई भी खनिज रियायत या अनुज्ञापत्र धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अप्रधान खनिज रख रहा है, उसका व्यापार, प्रसंस्करण या प्रयोग कर रहा है;

(iv) ''निर्धारण प्राधिकारी'' से निदेशक, अतिरिक्त निदेशक खान, अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता), अधीक्षण खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) या राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई राजस्व आसूचना अधिकारी या निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(v) ''निर्धारण वर्ष'' से 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाली और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि या उसका भाग अभिप्रेत है;

(vi) ''सहायक खनि अभियंता'' से खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान का ऐसा सहायक खनि अभियंता अभिप्रेत है जिसकी ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता है जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये;

(vii) ''सहायक खनि अभियंता (सतर्कता)'' से राजस्थान खान और भूविज्ञान का ऐसा सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) अभिप्रेत है जिसकी ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता है जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये;

(viii) ''बजरी'' से प्रायः नदी पेटे या नदी घाट या पाषाण सरणियों में पाये गये उद्‌गम से ढीली अपक्षीण चट्‌टान सामग्री से प्राप्त रेता अभिप्रेत है जिसमें भिन्न–भिन्न आकार के श्रेणीकृत कण समाविष्ट हों और इसके अन्तर्गत नदी बालू भी है;

(ix) ''बोली प्रतिभूति'' से बोली दस्तावेज के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार किसी भी बाध्यता की पूर्ति के लिए बोलीदाता द्वारा दी गयी कोई प्रतिभूति अभिप्रेत है;

(x) ''सीमा स्तंभ'' से 0.3 मी. x 0.3 मी. आकार और 1.30 मी. ऊंचाई के आकार का प्रबलित सीमेंट कंकरीट या सीमेंट का स्तंभ अभिप्रेत है जिसका 0.7 मी. भूमि स्तर से ऊपर हो और 0. 6 मी. भूमि के नीचे हो जिसे इनेमल पेंट से पीले रंग से और ऊपर दस सेंटीमीटर लाल रंग से रंगा जायेगा। प्रत्येक स्तंभ पर काले पैण्ट से पट्‌टे या अनुज्ञप्ति का संख्यांक और स्तंभ संख्यांक चिह्नित किया जायेगा;

(xi) ''ईंट मिट्‌टी'' से ईंटें, कवेलू, मिट्‌टी के बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त या अन्य तत्समान प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त मिट्‌टी अभिप्रेत है;

(xii) ''ईंट मिट्‌टी अनुज्ञापत्र'' से किसी ईंट भट्‌टे विशेष के लिए ईंट बनाने के लिए ईंट मिट्‌टी के उत्खनन और हटाये जाने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र और कालावधि के लिए मंजूर किया गया अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है;

(xiii) ''इमारती पत्थर'' से कोई भी चट्‌टान या खनिज अभिप्रेत है जिसका उपयोग भवन या संनिर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है;

(xiv) ''सक्षम प्राधिकारी'' से सरकार या सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई भी अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(xv) ''स्थिर भाटक'' से खनन पट्‌टे के लिए संदेय न्यूनतम प्रत्याभूत राशि अभिप्रेत है जो पट्‌टे के क्षेत्र के अनुसार संगणित की जाती है और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षणीय है;

(xvi) ''व्यवहारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नकद या आस्थगित संदाय के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए खनिजों का प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा क्रय, विक्रय, भंडारण, वितरण या प्रसंस्करण का व्यवसाय करता है या खनिजों का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करता है;

(xvii) ''विभाग'' से खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(xviii) ''विभागीय वेब पोर्टल'' से mines.rajasthan.gov.in या ऐसी कोई वेबसाइट अभिप्रेत है जिसका उपयोग सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना के इलैक्ट्रोनिक रूप से विनिमय के लिए किया जाता है;

(xix) ''निदेशक'' से निदेशक, खान और भूविज्ञान, राजस्थान अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त निदेशक भी सम्मिलित है;

(xx) ''जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास'' (जि.ख.प्र.न्या.) से सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9ख के अधीन स्थापित न्यास अभिप्रेत है;

(xxi) ''ई–नीलामी'' से इलैक्ट्रोनिक प्लेटफार्म के माध्यम से खनन पट्टे, खदान अनुज्ञप्ति, अधिशुल्क संग्रहण ठेका, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका की स्वीकृति के लिए या किसी भी अभिगृहीत खनिज, औजार, उपस्कर, यान या अन्य मशीनरी इत्यादि के व्ययन के लिए नीलामी अभिप्रेत है;

(xxii) ''पर्यावरण'' या ''पर्यावरणीय प्रदूषण'' का वही अर्थ होगा जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं.29) में उन्हें समनुदिष्ट किया गया है;

(xxiii) ''उत्खनन'' से किसी भी भूमि से अप्रधान खनिजों की खुदाई करना और/या संग्रहण करना अभिप्रेत है;

(xxiv) ''अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका'' से वार्षिक स्थिर भाटक से अधिक अधिशुल्क और किन्हीं भी अन्य प्रभारों का संग्रहण करने का ठेका अभिप्रेत है जो खनन पट्टाधारी द्वारा, ठेका में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से पारेषित विनिर्दिष्ट खनिज के लिए सरकार की ओर से विनिर्दिष्ट किये जायें;

(xxv) ''कुटुंब'' से पति, पत्नी और उनकी आश्रित संतानें अभिप्रेत है;

(xxvi) ''अंतिम खान बंदी योजना'' से खान, क्लस्टर या उसके किसी भाग में ऐसी खनन और खनिज प्रसंस्करण संक्रियाएं बंद करने के पश्चात् कार्य बंद करने, उद्धार और पुनरुद्धार के प्रयोजन के लिए योजना अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट रीति से और भारतीय खान ब्यूरो या राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार मानक फार्मेट में तैयार की गयी हों;

(xxvii) ''वित्तीय आश्वासन'' से खनन पट्टे या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गयी प्रतिभूति अभिप्रेत है ताकि उद्धार और पुनरुद्धार व्यय के प्रति प्राधिकारियों की क्षतिपूर्ति की जाये;

(xxviii) ''प्रारूप'' से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत हैं;

(xxix) ''सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(xxx) ''अवैध खनन'' से किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा, इन नियमों के अधीन मंजूर या अनुज्ञात कोई भी खनिज रियायत, अनुज्ञापत्र या कोई भी अन्य अनुज्ञा धारण किये बिना या, यथास्थिति, किसी भी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी क्षेत्र में हाथ में ली गयी कोई भी पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं अभिप्रेत है,

स्पष्टीकरणः–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए,–

(क) इन नियमों के अधीन मंजूर विधिमान्य खनिज रियायत, अनुज्ञापत्र या किसी भी अन्य अनुज्ञा के प्राधिकार के अधीन पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के दौरान किसी भी नियम के उल्लंघन को अवैध खनन के रूप में नहीं माना जायेगा;

(ख) इन नियमों के अधीन मंजूर खनिज रियायत अनुज्ञापत्र या, यथास्थिति, किसी भी अनुज्ञा के अधीन मंजूर किसी भी क्षेत्र को अवैध खनन की सीमा अवधारित करते समय ऐसे पट्टे, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के धारक द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार के साथ धारित क्षेत्र माना जायेगा; और

(ग) महाविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों द्वारा उनकी क्षेत्र पाठ्यचर्या के भाग के रूप किये गये किसी भी अनुसंधान कार्य या क्षेत्र अध्ययन को अवैध खनन के रूप में नहीं माना जायेगा,

(xxxi)''खान बंदी'' से किसी खान या उसके भाग के संबंध में किये गये उद्धार, पुनरुद्धार के लिए किसी खान या उसके भाग में खनन या प्रसंस्करण संक्रियाएं बंद कर देने से प्रारंभ होने वाले कदम अभिप्रेत है;

(xxxii) ''खनिज रियायत'' से सक्षम प्राधिकरी द्वारा इन नियमों के अधीन मंजूर खनन पट्टा, खदान अनुज्ञप्ति या कोई अन्य अनुज्ञा अभिप्रेत है;

(xxxiii)''खनि कार्यदेशक ग्रेड 1 या खनि कार्यदेशक ग्रेड 2'' से खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान का ऐसा खनि कार्यदेशक अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता या, यथास्थिति, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) द्वारा समय–समय पर नियत क्षेत्र पर हो;

(xxxiv) ''खनन पहुंच सड़क''से मुख्य रूप से खनिज विकास के लिए संनिर्मित और निदेशक द्वारा समय–समय पर इस रूप में घोषित, खनन क्षेत्र में विद्यमान सड़कों का फैलाव अभिप्रेत है;

(xxxv) ''खनि अभियंता'' से राजस्थान खान और भूविज्ञान विभाग का ऐसा खनि अभियंता अभिप्रेत है जिसकी ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता हो जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये;

(xxxvi) ''खनि अभियंता (सतर्कता)'' से खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान का ऐसा खनि अभियंता (सतर्कता) अभिप्रेत है जिसकी ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता हो जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये;

(xxxvii) ''खनन योजना'' से संबंधित क्षेत्र में अप्रधान खनिज भंडारों के विकास के लिए इन नियमों के अधीन तैयार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित योजना अभिप्रेत है और इसमें इन नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित सरलीकृत खनन स्कीम सम्मिलित है;

(xxxviii) ''सामान्य मिट्टी'' से बांधों के तटबंधों, नहरों, सड़कों, भवनों, रेल इत्यादि के संनिर्माण में भराई या समतल करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली गयी सामान्य मिट्टी अभिप्रेत है;

(xxxix) ''संपादन प्रतिभूति'' से खनिज रियायत या संविदा संपादन के सम्यक् अनुपालन के लिए दी गयी प्रतिभूति अभिप्रेत है;

(xl) ''प्रीमियम राशि'' से आवेदक, बोलीदाता या, यथास्थिति, रियायत धारक द्वारा इन नियमों के अधीन संदेय राशि अभिप्रेत है;

(xli) ''उत्तरोत्तर खान बंदी योजना'' से किसी खान या उसके भाग में संरक्षात्मक, उद्धार और पुनरुद्धार उपाय करने के प्रयोजन के लिए ऐसी कोई योजना अभिप्रेत है जो भारतीय खान ब्यूरो या राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट रीति में और मानक रुपविधान में तैयार की गयी हो;

(xlii) ''खदान अनुज्ञप्ति'' से इन नियमों के अधीन मंजूर की गयी ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जिसमें अनुज्ञप्तिधारी से अधिशुल्क को छोड़कर नियत वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है;

(xliii) ''रवन्ना'' से विभाग द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया रवन्ना या विभाग के वेब पोर्टल से इलैक्ट्रोनिक रूप से जनित रवन्ना या ई–रवन्ना अभिप्रेत है और इसमें खनिज के पारेषण, उपभोग या प्रसंस्करण के लिए या किसी खनिज रियायत या अनुज्ञापत्र के अधीन मंजूर विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अतिभार के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य प्रणाली सम्मिलित है;

(xliv) ''अधिशुल्क'' से इन नियमों के अधीन मंजूर की गयी किसी भूमि से उत्खनित, उपभोग में लिये गये या हटाये गये अयस्क या खनिज के बारे में सरकार को संदेय ऐसा प्रभार अभिप्रेत है जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है;

(xlv) ''अधिशुल्क रसीद'' से अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिशुल्क संग्रहण ठेका के अधीन विभाग के कार्मिक या विभाग द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित या ई–अधिप्रमाणित ठेकेदार द्वारा जांच चौकी या नाका पर क्षेत्र से खनिज प्रेषण के लिए अधिशुल्क के संग्रहण और/या अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों के लिए जारी की गयी रसीद अभिप्रेत है;

(xlvi) ''अधिशुल्क संग्रहण ठेका '' से खदान अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञापत्र धारक द्वारा ठेका में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से प्रेषित विनिर्दिष्ट खनिज के लिए सरकार की ओर से अनुज्ञापत्र फीस और किन्हीं अन्य प्रभारों के साथ या, यथास्थिति, उनके बिना अधिशुल्क संग्रहण करने का ठेका अभिप्रेत है;

(xlvii) ''अनुसूची'' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(xlviii) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथानिर्दिष्ट राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(xlix) ''अनुसूचित बैंक'' से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (ड.) में यथापरिभाषित कोई बैंक अभिप्रेत है;

(l) ''प्रतिभूति निक्षेप'' से खनिज रियायत या ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए दिया गया कोई निक्षेप अभिप्रेत है;

(li) ''अल्पावधि अनुज्ञापत्र'' से किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र से किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर खनिज की विनिर्दिष्ट मात्रा के उत्खनन और हटाये जाने के लिए इन नियमों के अधीन मंजूर किया गया अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है;

(lii) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(liii) ''अधीक्षण खनि अभियंता'' से खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान का ऐसा अधीक्षण खनि अभियंता अभिप्रेत है जिसकी ऐसे संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता हो जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये;

(liv) ''अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) से खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान का ऐसा अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) अभिप्रेत है जिसकी ऐसे संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता हो जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये;

(lv) ''सर्वेक्षक या वरिष्ठ सर्वेक्षक'' से खान और भूविज्ञान विभाग, राजस्थान का ऐसा सर्वेक्षक अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर हो जो खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता या, यथास्थिति, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) द्वारा समय–समय पर नियत की जाये;

(lvi) ''अभिधारी'' से राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 में यथापरिभाषित अभिधारी अभिप्रेत है और इसमें कृषि कर्मकार और ग्राम शिल्पी सम्मिलित है; और

(lvii) ''अभिवहन पास'' से अधिशुल्क संदत्त खनिज के विधिपूर्ण परिवहन के लिए पट्टेधारी, स्टाकिस्ट, व्यापारी, व्यवहारी इत्यादि को विभाग द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया या ऑनलाइन जनित ई–अभिवहन पास सहित कोई पास अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों में समनुदिष्ट किया गया है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो।

3. निरसन और व्यावृत्ति.–राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी कोई भी बात या कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों के अधीन की हुई समझी जायेगी।

अध्याय 2
विद्यमान खनिज रियायत धारकों और आवेदकों के अधिकार

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक का खनन पट्टा अभिप्राप्त करने का अधिकार.–(1) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व मंजूर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक को नवीनीकरण का अधिकार नहीं होगा किन्तु उस भूमि

में उस खनिज के संबंध में खनन पट्टा अभिप्राप्त के लिए अधिमानी अधिकार होंगे, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी,–

(i) ने ऐसी भूमि में खनिज संसाधन स्थापित करने के लिए पूर्वेक्षण संक्रियाओं कर ली हो;

(ii) ने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है;

(iii) खनन पट्टा मंजूर किये जाने के लिए अन्यथा उचित व्यक्ति है; और

(iv) स्थिर भाटक के ढाई गुना के बराबर या सरकार द्वारा समय–समय पर आवधारित प्रीमियम राशि, जो प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से संदेय होगी, का संदाय करने का जिम्मा लेता है और उसे स्थिर भाटक या अधिशुल्क के पेटे समायोजित नहीं किया जायेगा :

परन्तु प्रीमियम राशि पट्टे के स्थिर भाटक में अभिवृद्धि पर स्वतः पुनरीक्षित हो जायेगी और पट्टेधारी ऐसा अभिवृद्धित प्रीमियम संदाय करने का दायी होगाः

परन्तु यह और कि इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए लंबित समस्त आवेदन खारिज किये हुए समझे जायेंगे। ऐसे आवेदन का आवेदक इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर खनन पट्टे के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए आवेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को दस हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस सहित और प्रथम किस्त के साथ, जो प्रीमियम राशि की पच्चीस प्रतिशत होगी, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् तीन मास की कालावधि के भीतर भीतर प्रारूप 1 में ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(3) खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां संलग्न की जायेंगी, अर्थात्:–

(i) यदि व्यक्ति व्यष्टि है तो स्थायी खाता संख्यांक कार्ड (PAN) की प्रति और यदि आवेदक फर्म या व्यष्टि संगम या, यथास्थिति, कंपनी है तो सभी भागीदारों, सदस्यों या निदेशकों के स्थायी खाता संख्यांक कार्ड (PAN) की प्रतियां। आवेदक भागीदारी फर्म या व्यष्टि संगम या कंपनी होने की दशा में टिन संख्यांक (TIN) की प्रति भी प्रस्तुत करेगा;

(ii) फोटो पहचान और पते के सबूत के लिए चालन अनुज्ञप्ति या पासपोर्ट या मतदाता पहचान कार्ड की प्रति;

(iii) भागीदारी फर्म की दशा में भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 या परिसीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन जारी भागीदारी विलेख और फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनी की दशा में संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और निगमन प्रमाणपत्र की प्रति;

(iv) ऐसे व्यक्ति के पक्ष में, जो कंपनी की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है, निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति;

(v) ऐसे व्यक्ति के पक्ष में, जो फर्म या व्यष्टि संगम की ओर से आवदेन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है, पंजीकृत मुख्तारनामा की प्रति जहां आवेदन पर सभी भागीदारों या, यथास्थिति, व्यष्टियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं;

(vi) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाणपत्र की प्रति यदि आवेदक या उसके कुटुंब का सदस्य राज्य में कोई भी खनिज रियायत या अधिशुल्क या अधिक अधिशुल्क ठेका धारित करता है या धारित किया हैः

परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र व्यष्टि संगम के सभी सदस्यों या भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों या प्राइवेट परिसीमित कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा भी दिया जायेगा यदि आवेदक व्यष्टि संगम या भागीदारी फर्म या, यथास्थिति, प्राइवेट परिसीमित कंपनी है। अदेयता प्रमाणपत्र परिसीमित कंपनी या, यथास्थिति, सरकारी उपक्रम की दशा में कंपनी या उपक्रम द्वारा भी दिया जायेगाः

परन्तु यह और कि सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा द्वारा शोध्यों पर रोक लगाते हुए कोई व्यादेश जारी किया गया है तो उसके असंदाय को खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए निर्रहता नहीं माना जायेगाः

परन्तु यह भी कि अदेयता प्रमाणपत्र की वहां अपेक्षा नहीं की जायेगी जहां फर्म के भागीदारों, प्राइवेट परिसीमित कंपनी के निदेशकों, व्यष्टि संगम, परिसीमित कंपनी या सरकारी उपक्रम के सदस्यों ने, सरकार के समाधानप्रद रूप में, यह कथन करते हुए शपथपत्र दे दिया है कि वह या उसका कुटुंब का सदस्य राज्य में कोई खनिज रियायत, अधिशुल्क या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया है;

(vii) आवेदक द्वारा खनिज रियायत के अधीन पहले से धारित क्षेत्रों की, जिनमें अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित क्षेत्र, आवेदित किन्तु स्वीकृत न किया गया और स्वीकृत किन्तु निष्पादित या पंजीकृत न किया गया क्षेत्र सम्मिलित है, विशिष्टियां देते हुए शपथपत्र की प्रति;

(viii) व्यष्टि या व्यष्टि संगम या फर्म के सभी सदस्यों या भागीदारी फर्म या कंपनी के सभी भागीदारों या कंपनी या, यथास्थिति, सरकारी उपक्रम के सभी निदेशकों का ई–मेल पता और मोबाइल नंबर;

(ix) आवेदक और समस्त भागीदारों, सदस्यों या निदेशकों का हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो यदि आवेदक फर्म या व्यष्टि संगम या, यथास्थिति, कंपनी है;

(x) आवेदित क्षेत्र के सीमा स्तम्भों के डब्ल्यूजीएस 84 डेटम में अक्षांश और देशांतर के साथ आवेदित क्षेत्र के प्लान एवं विवरण सूची की प्रति; और

(xi) खसरा नक्शा ट्रेस, खसरा या आराजी संख्यांक, जमाबंदी और आवेदित क्षेत्र में आने वाले खसरा या आराजी के क्षेत्र की सीमा के साथ आवेदित क्षेत्र के राजस्व ब्यौरे की और परतदार नक्शें की प्रति।

(4) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के ऐसे धारक से, जिसने खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व पहले ही आवेदन कर दिया है, नया आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी और उसके लंबित आवेदन को इन नियमों के प्रारंभ से दो मास की कालावधि के भीतर–भीतर उप–नियम (2) में यथा–विनिर्दिष्ट आवेदन फीस और प्रीमियम राशि के अंतर के संदाय के अध्यधीन इस नियम के अधीन किया गया आवेदन माना जायेगा।

(5) उप–नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन की अभिस्वीकृति आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय प्रारूप 2 में ऑनलाइन दी जायेगी।

(6) उप–नियम (3) में यथावर्णित स्व–प्रमाणित दस्तावेजों के साथ सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित आवेदन उसके ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से पंद्रह दिवस की कालावधि के भीतर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा और उसकी अभिस्वीकृति संबंधित कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

(7) खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए आवेदन का निपटारा सक्षम प्रधिकारी द्वारा नियम 16 के उप–नियम (2),(3),(4) और (5) के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा और विनिश्चिय से आवेदक के पंजीकृत पते और ई–मेल पर संसूचित किया जायेगा।

(8) जहां यह प्रतीत हो कि आवेदन सभी ठोस विशिष्टियों में पूर्ण नहीं है या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं हैं तो सक्षम प्राधिकारी तीस दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करेगा और जमा आवेदन फीस, प्रीमियम राशि और संपादन प्रतिभूति समपहृत करेगा।

(9) खनन पट्टे के निष्पादन और पंजीकरण को सम्मिलित करते हुए इस नियम के अधीन आवेदन का निपटारा, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर या अनुज्ञप्ति कालावधि की समाप्ति के पश्चात, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जायेगा जिसमें विफल रहने पर ऐसे आवेदक का अधिकार समपहृत किया जायेगा और ऐसे मामलों में सरकार के लिए इस संबंध में कोई भी आदेश करना आज्ञापक नहीं होगा।

5. खनन पट्टा अभिप्राप्त करने के लिए मंशा–पत्र धारक के अधिकार.–(1) जहां सक्षम प्राधिकारी ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ के पूर्व खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए मंशा–पत्र जारी कर दिया है

वहां इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आवेदन पर ऐसे विचार किया जायेगा मानो यह आवेदन फीस के अंतर के संदाय के अध्यधीन रहते हुए इन नियमों के अधीन प्राप्त किया गया है और स्थिर भाटक के ढाई गुना के बराबर या सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित प्रीमियम राशि जो प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से संदेय होगी, उसे स्थिर भाटक या अधिशुल्क के पेटे समायोजित नहीं किया जायेगा। ऐसे आवेदन का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम 16 के उप नियम (2),(3,)(4) और (5) के उपबंधों के अनुसार किया जायेगाः

परन्तु प्रीमियम राशि स्थिर भाटक में अभिवृद्धि होने पर स्वतः पुनरीक्षित हो जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे अभिवृद्धित प्रीमियम का संदाय करने का दायी होगाः

परन्तु यह और कि जहां मंशा–पत्र खातेदारी भूमि के लिए जारी किया गया है वहां खातेदार का पंजीकृत सहमति विलेख इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्तुत किया जायेगा, यदि ऐसा सहमति विलेख उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आवेदन नामंजूर किया जायेगा और जमा आवदेन फीस, प्रीमियम राशि और संपादन प्रतिभूति तीस दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समपहृत की जायेगी।

(2) जहां मंशा–पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अधीन निविदा या नीलामी के माध्यम से प्रीमियम अवधारित करने के पश्चात् जारी किया गया है वहां इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आवेदन को इस प्रकार माना जायेगा मानो वह इन नियमों के अधीन प्राप्त हुआ है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका निपटारा नियम 16 के उप–नियम (2),(3), और (4) के उपबंधों के अनुसार किया जायेगाः

परन्तु ऐसे मंशा–पत्र धारक को प्रीमियम की शेष राशि निविदा आमंत्रित करने की सूचना की शर्तों के अनुसार पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व जमा करायेगा।

(3) जहां यह प्रतीत हो कि आवेदन सभी ठोस विशिष्टियों में पूर्ण नहीं है या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं हैं तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को नामंजूर करेगा और जमा आवेदन फीस, प्रीमियम राशि और संपादन प्रतिभूति तीस दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समपहृत करेगा।

(4) इस नियम के अन्तर्गत के सभी मामलों को मंशा–पत्र की शर्तों को इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए संरक्षित किया जायेगा और एक वर्ष की इस कालावधि में खनन पट्टे का निष्पादन और पंजीयन सम्मिलित है जिसमें विफल रहने पर ऐसे आवेदक का अधिकार समपहृत किया जायेगा और ऐसे मामलों में सरकार के लिए इस संबंध में कोई भी आदेश जारी करना आज्ञापक नहीं है।

6. इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व स्वीकृत खनन पट्टे के प्राप्तिकर्ता के अधिकार.–(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई खनन पट्टा खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन स्वीकृत किया गया है और खनिज को अप्रधान खनिज के रूप में घोषित किया गया है या जहां खनन पट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अधीन स्वीकृत किया गया है और निष्पादन के लिए लंबित है उसे स्थिर भाटक के ढाई गुना के बराबर प्रीमियम राशि या सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित राशि, जो प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से संदेय होगी और उसे स्थिर भाटक या अधिशुल्क के पेटे समायोजित नहीं किया जायेगा के संदाय के अध्यधीन रहते हुए इस प्रकार माना जायेगा मानो वह इन नियमों के अधीन स्वीकृत किया गया है :

परन्तु प्रीमियम राशि स्थिर भाटक में अभिवृद्धि पर स्वतः पुनरीक्षित हो जायेगी और पट्टेधारी ऐसा अभिवृद्धित प्रीमियम देने का दायी होगाः

परन्तु यह और कि जहां स्वीकृति निविदा या नीलामी के माध्यम से प्रीमियम अवधारित करने के पश्चात् जारी की गयी है वहां ऐसा प्राप्तिकर्ता स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार प्रीमियम की केवल शेष राशि पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व जमा करायेगाः

परन्तु यह भी कि जहां पट्टा ऐसी खातेदारी भूमि में स्वीकृत किया गया है जो प्राप्तिकर्ता के स्वामित्व में नहीं है, खातेदार का पंजीकृत सहमति विलेख खनन पट्टे के निष्पादन के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा, यदि ऐसा सहमति विलेख खनन पट्टे के निष्पादन के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो

स्वीकृति प्रतिसंहृत कर ली जायेगी और जमा प्रतिभूति निक्षेप, प्रीमियम राशि और संपादन प्रतिभूति तीस दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समपहृत कर ली जायेगी।

(2) उप–नियम (1) के अन्तर्गत के सभी मामलों को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए संरक्षित किया जायेगा कि खनन पट्टा इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर निष्पादित और पंजीकृत किया जायेगा जिसमें विफल रहने पर ऐसे प्राप्तिकर्ता के अधिकार समपहृत हो जायेंगे और ऐसे मामलों में सरकार के लिए इस संबंध में कोई भी आदेश जारी करना आज्ञापक नहीं होगा।

अध्याय 3

खनिज रियायत का मंजूर किया जाना

7. खनन पट्टे का क्षेत्र.–(1) राज्य सरकार भिन्न–भिन्न क्षेत्रों और खनिजों के लिए खनन पट्टे के भिन्न–भिन्न आकार अधिसूचित कर सकेगी।

(2) खनन पट्टे का न्यूनतम् आकार ऐसा होगा जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है:

परन्तु अनुसूची 1 में वर्णित आकार दो या अधिक खनन पट्टों के बीच पड़ने वाले गेप क्षेत्रो के लिए लागू नहीं होंगे।

(3) दो या अधिक खनन पट्टों से या वन सीमा से या किसी भी अन्य आरक्षित भूमि से घिरे क्षेत्र को गेप क्षेत्र माना जायेगा और गेप क्षेत्र को ई–नीलामी के माध्यम से खनन पट्टे के रूप में मंजूर किया जायेगा:

परन्तु जहां गेप क्षेत्र 0.5 हेक्टर से कम है तो ऐसा क्षेत्र ई–नीलामी के रूप में आसपास के खनन पट्टेधारियों को मंजूर किया जायेगा अेर सफल बोलीदाता के खनन पट्टे में जोड़ा जायेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र की ई–नीलामी के लिए आरक्षित राशि की सिफारिश ऐसी समिति द्वारा की जायेगी जिसमें संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक और संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान) द्वारा नामनिर्देशित लेखा कार्मिक समाविष्ट होंगे जिसका अनुमोदन निदेशालय की अगली उच्चतर समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निदेशक, अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) और वित्तीय सलाहकार समाविष्ट होंगे:

परन्तु यह भी कि जहां गेप क्षेत्र का स्वामित्व किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास है वहां खातेदार का पंजीकृत विलेख सफल बोलीदाता द्वारा ऐसे गेप क्षेत्र की स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत किया जाना होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति बजरी (नदी बालू) को छोड़कर किसी भी खनिज के बारे में एक या एक से अधिक ऐसे खनन पट्टे अर्जित नहीं करेगा, जिनका कुल क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो:

परन्तु यदि सरकार की राय हो कि किसी भी खनिज या उद्योग के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से खनन पट्टे के संबंध में उपर्युक्त क्षेत्र सीमाओं में वृद्धि कर सकेगी जहां तक उसका संबंध खनिज विशेष से या ऐसे खनिज के भण्डारों के किसी भी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग से या किसी क्षेत्र विशेष में स्थित किसी भी खनिज विशेष से है।

(5) उप–नियम (4) में निर्दिष्ट कुल क्षेत्र अवधारित करने के प्रयोजन के लिए सहकारी सोसाइटी, कंपनी या अन्य निगम या अविभक्त हिन्दू कुटुंब के सदस्य के रूप में या फर्म के भागीदार के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा धारित क्षेत्र में ऊपर उप–नियम (4) में निर्दिष्ट क्षेत्र कम कर दिया जायेगा जिससे ऐसे सदस्य या भागीदार या व्यष्टि के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा खनन पट्टे के अधीन धारित क्षेत्र किसी भी दशा में उप–नियम (4) विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक न हो।

(6) खनन पट्टे के अधीन आवेदित क्षेत्र आकार में जहां तक संभव हो आयताकार होगा और सामान्यतया लंबाई उसकी चौड़ाई से चार गुना से अधिक नहीं होगी।

(7) खनन पट्टे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की सीमाएं, सिवाय इसके कि जहां सरकार विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध करे, धरातल के नीचे धरती के केन्द्र की ओर लंबवत रूप से चलेंगी।

(8) कोई भी व्यक्ति किसी खनिज के बारे में ऐसे किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा अर्जित नहीं करेगा जो सुसंबद्ध और लगा हुआ अर्थात् बंद बहुभुजी नहीं हो:

परन्तु उपर्युक्त उपबंध नदी पेटे में खनिज बजरी के खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए लागू नहीं होंगे।

8. खदान अनुज्ञप्ति का क्षेत्र.–(1) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व अधिसूचित सभी विद्यमान बाउण्ड्री में भूखण्डों का आकार अपरिवर्तित रहेगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ से ही भूखण्डों का आकार निदेशक द्वारा नियत किया जायेगा जो 0.18 हेक्टर से कम नहीं होगा।
(3) दो या अधिक खदान अनुज्ञप्ति से या वन सीमा से या किसी भी अन्य आरक्षित भूमि से घिरे क्षेत्र को गेप क्षेत्र माना जायेगा और ऐसा गेप क्षेत्र ई–नीलामी के माध्यम से खदान अनुज्ञप्ति के रूप में मंजूर किया जायेगा:

परन्तु जहां गेप क्षेत्र 0.10 हेक्टर या उससे कम है वहां ऐसा गेप क्षेत्र आसपास के अनुज्ञप्तिधारियों के बीच ई–नीलामी के माध्यम से मंजूर किया जायेगा और क्षेत्र सफल बोलीदाता की अनुज्ञप्ति में जोड़ दिया जायेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र की ई–नीलामी के लिए आरक्षित राशि की सिफारिश ऐसी समिति द्वारा की जायेगी जिसमें संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक और संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान) द्वारा नामनिर्देशित लेखा कार्मिक समाविष्ट होंगे जिसका अनुमोदन निदेशालय की अगली उच्चतर समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निदेशक, अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) और वित्तीय सलाहकार समाविष्ट होंगे:

परन्तु यह भी कि जहां गेप क्षेत्र का स्वामित्व किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास है वहां खातेदार का पंजीकृत विलेख सफल बोलीदाता द्वारा ऐसे गेप क्षेत्र की स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत किया जाना होगा।

9. खनन पट्टे की कालावधि.–(1) इन नियमों के प्रारंभ से ही सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की कालावधि के लिए मंजूर किये जायेंगे:

परन्तु खनिज बजरी (नदी बालू) के लिए खनन पट्टे की कालावधि पांच वर्ष होगी।
(2) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व मंजूर खनिज बजरी (नदी बालू) के सिवाय सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की कालावधि के लिए मंजूर किये हुए समझे जायेंगे।
(3) उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व मंजूर बजरी (नदी बालू) से भिन्न खनिज के पट्टों की कालावधि अंतिम बार किये गये नवीनीकरण/विस्तार की कालावधि की समाप्ति से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली कालावधि तक या नवीनीकरण/विस्तार कालावधि, यदि कोई हो, पूरी होने तक या ऐसे पट्टे की प्रारंभिक स्वीकृति की तारीख से पचास वर्ष की कालावधि के लिए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए विस्तारित किये जायेंगे और विस्तारित किये हुए समझे जायेंगे कि पट्टे के सभी निबंधनों और शर्तों का पालन किया गया है।
(4) खनन पट्टे की कालावधि का विस्तार उस कालावधि के बराबर किया जा सकेगा जिसके लिए खान किसी भी न्यायालय आदेश के कारण (डाईज–नॉन) बंद रही हो और ऐसी कालावधि के लिए स्थिर भाटक देय नही होगा:

परन्तु जहां खान पट्टेधारी की ओर से किसी भी त्रुटि के कारण बंद रही हो या जहां खान का कोई भाग बंद किया गया था वहां कालावधि का विस्तार नहीं किया जायेगा और ऐसी कालावधि के लिए स्थिर भाटक देय होगा।
(5) खनन पट्टा कालावधि की समाप्ति पर क्षेत्र को ई–नीलामी के लिए रखा जायेगा। ई–नीलामी की प्रक्रिया बहुत पहले से ही प्रारंभ कर दी जायेगी जिससे खनन पट्टा कालावधि की समाप्ति के पूर्व नया पट्टा किसी अंतराल के बिना मंजूर किया सके।

परन्तु पट्टेधारी को खनन पट्टा कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसे पट्टे के लिए आयोजित ई–नीलामी के समय निम्नलिखित रीति से प्रथम इंकार का अधिकार होगा, अर्थात्:–

(i) प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने का पात्र होने के लिए पट्टेधारी खनन पट्टे, अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उसकी समाप्ति तक पालन करेगा;

(ii) बोली आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन के पूर्व, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता पट्टेधारी को नोटिस देगा जिसमें पट्टेधारी से प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा या अनिच्छा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तीस दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जायेगी;

(iii) बोली आमंत्रित करने की सूचना में विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि खनन पट्टे की समाप्ति के पूर्व पट्टे के धारक पट्टेधारी को प्रथम इंकार का अधिकार है और उसमें और खण्ड (ii) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट उसकी इच्छा या अनिच्छा, यदि कोई हो, भी विनिर्दिष्ट की जायेगी;

(iv) नियम 14 के अनुसार ई–नीलामी के दूसरे चक्र की समाप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता पट्टेधारी को प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने के लिए उसकी इच्छा की लिखित अभिपुष्टि ई–नीलामी के दूसरे चक्र की समाप्ति के सात दिवस के भीतर चाहते हुए नोटिस जारी करेगा;

(v) खण्ड (iv) के अधीन दिये गये नोटिस की अभिस्वीकृति पट्टेधारी द्वारा दी जायेगी और जो नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिवस की कालावधि के भीतर, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग लिखित में करेगा जिसमें विफल रहने पर यह अर्थान्वयन किया जायेगा कि पट्टेधारी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं है और सफल बोलीदाता इन नियमों में उपबंधित रीति से खनन पट्टे का हकदार होगा; और

(vi) यदि पट्टेधारी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करता है और उच्चतम अंतिम प्रस्ताव राशि की बराबरी करता है तो पट्टेधारी को ई–नीलामी के दूसरे चक्र के पश्चात् घोषित पूर्ववर्ती सफल बोलीदाता के स्थान पर सफल बोलीदाता समझा जायेगा और वह इन नियमों में उपबंधित रीति से खनन पट्टे का हकदार होगा।

10. खदान अनुज्ञप्ति की कालावधि.–(1) इन नियमों के प्रारंभ से ही सभी खदान अनुज्ञप्तियां तीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए मंजूर की जायेंगीः

परन्तु मंजूर खदान अनुज्ञप्ति की समाप्ति कालावधि 31 मार्च होगी।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व मंजूर सभी खदान अनुज्ञप्तियां तीस वर्ष की कालावधि के लिए मंजूर की हुई समझी जायेंगीः

परन्तु ऐसी खदान अनुज्ञप्ति की समाप्ति कालावधि 31 मार्च होगी।

(3) उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व अनुज्ञप्तियों की कालावधि अंतिम बार किये गये नवीनीकरण/विस्तार की कालावधि की समाप्ति से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली कालावधि तक या नवीनीकरण/विस्तार कालावधि, यदि कोई हो, पूरी होने तक या ऐसी अनुज्ञप्ति की प्रारंभिक स्वीकृति की तारीख से तीस वर्ष की कालावधि के लिए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए विस्तारित की जायेगी और विस्तारित की हुई समझी जायेगी कि अनुज्ञप्ति के सभी निबंधनों और शर्तों का पालन किया गया है।

(4) खदान अनुज्ञप्ति की कालावधि का विस्तार उस कालावधि के बराबर किया जा सकेगा जिसके लिए खदान किसी भी न्यायालय आदेश के कारण (डाईज–नॉन) बंद रही हो।

परन्तु जहां खदान अनुज्ञप्तिधारी की ओर से किसी भी त्रुटि के कारण बंद रही हो या जहां खदान का कोई भाग बंद किया गया था वहां कालावधि का विस्तार नहीं किया जायेगा और ऐसी कालावधि के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस देय होगी।

(5) अनुज्ञप्ति कालावधि की समाप्ति पर क्षेत्र को ई–नीलामी के लिए रखा जायेगा। ई–नीलामी की प्रक्रिया बहुत पहले से ही प्रारंभ कर दी जायेगी जिससे अनुज्ञप्ति कालावधि की समाप्ति के पूर्व नयी अनुज्ञप्ति बिना किसी अंतराल के मंजूर की जा सकेः

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए आयोजित ई–नीलामी के समय निम्नलिखित रीति से प्रथम इंकार का अधिकार होगा, अर्थात्:–

(i) प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने का पात्र होने के लिए अनुज्ञप्तिधारी खदान अनुज्ञप्ति, अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उसकी समाप्ति तक पालन करेगा;

(ii) बोली आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन के पूर्व, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस देगा जिसमें अनुज्ञप्तिधारी से प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा या अनिच्छा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तीस दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जायेगी;

(iii) बोली आमंत्रित करने की सूचना में विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि खदान अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व अनुज्ञप्ति के धारक अनुज्ञप्तिधारी को प्रथम इंकार का अधिकार है और इस उप–नियम के और खण्ड (ii) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट उसकी इच्छा या अनिच्छा, यदि कोई हो, भी विनिर्दिष्ट की जायेगी;

(iv) नियम 14 के अनुसार ई–नीलामी के दूसरे चक्र की समाप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता अनुज्ञप्तिधारी को प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने के लिए उसकी इच्छा की लिखित अभिपुष्टि ई–नीलामी के दूसरे चक्र की समाप्ति के सात दिवस के भीतर–भीतर चाहते हुए नोटिस जारी करेगा;

(v) खण्ड (iv) के अधीन दिये गये नोटिस की अभिस्वीकृति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जायेगी और जो नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिवस की कालावधि के भीतर, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग लिखित में करेगा जिसमें विफल रहने पर यह अर्थान्वयन किया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं है और सफल बोलीदाता इन नियमों में उपबंधित रीति से खदान अनुज्ञप्ति का हकदार होगा; और

(vi) यदि अनुज्ञप्तिधारी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करता है और उच्चतम अंतिम प्रस्ताव कीमत की बराबरी करता है तो अनुज्ञप्तिधारी को ई–नीलामी के दूसरे चक्र के पश्चात् घोषित पूर्ववर्ती सफल बोलीदाता के स्थान पर सफल बोलीदाता समझा जायेगा और वह इन नियमों में उपबंधित रीति से खदान अनुज्ञप्ति का हकदार होगा।

11. खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति की स्वीकृति पर निर्बन्धन.–(1) कोई भी खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति,–

(i) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय;

(ii) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जब तक कि वह भारतीय नागरिक, या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 खण्ड (20) में यथापरिभाषित कंपनी नहीं हो;

स्पष्टीकरण.– इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक समझा जायेगाः–

(क) भारतीय भागीदार अधिनियम, 1932 या परिसीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन पंजीकृत फर्म या अन्य व्यष्टि संगम के मामले में केवल तभी जब फर्म या व्यष्टि संगम के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों;

(ख) व्यष्टि के मामले में केवल तब जब वह भारत का/की नागरिक है;

(iii) अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान पंचायत राज (उपबंधों का अनूसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने में उपांतरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 16) के अधीन यथाविहित समुचित स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की पूर्व सिफारिश अभिप्राप्त किये बिनाः

(iv) सरकार द्वारा सरकार या स्थानीय प्राधिकरियों के उपयोग या विशेष प्रयोजनों के लिए यथा–आरक्षित भूमियों के बारे में संबंधित सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा लिये बिनाः

परन्तु जहां पट्टे उक्त आरक्षित क्षेत्र में पहले ही मंजूर कर दिये गये हैं, ऐसी पूर्व अनुज्ञा गेप क्षेत्र की स्वीकृति के लिए अपेक्षित नहीं होगी;

(v) ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके या उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य के विरुद्ध या भागीदारी फर्म या प्राइवेट परिसीमित कंपनी या, यथास्थिति, परिसीमित दायित्व कंपनी के निदेशक या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के विरुद्ध या ऐसी फर्म के विरुद्ध जिसका/जिसकी वह या उसके कुटुंब का कोई सदस्य भागीदार है या था, विभाग का शोध्य बकाया हैंः

परन्तु जहां किसी न्यायालय या किसी भी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे शोध्यों की वसूली को रोकते हुए व्यादेश जारी किया गया है वहां उनके असंदाय को स्वीकृति के प्रयोजन के लिए निर्रहता के रूप में नहीं माना जायेगा।

(2) कोई भी खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति तब तक मंजूर नहीं की जायेगी जब तक कि अनुमोदित खनन योजना या, यथास्थिति, सरलीकृत खनन स्कीम आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है।

(3) कोई भी खनन पट्टा विद्यमान खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्र और विलोमतः मंजूर नहीं किया जायेगा।

(4) विद्यमान भाटक सह अधिशुल्क पट्टे जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को प्रवर्तन में हैं और अब तक खदान अनुज्ञप्ति में संपरिवर्तित नहीं किये गये हैं, खदान अनुज्ञप्ति में संपरिवर्तित किये हुए समझे जायेंगे और ऐसी खदान अनुज्ञप्ति का आकार अपरिवर्तित रहेगा।

12. खनिज रियायत के ई–नीलामी के लिए पूर्वापेक्षा.–सरकार, खनिज रियायत नीलामी के बारे में बोली आमंत्रित की सूचना जारी करने के पूर्व, ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जी.पी.एस.) या डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (डी.जी.पी.एस.) का उपयोग करके ऐसे क्षेत्र की पहचान और सीमांकन करेगी जहां खनिज रियायत नीलामी के माध्यम से मंजूर की जानी है और इस प्रकार सीमांकित क्षेत्र को वन भूमि, सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के स्वामित्व की भूमि के रूप में वर्गीकृत करेगी।

13. ई–नीलामी के लिए बोली पैरामीटर.–(1) खनिज रियायत के लिए ई–नीलामी प्रीमियम राशि के अवधारण के लिए संचालित किया जायेगाः

परन्तु जहां नीलामीधीन क्षेत्र में प्राइवेट व्यक्तियों के सामूहिक रूप से ज्ञात ''भूस्वामियों'' के स्वामित्वाधीन भूमि समाविष्ट है वहां खनिज रियायत व्यष्टि संगम के रूप में ऐसे भूस्वामियों के प्रथम इंकार के अधिकार के साथ मंजूर की जायेगी।

(2) प्रीमियम राशि के अवधारण के लिए आरक्षित राशि,–

(i) खनन पट्टे के मामले में अधिशुल्क की बीस प्रतिशत होगी जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट दरों के ऊपर प्रत्येक प्रेषण के लिए अतिरिक्त रूप से संदेय है या जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये; और

(ii) खदान अनुज्ञप्ति के मामले में नीलामीधीन क्षेत्र की प्रतिवर्ष संदेय वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के बराबर राशि होगी या जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(3) बोलीदाता राज्य सरकार को संदाय के प्रयोजन के लिए नियम 14 में यथावर्णित आरक्षित कीमत के बराबर या उससे अधिक राशि बोली के पैरामीटर के अनुसार उद्धृत करेगा और सफल बोलीदाता सरकार को,–

(i) खनन पट्टे के मामले में प्रत्येक प्रेषण के लिए इस प्रकार उद्धृत प्रतिशत का संदाय करेगा और जिसे स्थिर भाटक के पेटे समायोजित नहीं किया जायेगाः

परन्तु सफल बोलीदाता स्थिर भाटक के बराबर न्यूनतम प्रत्याभूत राशि या खनिज के प्रेषण अधिशुल्क के आधार पर, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा; और

(ii) खदान अनुज्ञप्ति के मामले में इस प्रकार उद्धृत राशि प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से संदत्त करेगा और वह वार्षिक फीस के पेटे समायोजित नहीं की जायेगी।

(4) इस प्रकार उद्धृत प्रीमियम राशि स्थिर भाटक, अधिशुल्क या, यथास्थिति, वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस में अभिवृद्धि के समय आनुपातिक रूप से पुनरीक्षित हो जायेगी और सफल बोलीदाता इस प्रकार वर्धित प्रीमियम संदाय करने का दायी होगा।

(5) जहां खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के पश्चात् एक या अधिक नये खनिजों का पता लग जाता है वहां सफल बोलीदाता प्रत्येक ऐसे खनिज के बारे में इस प्रकार उद्धृत प्रतिशत या राशि का भी संदाय करेगा।

14. खनिज रियायत की इलैक्ट्रानिक नीलामी और बोली प्रक्रिया.–(1) सरकार किसी भी ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक मंच का उपयोग कर सकेगी जो ऐसी न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो जो ई–उपापन प्रणाली की गुणवत्ता अपेक्षाओं का पालन करने के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ई–नीलामी के संचालन के लिए किसी भी एजेंसी को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को वन भूमि, सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के स्वामित्व की भूमि में वर्गीकृत क्षेत्र की विशिष्टियों, निबंधनों और शर्तों के साथ नीलामी किये जाने वाले खनिज भूखण्डों का ब्यौरा ई–नीलामी का संचालन करने के लिए निदेशालय, खान और भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को देगा।

(3) निदेशालय में केन्द्रीयकृत प्रकोष्ठ ई–नीलामी के लिए बोली आमंत्रित करते हुए दो दैनिक समाचारपत्रों में सूचना प्रकाशित करेगा जिनमें से एक कम से कम राज्य स्तरीय हो जो पचास हजार और अधिक प्रतियों में परिचालित हो और दूसरे का उस क्षेत्र में व्यापक प्रचार हो जहां पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूर की जा रही है। बोली आमंत्रित करने की सूचना निदेशालय और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के कार्यालय के सूचना पट्ट पर स्थिर रूप से प्रदर्शित की जायेगी। बोली आमंत्रित करने की सूचना बोली प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से कम से कम तीस दिवस पूर्व प्रकाशित की जायेगी और विशिष्टियां, निबंधन और शर्तें, विभाग और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी के वेब पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी। तीस दिवस की कालावधि की गणना, बोली आमंत्रित करने की सूचना विभाग की वेबसाइट या नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी की वेबसाइट पर प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, की जायेगी। पंजीकृत बोलीदाताओं को प्राधिकृत एजेंसी द्वारा ई–मेल से भी सूचित किया जायेगा।

(4) बोली आमंत्रित करने की सूचना में नीलामीधीन क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,–

(i) वन भूमि, सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के स्वामित्व की भूमि के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र की विशिष्टियां; और

(ii) यदि नीलामीधीन क्षेत्र में प्राइवेट व्यक्तियों के स्वामित्व की भूमि अन्तर्विष्ट है तो ऐसे भूस्वामियों का प्रथम इंकार के अधिकार की शर्त विनिर्दिष्ट की जाये।

(5) आशय रखने वाले बोलीदाता ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी के पास भावी बोलीदाता के रूप में पंजीकरण करायेंगे। पंजीकरण भावी बोलीदाताओं के लिए ई–नीलामी सेवा प्रदाता के पास पंजीकरण के लिए सदैव खुला रहेगा और एक बारगी होगा। पंजीकरण के पश्चात् भावी बोलीदाता खनिज रियायत और ठेकों की स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा संचालित ई–नीलामी में भाग लेने का पात्र होगा।

(6) बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के पूर्व नियम 15 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगा।

(7) सरकार, उसके कर्मचारी और सलाहकार कोई व्यपदेशन या वारंटी नहीं करेंगे और किसी भी बोलीदाता को सम्मिलित करते हुए किसी भी व्यक्ति के प्रति उनका विधि, कानून, नियम, विनियम या अपकृत्य, प्रत्यास्थान सिद्धान्तों, अनुचित संपन्नीकरण के अधीन या अन्यथा ऐसी किसी भी हानि, नुकसानी, लागत या व्यय के लिए कोई भी दायित्व नहीं होगा जो किसी भी सूचना या डाटा के कारण उद्भूत हो या उपगत हो या सहा जाये या नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से किसी भी रूप में उद्भूत हो।

(8) ई–नीलामी उपरली अग्रिम ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक नीलामी होगी और जिसमें निम्नलिखित चक्र होंगे, अर्थात्:–

(i) नीलामी का पहला चक्र निम्नलिखित रीति से आयोजित किया जायेगा, अर्थात्:–

(क) तकनीकी बोली बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत की जायेगी.–

(I) प्रारूप 3 में बोली पत्र की स्कैन प्रति;

(II) नियम 18 में यथाविनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति;

(III) प्रारंभिक राशि प्रस्ताव जो आरक्षित राशि के बराबर या अधिक होगा;

(IV) विभाग की अदेयता संबंधित शपथपत्र की स्कैन प्रति;

(V) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से प्राप्त अदेयता प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति जहां बोलीदाता खनिज रियायत या अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका का धारक है या था:

परन्तु फर्म, कंपनी या व्यष्टि संगम के मामले में शपथपत्र और अदेयता प्रमाणपत्र सभी भागीदारों, निदेशकों या, यथास्थिति, व्यष्टियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है;

(VI) यदि बोलीदाता कंपनी है तो संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की या, यथास्थिति, यदि बोलीदाता फर्म है तो भागीदारी विलेख और फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति;

(VII) फर्म या, यथास्थिति कंपनी के मामले में प्रारूप–4 में यथा विनिर्दिष्ट फार्मेट में मुख्तार नाम या बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निदेशक बोर्ड के संकल्प की स्कैन प्रति;

(VIII) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड या टिन की स्कैन प्रति;

(IX) पते के सबूत की स्कैन प्रति;

(X) चार्टर्ड अकाउटेण्ट द्वारा प्रमाणित तुलनपत्र की या पूर्ववर्ती वर्ष की आयकर विवरणी की स्कैन प्रति;

(XI) ई–मेल पता और मोबाइल नंबर;

(ख) किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से खण्ड (क) का पालन करने में विफलता से तकनीकी बोली का अप्रस्तुतीकरण हो जायेगा;

(ग) बोलियां निम्नलिखित की समिति द्वारा खोली जायेंगीः–

(I) अतिरिक्त निदेशक खान (मुख्यालय);

(II) वित्तीय सलाहकार; और

(III) संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता (मुख्यालय 2 या 3);

(घ) समिति की सिफारिशों पर अंतिम विनिश्चय निदेशक द्वारा लिया जायेगा; तकनीकी बोलियों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जायेगी और सभी बोलीदाताओं को ई–मेल या एसएमएस के माध्यम से व्यक्तिशः सूचित किया जायेगा। तकनीकी रूप से अर्हित सभी बोलीदाताओं के प्रारंभिक राशि प्रस्ताव खण्ड (ग) में वर्णित समिति द्वारा ई–नीलामी की अनुसूचित तारीख को खोले जायेंगे;

(ङ) तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक राशि के अवरोही क्रम के आधार पर रैंक दी जायेगी और प्रथम पचास प्रतिशत (भिन्न को उच्चतर पूर्णांक किया जायेगा) रैंकों के धारक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं को या तकनीकी रूप से अर्हित शीर्ष पांच बोलीदाताओ को, इनमें से जो भी उच्चतर हो, इलैक्ट्रानिक नीलामी के दूसरे चक्र में भाग लेने के लिए अर्हित बोलीदाता के रूप में अर्हित किया जायेगाः

परन्तु जहां तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता दो से कम हैं वहीं तकनीकी रूप से अर्हित किसी भी बोलीदाता पर अर्हित बोलीदाता के रूप में विचार नहीं किया जायेगा और नीलामी प्रक्रिया को बातिल कर दिया जायेगाः

परन्तु यह और कि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं की संख्या दो और पांच (दोनों सम्मिलित) के बीच में है तो तकनीकी रूप से अर्हित सभी बोलीदाताओं पर अर्हित बोलीदाताओं के रूप में विचार किया जायेगाः

परन्तु यह भी कि तकनीकी रूप से अर्हित दो या अधिक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे समान प्रारंभिक राशि प्रस्ताव की दशा में तकनीकी रूप से अर्हित सभी बोलीदाताओं को अर्हित बोलीदाताओं के अवधारण के प्रयोजन के लिए एक ही रैंक दी जायेगी और ऐसे मामलों में पूर्वोक्त पचास प्रतिशत बढकर और कुल तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं जिनके प्रारंभिक राशि प्रस्ताव समान हैं को जोड़ा जाकर उसमें से समान प्रारंभिक बोली के प्रस्ताव की संख्या को घटा दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण.–उस दशा में जब तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता कुल दस हैं और तकनीकी रूप से अर्हित प्रत्येक बोलीदाता भिन्न–भिन्न प्रारंभिक राशि का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तब पहली पचास प्रतिशत धारण करने वाले तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं पर अर्हित बोलीदाताओं के रूप में विचार किया जायेगा। यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता समान प्रारंभिक राशि का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और रैंकों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत में उनकी रैंक है तब तकनीकी रूप से अर्हित सभी तीन

बोलीदाताओं पर अर्हित बोलीदाता के रूप में विचार किया जायेगा और अर्हित कुल बोलीदाताओं की संख्या दो बढ़ जायेगी;

(च) अर्हित बोलीदाताओं को विनिर्दिष्ट मदों के पेटे इलैक्ट्रानिक नीलामी के लिए बोली के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनकी अर्हता के बारे में नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी की वेबसाइट के माध्यम से उनके सुरक्षित लॉगइन माध्यम से साथ ही प्रणाली जनित ई–मेल से सूचना दी जायेगी; और

(छ) अर्हित बोलीदाताओं में से उच्चतम प्रारंभिक राशि ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक नीलामी के दूसरे चक्र के लिए निम्नतम राशि होगी और सभी अर्हित बोलीदाता इलैक्ट्रानिक नीलामी के दूसरे चक्र में भाग लेंगे:

परन्तु जहां तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं की कुल संख्या दो से कम है वहां तकनीकी रूप से अर्हित किसी भी बोलीदाता पर अर्हित बोलीदाता के रूप में विचार नहीं किया जायेगा और नीलामी प्रक्रिया बातिल कर दी जायेगी:

परन्तु यह और कि निदेशक, अपने विवेक से, नीलामी प्रक्रिया को बातिल न करने का विनिश्चय कर सकेगा भले ही दूसरे या पश्चात्वर्ती प्रयास में तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं की संख्या दो से कम बनी रहे और निदेशक ऐसे मामले में तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता पर अर्हित बोलीदाता के रूप में विचार करने का विनिश्चय करेगा जिससे बोली प्रक्रिया चालू रहे।

(ii) ई–नीलामी का दूसरा चक्र निम्न रीति से आयोजित किया जायेगा, अर्थात्:–

(क) अर्हित बोलीदाता सभी करों और शुल्कों को छोड़कर अपने अपने अंतिम राशि प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे जो निम्नतम राशि से कम नहीं होंगे। बोलीदाता का सभी लागू करों और शुल्कों का संदाय प्राधिकारियों का सीधे ही करने का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा और उसका सबूत विभाग में देगा:

परन्तु अंतिम राशि प्रस्ताव को बोली आमंत्रित करने की सूचना के अनुसार नीलामी की समाप्ति तक पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(ख) ई–नीलामी की तारीख, समय और कालावधि बोली आमंत्रित करने की सूचना में वर्णित अनुसूची के अनुसार होगा। तथापि, ई–नीलामी के अंतिम समय का विस्तार उस दशा में स्वतः हो जायेगा जब कोई बोली इलैक्ट्रानिक नीलामी के अनुसूचित अंतिम समय के पूर्व अंतिम आठ मिनट के दौरान प्राप्त होती है। इलैक्ट्रानिक नीलामी के अंतिम समय का विस्तार सभी अन्य अर्हित बोलीदाताओं को समान अवसर देने के लिए, प्राप्त अंतिम बोली समय से आठ मिनट स्वतः हो जायेगा। स्वतः विस्तार की यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक अंतिम उच्चतम बोली में आठ मिनट की कालावधि तक सुधार नहीं होता है;

(ग) सफल बोलीदाता का एकमात्र विनिश्चय अर्हित बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत उच्चतम वित्तीय बोली के आधार पर किया जायेगा। किसी भी बोलीदाता के साथ कोई बातचीत नहीं की जायेगी;

(घ) नीलामी प्रक्रिया को बातिल कर दिया जायेगा यदि कोई भी अर्हित बोलीदाता ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक नीलामी मंच पर अंतिम राशि प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता है। यदि ई–नीलामी प्रक्रिया इलैक्ट्रानिक नीलामी मंच पर कम से कम एक अंतिम राशि प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने के कारण बातिल की जाती है तो ऐसे अर्हित बोलीदाता की बोली प्रतिभूति, जिसने ई–नीलामी के दूसरे चक्र के लिए उच्चतम प्रारंभिक राशि प्रस्ताव अर्थात् लागू निम्नतम राशि प्रस्तुत की है, समपहृत हो जायेगी;

(ङ.) ई–नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और उसके पश्चात् सफल बोलीदाता और बोली राशि इत्यादि उपदर्शित करते हुए बोली पत्र एजेंसी द्वारा ई–मेल के माध्यम से चौबीस घण्टे के भीतर–भीतर उपलब्ध कराया जायेगा। बोली पत्र प्रबंध सूचना प्रणाली (प्र.स.प्र.) रिपोर्ट के माध्यम से डाउनलोड किया जायेगा:

परन्तु जहां नीलामी किये गये क्षेत्र में प्राइवेट भूमि अन्तर्विष्ट है वहां सफल बोलीदाता को केवल उसके द्वारा भूस्वामी से पंजीकृत सहमति विलेख साठ दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्तुत कर दिये जाने पर ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और यदि उच्चतम बोलीदाता ऐसे भूस्वामी का पंजीकृत सहमति विलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे सफल बोलीदाता के रूप में घोषित नहीं किया जायेगा;

(च) यदि नीलामी किये गये क्षेत्र में प्राइवेट भूमि अन्तर्विष्ट है तो ई–नीलामी के दूसरे चक्र की समाप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता भूस्वामी को प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग ई–नीलामी के दूसरे चक्र की समाप्ति के सात दिवस के भीतर–भीतर करने के लिए उसकी इच्छा की लिखित अभिपुष्टि चाहते हुए नोटिस जारी करेगा;

(छ) इस उप–नियम के खण्ड (च) के अधीन दिये गये नोटिस की अभिस्वीकृति भूस्वामी द्वारा दी जायेगी और जो नोटिस की प्राप्ति के साठ दिवस के भीतर लिखित में प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने की सूचना संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को देगा उसके विफल रहने पर यह अर्थान्वयन किया जायेगा कि भूस्वामी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं है;

(ज) यदि भूस्वामी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करता है, उच्चतम अंतिम प्रस्ताव से मेल खाता है और अन्य सभी लागू संदाय जमा कर देता है तो भूस्वामी को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और इन नियमों में उपबंधित रीति से खनन पट्टे का हकदार होगा। ऐसे मामले में पूर्व उच्चतम बोलीदाता द्वारा संदत्त बोली प्रतिभूति प्रतिदत्त की जायेगीः

परन्तु जहां भूस्वामी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं या उच्चतम बोलीदाता भूस्वामियों का पंजीकृत सहमति विलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो नीलामी प्रक्रिया बातिल की जायेगी; और

(झ) सफल बोलीदाता द्वारा संपादन प्रतिभूति जमा करा दिये जाने पर सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा बहत्तर घण्टे के भीतर प्रतिदत्त की जायेगी।

(9) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली नब्बे दिवस के लिए विधिमान्य होगी। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य बोली पर अप्रतिक्रियाशील के रूप में विचार किया जा सकेगा। बोलियों की विधिमान्यता की समाप्ति के पूर्व निदेशक आपवादिक परिस्थितियों में बोलीदाताओं से बोली विधिमान्यता कालावधि को अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समायावधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध कर सकेगा। बोलीदाता अनुरोध से इंकार कर सकेगा और ऐसे इंकार को बोली के प्रत्याहरण के रूप में माना जायेगा किन्तु ऐसी परिस्थितियों में जमा बोली प्रतिभूति समपहृत नहीं की जायेगी।

(10) सफल बोलीदाता की घोषणा के पश्चात् सफल बोलीदाता पहली किस्त जो न्यूनतम प्रत्याभूत प्रीमियम के पच्चीस प्रतिशत होगी, नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के पंद्रह दिवस के भीतर जमा करायेगा और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

(11) यदि सफल बोलीदाता उप–नियम (10) में वर्णित पहली किस्त जमा करने में विफल रहता है तो जमा बोली प्रतिभूति समपहृत की जायेगी और और उसे आगे के ई–नीलामी में भाग लेने से पांच वर्ष के लिए विवर्जित किया जायेगा। ऐसे मामले में प्रति प्रस्ताव दूसरे उच्चतर बोलीदाता (एच 2), तीसरे उच्चतर बोलीदाता (एच 3) इत्यादि को सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली से मेल करने के लिए क्रम संख्यांक में दिया जायेगा। इस प्रक्रिया में कोई बातचीत नहीं की जायेगी।

(12) असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा संबंधित बोलीदाताओं को सफल बोलीदाता द्वारा प्रीमियम की पहली किस्त जमा करने के पश्चात् प्रतिदत्त की जायेगी।

15. ई–नीलामी मंच पर कोई भी बोली प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त.–(1) बोलीदाता से उसकी बोली प्रस्तुत करने और ई–नीलामी मंच पर इलैक्ट्रानिक नीलामी में भाग लेने के लिए समर्थ होने के लिए हस्ताक्षर टाइप के विधिमान्य डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रयोजन के लिए बोलीदाता या उसका प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से वेबसाइट

www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गयी प्रक्रिया के अनुसार डिजीटल हस्ताक्षर उपाप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग बोलियों पर डिजीटली हस्ताक्षर करने में किया जायेगा।

(2) बोलीदाता और उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के लिए पासवर्ड की गोपनीयता बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा। बोलीदाता और उसका संपर्क व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के किसी दुरुपयोग के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में कोई भी शिकायत या अभ्यावेदन को ई–नीलामी सेवा प्रदाता या सरकार द्वारा किसी भी चरण पर ग्रहण नहीं किया जायेगा

(3) बोलीदाता खनन पट्टे, खदान अनुज्ञप्ति, अधिशुल्क संग्रहण ठेका या, यथास्थिति अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके के लिए ई–नीलामी सेवा प्रदाता की ई–नीलामी वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करेगा। पंजीकरण सभी भावी बोलीदाताओं के लिए ई–नीलामी सेवा प्रदाता के पास पंजीकरण करवाने के लिए सदैव खुला रहेगा और वह एकबारीय होगा। पंजीकरण के पश्चात् भावी बोलीदाता खनिज रियायत और ठेकों की स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा संचालित ई–नीलामी में भाग लेने का पात्र होगा। बोलीदाता ऑनलाइन प्रारूप भरेगा और अपना ''यूजर आईडी'' और पासवर्ड'' बनायेगा और उसको नोट करेगा। बोलीदाता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके यूजर आईडी और पासवर्ड की हर समय गोपनीयता रखी जाती है और केवल बोलीदाता उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए उत्तदायी होगा।

(4) ऑनलाइन पंजीकरण प्रारूप के सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिये जाने पर, बोलीदाता को पंजीकृत ईमेल पते पर पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा जिसमें बोलीदाता को उसके खाते के सत्यापन और सक्रियकरण के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी जायेगी। एक बार जब पूर्वोक्त दस्तावेजों का पूर्ण सैट बोलीदाता से प्राप्त हो जाता है तो ई–नीलामी सेवा प्रदाता दस्तावेजों के सत्यापन या संवीक्षा के पश्चात् ऐसे बोलीदाता के लॉगइन को सक्रिय करेगा। ऊपर कथित पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने पर बोलीदाता ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर लॉगइन करने में समर्थ हो जायेगा। लॉगइन सक्रिय हो जाने के पश्चात्, बोलीदाता को ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा फोटो पहचान–पत्र दिया जायेगा जिस पर संपर्क व्यक्ति का फोटो और हस्ताक्षर होंगे। फोटो पहचान पत्र ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया जायेगा।

(5) तकनीकी बोली ई–नीलामी मंच पर प्रस्तुत की जायेगी। बोलीदाता को तकनीकी बोली को अंतिम प्रस्तुतीकरण तक इतनी बार संपादित करने का विकल्प होगा जितनी बार वह चाहे। तकनीकी बोली बोलीदाता द्वारा ऐसे डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग करके डिजीटली हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका उपयोग बोलीदाता की ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है और जिसका उपयोग पंजीकरण के समय किया गया था। उपर्युक्त से भिन्न कोई भी डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र बोली प्रस्तुतीकरण के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। सफल अंतिम प्रस्तुतीकरण पर बोलीदाता प्रणाली से बोली अभिस्वीकृति स्वतः प्राप्त करेगा। बोलीदाता नोट कर सकेगा कि उपर्युक्तानुसार ऑनलाइन प्रस्तुत तकनीकी बोली ई–नीलामी सेवा प्रदाता के स्वयं के सॉफ्टवेयर द्वारा बोलियों की उन्हें वस्तुतः खोलने के पूर्व पवित्रता और गोपनीयता की संरक्षा करने के लिए कूटबद्ध किया जायेगा। बोली की नियत तारीख को बोली प्रस्तुतीकरण के लिए अनुसूचित अंतिम समय के पूर्व बोलीदाता को बोली को उपांतरित, प्रत्याहृत या नयी बोली पुनः प्रस्तुत करने का विकल्प हो सकेगा। बोली पत्र, शपथपत्र की स्कैन प्रति, अदेयता प्रमाणपत्र, मुख्तारनामा या, यथास्थिति, संकल्प की प्रति बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की जायेगी और बोली प्रतिभूति नियम 18 के उपबंधों के अनुसार जमा की जायेगी। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन इन नियमों में उपबंधित रीति से किया जायेगा। ई–नीलामी सेवा प्रदाता सभी बोलीदाताओ के लिए ई–नीलामी मंच पर प्रशिक्षण और नकली नीलामी संचालित करेगा।

(6) बोलीदाता ई–नीलामी के दूसरे चक्र के लिए बोली के ग्रहण के बारे में सूचना प्राप्त करेगा। बोलीदाता का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा कि वह ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट की नियमित रूप से जांच करे और यह देखने के लिए लॉगइन करे कि आया वह कतिपय खनन पट्टे, खदान अनुज्ञप्ति, अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका के लिए अर्हित है या नहीं। सरकार या ई–नीलामी सेवा प्रदाता बोलीदाता द्वारा ईमेल की अप्राप्ति और उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(7) ई–नीलामी प्रक्रिया के दौरान, अर्हित बोलीदाता उसी खनन पट्टे, खदान अनुज्ञप्ति, अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका के लिए अपना अंतिम राशि प्रस्ताव उतनी बार करने में समर्थ होगा जितनी बार वह चाहे। अर्हित बोलीदाता इलैक्ट्रानिक नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले अन्य अर्हित बोलीदाताओं, साथ ही ई–नीलामी सेवा प्रदाता या सरकार से गुमनाम रहेगा। अर्हित बोलीदाता खनन पट्टे, खदान अनुज्ञप्ति, अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका के लिए प्रचलित उच्चतम अंतिम राशि प्रस्ताव को देखने में समर्थ होगा किन्तु समय बिन्दु पर उच्चतम अर्हित बोलीदाता का नाम प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। अर्हित बोलीदाता को उच्चतम अर्हित बोलीदाता होने के लिए अपना अंतिम राशि प्रस्ताव बोली आमंत्रण सूचना विज्ञप्ति में यथावर्णित न्यूनतम वृद्धि द्वारा, प्रदर्शित उच्चतम बोली से अधिक रखेगा। इलैक्ट्रानिक नीलामी प्रक्रिया में अनुसूचित प्रारंभ और बंद समय होगा जो स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जायेगा। अर्हित बोलीदाता बोली समय के प्रारंभ के पश्चात् और इलैक्ट्रानिक नीलामी के बंद समय तक अपना अंतिम राशि प्रस्ताव रखने में समर्थ होगा। चालू सर्वर समय भी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जायेगा। उस दशा में जब अंतिम राशि प्रस्ताव इलैक्ट्रानिक नीलामी के अनुसूचित बंद के समय के पूर्व अंतिम आठ मिनट के दौरान प्राप्त होता है तो इलैक्ट्रॉनिक नीलामी का बंद समय अन्य सभी अर्हित बोलीदाताओं को अवसर देने के लिए अंतिम प्राप्त बोली समय से आठ मिनट के लिए स्वतः विस्तारित हो जायेगा। स्वतः विस्तार की यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक आठ मिनट की कालावधि के दौरान कोई अंतिम राशि प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है।

स्पष्टीकरण.–उदाहरण के लिए यह धारणा करते हुए कि इलैक्ट्रॉनिक नीलामी विशेष के लिए प्रारंभिक बंद समय अपराह्न 1:00 बजे है और कोई अंतिम राशि प्रस्ताव अपराह्न 12:55 बजे प्राप्त होता है तो अनुसूचित बंद समय अपराह्न 1:03 तक विस्तारित हो जायेगा। पुनः यदि अंतिम राशि प्रस्ताव अपराह्न 1:01 बजे प्राप्त होता है तो अनुसूचित बंद समय अपराह्न 1:09 तक विस्तारित हो जायेगा और इसी प्रकार आगे। उस दशा में कोई और अंतिम राशि प्रस्ताव अपराह्न 1:09 तक प्राप्त नहीं होता है तो इलैक्ट्रानिक नीलामी अपराह्न 1:09 पर बंद हो जायेगी। विस्तारित बंद समय स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जायेगा और अर्हित बोलीदाताओं को नवीनतम सूचना प्राप्त करने के लिए अपने पेज को रिफ्रेश रखने की सलाह दी जाती है।

(8) इलैक्ट्रानिक नीलामी की प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता से उनके संबंधित डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) से उनकी बोलियों पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी और जिसका उपयोग बोलीदाता की ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है और जिसका उपयोग पंजीकरण के समय किया गया था। उपर्युक्त से भिन्न कोई भी डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र बोली के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रणाली द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा। बोलदाताओं को उनके स्वयं के हित में ई–नीलामी सेवा प्रदाता की इलैक्ट्रानिक नीलामी प्रक्रिया से उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को किसी डेमो इलैक्ट्रानिक नीलामी के माध्यम से पहले से प्रशिक्षित करवाकर स्वयं परिचित होने की सलाह दी जाती है।

(9) यह समझा जायेगा कि बोली प्रस्तुत करके बोलीदाता ने,–

- (i) ई–नीलामी के लिए नियमों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पूरी और सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और उनके निबंधनों को बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से स्वीकार किया है;
- (ii) सरकार द्वारा दी गयी ऐसी सभी सुसंगत सूचना का पुनर्विलोकन किया है जो बोली से संबंधित हों;
- (iii) सरकार द्वारा या उसकी ओर से ई–नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में दी गयी सूचना में अपर्याप्तता, त्रुटि या भूल के जोखिम को स्वीकार कर लिया है;
- (iv) सूचित बोली प्रस्तुत करने के लिए ई–नीलामी से संबंधित सभी विषयों के बारे में नियमों के अनुसार अपना समाधान कर लिया है;
- (v) अभिस्वीकृति और सहमति दी है कि अपर्याप्तता, पूर्णता की कमी या सूचना की अशुद्धता या इसमें इसके पूर्व की ई–नीलामी से संबंधित किन्हीं भी विषयों की अज्ञानता किसी भी प्रतिकर, नुकसानी, अपनी बाध्यताओं के पालन के लिए समय के विस्तार, लाभ की हानि इत्यादि के लिए सरकार से दावा करने का आधार नहीं होगा।

(10) सरकार दी गयी किसी भी सूचना के बारे में किसी भी लोप, भूल या गलती के लिए निविदा प्रक्रिया से उद्भूत या सरोकारी या संबंधित किसी भी विषय या बात के कारण उत्तरदायी नहीं होगी

जिसमें उसकी या सरकार द्वारा दी गयी किसी सूचना या डाटा में कोई भी भूल या गलती सम्मिलित है।

(11) सरकार के पास बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सभी विवरणों, सूचनाओं और दस्तावेजों का सत्यापन करने का अधिकार आरक्षित है और बोलीदाता, जब सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये, ऐसी सभी सूचनाएं, साक्ष्य और दस्तावेज उपलब्ध करायेगा जो ऐसे सत्यापन के लिए आवश्यक हों। सरकार द्वारा ऐसा कोई सत्यापन या ऐसे सत्यापन की कमी के कारण उसकी बाध्यताओं या दायित्वों से न तो मुक्त करेगी और न ही वह उसके अधीन के सरकार के किसी भी अधिकार को प्रभावित करेगी।

(12) नियम 14 के उप–नियम (8) या, यथास्थिति, नियम 37 के उप–नियम (7) में यथावर्णित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ तकनीकी बोलियां अपलोड की जानी चाहिएं। सरकार अपने एकमात्र विवेक से संशोधन जारी करके बोली की नियत तारीख का विस्तार कर सकेगी जो सभी बोलीदाताओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, सरकार के पास किसी सूचना के बिना, ऐसे स्वीकार, नास्वीकृति या बातिलकरण के लिए किसी दायित्व या किसी भी बाध्यता के बिना और कोई भी कारण समनुदिष्ट किये बिना किसी बोली को नामंजूर करने और/या निविदा प्रक्रिया को बातिल करने और सभी बोलियों को नामंजूर करने का अधिकार आरक्षित है। यदि ऐसा रद्दकरण सुसंगत बोलीदाता अननुपालन के अनुसरण में है विपर्ययेन बोली प्रस्तुतीकरण में है तब सरकार के पास ऐसे अननुपालक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति को समपहृत करने का अधिकार आरक्षित है।

(14) पूर्ववर्ती की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार के पास निम्नलिखित किसी भी बोली को नियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी मापदंड के आधार पर नामंजूर करने का अधिकार आरक्षित है:–

(i) बोलियां सभी सूचनाओं के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी हैं;

(ii) बोलियां बोली प्रतिभूति के बिना प्रस्तुत की गयी हैं; या

(iii) बोलियां नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों से अन्यथा प्रस्तुत की गयी हैं।

(15) सरकार अपने एकमात्र विवेक से और कोई भी बाध्यता या दायित्व उपगत किये बिना, किसी भी समय–

(i) निविदा प्रक्रिया को निलंबित और/या रद्द करने और/या निविदा प्रक्रिया को संशोधित और/या अनुपूर्त करने या तारीखों या उससे संबंधित अन्य निबंधनों को उपांतरित करने;

(ii) स्पष्टीकरण या और सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी बोलीदाता से परामर्श करने;

(iii) किसी भी बोलीदाता द्वारा, उसकी ओर से और/या उसके संबंध सरकार को प्रस्तुत किसी भी सूचना और/या साक्ष्य को रखने; और/या

(iv) किसी बोलीदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किसी भी और सभी प्रस्तुतीकरणें या अन्य सूचनाओं और/या साक्ष्य को स्वतंत्र रूप से सत्यापित, निरर्हित, नामंजूर और/या स्वीकार करने का,–अधिकार आरक्षित है।

(16) यह समझा जायेगा कि बोली प्रस्तुत करके बोलीदाता सरकार, उसके कर्मचारियों, एजेंटों और सलाहकारों को इसके अधीन के, अनुसरण में किसी भी अधिकार के प्रयोग और/या किसी भी बाध्यता के अनुपालन से किसी भी प्रकार से संबंधित या उद्भूत और/या निविदा प्रक्रिया के संबंध में दावों, हानियों , नुकसानियों, लागतों, व्ययों या दायित्वों से अप्रतिसंहरणीय, बिना शर्त, पूर्णतया और अंतिम रूप से सहमत है और निर्मुक्त करता है और लागू विधि द्वारा अनुज्ञात पूर्णतम सीमा तक कोई भी और सभी अधिकार और/या दावों को अभित्यक्त करता है जो उसे इस संबंध में हों चाहे वे वास्तविक हों या आकस्मिक, चाहे वर्तमान हों या भावी।

(17) बोलीदाता और उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और सलाहकार निविदा प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करेंगे। इसमे अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सरकार किसी बोली को बोलीदाता के प्रति किसी भी प्रकार की किसी भी रीति से दायी हुए बिना नामंजूर कर सकेगी यदि सरकार यह अवधारित करती है कि बोलीदाता ने निविदा प्रक्रिया में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या किसी एजेंट के माध्यम से, भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, प्रपीड़क आचरण, अवांछनीय आचरण या निर्बन्धनात्मक आचरण में लगा है। ऐसी किसी दशा में सरकार बोली प्रतिभूति या, यथास्थिति, प्रतिभूति निक्षेप को ऐसे किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

जो सरकार को नियमों और/या अन्यथा उपलब्ध हों, नुकसानी के रूप में समपहृत और विनियोजित करने की हकदार होगी।

(18) इसमें इसके पूर्व उप–नियम (17) के अधीन सरकार के अधिकारों और ऐसे अधिकारों और उपायों, जो सरकार को इन नियमों के अधीन हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, या अन्यथा यदि किसी बोलीदाता को सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान या खनन पट्टे, खदान अनुज्ञप्ति, अधिशुल्क संग्रहण ठेका, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका या उनके निष्पादन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या एजेंट के माध्यम से, किसी भी भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, प्रपीड़क आचरण या अवांछनीय आचरण या निर्बन्धनात्मक आचरण में लगा हुआ या लिप्त पाया जाता है तो ऐसा बोलीदाता सरकार द्वारा जारी निविदा में उस तारीख से पांच वर्ष के कालावधि के दौरान भाग लेने का पात्र नहीं होगा जिससे ऐसे बोलीदाता को सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, प्रपीड़क आचरण, अवांछनीय आचरण या, यथास्थिति, निर्बन्धनात्मक आचरण में लगा हुआ या लिप्त पाया जाता है।

स्पष्टीकरणः (i) ''भ्रष्ट आचरण'' से अभिप्रेत है,–

(क) निविदा प्रक्रिया से संसक्त किसी भी व्यक्ति की कार्रवाइयों को प्रभावित करने के लिए मूल्यवान् किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रस्ताव करना, देना या याचना करना; (शंका के निवारण के लिए किसी भी प्रकार की किसी भी रीति से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सरकार के ऐसे पदधारी को जो प्रत्यक्षतःया अप्रत्यक्षतः निविदा प्रक्रिया या उससे उद्भूत किसी भी रीति से सहबद्ध है या रहा है, निष्पादन के पूर्व या उसके पश्चात् नियोजन का प्रस्ताव करने या नियोजित करने या लगाने को यह समझा जायेगा कि वह निविदा प्रक्रिया से सहबद्ध व्यक्ति की कार्रवाई को प्रभावित करना गठित करता है); या

(ख) इन नियमों के अधीन के सिवाय और छोड़कर किसी भी प्रकार की किसी भी रीति से लगााना चाहे वह निविदा प्रक्रिया के दौरान हो या खनन पट्टे, खदान अनुज्ञप्ति, अधिशुल्क संग्रहण, अधिक अधिशुल्क संग्रहण या, यथास्थिति, उनके निष्पादन के पश्चात् हो;

(ii) ''कपटपूर्ण आचरण'' से निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए दुर्व्यपेशन या तथ्यों का लोप या तथ्यो का छिपाया जाना या अपूर्ण तथ्यों का प्रकटन अभिप्रेत है;

(iii) ''प्रपीड़क आचरण'' से किसी भी व्यक्ति के भाग लेने या निविदा प्रक्रिया में कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी व्यक्ति या संपत्ति का ह्रास करना या अपहानि करना या ह्रास या अपहानि करने की धमकी देना अभिप्रेत है;

(iv) ''अवांछनीय आचरण'' से अभिप्रेत है;

(क) सरकार से सहबद्ध या उसके द्वारा नियोजित या लगाये गये किसी भी व्यक्ति से पक्ष प्रचार, अपने पक्ष में करने या किसी भी रीति से निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने या प्रभावित करने के प्रयास के उद्देश्य से संपर्क स्थापित करना;

(ख) हित विरोध हो; या

(ग) लागू विधि का उल्लंघन करता है; और

(v)''निर्बन्धनात्मक आचरण'' से निविदा प्रक्रिया में पूरी और उचित प्रतिस्पर्धा को निर्बंधित करने या छलसाधन करने के उद्देश्य से कारटेल बनाना या बोलीदाताओं के बीच किसी समझ या ठहराव पर पहुंचना अभिप्रेत है।

(19) ई–नीलामी की प्रक्रिया से उद्भूत विवाद की किसी दशा में उदयपुर, राजस्थान में स्थित न्यायालयों को ही अधिकारिता होगी।

16. खनन पट्टे की स्वीकृति.–(1) खनन पट्टा नियम 14 के उप–नियम (8) के खण्ड (ii) के उप–खण्ड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन रहते ई–नीलामी के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को मंजूर किया जायेगा जो उच्चतम प्रीमियम राशि का प्रस्ताव करता है।

(2) प्रस्तावित प्रीमियम राशि की पहली किस्त की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता को,–

(i) दूसरी किस्त जो न्यूनतम प्रत्याभूत प्रीमियम की पच्चीस प्रतिशत होगी, मंशा–पत्र जारी करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर संदत्त करने;

(ii) नियम 20 में यथाविनिर्दिष्ट संपादन प्रतिभूति देने और अनुमोदित खनन योजना मंशा–पत्र जारी करने की तारीख से छह मास के भीतर–भीतर प्रस्तुत करने; और

(iii) ऐसी सभी सहमतियां और अनुमोदन जो लागू विधि के अधीन अपेक्षित हों, मंशा पत्र जारी करने की तारीख से अट्ठारह मास के भीतर अभिप्राप्त और प्रस्तुत करने, के लिए मंशा पत्र जारी करेगा:

परन्तु उपर्युक्त कालावधि ऐसी विस्तारित कालावधि के प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए वार्षिक स्थिर भाटक की दस प्रतिशत की दर से विलंब फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तारित की जा सकेगी जो मंशा–पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष पश्चात् की नहीं होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त कालावधि प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए स्थिर भाटक की दस प्रतिशत की दर से विलंब फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए सरकार द्वारा एक वर्ष की और कालावधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी:

परन्तु यह भी कि इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व जारी किये गये मंशा–पत्र की कालावधि ऐसी विस्तारित कालावधि के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए वार्षिक स्थिर भाटक की दस प्रतिशत की दर से विलंब फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तारित की जा सकेगी।

(3) क्षेत्र सक्षम प्राधिकरी द्वारा मंजूर किया जायेगा यदि आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता नियत समय या विस्तारित समयावधि के भीतर शर्तों का पालन करता है और आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता को पंजीकृत डाक और ई–मेल से सूचित किया जायेगा।

(4) आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता जिसने मंशा–पत्र की शर्तों का पालन नियत समय या विस्तारित समयावधि के भीतर नहीं किया है, तो सक्षम प्राधिकारी तीस दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बोली को नामंजूर करेगा और आवेदन फीस, प्रीमियम राशि और संपादन प्रतिभूति समपहृत करेगा।

(5) आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता नियम 21 के अनुसार खनन पट्टे के निष्पादन के पूर्व तीसरी किस्त का संदाय करेगा जो न्यूनतम प्रत्याभूत प्रीमियम की पचास प्रतिशत होगी।

(6) खनन पट्टा नीलामी के पूर्व की खोज के अनुसरण में पाये गये खनिजों के लिए होगा:

परन्तु जहां नीलामी के पश्चात्, किसी नये खनिज का पता चलता है वहां ऐसे खनिज को नियम 13 के उप–नियम (5) में यथावर्णित प्रीमियम राशि के संदाय के अध्यधीन रहते हुए खनन पट्टे में सम्मिलित किया जायेगा।

(7) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में.–

(i) खनिज चिनाई पत्थर के लिए कुल डेलीनियेट भूखण्डों का एक तिहाई अधिवासी अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखा जायेगा और शेष दो तिहाई भूखण्ड ई–नीलामी के माध्यम से मंजूर किये जायेंगे। आरक्षित भूखण्डों के लिए निदेशालय में स्थित केन्द्रीयकृत नीलामी प्रकोष्ठ आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना दो दैनिक समाचारपत्रों में जारी करेगा जिनमें से एक कम से कम राज्य स्तरीय हो और दूसरे का उस क्षेत्र में व्यापक प्रचार हो जहां पट्टा मंजूर किया जा रहा है। सूचना आवेदन आमंत्रित करने की आशयित तारीख के कम से कम तीस दिवस पूर्व प्रकाशित की जावेगी और उसमें ऐसी तारीख या कालावधि अन्तर्विष्ट होगी जिसके भीतर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। सूचना विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी:

परन्तु जहां एक ही भूखण्ड के लिए दो या अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन आवेदकों के बीच ई–नीलामी के माध्यम से किया जायेगा; और

(ii) खनिज बजरी (नदी बालू) के लिए प्राथमिकता अधिवासी अनुसूचित जनजाति की पंजीकृत सोसाइटी को दी जायेगी। निदेशालय में स्थित केन्द्रीयकृत नीलामी प्रकोष्ठ आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना दो दैनिक समाचारपत्रों में जारी करेगा जिनमें से एक कम से कम राज्य

स्तरीय हो और दूसरे का उस क्षेत्र में व्यापक प्रचार हो जहां पट्टा मंजूर किया जा रहा है। सूचना आवेदन आमंत्रित करने की आशयित तारीख के कम से कम तीस दिवस पूर्व प्रकाशित की जावेगी और उसमें ऐसी तारीख या कालावधि अन्तर्विष्ट होगी जिसके भीतर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। सूचना विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगीः

परन्तु जहां एक ही भूखण्ड के लिए सोसाइटियों से दो या अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन आवेदक सोसाइटियों के बीच ई–नीलामी के माध्यम से किया जायेगाः

परन्तु यह और कि जहां अधिवासी अनुसूचित जनजाति की पंजीकृत सोसाइटी से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो ई–नीलामी अन्य आवेदकों के बीच की जावेगी।

(8) विद्यमान प्रधान खनिज के खनन पट्टों में जहां अप्रधान खनिजों का खनन स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वहां अप्रधान खनिज के पट्टे, निदेशक के पूर्व अनुमोदन से, ई–नीलामी के माध्यम से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए मंजूर किये जायेंगे कि पट्टे के आवंटन के पश्चात् ऐसे अप्रधान खनिज का पट्टेधारी प्रधान खनिज के पट्टेधारी के कार्यकरण में कोई भी बाधा नहीं डालेगा।

17. खदान अनुज्ञप्ति की स्वीकृति.–(1) खदान अनुज्ञप्ति नियम 14 के उप–नियम (8) के खण्ड (ii) के उप–खण्ड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन रहते ई–नीलामी के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को मंजूर की जायेगी जो उच्चतम प्रीमियम राशि का प्रस्ताव करता है।

(2) प्रस्तावित प्रीमियम राशि की पहली किस्त की प्राप्ति पर, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता आवेदक या, यथास्थिति,सफल बोलीदाता को,–

(i) दूसरी किस्त जो न्यूनतम प्रत्याभूत प्रीमियम की पच्चीस प्रतिशत होगी, मंशा–पत्र जारी करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर संदत्त करने;

(ii) नियम 20 में यथाविनिर्दिष्ट संपादन प्रतिभूति देने और अनुमोदित खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम मंशा–पत्र जारी करने की तारीख से छह मास के भीतर, प्रस्तुत करने; और

(iii) ऐसी सभी सहमतियां और अनुमोदन जो लागू विधि के अधीन अपेक्षित हों, मंशा–पत्र जारी करने की तारीख से अट्ठारह मास के भीतर अभिप्राप्त और प्रस्तुत करने के लिए मंशा पत्र जारी करेगाः

परन्तु उपर्युक्त कालावधि ऐसी विस्तारित कालावधि के प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की दस प्रतिशत की दर से विलंब फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा विस्तारित की जा सकेगी जो मंशा–पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष पश्चात् की नहीं होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त कालावधि प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की दस प्रतिशत की दर से विलंब फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए सरकार द्वारा एक वर्ष की और कालावधि के लिए विस्तारित की जा सकेगीः

परन्तु यह भी कि इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व जारी किये गये मंशा–पत्र की कालावधि ऐसी विस्तारित कालावधि के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए स्थिर भाटक की दस प्रतिशत की दर से विलंब फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा विस्तारित की जा सकेगी।

(3) आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता तीसरी किस्त प्रारूप 7 में खदान अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व संदत्त करेगा जो प्रस्तावित प्रीमियम राशि की पचास प्रतिशत होगीः

परन्तु यदि सफल बोलीदाता ने मंशा–पत्र की शर्तों का पालन नियत समय या विस्तारित समयावधि के भीतर नहीं किया है, तो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता तीस दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् बोली को नामंजूर करेगा और आवेदन फीस, प्रीमियम राशि और संपादन प्रतिभूति समपहृत करेगा।

18. खनिज रियायत के लिए ई–नीलामी की प्रतिभूति.–(1) बोली प्रतिभूति इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण (आरटीजीएस/एनईएफटी) के रूप में होगी।

(2) प्रतिभूति की राशि होगीः–

(i) खनन पट्टे के लिए वार्षिक स्थिर भाटक के बराबर राशि; और

(ii) उसी खदान बाउण्डरी की और नये क्षेत्र में खदान अनुज्ञप्ति के मामले में समीप की खदान बाउण्डरी की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के बराबर राशि।

(3) सफल बोलीदाता द्वारा संपादन प्रतिभूति प्रस्तुत कर दिये जाने पर, बोली प्रतिभूति, यदि इन नियमों के अधीन समपहृत नहीं की गयी है तो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिदत्त की जायेगी।

19. प्रतिभूति निक्षेप.–(1) राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक की सावधि निक्षेप रसीद या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में, जो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी रखा गया हो या सरकार द्वारा प्रतिभूति निक्षेप खनिज रियायत के निबंधनों और शर्तो के सम्यक् अनुपालन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों के किसी भी अन्य रूप में विलेख के निष्पादन के पूर्व जमा किया जायेगा।

(2) प्रतिभूति निक्षेप की राशि होगी:–

(i) खनन पट्टे के लिए वार्षिक स्थिर भाटक की एक चौथाई राशि;और

(ii) खदान अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की एक चौथाई राशि।

(3) खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति का धारक स्थिर भाटक या, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति फीस में अभिवृद्धि की तारीख से साठ दिवस के भीतर ऐसी और राशि जमा करेगा जिससे कुल प्रतिभूति निक्षेप उतना हो जाये जितना उप–नियम (2) के खण्ड (i) और (ii) में वर्णित है।

(4) किसी भी प्रधान खनिज के अप्रधान खनिज घोषित हो जाने पर ऐसे खनिज का पट्टेधारी इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर प्रतिभूति का अंतर जमा करेगा जिससे उसका कुल प्रतिभूति निक्षेप उतना हो जाये जितना उप–नियम (2) के खण्ड (i) में है।

(5) निक्षिप्त प्रतिभूति यदि नियमों के अधीन समपहृत नहीं की गयी हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टा या अनुज्ञप्ति कालावधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. संपादन प्रतिभूति.–(1) संपादन प्रतिभूति राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक की सावधि निक्षेप रसीद या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में जो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी रखा गया हो या राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसूचित बैंक की संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में प्रारूप 5 में यथानिर्दिष्ट बैंक प्रत्याभूति या खनिज रियायत के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों के किसी भी अन्य रूप में होगी।

(2) संपादन प्रतिभूति निक्षेप की राशि होगी:–

(i) खनन पट्टे के लिए वार्षिक स्थिर भाटक के बराबर राशि; और

(ii) खदान अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के बराबर राशि।

(3) विद्यमान पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी स्थिर भाटक या, यथास्थिति, वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के बराबर संपादन प्रतिभूति संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पास इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर जमा करवायेगा।

(4) संपादन प्रतिभूति स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति फीस में अभिवृद्धि के समय आनुपातिक रूप से स्वतः पुनरीक्षित हो जायेगा और पट्टेधारी या खदान अनुज्ञप्तिधारी संपादन प्रतिभूति का अंतर साठ दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(5) संपादन प्रतिभूति, पट्टे या अनुज्ञप्ति की समाप्ति, अध्यर्पण या रद्दकरण पर रियायत धारक के विभाग के शोध्यों, यदि कोई हों, में समायोजित की जायेगी अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिदत्त की जायेगी।

21. खनन पट्टे का निष्पादन.–(1) स्वीकृतिधारक नक्शे के लिए एक हजार रुपये की फीस और वार्षिक स्थिर भाटक, प्रतिभूति निक्षेप, संपादन प्रतिभूति, अतिशेष न्यूनतम प्रत्याभूत प्रीमियम और अपेक्षित न्यायिकेत्तर स्टांप कागजात पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए, स्वीकृति के आदेश की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर जमा करवायेगा।

(2) पट्टा विलेख स्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रारूप–6 में निष्पादित किया जायेगा और संबंधित खनि अभियंता राज्यपाल की ओर से करार पर हस्ताक्षर करेगा जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन अपेक्षित है।

(3) पट्टा विलेख उप–रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत करवाया जायेगा और स्वीकृतिधारी मूल विलेख संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को पंजीकरण की तारीख से दो मास की कालवधि के भीतर लौटायेगा।

(4) यदि स्वीकृतिधारी उप–नियम (1), (2) और (3) के उपबंधों का पालन नियत समयावधि के भीतर करने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति आदेश को प्रतिसंहृत करेगा और स्वीकृतिधारी द्वारा जमा प्रीमियम राशि, प्रतिभूति निक्षेप और संपादन प्रतिभूति समपहृत करेगाः

परन्तु यदि स्वीकृतिधारी उप–नियम (1), (2) और (3) में वर्णित औपचारिकताएं नियत समयावधि के भीतर पूरा करने में विफल रहता है और स्वीकृति के आदेश के प्रतिसंहरण के पूर्व समय विस्तार के लिए आवेदन करता है तो सक्षम प्राधिकारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकतम एक वर्ष के अध्यधीन रहते हुए ऐसी कालावधि और विलंब के प्रत्येक मास या भाग के लिए वार्षिक भाटक के नौ प्रतिशत की दर से विलंब फीस के संदाय पर पट्टा विलेख निष्पादन अनुज्ञात कर सकेगाः

परन्तु यदि पट्टा विलेख विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है या पंजीकृत विलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है और स्वीकृतिधारी विलंब के लिए सद्भावी रूप से उत्तरदायी नहीं है और समय विस्तार के लिए आवेदन करता है तो सक्षम प्राधिकारी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए विलंब फीस के संदाय के बिना अधिकतम एक वर्ष के अध्यधीन रहते हुए ऐसी कालावधि अनुज्ञात कर सकेगाः

परन्तु यह भी कि जहां पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए विलंब की कालावधि किसी भी कारण से एक वर्ष से अधिक हो जाती है और प्रतिसंहरण आदेश जारी नहीं किया गया है तो निदेशक प्राप्तिकर्ता द्वारा विलंब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए वार्षिक स्थिर भाटक की पंद्रह प्रतिशत की दर से विलंब फीस के साथ प्रस्तुत आवेदन पर औपचारिकताएं पूरी करने और पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए और कालावधि अनुज्ञात कर सकेगा।

परन्तु पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए विलंब की कालावधि एक वर्ष से अधिक हो जाती है और प्राप्तिकर्ता विलंब के लिए सद्भावी रूप से उत्तरदायी नहीं है और प्रतिसंहरण आदेश जारी नहीं किया गया है तो निदेशक प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर औपचारिकताएं पूरी करने और पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए विलंब फीस के संदाय के बिना और कालावधि अनुज्ञात कर सकेगा।

(5) उप–नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जहां पट्टे का निष्पादन या पंजीकरण ऐसे किसी भी कारण से पूरा नहीं किया जा सका जो स्वीकृतिधारी की सद्भावी चूक के कारण नहीं है वहां स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिसंहृत की जा सकेगी और ऐसे मामले में स्वीकृतिधारी द्वारा जमा स्थिर भाटक की कोई राशि, न्यूनतम प्रत्याभूत प्रीमियम, संपादन प्रतिभूति और प्रतिभूति प्रतिदत्त की जायेगी।

(6) पट्टा पट्टा विलेख के पंजीकरण की तारीख से चालू होगा जब तक कि अन्यथा कथित न हो।

(7) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता खनन पट्टा क्षेत्र को राजस्व अभिलेख में खनिज क्षेत्र के रूप में प्रविष्ट करने के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी को सूचित करेगा।

22. खनिज रियायत के लिए रजिस्टर.–(1) खनन पट्टे के लिए आवेदनों का रजिस्टर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रारूप–8 में ऑनलाइन रखा जायेगा।

(2) खनन पट्टे का रजिस्टर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रारूप–9 में ऑनलाइन रखा जायेगा।

(3) खदान अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का रजिस्टर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रारूप–10 में ऑनलाइन रखा जायेगा।

(4) खदान अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रारूप–11 में ऑनलाइन रखा जायेगा।

23. खनन पट्टों का स्थिर भाटक, अधिशुल्क और उसका पुनरीक्षण.–(1) इन नियमों के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् मंजूर खनन पट्टे का धारक पट्टे की लिखत में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के लिए ऐसी दर से, जो विनिर्दिष्ट की जाये, तत्समय अनुसूची 3 के अनुसार स्थिर भाटक प्रति वर्ष सरकार को संदत्त करेगाः

परन्तु जहां पट्टा एक से अधिक खनिजों के लिए मंजूर किया गया है वहां पट्टेधारी ऐसे खनिज का स्थिर भाटक संदत्त करने का दायी होगा जिसकी स्थिर भाटक दर उच्चतर है।

(2) पट्टे की लिखत में या इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किसी भी विधि या नियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन मंजूर किसी भी खनन पट्टे का धारक और बाद में ऐसे खनिज को अप्रधान खनिज घोषित किया गया है या राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अधीन मंजूर खनन पट्टे का धारक पट्टे की लिखत में सभी क्षेत्रों के लिए समय–समय पर यथासंशोधित अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर से संगणित स्थिर भाटक इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से सरकार को संदत्त करेगा।

(3) विद्यमान स्थिर भाटक की राशि कम नहीं की जायेगी यदि वह उप–नियम (2) के अनुसार संगणित स्थिर भाटक से अधिक है।

(4) यदि ऐसे खनन पट्टे का धारक उसके या उसके एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार द्वारा पट्टाकृत क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग में लिये गये किसी भी खनिज के लिए अधिशुल्क संदत्त करने का दायी होगा, वह उस क्षेत्र के बारे में या तो ऐसी अधिशुल्क या स्थिर भाटक, इनमें से जो भी अधिक हो, संदत्त करने का दायी होगा।

(5) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 को ऐसी दर में अभिवृद्धि करने के लिए संशोधित कर सकेगी जिससे अधिशुल्क और स्थिर भाटक इन नियमों के अनुसार किसी भी खनिज के बारे में ऐसी तारीख से संदेय होगा जो विनिर्दिष्ट की जाये:

परन्तु अधिशुल्क और स्थिर भाटक की दर में कोई भी अभिवृद्धि ऐसी पूर्ववर्ती अभिवृद्धि की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के पूर्व नहीं की जायेगी।

24. खदान अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस.–(1) खदान अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की सिफारिश निम्नलिखित की समिति द्वारा की जायेगी:–

(i) अतिरिक्त निदेशक खान (मुख्यालय);

(ii) वित्तीय सलाहकार;

(iii) अधीक्षण खनि अभियंता (मुख्यालय तृतीय); और

(iv) संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता:

परन्तु विद्यमान खदान अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम वार्षिक फीस प्रतिवर्ष दो हजार रुपये से कम नहीं होगी।

(2) उप–नियम (1) में वर्णित समिति की सिफारिशों पर अंतिम विनिश्चय निदेशक द्वारा किया जायेगा। अनुज्ञप्ति फीस वार्षिक रूप से अग्रिम रूप से संदत्त की जायेगी:

परन्तु वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस में अभिवृद्धि तीन वर्ष की किसी कालावधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं की जायेगी।

25. खनन पट्टे के खनिज या क्षेत्र का अध्यर्पण.–(1) खनिजों के किसी समूह के लिए खनन पट्टा धारण करने वाला पट्टेधारी किसी भी खनिज के अध्यर्पण के लिए पांच हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस के साथ संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को इस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि उस खनिज के भंडार इस सीमा तक निःशेष या खाली हो गये हैं कि खनिज निकालना अब मितव्ययी नहीं रह गया है, सक्षम प्राधिकारी पट्टेधारी को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए उस खनिज के अध्यर्पण के लिए अनुज्ञात कर सकेगा कि वह उसके द्वारा इस प्रकार अध्यर्पित खनिज निकालने में कोई बाधा खड़ी नहीं करेगा। उस खनिज के बारे में खनन पट्टा बाद में किसी भी अन्य व्यक्ति को मंजूर किया जा सकेगा:

परन्तु जब खनिज एक बार अध्यर्पित कर दिया गया है तो ऐसा खनिज उसी पट्टेधारी को भविष्य में सम्मिलित या मंजूर नहीं किया जायेगा।

(2) पट्टेधारी पट्टे का अध्यर्पण संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को पांच हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस, संपादन प्रतिभूति के अतिरिक्त पट्टे की अदेयता और अंतिम खान बंदी योजना की पालना रिपार्ट के साथ आवेदन करके किसी भी समय कर सकेगा, खान का अध्यर्पण सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरंत स्वीकार किया जायेगा:

परन्तु पट्टे का अध्यर्पण आवेदन की तारीख से छह मास के पश्चात् स्वीकार किया जायेगा यदि अध्यर्पण करने की तारीख को पट्टेधारी के विरुद्ध संपादन प्रतिभूति के अतिरिक्त कोई शोध्य रह जाता है:

परन्तु यह और कि अंतिम खान बंदी योजना की अपेक्षा नहीं की जायेगी यदि कोई खनन अध्यर्पित क्षेत्र में नहीं किया जाता हैः

परन्तु यह भी कि यदि बंदी योजना कार्यान्वित किया जाना नहीं पाया जाता है तो वित्तीय आश्वासन समपहृत कर लिया जायेगा और उसका अभिदाय जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के पेटे किया जायेगा।

(3) पट्टेधारी पट्टा क्षेत्र का कोई भाग संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को पांच हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस, प्लान की स्कैन प्रति और विवरण सूची जिसमें प्रतिधारित क्षेत्र और अध्यर्पित किये जाने वाले क्षेत्र का भाग दर्शित हो, पट्टे के अदेयता प्रमाणपत्र और अध्यर्पित किये जाने वाले क्षेत्र की अंतिम खान बंदी योजना की पालना रिपार्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करके अध्यर्पित कर सकेगा। क्षेत्र का आंशिक अध्यर्पण सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार किया जा सकेगा कि,—

(i) जहां तक संभव हो प्रतिधारित क्षेत्र आयताकार हो; और

(ii) प्रत्येक खण्ड में प्रतिधारित क्षेत्र अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं होः

परन्तु जहां प्रतिधारित क्षेत्र एक से अधिक खण्ड मे रहता है तो आंशिक अध्यर्पण निदेशक के पूर्व अनुमोदन से स्वीकार किया जायेगाः

परन्तु खनिज बजरी (नदी बालू) की दशा में आंशिक अध्यर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) पट्टे के आंशिक अध्यर्पण के मामले में पट्टेधारी प्रतिधारित क्षेत्र की उत्तरोत्तर बंदी योजना के साथ खान योजना की अनुमोदित योजना की प्रति आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगाः

परन्तु अंतिम खान बंदी योजना की अपेक्षा नहीं की जायेगी यदि खनन आंशिक अध्यर्पित क्षेत्र में नहीं किया गया हैं

(5) प्रतिधारित क्षेत्र के स्थिर भाटक की गणना जैसा अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है, उसके अनुसार की जायेगी।

26. खदान अनुज्ञप्ति का अध्यर्पण.—अनुज्ञप्तिधारी खदान अनुज्ञप्ति के अध्यर्पण के लिए आवेदन, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को अध्यर्पण की आशयित तारीख से कम से कम पंद्रह दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करके किसी भी समय कर सकेगा। संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता अध्यर्पण स्वीकार करेगा यदि अनुज्ञप्तिधारी ने खान बंदी योजना या स्कीम के अनुसार संरक्षात्मक, उद्धार और पुनरुद्धार किया है, किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा यदि कोई खनन संक्रिया नहीं की गयी हो। अनुज्ञप्ति की शेष कालावधि की अनुज्ञप्ति फीस की राशि प्रतिदत्त नहीं की जायेगी किन्तु प्रतिभूति राशि और संपादन प्रतिभूति प्रतिदत्त की जायेगी यदि कोई शोध्य बकाया नहीं हैः

परन्तु यदि बंदी योजना का क्रियान्वित किया जाना नहीं पाया जाता है तो वित्तीय आश्वासन समपहृत किया जायेगा और उसका अभिदाय जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के पेटे किया जायेगा।

27. खनिज रियायत का अन्तरण.—(1) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी, सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व सम्मति के बिना,—

(i) पट्टे या अनुज्ञप्ति को या उसमें के किसी भी अधिकार, हक या हित को समनुदिष्ट, उपपट्टे या बंधक या किसी भी अन्य रीति से अंतरित नहीं करेगा; और

(ii) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी सद्भावी व्यवस्था, संविदा या समझौता निष्पादित नहीं करेगा जिसके द्वारा पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारवान् सीमा तक वित्तपोषित हो या हो सकता हो या जिससे संक्रियाएं या उपक्रम पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर अन्य व्यक्ति समूह द्वारा सारवान् रूप से नियंत्रित हो या हो सकती हो।

परन्तु जहां बंधकदार राज्य संस्था या बैंक या राज्य निगम हो वहां पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को किसी भी बंधक के बारे में बंधक या समनुदेशन की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर—भीतर सूचित करेगा।

(2) खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए प्रत्येक आवेदन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत किया जायेगाः—

(i) खनन पट्टे के लिए पच्चीस हजार रुपये या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति के लिए दस हजार रुपये की अप्रतिदेय आवेदन फीस;

(ii) उप–नियम (9) के अनुसार पट्टे या अनुज्ञप्ति की शेष कालावधि के आधार पर एक बारीय प्रीमियम संदत्त करने का वचनः

परन्तु निविदा या नीलामी के माध्यम से मंजूर पट्टे या अनुज्ञप्ति के लिए ऐसा वचन प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी;

(iii) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से प्राप्त अंतरक, अंतरिती और उसके कुटुंब के सदस्यों का विधिमान्य अदेयता प्रमाणपत्र यदि वे किसी भी खनिज रियायत, अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका राज्य में धारण करते है या धारित की हैः

परन्तु यदि अंतरक और अंतरिती कोई व्यष्टि संगम या भागीदारी फर्म या प्राइवेट परिसीमित कंपनी है तो ऐसा प्रमाणपत्र व्यष्टि संगम के सभी सदस्यों, भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों या, यथास्थिति, प्राइवेट परिसीमित कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा भी दिया जायेगा। अदेयता प्रमाणपत्र परिसीमित कंपनी या, यथास्थिति, सरकारी उपक्रम के मामले में कंपनी या उपक्रम द्वारा प्रस्तुत किया जाना हैः

परन्तु यह और कि अदेयता प्रमाणपत्र की वहां अपेक्षा नहीं की जायेगी जहां अंतरिती ने सरकार के समाधानप्रद रूप में यह कथन करते हुए शपथपत्र दे दिया है कि वह या उसका कुटुंब का सदस्य कोई भी खनिज रियायत या अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका राज्य में धारित नहीं करता है या धारित नहीं की हैः

परन्तु यह भी कि जहां सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा शोध्यों की वसूली रोकते हुए कोई व्यादेश जारी किया गया है वहां उसका असंदाय पट्टे या अनुज्ञप्ति के लिए निर्रहता नहीं माना जायेगा;

(iv) अंतरक और अंतरिती द्वारा या संयुक्त हित रखने वाले व्यक्ति के साथ खनन पट्टे, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खदान अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से धारित या पहले से मंजूर किन्तु निष्पादित या पंजीकृत नहीं या आवेदित किन्तु मंजूर नहीं, खनिज वार क्षेत्रों की विशिष्टियां देते हुए शपथपत्र;

(v) अंतरिती द्वारा यह कथन करते हुए शपथपत्र कि वह पट्टे या अनुज्ञप्ति के सभी निबंधनों, शर्तों और दायित्वों का पालन करेगा; और

(vi) अंतरक और अंतरिती द्वारा यह कथन करते हुए शपथपत्र कि पट्टे या अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए अंतरक द्वारा उपगत विनिधान के बदले उनके बीच करार पायी गयी संव्यवहार की राशि।

(3) सक्षम प्राधिकारी खनन पट्टे या अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए सभी आवेदनों का निपटारा उनकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर करेगाः

परन्तु जहां आवेदन का निपटारा समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है वहां आवेदन का निपटारा अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा किया जायेगाः

परन्तु यह और कि खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति के अंतरण पर विचार अधिकार के तौर पर नहीं किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसे अंतरण से इंकार कर सकेगा और उसकी सूचना पट्टेधारी को दी जायेगीः

परन्तु यह भी कि जहां खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति के लिए अंतरण आवेदन सभी ठोस विशिष्टियों में पूर्ण नहीं है या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज या ऐसी कोई भी अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज नहीं हैं जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीस दिवस का नोटिस दिया जायेगा जिसमें आवेदक से आवेदन को पूरा करने या, यथास्थिति, दस्तावेज देने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें विफल रहने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरण आवेदन, आवेदन फीस के समपहरण के साथ नामंजूर किया किया जायेगा।

(4) जहां खनन पट्टे के अंतरण का आदेश जारी किया गया है वहां प्रारूप 12 में अंतरण पट्टा विलेख, आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी कालावधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञात करे, निष्पादित किया जायेगाः

परन्तु खदान अनुज्ञप्ति के मामले में इस प्रभाव की प्रविष्टि अनुज्ञप्ति और खदान अनुज्ञप्ति रजिस्टर में की जायेगी।

(5) पट्टे का अंतरण, अंतरण पट्टा विलेख के पंजीकरण के दिवस से प्रभावी होगा जबकि अनुज्ञप्ति का अंतरण खदान अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि की तारीख से प्रभावी होगा।

(6) खनन पट्टे के मामले में अंतरण पट्टा विलेख अंतरण विलेख के निष्पादन से दो मास की कालावधि के भीतर पंजीकृत किया जायेगा और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को लौटाया जायेगाः

परन्तु यदि अंतरण विलेख नियत समय के भीतर निष्पादित नहीं किया गया है या पंजीकृत नहीं कराया गया है तो अंतरण का आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा अंतरण आवेदन फीस और प्रीमियम के समपहरण के साथ प्रतिसंहृत किया जायेगा।

(7) निम्नलिखित मामलो को भी अंतरण माना जायेगाः—

(i) व्यवसाय संगठन के एक रूप से व्यवसाय संगठन के दूसरे रूप मे परिवर्तन अर्थात् भागीदारी, परिसीमित दायित्व भागीदारी, प्राइवेट परिसीमित कंपनी, लोक परिसीमित कंपनी या व्यवसाय संगठन के दूसरे रूप में किसी भी विधि के अधीन मान्य व्यवसाय क्रियाकलापों का कोई भी रूप;

(ii) भागीदारी फर्म के भागीदार में परिवर्तन;

(iii) कंपनी में शेयरों का अंतरण जिसके परिणामस्वरूप उक्त कंपनी के प्रबंध के नियंत्रण या स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तन हो;

(iv) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी की कंपनी का दूसरी कंपनी में विलयन या समामेलन;

(v) प्राइवेट परिसीमित कंपनी का परिसीमित कंपनी में परिवर्तनः

परन्तु यदि किसी फर्म या कंपनी में किसी भी भागीदार या निदेशक की मृत्यु हो जाती है और नामांतरण उसके विधिक वारिस के पक्ष में किया गया है तो उसे अंतरण नहीं माना जायेगा किन्तु यदि नामांतरण का आवेदन नहीं किया गया है तो उसे अंतरण माना जायेगा।

(8) पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी उप–नियम (7) में यथावर्णित परिवर्तन के बारे में संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को उप–नियम (9) के अनुसार आवेदन फीस और प्रीमियम राशि के साथ साठ दिवस के भीतर सूचित करेगा। ऐसे मामले में अंतरण सुसंगत विधि के अधीन भागीदार या, यथास्थिति, निदेशक के ऐसे परिवर्तन की तारीख से प्रभावी होगा।

(9) पट्टे या अनुज्ञप्ति का अंतरण, अंतरण के समय नीचे वर्णित एक बारीय प्रीमियम के संदाय के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जायेगा और स्थिर भाटक, वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस या, यथास्थिति, अधिशुल्क के ठेका समायोजित नहीं होगा :—

क्र. सं.	पट्टे या अनुज्ञप्ति की शेष कालावधि	प्रीमियम
1.	पांच वर्ष तक	वार्षिक स्थिर भाटक या वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दुगुना
2.	पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक	वार्षिक स्थिर भाटक या वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का चौगुना
3.	दस वर्ष से अधिक और पंद्रह वर्ष तक	वार्षिक स्थिर भाटक या वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का छह गुना
4.	पंद्रह वर्ष से अधिक और बीस वर्ष तक	वार्षिक स्थिर भाटक या वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का आठ गुना
5.	बीस वर्ष से अधिक	वार्षिक स्थिर भाटक या वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस गुना

परन्तु प्रीमियम की राशि दस लाख से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि ऐसे पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी से, जिसने पट्टा या अनुज्ञप्ति निविदा या नीलामी के माध्यम से प्राप्त की है, विद्यमान प्रीमियम से अधिक प्रीमियम राशि संदत्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(10) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व किसी भी प्रवर्ग के अधीन किसी व्यक्ति को लाटरी द्वारा मंजूर खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति किसी भी अन्य प्रवर्ग को अंतरित नहीं की जायेगी।

(11) नीलामी के माध्यम से अन्यथा मंजूर खनिज रियायत के लिए अंतरण बंद कालावधि एक वर्ष की होगी और पश्चात्वर्ती अंतरण इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए मंजूर किया जायेगा कि अंतिम अंतरण से कम से कम एक वर्ष बीत गया हो:

परन्तु उपर्युक्त बंद कालावधि उप–नियम (7) के खण्ड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट मामलों में लागू नहीं होगी।

(12) बजरी (नदी बालू) की खनन अनुज्ञप्ति अंतरित नहीं की जायेगी।

अध्याय 4
खनिज रियायत के निबंधन और शर्तें

28. खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें.–(1) प्रत्येक खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:–

(i) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में किसी भी अप्रधान खनिज की संक्रियाएं इन नियमों के अधीन और उनके अनुसार के सिवाय नहीं करेगा;

(ii) (क) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास कोष में समय–समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दरों से अभिदाय करेगा;

(ख) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् मंजूर पट्टे या अनुज्ञप्ति का पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी नियम 4, 5,6 और 13 में यथाविनिर्दिष्ट प्रीमियम राशि का भी संदाय करेगा; और

(ग) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी खनन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपयोग में लिये गये सतही क्षेत्र के लिए राजस्व विभाग को सतही भाटक का संदाय भी क्षेत्र में प्रचलित दरों के अनुसार करेगा;

(iii) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी सभी शोध्यों का संदाय ऐसे अधिकारी के कार्यालय में, ऐसी रीति से, ऐसे स्थान और समय पर करेगा जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

(iv) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी योजना और सीमांकन रिपार्ट के अनुसार सीमा स्तंभ और चिन्ह अपने स्वयं के खर्चे पर निम्नलिखित रीति से परिनिर्मित करेगा और हर समय संधारित और अच्छी स्थिति में रखेगा:–

(क) पट्टे या अनुज्ञप्ति क्षेत्र के प्रत्येक कोर्नर पर सीमा स्तंभ (सीमा स्तंभ) रखेगा;

(ख) कोर्नर स्तंभों के बीच में मध्यवर्ती सीमा स्तंभ इस प्रकार से परिनिर्मित करेगा जिससे प्रत्येक स्तंभ किसी भी ओर स्थित पार्श्वस्थ स्तंभ से दृश्यमान हो;

(ग) स्तंभ सतह के ऊपर वर्गाकार पिरामिडाकार दिवसनक आकार के और सतह के नीचे छह समकोणीय आकार के होंगे;

(घ) प्रत्येक स्तंभ प्रबलित सीमेंट कंकरीट का होगा;

(ड.) कोर्नर स्तंभ का आधार 0.30 मी.x 0.30 और ऊंचाई 1.30 मी. होगी जिसमें से 0.70 मी. भूमि स्तर से ऊपर और 0.60 मी. भूमि के नीचे होगा;

(च) मध्यवर्ती स्तंभों का आधार 0.25 x 0.25 और ऊंचाई 1.0 मी. होगी जिसमें से0.70 मी. भूमि स्तर से ऊपर और 0.30 मी. भूमि के नीचे होगा;

(छ) सभी स्तंभों को पीले रंग से और शीर्ष दस सेंटीमीटर को लाल रंग से इनेमल पेंट से पेंट किया जायेगा और उनमें सीमेंट कंकरीट का पतला मसाला भरा जायेगा;

(ज) सभी कोर्नर स्तंभों पर दूरी और अगले और पिछले स्तंभ का दिक्कोण और अक्षांश और देशांतर अंकित किया जायेगा;

(झ) प्रत्येक स्तंभ पर दक्षिणावर्त कमांक होगा और कमांक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया जायेगा;

(ञ) कमांक पट्टे या अनुज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक स्तंभ का संख्यांक होगा;

(ट) स्तंभों की अवस्थिति सख्यांक पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित सतही योजना और अन्य योजनाओं में भी दर्शित किया जायेगा; और

(ठ) पट्टे या अनुज्ञप्ति के भीतर वन क्षेत्र के मामले में सीमा स्तंभों का आकार और परिनिर्माण और रंग वन विभाग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार होगा;

(v) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी किसी भी लोक आमोद प्रमोद मैदान, श्मशान या कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा धारित पवित्र स्थान या किसी भी आवास या ग्राम स्थल, लोक सड़क या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे सरकार लोक मैदान के रूप में अवधारित करे, या ऐसी रीति से जो अन्य व्यक्तियों के किसी भी भवन, संकर्म संपत्ति या अधिकार को क्षति पहुंचाए या प्रतिकूल प्रभाव डाले, कोई भवन या वस्तु परिनिर्मित, स्थापित नहीं करेगा या नहीं रखेगा और उसमें या उस पर सतही संक्रियाएं नहीं करेगा;

(vi) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी अपनी संक्रियाएं ऐसी रीति से नहीं करेगा जो किसी भी के किसी भवन, संकर्म, संपत्ति अधिकार को क्षति पहुंचाए और पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संकर्म या ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो खनन पट्टे में सम्मिलित नहीं हैं, ऐसी किसी भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा जो पहले से सरकार से भिन्न व्यक्तियों के अधिभोग में है;

(vii) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं भी खनन संक्रियाओं के प्रारंभ की सूचना खान अधिनियम, 1952 के अनुसार प्राधिकारियों को और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को किसी भी खनन संक्रिया के प्रारंभ के कम से कम एक मास पूर्व देगा;

(viii) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी पट्टा या अनुज्ञप्ति के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ करेगा और उसके पश्चात् ऐसी संक्रियाएं पर्याप्त अतिभार को हटाकर अपशिष्ट के निवारण, अपशिष्ट के सावधानीपूर्वक भंडारण और जल निकास के बारे में और सारे मूल्यवान् खनिजों को खान के भीतर से हटाने के बारे में उचित कौशल और कार्यकुशलता के साथ प्रभावी रूप से करेगा। पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक रूप और पर्यावरण मित्रवत् खनन के लिए कार्यकुशलता के साथ कार्य करेगा जिससे खनिज भंडारों का व्यवस्थित विकास, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षा और मानव और मशीनरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

स्पष्टीकरण.–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए खनन संक्रियाओं में खान के कार्यकरण के संबंध में मशीनरी का परिनिर्माण, ट्रामवे बिछाना या सड़कों का संनिर्माण सम्मिलित है।

(ix) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी ऐसी किसी भी भूमि के खनिज रियायत धारक की पहुंच के लिए, जो पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी की भूमि में समाविष्ट है या जिस तक पहुंचा जाता है, युक्तियुक्त सुविधाएं अनुज्ञात करेगा:

परन्तु अनुज्ञप्ति या पट्टे के ऐसे धारक द्वारा पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी की संक्रियाओं के लिए कोई भी सारवान् बाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जायेगा और उचित प्रतिकर (जो आपस में तय पाया जाये या असहमति की दशा में सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये) इस स्वतंत्रता के प्रयोग के कारण से पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी को हुई किसी भी हानि या नुकसानी के लिए उनके द्वारा पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किया जायेगा:

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के मामले में संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के निर्देश पहुंच सड़क के बारे में किसी भी विवाद के संबंध में अंतिम होंगे और आबद्धकर होंगे;

(x) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को पट्टे या अनुज्ञप्ति में समाविष्ट किसी भी भवन, उत्खनन या भूमि में उसका निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने देगा और उसके द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करेगा;

(xi) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सभी नुकसानियों, क्षतियों या विघ्नों के लिए, जो उसके द्वारा किये जायें, ऐसा प्रतिकर संदत्त करेगा जो विषय के बारे में प्रवृत्त किसी भी विधिक नियम या आदेश के अनुसार विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये और ऐसी नुकसानियों क्षतियों या विघ्नों और उनके संबंध में सभी लागत और व्ययों से पूर्णतया और पूर्णरूप से सरकार को क्षतिपूरित करेगा और रखेगा;

(xii) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी संबंधित रेल प्रशासन या, यथाथिति, सरकार के समाधानप्रद रूप में खान के ऐसे किसी भाग को सुदृढ़ करेगा और सहारा देगा जो उसकी राय में किसी भी रेल,जलाशय, नहर, सड़क और किसी भी अन्य लोक संकर्म या संरचना की सुरक्षा के लिए सदृढ़ीकरण या सहारे की अपेक्षा करें;

(xiii) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी ऐसी किसी भी दुर्घटना की रिपोर्ट, जो उक्त परिसर पर या उसमें घटती है, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को तत्काल करेगा;

(xiv) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी खनिज का पता चलने पर जो उसके पट्टे या अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं है, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को ऐसा पता चलने के तीस दिवस के भीतर रिपोर्ट करेगा। यदि पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी ऐसे खनिज के समावेश के लिए आवेदन नहीं करता है तो पट्टा या अनुज्ञप्ति समाप्त की जा सकेगी और नया पट्टा या अनुज्ञप्ति ई–नीलामी के माध्यम से मंजूर की जायेगी;

(xv) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी भी खनिज को, जो पट्टे या अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं है, तब तक प्राप्त और उसका निपटारा नहीं करेगा जब तक कि वह पट्टे या अनुज्ञप्ति में सम्मिलित नहीं हो या पृथक् पट्टा या अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त नहीं कर ली गयी हो। ऐसे मामले में स्थिर भाटक ऐसे खनिज के लिए प्रभारित किया जायेगा जिसका स्थिर भाटक उच्चतर है जैसा अनसूची 3 में विनिर्दिष्ट है और अधिशुल्क प्रत्येक खनिज के लिए पृथक रूप से संदेय होगी। यदि पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी ऐसे खनिज के समावेश के लिए आवेदन नहीं करता है तो पट्टा या अनुज्ञप्ति समाप्त की जा सकेगी और नया पट्टा या अनुज्ञप्ति ई–नीलामी के माध्यम से मंजूर की जायेगी:

परन्तु नीलामी के माध्यम से अन्यथा मंजूर पट्टे या अनुज्ञप्ति में नया पता चले खनिज को वार्षिक स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति फीस के बराबर एक बारीय प्रीमियम के अध्यधीन रहते हुए सम्मिलित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि नीलामी के माध्यम से मंजूर पट्टे या अनुज्ञप्ति में नया पता चले खनिज को नियम 13 के उप–नियम (5) में यथावर्णित प्रीमियम के संदाय के अध्यधीन रहते हुए सम्मिलित किया जायेगा;

(xvi) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी किसी भी रेल लाइन से पैंतालीस मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिन्दु पर कोई भी खनन संक्रिया संबंधित रेल प्रशासन की लिखित अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय या किसी भी रज्जु मार्ग या रज्जु मार्ग टकटकी या स्टेशन के नीचे या नीचे की ओर, रज्जु मार्ग के स्वामित्व वाले प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, या किसी भी लोक सड़क (खान पहुंच सड़क और ग्रामीण सड़क को छोड़कर), जलाशय, नहर या अन्य लोक स्थान या भवनों, रेलवे के स्तंभों और सड़क, पुल या बसे हुए स्थल से पैंतालीस मीटर की दूरी के भीतर किसी बिन्दु पर कोई भी खनन संक्रिया, कलक्टर या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, और ऐसे साधारण या विनिर्दिष्ट अनुदेशों, निर्बधनों और शर्तों के अनुसार के सिवाय नहीं करेगा या किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा जो ऐसी अनुज्ञाओं से संलग्न की जायें। पैंतालीस मीटर की उक्त दूरी का माप लोक सड़कों (खान पहुंच मार्ग या ग्रामीण सड़कों को छोड़कर) रेल, जलाशय या नहरों के मामले में किनारे की बाहरी ठोकर या, यथास्थिति, कटिंग के बाहरी किनारे से क्षैतिज रूप से और भवनों के मामले में उसकी कुर्सी से क्षैतिज रूप से किया जायेगा;

(xvii) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी खान पहुंच सड़क या ग्रामीण सड़कों (जिनमें राजस्व अभिलेख में ग्रामीण सड़क के रूप में दर्शित कोई ट्रैक सम्मिलित है) के मामले में कटिंग के बाहरी किनारे के दस मीटर की दूरी के भीतर कोई कार्यकरण कलक्टर या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय और ऐसे साधारण या विनिर्दिष्ट अनुदेशों, निर्बंधनों और परिवर्धनों के अनुसार के सिवाय किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा जो ऐसी अनुज्ञा के साथ संलग्न किये जायें;

(xviii) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी संदत्त नहीं करेगा;

(xix) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को,—

(क) व्यवसाय संगठन के एक रूप से व्यवसाय संगठन के दूसरे रूप मे अर्थात् भागीदारी, परिसीमित दायित्व भागीदारी, प्राइवेट परिसीमित कंपनी, लोक परिसीमित कंपनी या व्यवसाय संगठन के दूसरे रूप में किसी भी विधि के अधीन मान्य व्यवसाय क्रियाकलापों के किसी भी रूप में;

(ख) भागीदारी फर्म के भागीदार में परिवर्तन ;

(ग) कंपनी में शेयरों का अंतरण जिसके परिणामस्वरूप उक्त कंपनी के प्रबंध के नियंत्रण या स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तन हो;

(घ) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी की कंपनी का दूसरी कंपनी में विलयन या समामेलन और;

(ड.) प्राइवेट परिसीमित कंपनी का परिसीमित कंपनी में परिवर्तन :

जैसी भी स्थिति हो, किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचना इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से या ऐसे परिवर्तन से साठ दिवस के भीतर इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, देगाः

परन्तु यदि पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त परिवर्तन की सूचना विनिर्दिष्ट समय के भीतर देने में विफल रहता है तो वह अधिकतम दो लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए पांच सौ रुपये की दर से विलंब फीस के संदाय पर दी जा सकेगी;

(xx) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी इसके अधीन या पट्टा विलेख या अनुज्ञप्ति के अधीन संदेय भाटकों और रॉयल्टियों का संदाय करने के पश्चात् पट्टे या अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् तीन कलैण्डर मास के भीतर अपने स्वयं के फायदे के लिए पट्टे या अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान उत्खनित सारे या कोई भी खनिज, इंजन, मशीनरी,संयंत्र भवन निर्माण, ट्रामवे, रेलवे और अन्य संकर्म, परिनिर्माण और सुविधाएं, जो पट्टाकृत या अनुज्ञप्त भूमियों में या उन पर पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिनिर्मित, स्थापित या रखी गयी हों और जिन्हें पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी सरकार को परिदत्त करने के लिए आबद्ध नहीं है या जिन्हें सरकार खरीदना नहीं चाहती है, ले जायेगा और हटायेगाः

परन्तु खनिज बजरी (नदी बालू) के पट्टेधारी को पट्टा कालावधि की समाप्ति या पट्टे के समाप्ति के आदेश की प्राप्ति के पश्चात् बजरी के किसी भी स्टाक को हटाने का अधिकार नहीं होगा;

(xxi) यदि पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति या पश्चात् तीन कलैण्डर मास की समाप्ति पर पट्टाकृत या अनुज्ञप्त भूमि में या उस पर कोई भी खनिज, इंजन मशीनरी, संयंत्र, भवन निर्माण, ट्रामवे, रेलवे और अन्य संकर्म, परिनिर्माण और सुविधाएं या अन्य संपत्ति जिनकी पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके द्वारा पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन धारित किसी भी अन्य भूमि में संक्रियाओं के संबंध में अपेक्षा नहीं की जाये, उन्हें पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए अधिसूचित किये जाने के एक कलैण्डर मास के भीतर नहीं हटाया जाता है तो, सरकार की संपत्ति होना समझा जायेगा और उन्हें कोई भी प्रतिकर संदत्त या उनके बारे में पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी को कोई हिसाब देने के दायित्व के बिना ऐसी रीति से बेच या उनका निपटारा कर सकेगी जो सरकार उचित समझे;

(xxii) खनन पट्टे या अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित के संबंध में ऐसी अन्य शर्ते अन्तर्विष्ट हो सकेंगी जो सरकार उचित समझे, अर्थात्:—

(क) ऐसी भूमि को हुई नुकसानी के लिए प्रतिकर जिसके संबंध में पट्टा या अनुज्ञप्ति जारी की गयी है;

(ख) अनाधिकृत और अनारक्षित सरकारी भूमि पर पेड़ गिराने से संबंधित निर्बन्धन;

(ग) किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किसी भी क्षेत्र में सतही संक्रियाओं पर निर्बन्धन;

(घ) किसी आरक्षित या संरक्षित वन में प्रवेश और कार्यकरण;

(ड.) खड्डे और शाफ्ट सुरक्षित करना;

(च) युद्ध या आपात की दशा में संयंत्र, मशीनरी, परिसर और खानों का कब्जा लेने की शक्ति; और

(छ) पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन के क्षेत्र के बारे में उद्भूत विवादों के संबंध में सिविल वाद या याचिकाएं फाइल करना;

(xxiii) इस नियम में वर्णित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी को उसे पट्टाकृत या अनुज्ञप्त भूमि के संबंध में भूमि पर खनन संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अधिकार होंगेः–

(क) खानों में कार्य करना;

(ख) खड्डे और शाफ्ट खोदना और सड़कों का निर्माण;

(ग) भवन, संयंत्र और मशीनरी परिनिर्मित करना;

(घ) भवन और सड़क सामग्री खोदना और ईंट बनाना;

(ङ.) जल का उपयोग करना;

(च) ढेर लगाने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग; और

(छ) पट्टे या अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य बात करना;

(xxiv) यदि खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण करने वाले पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी को अवैध खनन के लिए दोष सिद्ध किया जाता है और किसी भी न्यायालय में ऐसी दोष सिद्धि के विरुद्ध लंबित किसी अपील में ऐसी दोष सिद्धि के आदेश के प्रवर्तन को निलंबित करते हुए कोई अंतरिम आदेश नहीं है तो सरकार ऐसी किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन की जा सकेगी, ऐसे पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लेखबद्ध किये जाने वाले और पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी को सूचित कारणों से ऐसा खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति को समाप्त कर सकेगी और संपूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगी;

(xxv) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता, लिखित आदेश द्वारा, संपूर्ण पट्टा या अनुज्ञप्ति क्षेत्र में या उसके किसी भाग में खनन प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसी संक्रिया से कार्यकरण के किसी भी असामयिक टूटने की संभावना या अन्यथा खान या खदान या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है या अग्नि लगने या बाढ आने के बारे में खतरा है या ऐसी संक्रियाएं किसी भी संपत्ति को नुकसान कारित कर सकती हैं:

परन्तु संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता आपात की निर्भरता को देखते हुए, खान संक्रिया के प्रतिषेध के बारे में संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता का पूर्व अनुमोदन या पंद्रह दिवस के भीतर पश्चात्वर्ती अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा और ऐसे क्षेत्र में खनन संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता के पूर्व अनुमोदन से ही पुनः प्रारंभ किया जायेगा।

(2) प्रत्येक खनन अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन होगी,:–

(i) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व या के दौरान या उसके पश्चात् मंजूर खनन पट्टे का धारक, पट्टा लिखत या ऐसे प्रारंभ के समय प्रवृत्त किसी भी विधि या नियम में किसी भी बात के होते हुए भी, उसके द्वारा पट्टाकृत क्षेत्र से हटाये गये और/या उपभोग में लिये गये किसी भी खनिज के बारे में अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट दर से अधिशुल्क का संदाय करेगा;

(ii) पट्टेधारी प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसा वार्षिक स्थिर भाटक अग्रिम रूप से संदत्त करेगा जो सरकार द्वारा नियत किया जाये और यदि पट्टा एक अधिक खनिज के लिए मंजूर किया गया है तो ऐसे खनिज का स्थिर भाटक, जो अनुसूची के अनुसार उच्चतर है, प्रभारित किया जायेगा किन्तु प्रत्येक खनिज के बारे में पृथक स्थिर भाटक प्रभारित नहीं किया जायेगाः

परन्तु पट्टेधारी स्थिर भाटक या अधिशुल्क, इनमें से जो भी उच्चतर हो, देने का दायी होगा न कि दोनों;

(iii) पट्टेधारी उसे मंजूर किये गये क्षेत्र पर सद्भावी प्रयोजन के लिए कोई भवन परिनिर्मित कर सकेगा और ऐसा भवन पट्टे की समाप्ति, पट्टे के पूर्ववर्ती समाप्तिया अध्यर्पण के पश्चात् सरकार की संपत्ति होगाः

परन्तु खनिज बजरी (नदी बालू) के खनन पट्टे के मामले में पट्टेधारी पट्टा क्षेत्र में कोई भवन परिनिर्मित नहीं करेगा;

(iv) (क) पट्टेधारी खानों से उत्खनित सभी खनिजों, खानों में स्टाक में पड़ी मात्रा, प्रेषित और उपयोग में ली गयी मात्रा का सही–सही और सच्चा लेखा नियोजित व्यक्तियों की संख्या के साथ प्रारूप 13 में रखेगा और रवन्ना रजिस्टर में जारी रवन्ना का अभिलेख प्रारूप 14 में रखेगा। उसमें विक्रीत या उपयोग में लिये गये खनिज की मात्रा, उसके मूल्य और ऐसे व्यक्ति या फर्म, जिसको विक्रीत किया गया, के बारे में विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी;

(ख) पट्टेधारी सभी खनिजों के उत्पादन को खान योजना या लागू विधि के अधीन अनुज्ञात सीमाओ के भीतर रखेगाः

परन्तु यदि पट्टेधारी ने खनिज का उत्खनन और प्रेषण खान योजना में विनिर्दिष्ट या लागू विधि के अधीन अनुज्ञात मात्रा के अतिरिक्त दस प्रतिशत की सीमा तक किया है तो केवल एक बार अधिशुल्क और दस प्रतिशत से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत तक किया है तो खान योजना में विनिर्दिष्ट या लागू विधि के अधीन अनुज्ञात मात्रा के अतिरिक्त संपूर्ण मात्रा पर अधिशुल्क का दुगुना वसूल किया जायेगा और पच्चीस प्रतिशत अधिक कोई मात्रा होने पर खान योजना में विनिर्दिट या लागू विधि के अधीन अनुज्ञात मात्रा के अतिरिक्त संपूण मात्रा को अप्राधिकृत मात्रा के रूप में माना जायेगा और पट्टेधारी अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई किये जाने की शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना ऐसे अधिक खनिज की राशि संदत्त करने का दायी होगा जिसकी गणना प्रचलित दर से संदेय अधिशुल्क के दस गुना से की जायेगी;

(ग) पट्टेधारी खानों की अद्यतन योजनाएं रखेगा और निदेशक द्वारा प्राधिकृत विभाग के किसी भी अधिकारी को ऐसे लेखाओं और योजनाओं की किसी भी समय परीक्षा या लेखापरीक्षा भी करने देगा और उसे ऐसी अन्य सूचना देगा जो अपेक्षित हो;

(घ) पट्टेधारी प्रारूप–15 में मासिक ऑनलाइन विवरणी अगले मास की 15 तारीख तक और प्रारूप 16 में ऑनलाइन वार्षिक विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर देगा। वार्षिक विवरणी की अभिस्वीकृति प्रारूप–17 में दी जायेगीः

परन्तु यदि पट्टेधारी ऑनलाइन मासिक विवरणी या वार्षिक विवरणी ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर देने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए पांच सौ रुपये की दर से विलंब फीस के संदाय पर प्रस्तुत किया जा सकेगा;

(ड.) पट्टेधारी खान से खनिज को प्रणाली से जनित या विभाग द्वारा प्रारूप–18 में जारी या सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य प्रणाली से जनित रवन्ना के बिना नहीं हटायेगा, प्रेषित नहीं करेगा या उपयोग में नहीं लेगा; और

(च) पट्टेधारी भावी लाभ के लिए पट्टा क्षेत्र के भीतर भण्डारित अनुप्रयुक्त या अविक्रेय अवश्रेणी खनिजों का भंडारण करेगा और रजिस्टर रखेगा;

(v) पट्टेधारी अधिनियम और धारा 18 के अधीन बनाये गये नियमों को सम्मिलित करते हुए तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का पालन करेगा;

(vi) सरकार या सक्षम प्राधिकारी को पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय और हर समय इसके द्वारा पट्टांतरित उक्त भूमि या पट्टेधारी के अन्यत्र नियंत्रणाधीन भूमि में या उस पर पड़े उक्त खनिजों (और उनके सभी उत्पादों) का शुफाधिकार है (जिसका प्रयोग पट्टेधारी को लिखित में नोटिस दे कर किया जाना है) और पट्टेधारी सभी खनिजों या उत्पादों का परिदान चालू बाजार दर से ऐसी मात्रा और ऐसी रीति से और ऐसे स्थान पर करेगा जो उक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए नोटिस में विनिर्दिष्ट हो;

(vii) पट्टेधारी को पट्टे के क्षेत्र के कब्जे का परिदान किसी प्रतिकर का दावा किये बिना सरकार को करना होगा जहां पट्टे को प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 या किसी भी अन्य विधि के अधीन संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है;

(viii) पट्टेधारी सरकार के प्रतिनिधि को खानों में पायी गयी या उससे निकाली गयी सभी चट्टानों और पट्टेधारी द्वारा विक्रीत या विक्रीत किये जाने के लिए आशयित सभी मध्यम और तैयार उत्पादों के नमूने संगृहीत करने की अनुज्ञा देगा;

(ix) पट्टेधारी पट्टाकृत क्षेत्र में समाविष्ट किसी भी अधिभुक्त सरकारी भूमि की या किसी भी प्राइवेट भूमि की सतह में अधिभोगी की लिखित में सम्मति प्राप्त किये बिना प्रवेश करने से दूर रहेगा;

(x) सक्षम प्राधिकारी सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी विशेष शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो खनिज के विकास के हित में समझी जायें;

(xi) खनिज बजरी (नदी बालू) के खनन पट्टे या ऐसे क्षेत्र के मामले में जहां मंशापत्र के धारक को बजरी (नदी बालू) निकालने के लिए अनुज्ञात किया गया है, पट्टेधारी या मंशा पत्र धारक,–

(क) सतह से तीन मीटर की गहराई के परे या नदी या नाला के जल स्तर के नीचे, जो भी कम हो, खनन नहीं करेगा और ऐसी रीति से कार्य करेगा कि नदी या नाले का प्राकृतिक बहाव रास्ता परिवर्तित नहीं हो;

(ख) पट्टा कालावधि के दौरान बाढ़ या भारी वर्षा या किसी अन्य स्थिति के कारण असंक्रिया के लिए किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन किसी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा;

(ग) नदी किनारे से तीन मीटर का अंतःस्थ जोन छोड़ने के पश्चात् खनन संक्रियाएं करेगा;

(घ) जांच चौकी पर कम्प्यूटरीकृत कांटा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्था स्वयं करेगा; और

(ड.) किसी महत्वपूर्ण जल संरचना जैसे पंपिंग स्टेशन, जलाशय और पुल से पांच सौ मीटर के भीतर बजरी नहीं निकालेगा;

(xii) विद्यमान पट्टेधारी इन नियमों के प्रारंभ के दिवस को क्षेत्र या उसके भाग में खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व सतह अधिकार या भूस्वामी की सम्मति, जो आपस में तय पायी जाये, अभिप्राप्त करेगा जहां भूमि पट्टेधारी के स्वामित्व में नहीं हो:

परन्तु भूमि के स्वामी की नयी सम्मति की अपेक्षा नहीं होगी जहां ऐसे सम्मति पहले ही प्राप्त कर ली गयी है;

(xiii) पट्टेधारी नियोजन के मामले में जनजातियों और ऐसे व्यक्तियों को अधिमान देगा जो खनन संक्रिया करने के कारण विस्थापित हो गये हैं;

(xiv) पट्टेधारी सरकार द्वारा अनुमोदित खनन और भूविज्ञान संस्थाओं के छात्रों को उसके द्वारा संचालित खानों और सयंत्रों का प्रायोगिक प्रशिक्षण अर्जित करने के लिए अनुज्ञा देगा और प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधाएं देगा;

(xv) पट्टेधारी जब सरकार द्वारा आज्ञा दी जाये, खदान निकास या प्रत्येक खदान निकास पर या में या समीप के क्लस्टर क्षेत्र में जिस पर खनिज किनारे लाया जायेगा समुचित रूप से संनिर्मित और दक्ष कम्प्यूटरीकृत कांटे का उपबंध करेगा और हर समय रखेगा और उस पर किनारे लाये गये, विक्रीत, निर्यातित और संपविर्तित सभी खनिजों का और संपरिवर्तित उत्पादों का भी तौल करेगा या तुलवायेगा। प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर पूर्व के चौबीस घण्टे के दौरान निकाले गये, विक्रीत, निर्यातित और संपरिवर्तित उक्त खनिजों के ऐसे साधनों के द्वारा अभिनिश्चित कुल वजन को पट्टेधारी द्वारा संधारित लेखा रजिस्टर में प्रविष्ट करायेगा। पट्टेधारी पट्टे की अवधि के दौरान हर समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पूर्वानुसार उक्त खनिजों के तौलने के समय उपस्थित रहने और उसका लेखा रखने और पट्टेधारी द्वारा संधारित लेखाओं की जांच करने के लिए सरकार को अनुज्ञात करेगा:

परन्तु सरकार पट्टेधारी को खनिज की तुलाई अभिहित कांटे पर करने का अनुदेश दे सकेगी और पट्टेधारी वाहनों की तुलाई ऐसे कांटे पर करायेगा और ऐसी तुलाई को हिसाब में लिया जायेगा;

(xvi) पट्टेधारी पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय या हर समय, सरकार द्वारा उस निमित्त नियुक्त किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को पूर्वानुसार उपबंधित और रखी गयी कम्प्यूटरीकृत तुलाई मशीन की और उपयोग में लिये गये बाटों की परीक्षा और जांच यह अभिनिश्चित करने के लिए अनुज्ञात करेगा कि वे क्रमशः सही और अच्छी स्थिति और व्यवस्थित हैं। यदि ऐसी किसी भी परीक्षा या जांच में ऐसी कोई भी तुलाई मशीन गलत या खराब या अव्यवस्थित पायी जाती है तो सरकार अपेक्षा कर सकेगी कि उन्हें पट्टेधारी द्वारा और उसके खर्चे पर ठीक किया जाये, उनकी मरम्मत की जाये और सुव्यवस्थित किया जाये। यदि ऐसी अध्यपेक्षा का पालन उसके किये जाने के पश्चात् तीस दिवस के भीतर नहीं किया जाता है तो सरकार पट्टेधारी के खर्चे पर ऐसी तुलाई मशीन या बाटों को ठीक, मरम्मत और सुव्यवस्थित करायेगी। यदि पूर्वोक्तानुसार ऐसी किसी परीक्षा या जांच पर किसी भी तुलाई मशीन या बाट में सरकार के प्रतिकूल किसी गलती का पता चलता है तो ऐसी गलती के लिए यह माना जायेगा कि वह उसका पता चलने के तीन मास पूर्व से या उसी तुलाई मशीन और बाटों की इस प्रकार परीक्षा और जांच के अंतिम अवसर से विद्यमान थी यदि अवसर उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर है और पट्टेधारी तदनुसार संगणित अधिशुल्क का संदाय करेगा;

(xvii) (क) पट्टेधारी की ओर से पट्टे में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रसंविदा या शर्त के किसी भी उल्लंघन की दशा में सक्षम प्राधिकारी अगले उच्चतर प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से पट्टे का समाप्ति कर सकेगा और उक्त परिसर का कब्जा ले सकेगा और प्रतिभूति समपहृत कर सकेगा या आनुकल्पिक रूप से अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु शोध्यों से भिन्न उल्लंघन पर पट्टे के समाप्ति पर विनिश्चय निदेशक द्वारा ऐसी समिति की सिफारिश पर किया जायेगा जिसमें संबंधित अतिरिक्त निदेशक खान (मुख्यालय), उप विधि परामर्शी और अधीक्षण खनि अभियंता (मुख्यालय) समाविष्ट होंगे:

परन्तु यह और कि पट्टे का समाप्ति का विनिश्चिय केवल तभी लिया जायेगा जब पट्टेधारी तीस दिवस का नोटिस तामील होने के पश्चात् उल्लंघन का उपचार करने में विफल रहता है;

(ख) सक्षम प्राधिकारी उपर्युक्त नोटिस तामील करने के पश्चात् किसी भी समय उक्त परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसमें सभी या किन्हीं भी खनिजों या जंगम संपत्ति को अभिगृहित कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत संपत्ति या उसकी उतनी मात्रा ले जा सकेगा या उसके विक्रय का आदेश कर सकेगा जितनी शोध्य भाटक या अधिशुल्क और उसके असंदाय के कारण उपगत सभी लागतों और व्ययों के चुकारे के लिए पर्याप्त हो:

परन्तु पट्टेधारी द्वारा निबंधनों और शर्तों का अननुपालन या अतिक्रमण या दुर्व्यवहार को भी उसे खनिज रियायत या संविदा के किसी भी भावी आवेदन के लिए पांच वर्ष की कालावधि के लिए विवर्जित करके दंडित किया जा सकेगा;

(xviii) पट्टेधारी पट्टा परिसर और उसमें खोदी गयी सभी खानों (यदि कोई हों) उचित और संचालनीय स्थिति में (ऐसे किसी भी कार्यकरण को छोड़कर जिसके बारे में सरकार परित्याग स्वीकार कर सकती है) संबंधित प्राधिकारी को पट्टे का समाप्ति कर दिये जाने पर यथाशीघ्र परिदान करेगा;

(xx) सरकार पट्टे का समाप्ति लिखित में छह मास का पूर्व नोटिस देकर कर सकेगी यदि उसका यह विचार हो कि पट्टाधीन खनिज जनता के लिए लाभप्रद उद्योग स्थापित करने के लिए अपेक्षित है:

परन्तु ऐसा कोई नोटिस युद्ध या राष्ट्रीय आपात की दशा में आवश्यक नहीं होगा;

(3) प्रत्येक खदान अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन होगी:—

(i) अनुज्ञप्तिधारी, उसका एजेंट, ठेकेदार, समनुदेशिती, परिवाहक विभागीय नाका पर या,यथास्थिति, अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस, अधिशुल्क के अतिरिक्त अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दर से संदत्त करेगा;

(ii) अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस सरकार को 1 अप्रैल को या उसके पूर्व अग्रिम रूप से संदत्त करेगा। यदि वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस नियत तारीख को संदत्त नहीं की जाती है तो

वह संदाय की नियत तारीख से तीन मास की कालावधि तक वार्षिक फीस के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति के साथ वसूलीय होगी। जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति को तीस दिवस का नोटिस देने के पश्चात् समाप्त किया जा सकेगा;

(iii) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में और संपादन प्रतिभूति के रूप में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के एक चौथाई के बराबर राशि जमा करेगा। विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी को भी संपादन प्रतिभूति के रूप में वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के बराबर राशि संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर जमा करानी होगी;

(iv) अनुज्ञप्तिधारी खदान से ढेर हटाने के लिए ऐसी राशि, ऐसी दर से और ऐसे समय पर, जो सरकार द्वारा नियत किया जाये, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए सरकार को संदत्त करेगा;

(v) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे भूखण्ड या भूमि के बारे में, जिसके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है, अनुज्ञप्ति कालावधि के दौरान क्षेत्र में प्रवेश करने और उक्त खनिज का खनन करने, खुदाई, बोर, ड्रिल, प्राप्त करने, कार्य करने, स्टाक करने, ड्रेस करने, प्रसंस्करण करने, संपरिवर्तित करने, ले जाने और व्ययन करने के लिए या प्रसंस्करण इकाई या स्टाक स्थापित, परिनिर्मित, संनिर्मित और उपयोग कटिंग के लिए स्वतंत्र होगा;

(vi) अनुज्ञप्तिधारी उसे आबंटित भूखण्ड या क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कार्यकरण तक सीमित रहेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी को उसे आबंटित भूखण्ड या क्षेत्र की सीमाओं के बाहर कार्य करता पाया जाता है तो अनुज्ञप्ति संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा रद्द की जा सकेगी:

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध ऐसी कोई भी कार्रवाई तीस दिवस का नोटिस देकर उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं की जायेगी;

(vii) अनुज्ञप्तिधारी खदान में नियोजित श्रमिकों का स्वस्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और तत्समय प्रवृत्त विधि के सभी उपबंधों का पालन करेगा।

(viii) अनुज्ञप्तिधारी खदान में नियोजित श्रमिकों का दैनिक उपस्थिति रजिस्टर निरीक्षण के लिए खान नियम, 1955 में यथाविनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में संधारित करेगा और तैयार रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सूची भी उनके पतों के साथ पूर्ववर्ती तिमाही में संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को और श्रम विभाग, राजस्थान सरकार के जिला स्तरीय अधिकारी को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से सात दिवस के भीतर देगा;

(ix) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता खनन पद्धतियों, खनिजों के अतिभार ढेर के हटाये जाने और निपटारे, अधिशुल्क के संदाय और संसक्त विषयों के बारे में निर्देश जारी कर सकेगा; और

(x) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के किसी भी निबंधन या नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा दिये गये निर्देशों का उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर पालन करने में विफल रहता है तो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता उल्लंघन का उपाय करने या निर्देशों का पालन के लिए तीस दिवस का नोटिस देने के पश्चात् दस हजार रुपये तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा और प्रतिभूति निक्षेप और अनुज्ञप्ति फीस समपहृत कर सकेगा:

परन्तु शोध्यों से भिन्न उल्लंघनों पर अनुज्ञप्ति के समाप्ति का विनिश्चय निदेशक द्वारा ऐसी समिति की सिफारिश पर किया जायेगा जिसमें अतिरिक्त निदेशक खान (मुख्यालय), उप विधि परामर्शी और संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता (मुख्यालय) समाविष्ट होंगे:

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के समाप्ति का विनिश्चय केवल तभी किया जायेगा जब अनुज्ञप्तिधारी तीस दिवस का नोटिस तामील करने के पश्चात् डल्लंघन का उपाय करने में विफल रहता है।

अध्याय 5
खनिज संरक्षण और विकास

29. खान योजना और खान बंदी योजना.–(1) एक हेक्टर से अधिक क्षेत्र वाली कोई भी खदान अनुज्ञप्ति और खनन पट्टा तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना न हो।

(2) एक हेक्टर क्षेत्र या उससे कम वाली कोई खदान अनुज्ञप्ति या एक हेक्टर क्षेत्र तक का अल्पावधि अनुज्ञापत्र तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित सरलीकृत खनन स्कीम न हो।

(3) खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी जो केन्द्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या राज्य द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय द्वारा, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य कोई भी संस्था सम्मिलित है, मंजूर खनन अभियांत्रिकी में उपाधि या भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या देश के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा मंजूर समकक्ष अर्हता धारित करता है और जिसके पास उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन क्षेत्र में पर्यवेक्षक हैसियत में कार्य करने का दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो या जिसके पास तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा खनन अभियांत्रिकी में दिया गया तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा है और जिसे डिप्लोमा अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन क्षेत्र में पर्यवेक्षक हैसियत में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव है।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो खनन योजना या सरलीकृत खनन योजना तैयार करता है, विद्यमान खनन योजना या स्कीम में उपांतरण भी कर सकेगा।

(5) आवेदक या खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति का धारक सक्षम प्राधिकारी को खनन योजना या, यथास्थिति, सरलीकृत खनन योजना पांच हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस के साथ ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी सूचना प्राप्त हुई, तीन मास की कालावधि या ऐसी अन्य कालावधि के भीतर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाये। उक्त खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम में सम्मिलित होगा,–

(i) प्रमित क्षेत्र की योजना, जिसमें खनिज भंडार की प्रकृति और सीमा, वह स्थल या वे स्थल दर्शित हों जहां पहले वर्ष में उत्खनन किया जाना है और उसकी सीमा, आवेदक द्वारा एकत्र पूर्वेक्षण डाटा पर आधारित उत्खनन के स्थलों का ब्यौरेवार विशेष अंश और ब्यौरेवार योजना और पट्टे, अनुज्ञप्ति या अल्पावधि अनुज्ञापत्र की प्रायोगित स्कीम;

(ii) क्षेत्र के खनिज आरक्षितियों को सम्मिलित करते हुए प्रमित क्षेत्र के भूविज्ञान और शिलाविद्या का ब्यौरा;

(iii) हस्तचालित खनन या मशीनरी के उपयोग द्वारा खनन की सीमा और प्रमित क्षेत्र पर यांत्रिक युक्ति;

(iv) प्रमित क्षेत्र की योजना जिसमें प्राकृतिक जल सरणी और आरक्षित और अन्य वन भूमि की सीमाएं और पेड़ों की सघनता, यदि कोई हो, वन, भूमि सतह और पर्यावरण, जिसमें वायु और जल प्रदूषण सम्मिलित है, खनन क्रियाकलाप के प्रभाव का निर्धारण दर्शित हो, वनरोपण, भूमि पुनरुद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों और ऐसे अन्य उपायों द्वारा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर निदिष्ट किये जायें, क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए स्कीम का ब्यौरा;

(v) पांच वर्ष के लिए वर्षानुसार प्रमित क्षेत्र पर उत्खनन के लिए वार्षिक कार्यक्रम और योजना;

(vi) उत्तरोत्तर खान बंदी योजना यदि खनन योजना एक हेक्टर से अधिक क्षेत्र के लिए है; और

(vii) कोई भी अन्य विषय जिसकी निदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी द्वारा आवेदक से खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम में देने की अपेक्षा की जाये।

(6) सक्षम प्राधिकारी खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम का अपना अनुमोदन या इंकार उसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर पहुंचायेगा:

परन्तु जहां खनन की स्कीम का अनुमोदन या इंकार नियत कालावधि के भीतर नहीं पहुंचाया जाता है तो खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम अंतिम रूप से अनुमोदित की हुई समझी जायेगी और ऐसा अनुमोदन उस अंतिम विनिश्चय के अधीन होगा जब कभी उससे सूचित किया जाये।

(7) सक्षम प्राधिकारी खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति या अल्पावधि अनुज्ञापत्र के धारक से खनन योजना या सरलीकृत खनन योजना में ऐसे उपांतरण करने की अपेक्षा कर सकेगा या लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे यदि ऐसा उपांतरण या शर्तों का अधिरोपण आवश्यक समझा जाये।

(8) खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति का धारक जो अनुमोदित खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम में सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन, खनिजों के संरक्षण के हित में या पर्यावरण की संरक्षा के लिए ऐसे उपांतरण, जो समीचीन समझा जायें, चाहने का इच्छुक है, दो हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस के साथ सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें आशयित उपांतरण वर्णित हों और उसके कारण स्पष्ट किये गये हों। सक्षम प्राधिकारी उपांतरणों को अनुमोदित कर सकेगा या ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुमोदित कर सकेगा जो वह समीचीन समझे।

(9) जहां खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति के धारक ने अनुमोदित खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रस्तुत नहीं की है तो उसे इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को दस हजार रुपये की शास्ति के साथ प्रस्तुत करेगा:

परन्तु पट्टे या अनुज्ञप्ति के धारक ने अनुमोदित खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके नियंत्रण के परे के कारणों से प्रस्तुत नहीं की है तो विलंब के कारणों का कथन करते हुए समय के विस्तार के लिए आवेदन कर सकेगा। संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता विलंब के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए स्थिर भाटक या, यथास्थिति, वार्षिक फीस के दस प्रतिशत की दर से शास्ति के संदाय के अध्यधीन रहते हुए समय का विस्तार अनुज्ञात कर सकेगा।

(10) प्रत्येक अनुमोदित खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम पट्टे या अनुज्ञप्ति की संपूर्ण अवधि के लिए विधिमान्य होगी। पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित खनन योजना या स्कीम का पुनर्विलोकन करेगा और पट्टे या अनुज्ञप्ति के अगले पांच वर्ष के लिए खनन की अनुमोदित स्कीम संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करेगा।

(11) खनन की अनुमोदित स्कीम संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी:

परन्तु पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खनन संक्रियाएं खनन की अनुमोदित स्कीम के प्रस्तुतीकरण तक नहीं की जायेगी या किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी खनन संक्रियाएं अनुमोदित खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम के अनुसार करेगा:

परन्तु जहां खनन संक्रियाएं खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम के अनुसार नहीं की जाती हैं तो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता के पूर्व अनुमोदन से, सभी या किन्हीं भी संक्रियाओं के निलंबन के लिए आदेश पारित कर सकेगा और केवल ऐसी संक्रियाएं चालू रखने की अनुज्ञा दे सकेगा जो खान में ऐसी परिस्थितियों के पुनःस्थापन के लिए आवश्यक हों जो उक्त खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम में परिकल्पित हैं।

(13) प्रत्येक खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति के साथ अनुमोदित खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम के घटक के रूप में अनुमोदित खान बंदी योजना होगी जो दो प्रकार की होगी,–

(i) उत्तरोत्तर खान बंदी योजना; और

(ii) अंतिम खान बंदी योजना।

(14) प्रत्येक पट्टा या अनुज्ञप्ति धारक प्रत्याभूति के रूप में वित्तीय आश्वासन प्रदान करेगा कि खान बंदी योजना में यथापरिकल्पित संरक्षात्मक, उद्धार और पुनरुद्धार उपाय किये जायेंगे। खनन पट्टा और 0.3 हेक्टर से अधिक क्षेत्र वाले खदान अनुज्ञप्तियों के लिए वित्तीय आश्वासन की राशि खनन और

सहबद्ध क्रियाकलापों के लिए रखे गये क्षेत्र के प्रति हेक्टर या उसके भाग के लिए पंद्रह हजार रुपये और 0.3 हेक्टर से कम क्षेत्र वाली खदान अनुज्ञप्ति के लिए वित्तीय आश्वासन की राशि पांच हजार रुपये होगी। राशि में खनन और सहबद्ध क्रियाकलापों के क्षेत्र में वृद्धि के साथ अभिवृद्धि हो जायेगी:

परन्तु वित्तीय आश्वासन की राशि तीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(15) वित्तीय आश्वासन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी रखी गयी सावधि निक्षेप रसीद या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक की संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में बैंक प्रत्याभूति के रूप में होगा।

(16) वित्तीय आश्वासन पट्टा विलेख की स्वीकृति या अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के पूर्व संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत किया जायेगा। जहां पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत नहीं किया है तो वह पांच हजार रुपये की शास्ति के साथ इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

(17) वित्तीय आश्वासन पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये गये आवेदन पर इस शर्त के अध्यधीन निर्मुक्त कर दिया जायेगा कि उसने बंदी योजना के उपबंधों का समाधानप्रद रूप से पालन किया है और उसका सत्यापन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा किया जायेगा।

(18) जहां संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि खान बंदी योजना में यथापरिकल्पित संरक्षात्मक, उद्धार और पुनरुद्धार उपाय, जिनके संबंध में वित्तीय आश्वासन दिया गया है, खान बंदी योजना के अनुसार या तो पूर्णतया या आंशिक रूप से नहीं किये गये हैं वहां वह वित्तीय आश्वासन की राशि को उस पर उद्भूत ब्याज के साथ समपहृत करेगा और वह जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में जमा की जायेगी:

परन्तु ऐसी कोई भी कार्रवाई संबंधित पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं की जायेगी।

(19) खनन पट्टा, खदान अनुज्ञप्ति या अल्पावधि अनुज्ञापत्र में कार्यकरण सतह बनाकर किया जायेगा। खनिज और अतिभार में, जिसमें ऋतुक्षरित खनिज सम्मिलित है, सतह पृथक् पृथक् रूप से बनायी जायेंगी और अतिभार या ऋतुक्षरित खनिज में सतह पर्याप्त रूप से अग्रिम रूप में रखी जायेंगी जिससे उनकी गतिविधि से खनिज के खनन में बाधा नहीं पहुंचे।

(20) न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन के साथ अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पट्टा, अनुज्ञप्ति या अल्पावधि अनुज्ञापत्र का धारक खनन योजना या सरलीकृत खनन स्कीम के अनुसार मशीनरी और उपस्कर लगाने का प्रयास करेगा।

(21) खदान या खान के तल में अविक्रेय खनिज नियमित रूप से संग्रहित किया जायेगा और उसका परिवहन सतह पर किया जायेगा और ढेर अलग से किया जायेगा। खदान या खान का फर्श मलबे से समुचित रूप से साफ रखा जायेगा। खनिज के लघु ढेर को यथाशक्य संभव अलग किया जायेगा और भावी उपयोग के लिए अलग से ढेर किया जायेगा।

(22) ऊपरी मृदा, अतिभार, अपशिष्ट सामग्री या अविक्रेय खनिज के ढेर के लिए चयनित भूमि खदान या खान के कार्यकरण से दूर होगी।

(23) खनन या खदान संक्रियाएं प्रारंभ करने के पूर्व खदान या खान की वैचारिक अंतिम सीमाएं अवधारित की जायेगी और ढेर लगाने वाली भूमि का चयन इस प्रकार से किया जायेगा कि ढेर खदान या खान के अंतिम आकार की सीमाओं के भीतर वहां के सिवाय नहीं किया जायें जहां साथ–साथ पुनः भराई प्रस्तावित है।

30. अर्हित व्यक्तियों का नियोजन.–(1) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के अनुसार खनन संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए नियोजित करेगा,–

(i) पूर्णकालिक खनि अभियंता या ऐसा व्यक्ति, जिसके पास महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा जारी सक्षमता का प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणपत्र और भूवैज्ञानिक जहां खनन संक्रियाएं गहरी बोर ड्रिलिंग, उत्खनन, लदाई और परिवहन के लिए भारी खनन मशीनरी लगाकर की जाती हैं या जहां औसत नियोजन प्रतिदिवस एक सौ पचास से अधिक है;

(ii) पूर्णकालिक खनि अभियंता या ऐसा व्यक्ति, जिसके पास महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा जारी सक्षमता का द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणपत्र हो, जहां खनन संक्रियाएं गहरी बोर

ड्रिलिंग, उत्खनन, लदाई और परिवहन भारी खनन ,मशीनरी लगाकर की जाती हैं या जहां औसत नियोजन प्रतिदिवस पिचहतर से अधिक किन्तु एक सौ पचास से कम है; और

(iii) किसी अन्य खान के मामले में, ऐसा व्यक्ति, जिसके पास खनन में उपाधि है या खनन संक्रियाओं में दो वर्ष के अनुभव के साथ खनन में डिप्लोमा है या ऐसा व्यक्ति जिसके पास महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा जारी सक्षमता का फोरमेन प्रमाणपत्र है:

परन्तु ऐसे मामले में जहां पट्टे या अनुज्ञप्ति का क्षेत्र एक हेक्टर तक है और खनन केवल हस्त साधनों से किया जाता है, खण्ड (ii) या (iii) में वर्णित अर्हता रखने वाला व्यक्ति अधिकतम पंद्रह खनन पट्टों या पचास खदान अनुज्ञप्तियों के लिए कार्य कर सकेगा,

परन्तु ऐसे सभी पट्टे या अनुज्ञप्तियां एक सौ किलोमीटर के व्यास में स्थित हों:

परन्तु यह और कि ऊपर खण्ड (i), (ii) या (iii) के अन्तर्गत के पट्टे या अनुज्ञप्ति के बारे में कोई भी शंका उद्भूत होती है तो वह उसके विनिश्चय के लिए निदेशक को निर्दिष्ट की जायेगी जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण.– अभिव्यक्ति ''औसत नियोजन'' से पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान खान के कुल नियोजन का प्रतिदिवस का औसत अभिप्रेत है (जो मानव कार्य दिवसों की कुल संख्या को कार्य दिवसों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया गया हो)।

(2) यदि खनन पट्टे या अनुज्ञप्ति का धारक उप–नियम (1) में यथावर्णित अर्हता रखता है तो स्वयं को उप–नियम (1) के प्रयोजन के लिए अर्हित व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(3) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित खनि अभियंता या भूवैज्ञानिक के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी:–

(i) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित या निगमित किसी संस्था या विश्वविद्यालय, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य कोई संस्था सम्मिलित है, द्वारा मंजूर खनन अभियांत्रिकी में उपाधि या समकक्ष कोई अर्हता; और

(ii) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित या निगमित किसी संस्था या विश्वविद्यालय, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य कोई संस्था सम्मिलित है, द्वारा मंजूर भूविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष कोई अर्हता; और

(iii) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिया गया खनन अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा।

(4) पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा नियोजित अर्हित व्यक्ति का ब्यौरा ऐसे व्यक्ति की सम्मति के साथ संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को सूचित करेगा।

(5) खान में औसत नियोजन में कमी के कारण अपेक्षित कोई परिवर्तन निदेशक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के अध्यधीन और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो वह विनिर्दिष्ट करे।

31. अर्हित व्यक्ति के कर्तव्य.– (1) नियोजित अर्हित व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह खनन संक्रियाओं की योजना और संचालन के ऐसे आवश्यक कदम उठायेगा कि जिससे इन नियमों के अनुसार खनिजों का संरक्षण, खनिज भंडारों का सुव्यस्थित विकास, पर्यावरण का संरक्षण और पट्टा या अनुज्ञप्ति क्षेत्र में और आसपास में व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

(2) अर्हित व्यक्ति,–

(i) सभी कानूनी योजनाएं, अनुभाग, रिपोर्टें और स्कीमें इन नियमों के अनुसार तैयार और संधारित करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ii) सहबद्ध चट्टानों और खनिजों का अध्ययन उनकी पहचान करते हुए करने और उत्पादित विभिन्न खनिजों का ढेर अलग अलग लगवाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(iii) ऐसे सभी आदेशों और निर्देशों का निष्पादन करेगा जो खानों का निरीक्षण करने के लिए किसी भी प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन लिखित में दिये जायें और ऐसे आदेशों या निर्देशों की प्रति पट्टे या अनुज्ञप्ति के धारक को अग्रेषित करेगा;

(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के उपबंधों और तदधीन जारी आदेशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए खनन पट्टे में हर समय उचित सामग्री, साधित्रों और सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था है और जहां वह खनन पट्टे का स्वामी या एजेंट नहीं है, वहां वह स्वामी या एजेंट को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी भी बात के लिए लिखित में अध्यपेक्षा करेगा। ऐसी प्रत्येक अध्यपेक्षा की प्रति तत्प्रयोजन के लिए जिल्दबंद संख्यांकित पुस्तिका में अभिलिखित की जायेगी।

(3) उप–नियम (2) के खण्ड (iv) के अधीन अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर स्वामी या एजेंट यथाशीघ्र अर्हित व्यक्ति द्वारा अध्यपेक्षित सामग्री और सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

32. राजस्व विभाग की भूमिका.–(1) सरकारी भूमि में सक्षम राजस्व प्राधिकारी खनन पट्टे को पट्टे के पंजीकरण के पश्चात् राजस्व अभिलेखों मे खनिज से संबंधित क्षेत्र के रूप में अभिलिखित करेगा।

(2) सरकारी भूमि में, विभाग द्वारा प्रस्तावित खनिज संभावित क्षेत्र सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किया जायेगा।

(3) राजस्व प्राधिकारी विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना भूमि की प्रास्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे यदि खनिज संभावित क्षेत्र राजस्व अभिलेख में पहले ही प्रविष्ट कर लिया गया है।

(4) कलक्टर अतिभार या कर्दम के निपटारे के लिए खान, खदान या खनिज उद्योग के पास यथोचित क्षेत्र अधिसूचित करेगा।

(5) राजस्व विभाग अपने डिजिटल राजस्व नक्शे विभागीय ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ेगा जिससे आवेदित क्षेत्र को राजस्व नक्शें पर ठीक ठीक अध्यारोपित किया जा सके।

(6) राजस्व पदधारी सरकारी भूमि यथास्थिति, साथ ही खातेदारी भूमि में किसी भी अवैध खनन के विरुद्ध राजस्व विधियों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिसमें खातेदारी भूमि में अभिधृति की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई सम्मिलित है।

33. वन विभाग की भूमिका.–(1) खनिज स्रोतों के विकास के लिए विभाग या किसी भी सरकारी इकाई द्वारा या बाहरी स्रोत के माध्यम से वन के अधीन पड़े महत्वपूर्ण खनिज की खोज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी।

(2) वन विभाग जीटी शीट पर चिन्हित सीमा सत्यापित करेगा और प्रास्थिति को समय–समय पर अद्यतन करेगा और अपनी जीटी शीट को विभागीय ऑनलाईन प्रणाली से जोड़ेगा।

(3) वन विभाग से भूमि प्रास्थिति रिपोर्ट की अपेक्षा वहां नहीं की जायेगी जहां कोई भी क्षेत्र सत्यापित या जोड़ी गयी जीटी शीट पर चिन्हित वन सीमा से पांच सौ मीटर से अधिक दूरी पर है।

(4) वन पदाधिकारी वन भूमि में अवैध खनन के विरुद्ध वन विधियों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अध्याय 6
संपोषणीय खान विकास

34. पर्यावरणीय रक्षोपाय..– (1) कोई भी खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति ऐसी पूर्व सम्मतियों, अनुमोदन, अनुज्ञाएं, अनाक्षेप और ऐसी ही अभिप्राप्त किये बिना मंजूर नहीं की जायेगी जो खनन संक्रियाओं के प्रारंभ के लिए लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हों।

(2) प्रत्येक खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति धारक,–

(i) खनन संक्रियाएं ऐसी रीति से करेगा जिससे खान या खदान का व्यवस्थित विकास, खनिज का संरक्षण, पर्यावरण की संरक्षा और मानव और मशीनरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो;

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्राकृतिक जलप्रवाह, जल स्रोत में किसी भी खनन

संक्रिया से बाधा नहीं पहुंचे। पट्टे या अनुज्ञप्ति के क्षेत्र से निकलने या गुजरने वाली प्राचीन जलधाराओं की, यदि कोई हों, खनन संक्रिया के दौरान संरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये जायेंगे;

(iii) खनन कार्य राज्य के भूजल विभाग के अनुमोदन तक भूजल स्तर के ऊपर तक सीमित रखेगा;

(iv) ऊपरी मृदा का अस्थायी रूप से भंडारण, खान योजना या स्कीम में चिन्हित स्थान पर करेगा;

(v) खनन संक्रियाओं के दौरान उत्पादित मलबे का ढेर खान योजना या स्कीम में दर्शित ढेर स्थल पर करेगा;

(vi) प्रभावी सुरक्षा करेगा जैसे वायु प्रदूषण संभावित संकटमय जोखिम के क्षेत्रों में और जिनमें कणाकार तत्व का स्तर उच्च है जैसे क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र, लदाई और उतराई बिन्दु और सभी अंतरण बिन्दु पर जल का नियमित छिड़काव;

(vii) नियंत्रित विस्फोटक विधि का प्रयोग करेगा और भूमि कंपन के नियंत्रण के लिए और उड़ती चट्टानों और गोल पत्थरों को रोकने के लिए प्रशामक उपाय करेगा। विस्फोटन केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसके पास महानिदेशक खान सुरक्षा से प्राप्त विस्फोटक प्रमाणपत्र हैं। गहरा छिद्र विस्फोटक महानिदेशक खान सुरक्षा के पूर्व अनुमोदन से ही किया जायेगा;

(viii) बेंच ऊंचाई और ढलान धातुमय खान विनियम, 1961 के अनुसार रखेगा;

(ix) खनन संक्रियाओं के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशामक उपाय करेगा कि पास के क्षेत्रों में भवनों या संरचनाओं पर विस्फोटन के कारण प्रभाव नहीं पड़े;

(x) न्यूमोकोनियोसिस और सिलिकोसिस के नियंत्रण के लिए या तो धूल निष्कर्षक से सज्जित या गीली ड्रिलिंग के लिए जल इंजेक्शन प्रणाली से संचालित ड्रिलों का उपयोग करेगा;

(xi) खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों को संरक्षात्मक पौशाक या श्वसन उपकरण प्रदान करेगा और सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षा भी प्रदान करेगा;

(xii) कृषि फसलों को न्यूनतम हानि सुनिश्चित करने का जिम्मा लेगा और फसलों को हानि या नुकसानी के लिए प्रतिकर के लिए यथोचित रूप से अभिदाय करने का जिम्मा लेगा;

(xiii) खानों में लगे हुए कर्मकारों के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करेगा और धूल के सम्पर्क के कारण किन्ही भी संकुचनों की निगरानी के लिए कर्मकारों के लिए व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम भी समय–समय पर आयोजित करेगा और सुधारात्मक उपाय करेगा, यदि आवश्यक हों;

(xiv) यानीय उत्सर्जन नियंत्रण में रखेगा और उसे नियमित रूप से मानिटर करेगा। खनिज संक्रियाओं में और खनिज के परिवहन में उपयोग में लिये गये यानों की मरम्मत के लिए उपाय करेगा;

(xv) खान में लगे हुए सभी कर्मकारों को बीमा रक्षण देगा;

(xvi) ध्वनि स्तर अनुज्ञेय सीमा के भीतर नियंत्रित करने के लिए उपाय करेगा;

(xvii) खान तल में अविक्रेय बेकार खनिज नियमित रूप से संग्रहित किया जायेगा और उसका परिवहन सतह पर किया जायेगा और खान की फर्श को मलबे से समुचित रूप से साफ रखा जायेगा;

(xviii) खनिज के लघु ढेर को यथासंभव ढेरों से अलग किया जायेगा और भावी उपयोग के लिए उसका भंडार अलग से किया जायेगा; और

(xix) ऊपरी मृदा, अतिभार, अपशिष्ट सामग्री या अविक्रेय खनिज के ढेर लगाने के लिए चयनित भूमि खान के कार्यकरण से दूर होगी।

(3) सरकार खानों के पर्यावरणीय प्रत्यावर्तन के लिए पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी से प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए कुछ राशि प्रभारित करने की हकदार होगी और यह करार का भाग होगा। नियत राशि सरकार द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकेगी।

अध्याय 7
अधिशुल्क या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका की स्वीकृति

35. ठेकेदार का पंजीकरण.—(1) कोई भी व्यक्ति ठेकेदार के रूप में पंजीकरण और उसके नवीनीकरण के लिए प्रारूप 10 में अतिरिक्त निदेशक (खान) को विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। पंजीकरण का नवीनीकरण उसी जोनल अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसके द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था।

(2) ठेकेदार को अधिकतम तीन वित्तीय वर्ष के लिए पंजीकृत किया जायेगा जिसमें पंजीकरण का वित्तीय वर्ष सम्मिलित है।

(3) ऐसे ठेकेदार को, जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अधीन पहले से ही पंजीकृत है उन्हें अन्तर प्रतिभूति राशि इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी जिससे कुल प्रतिभूति राशि उप—नियम (4) के खण्ड (i) में यथावर्णित हो जाये।

(4) पंजीकरण या उसके नवीनीकरण के लिए उप—नियम (2) के अधीन किये गये आवेदन के साथ निम्नलिखित होगाः—

(i) नीचे विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस, प्रारूप 20 में आयकर विवरणी के अनुसार बेलेंस शीट के आधार पर चार्टड अकाउंटेंट द्वारा जारी कुल राशि प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति और प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति जो संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान) के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी हो और जो पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार के बैंक खाता से बनायी गयी होः—

क.सं.	ठेकेदार का वर्ग	आवेदन फीस (रुपये में)	शुद्ध संपत्ति प्रमाणपत्र(रुपये लाखों में)	प्रतिभूति निक्षेप (रुपये लाखों में)
1.	2	3	4	5
1.	एए	पंद्रह हजार	पांच सौ	पचास
2.	ए	बारह हजार पांच सौ	दो सौ	बीस
3.	बी	दस हजार	सौ	दस
4.	सी	सात हजार पांच सौ	पचास	पांच

(ii) शपथपत्र की स्कैन प्रति जिसमें आवेदक या उसके कुटुंब के सदस्य द्वारा धारित खनिज रियायत या ठेके से सबंधित ब्यौरे का कथन हो;

(iii) यह कथन करते हुए शपथपत्र की स्कैन प्रति कि विभाग की कोई भी शोध्य उसके या उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य के विरुद्ध बकाया नहीं है; और

(iv) उसका हक स्पष्ट करने के लिए चार्टड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र में उल्लेखित सभी सुसंगत दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां।

(5) उप—नियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन की उसकी प्राप्ति के समय अभिस्वीकृति प्रारूप 21 में दी जायेगी।

(6) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित आवेदन उप—नियम (4) में वर्णित मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित अतिरिक्त निदेशक खान को उसके ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से सात दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें विफल रहने पर आवेदन नामंजूर किया हुआ समझा जायेगा।

(7) उप—नियम (1) के अधीन किये गये आवेदन का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर सकेगा और उसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

(8) नवीनीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की कालावधि की समाप्ति के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदन सभी बातों में पूर्ण है और बोलीदाता या ठेकेदार के रूप में आवेदक का गत संपादन समाधान संतोषप्रद है तो सक्षम प्राधिकारी पंजीकरण को तीन वित्तीय वर्ष की और कालावधि के लिए नवीनीकृत कर सकेगा जिसमें पंजीकरण का वर्ष सम्मिलित है।

(9) यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को किसी भी समय गलत पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी सुनवाई का पंद्रह दिवस का अवसर दिये जाने के पश्चात् पंजीकरण रद्द कर सकेगा और प्रतिभूति निक्षेप जब्त कर सकेगा।

(10) पंजीकरण संख्यांक या संकेत संख्या निम्नलिखित फार्मेट में होगी:–

विभाग/पंजीकरण प्राधिकारी/वर्ग/क्र.सं./वर्ष

(11) पंजीकृत ठेकेदार, मुख्तारनामा धारक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को अनुरोध कर सकेगा। ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर पंजीकरण प्राधिकारी फोटो पहचान पत्र जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा होगा:–

(i) ठेकेदार का नाम और पता;

(ii) पंजीकरण या संकेत संख्या;

(iii) पंजीकरण प्राधिकारी;

(iv) ठेकेदार का वर्ग;

(v) पंजीकरण की विधिमान्यता; और

(vi) अनुप्रमाणित फोटो और हस्ताक्षर के साथ मुख्तारनामा धारक या प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम।

(12) पंजीकृत ठेकेदार अपने पंजीकरण के रद्दकरण और प्रतिभूति निक्षेप के प्रतिदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी पंजीकरण रद्द कर सकेगा और प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय कर सकेगा, यदि वह इन नियमों के अधीन जब्त नहीं किया गया है।

(13) जहां ठेकेदार को इन नियमों के अधीन भावी ठेकों में भाग लेने से विवर्जित किया गया है या उसका नाम काली सूची में डाला गया है वहां सुनवाई का पंद्रह दिवस का अवसर दिये जाने के पश्चात् जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा और प्रतिभूति निक्षेप जब्त किया जा सकेगा।

36. अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका की स्वीकृति.–(1) कोई भी अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका ऐसे किसी व्यक्ति को मंजूर नहीं की जायेगी जो भारत का नागरिक नहीं है।

(2) अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका केवल ई–नीलामी द्वारा ऐसे क्षेत्र और खनिज के लिए मंजूर की जायेगी जो निदेशक साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(3) पंजीकृत ठेकेदार अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभार के लिए ई–नीलामी में बोली का प्रस्ताव करने के लिए निम्नलिखित रूप से पात्र होगा:–

क्र.सं	ठेकेदार का वर्ग	आरक्षित कीमत (रुपये में)
1	2	3
1.	एए	कोई भी राशि
2.	ए	पचास करोड़ तक
3.	बी	पच्चीस करोड़ तक
4.	सी	दस करोड़ तक

परन्तु विद्यमान और/या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार के लिए उसके पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य होगा यदि वह ऐसी संविदा की अवधि के दौरान समाप्त होता है:

परन्तु यह और कि यदि ठेकेदार का कोई भी वर्ग अपने लागू वर्ग से उच्चतर मूल्य की उच्चतम बोली का प्रस्ताव करता है तो ऐसे ठेकेदार से आवेदन फीस, प्रतिभूति निक्षेप का अंतर जमा कराने की और लागू वर्ग का कुल कीमत प्रमाणपत्र सात कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) वार्षिक ठेका राशि ठेकेदार द्वारा सरकार को दी गयी उच्चतम बोली के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिग्रहण के अध्यधीन रहते हुए, अवधारित की जायेगी:

परन्तु अनुसूची ।। में दी गयी अधिशुल्क की दर या अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों में अभिवृद्धि या कमी के मामले में अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार ठेका की राशि, प्रतिभूति निक्षेप और संपादन प्रतिभूति की अभिवृद्धित या कम राशि ठेके की शेष कालावधि के लिए ऐसी अभिवृद्धि या, जो भी स्थिति हो, कमी की तारीख से अभिवृद्धि या कमी के अनुपात में संदत्त करने का उत्तरदायी होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूची ।। में दी गयी अधिशुल्क की दर या अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों में अभिवृद्धि या कमी पर ठेकेदार ठेके की अभिवृद्धित या कम राशि का संदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार करने का दायी होगा:–

पुनरीक्षित ठेका राशि ={(विद्यमान ठेका राशि+ कुल विद्यमान स्थिर भाटक)x नयी अधिशुल्क दर/विद्यमान अधिशुल्क दर–कुल विद्यमान स्थिर भाटक}।

(5) अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च को समाप्त होने वाले अधिकतम दो वित्तीय वर्ष की कालावधि या उसके भाग के लिए मंजूर किया जा सकेगा:

परन्तु जहां नया ठेका आवंटित नहीं की जा सका हो तो विद्यमान ठेके की कालावधि निदेशक द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से नब्बे दिवस तक की कालावधि या नये ठेका प्रवृत्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, विस्तारित की जा सकेगी और संशोधन करार मूल ठेके की समाप्ति के पूर्व संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा निष्पादित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां ऐसा किया जाना आवश्यक हो, ठेके की कालावधि सरकार द्वारा और विस्तारित की जा सकेगी और संशोधन करार ठेके की समाप्ति के पूर्व निष्पादित किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि कालावधि का विस्तार इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए किया जायेगा कि ठेकेदार विद्यमान वार्षिक ठेका राशि से दस प्रतिशत अभिवृद्धित राशि संदत्त करेगा। विस्तारित कालावधि के लिए प्रतिभूति निक्षेप और संपादन प्रतिभूति वही होगी जो ठेकेदार द्वारा मूल ठेके के दौरान जमा की गयी थी और वह नया ठेका प्रवृत्त होने तक प्रतिदत्त नहीं की जायेगी या ठेके की देयों या किस्तों में समायोजित नहीं की जायेगी।

37. ई–नीलामी के लिए प्रक्रिया और ठेके की स्वीकृति.–(1) सरकार किसी भी ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक मंच का उपयोग कर सकेगी जो ऐसी न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो जो ई–उपापन प्रणाली की गुणवत्ता अपेक्षाओं का पालन करने के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ई–नीलामी के संचालन के लिए किसी भी एजेंसी को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता मंजूर किये जाने वाले अधिशुल्क संग्रहण ठेके या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके का ब्यौरा ठेके के निबंधनों और शर्तों के साथ ई–नीलामी का संचालन करने के लिए निदेशालय, खान और भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को देगा।

(3) निदेशालय में केन्द्रीयकृत प्रकोष्ठ ई–नीलामी के लिए बोली आंमत्रित करते हुए दो दैनिक समाचारपत्रों में सूचना प्रकाशित करेगा जिनमें से कम से कम एक राज्य स्तरीय हो जो पचास हजार और अधिक प्रतियों में परिचालित हो और दूसरे का उस क्षेत्र में व्यापक प्रचार हो जहां ठेका मंजूर किया जा रहा है। बोली आमंत्रित करने की सूचना निदेशालय और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के कार्यालय के सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जायेगी। बोली आमंत्रित करने की सूचना बोली प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से कम से कम तीस दिवस पूर्व प्रकाशित की जायेगी और विशिष्टियां, निबंधन और शर्तें, विभाग और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी के वेब पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी। तीस दिवस की कालावधि की गणना बोली आमंत्रित करने की सूचना विभाग की वेबसाइट या नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी की वेबसाइट में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, की जायेगी। पंजीकृत बोलीदाताओं को प्राधिकृत एजेंसी द्वारा ई–मेल से भी सूचित किया जायेगा।

(4) आशय रखने वाले बोलीदाता ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी के पास भावी बोलीदाता के रूप में पंजीकरण करायेंगे। पंजीकरण भावी बोलीदाताओं के लिए ई–नीलामी सेवा प्रदाता के पास पंजीकरण के लिए सदैव खुला रहेगा। पंजीकरण के पश्चात् भावी बोलीदाता

खनिज रियायत और ठेके की स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा संचालित ई–नीलामी में भाग लेने का पात्र होगा।

(5) बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के पूर्व नियम 15 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगा।

(6) सरकार, उसके कर्मचारी और सलाहकार कोई व्यपदेशन या वारंटी नहीं करेंगे और किसी भी बोलीदाता को सम्मिलित करते हुए किसी भी व्यक्ति के प्रति उनका विधि, कानून, नियम, विनियम या अपकृत्य, प्रत्यास्थान सिद्धान्तों, अनुचित संपन्नीकरण के अधीन या अन्यथा ऐसी किसी भी हानि, नुकसानी, लागत या व्यय के लिए कोई भी दायित्व नहीं होगा जो किसी भी सूचना या डाटा के कारण उद्भूत हो या उपगत हो या सहा जाये या नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से किसी भी रूप में उद्भूत हो।

(7) ई–नीलामी आरोही अग्रिम ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक नीलामी होगी और जिसमें निम्नलिखित तरीके से होगी, अर्थात्:–

(i) नीलामी का पहला चक्र निम्नलिखित रीति से आयोजित किया जायेगा, अर्थात्:–

(क) तकनीकी बोली बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत की जायेगी.–

(I) प्रारूप 3 में बोली पत्र की स्कैन प्रति;

(II) नियम 39 में यथाविनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति;

(III) प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव जो आरक्षित कीमत के बराबर या अधिक होगा;

(IV) विभाग की अदेयता संबंधित शपथपत्र की स्कैन प्रति;

(V) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से प्राप्त अदेयता प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति जहां बोलीदाता खनिज रियायत या अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका का धारक है या थाः

परन्तु फर्म, कंपनी व्यष्टि संगम के मामले में शपथपत्र और अदेयता प्रमाणपत्र सभी भागीदारों या, यथास्थिति, व्यष्टियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है;

(VI) यदि बोलीदाता कंपनी है तो संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की या, यथास्थिति, यदि बोलीदाता फर्म है तो भागीदारी विलेख और फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति

(VII) फर्म या, यथास्थिति कंपनी के मामले में प्रारूप–4 में यथा विनिर्दिष्ट फार्मेट में मुख्तार नाम या बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निदेशक बोर्ड के संकल्प की स्कैन प्रति;

(VIII) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड या टिन की स्कैन प्रति;

(IX) पते के सबूत की स्कैन प्रति;

(X) चार्डट अकाउटेण्ट द्वारा प्रमाणित तुलनपत्र की या पूर्ववर्ती वर्ष की आयकर विवरणी की स्कैन प्रति;

(XI) ई–मेल पता और मोबाइल संख्यांक;

(ख) किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से खण्ड (क) का पालन करने में विफलता से तकनीकी बोली का अप्रस्तुतीकरण हो जायेगा;

(ग) बोलियां निम्नलिखित की समिति द्वारा खोली जायेंगीः–

(I) अतिरिक्त निदेशक खान (मुख्यालय);

(II) वित्तीय सलाहकार; और

(III) संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता (मुख्यालय– 2 या 3);

(घ) तकनीकी बोलियों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जायेगी और सभी बोलीदाताओं को ई–मेल या एसएमएस के माध्यम से व्यक्तिशः सूचित किया जायेगा। तकनीकी रूप से अर्हित सभी बोलीदाताओं के प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव खण्ड (ग) में वर्णित समिति द्वारा ई–नीलामी की अनुसूचित तारीख को खोले जायेंगे;

(ड.) तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक कीमत के अवरोही कम के आधार पर रैंक दी जायेगी और पचास प्रतिशत (भिन्न को उच्चतर पूर्णांक किया जायेगा) रैंकों के धारक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं को या तकनीकी रूप से अर्हित शीर्ष पांच बोलीदाताओ को, इनमें से जो भी उच्चतर हो, इलैक्ट्रानिक नीलामी के दूसरे चक्र में भाग लेने के लिए अर्हित बोलीदाता के रूप में अर्हित किया जायेगाः

परन्तु जहां तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता दो से कम हैं वहीं तकनीकी रूप से अर्हित किसी भी बोलीदाता पर अर्हित बोलीदाता के रूप में विचार नहीं किया जायेगा और नीलामी प्रक्रिया को बातिल कर दिया जायेगाः

परन्तु यह और कि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं की संख्या दो और पांच (दोनों सम्मिलित) के बीच में है तो तकनीकी रूप से अर्हित सभी बोलीदाताओं पर अर्हित बोलीदाताओं के रूप विचार किया जायेगाः

परन्तु यह भी कि तकनीकी रूप से अर्हित दो या अधिक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे समान प्रारंभिक प्रस्ताव की दशा में तकनीकी रूप से अर्हित सभी बोलीदाताओं को अर्हित बोलीदाताओं के अवधारण के प्रयोजन के लिए एक ही रैंक दी जायेगी और ऐसे मामले में पूर्वोक्त पचास प्रतिशत बढकर पचास प्रतिशत हो जायेगी जिसमें तकनीकी रूप से ऐसे बोलीदाताओं को जोड़ दिया जायेगा जिनके प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव ऐसे समान प्रारंभिक की संख्या से कम हैं।

स्पष्टीकरण.–उस दशा में जब तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता कुल दस हैं और तकनीकी रूप से अर्हित प्रत्येक बोलीदाता भिन्न–भिन्न प्रारंभिक कीमत का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तब पहली पचास प्रतिशत रैंक धारण करने वाले तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं पर अर्हित बोलीदाताओं के रूप में विचार किया जायेगा। यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता समान प्रारंभिक कीमत का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और रैंकों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत में उनकी रैंक है तब तकनीकी रूप से अर्हित सभी तीन बोलीदाताओं पर अर्हित बोलीदाता के रूप में विचार किया जायेगा और अर्हित कुल बोलीदाताओं की संख्या दो बढ जायेगी;

(च) अर्हित बोलीदाताओं को विनिर्दिष्ट मदों के पेटे इलैक्ट्रानिक नीलामी के लिए बोली के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनकी अर्हता के बारे में नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी की वेबसाइट के माध्यम से उनके सुरक्षित लॉगइन माध्यम से साथ ही प्रणाली जनित ई–मेल से सूचना दी जायेगी; और

(छ) अर्हित बोलीदाताओं में से उच्चतम प्रारंभिक कीमत ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक नीलामी के दूसरे चक्र के लिए निम्नतम कीमत होगी और सभी अर्हित बोलीदाता इलैक्ट्रानिक नीलामी के दूसरे चक्र में भाग लेंगेः

परन्तु जहां तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं की कुल संख्या दो से कम है वहां तकनीकी रूप से अर्हित किसी भी बोलीदाता पर अर्हित बोलीदाता के रूप में विचार नहीं किया जायेगा और नीलामी प्रक्रिया बातिल कर दी जायेगीः

परन्तु यह और कि निदेशक, अपने विवेक से, नीलामी प्रक्रिया को बातिल न करने का विनिश्चय कर सकेगा भले ही दूसरे या पश्चात्वर्ती प्रयास में तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाताओं की संख्या दो से कम बनी रहे और निदेशक ऐसे मामले में तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदाता पर अर्हित बोलीदाता के रूप में विचार करने का विनिश्चय करेगा जिससे बोली प्रक्रिया चालू रहे।

(ii) ई–नीलामी का दूसरा चक्र निम्न रीति से आयोजित किया जायेगा, अर्थात्:–

(क) अर्हित बोलीदाता सभी करों और शुल्कों को छोड़कर अपने अपने अंतिम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे जो निम्नतम कीमत से कम नहीं होंगे। बोलीदाता का सभी लागू करों और शुल्कों का संदाय प्राधिकारियों का सीधे ही करने का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा और उसका सबूत विभाग में देगाः

परन्तु अंतिम कीमत प्रस्ताव को बोली आमंत्रित करने की सूचना के अनुसार नीलामी की समाप्ति तक पुनरीक्षित किया जा सकेगा;

(ख) ई–नीलामी की तारीख, समय और कालावधि बोली आमंत्रित करने की सूचना में वर्णित अनुसूची के अनुसार होगी। तथापि, ई–नीलामी के अंतिम समय का विस्तार उस दशा में स्वतः हो जायेगा जब कोई बोली इलैक्ट्रानिक नीलामी के अनुसूचित अंतिम समय के पूर्व अंतिम आठ मिनट के दौरान प्राप्त होती है। इलैक्ट्रानिक नीलामी के अंतिम समय का विस्तार सभी अन्य अर्हित बोलीदाताओं को समान अवसर देने के लिए, प्राप्त अंतिम बोली समय से आठ मिनट स्वतः हो जायेगा। स्वतः विस्तार की यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक अंतिम उच्चतम बोली में आठ मिनट की कालावधि तक सुधार नहीं होता है;

(ग) सफल बोलीदाता का एकमात्र विनिश्चय अर्हित बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत उच्चतम वित्तीय बोली के आधार पर किया जायेगा। किसी भी बोलीदाता के साथ कोई बातचीत नहीं की जायेगी;

(घ) नीलामी प्रक्रिया को बातिल कर दिया जायेगा यदि कोई भी अर्हित बोलीदाता ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक नीलामी मंच पर अंतिम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता है। यदि ई–नीलामी प्रक्रिया इलैक्ट्रानिक नीलामी मंच पर कम से कम एक अंतिम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने के कारण बातिल की जाती है तो ऐसे अर्हित बोलीदाता की बोली प्रतिभूति, जिसने ई–नीलामी के दूसरे चक्र के लिए उच्चतम प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव अर्थात् लागू निम्नतम कीमत प्रस्तुत की है, समपहृत हो जायेगी;

(ड.) ई–नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और उसके पश्चात् सफल बोलीदाता और बोली कीमत इत्यादि उपदर्शित करते हुए बोली पत्र एजेंसी द्वारा ई–मेल के माध्यम से चौबीस घण्टे की भीतर उपलब्ध कराया जायेगा। बोली पत्र प्रबंध सूचना प्रणाली रिपोर्ट के माध्यम से डाउनलोड किया जायेगाः और

(च) सफल बोलीदाता द्वारा संपादन प्रतिभूति जमा करा दिये जाने पर सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा बहतर घण्टे के भीतर प्रतिदत्त की जायेगी।

(8) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली नब्बे दिवस के लिए विधिमान्य होगी। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य बोली पर अप्रतिक्रियाशील के रूप में विचार किया जा सकेगा। बोलियों की विधिमान्यता की समाप्ति के पूर्व निदेशक आपवादिक परिस्थितियों में बोलीदाताओं से बोली विधिमान्यता कालावधि को अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समायावधि के लिए बढाने का अनुरोध कर सकेगा। बोलीदाता अनुरोध से इंकार कर सकेगा और ऐसे इंकार को बोली के प्रत्याहरण के रूप में माना जायेगा किन्तु ऐसी परिस्थितियों में जमा बोली प्रतिभूति समपहृत नहीं की जायेगी।

(9) विफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा संबंधित बोलीदाताओं को ई–नीलामी के दूसरे चक्र की समाप्ति से अड़तालीस घण्टे भीतर प्रतिदत्त की जायेगी।

(10) सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति या नास्वीकृति का विनिश्चय करेगा और उससे संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता और सफल बोलीदाता को सूचित करेगा।

38. आरक्षित कीमत.–(1) पहली बार मंजूर किये जाने वाले ठेके या पुनरीक्षित क्षेत्र या खनिज के साथ मंजूर किये जाने वाले ठेके के लिए आरक्षित कीमत का मूल्यांकन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगाः–

(i) क्षेत्र से उत्पादित और प्रेषित खनिज की भौतिक मात्रा;

(ii) उस क्षेत्र से अधिशुल्क का गत वर्ष का संग्रहण;

(iii) खनिज की अभिवृद्धित मांग के कारण प्रस्तावित ठेका कालावधि में प्रत्याशित अभिवृद्धि; और

(iv) क्षेत्र के बारे में कोई भी अन्य सुसंगत बात।

(2) नया ठेका या विद्यमान ठेके की आरक्षित कीमत का अनुमोदन, यदि आवश्यक हो तो, निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(3) अगले ठेके के लिए आरक्षित कीमत विद्यमान वार्षिक ठेका राशि से दस प्रतिशत उच्चतर होगी:

परन्तु एक ही खनिज के दो या अधिक विद्यमान ठेको या एक ही क्षेत्र के भिन्न–भिन्न खनिजों के दो या अधिक विद्यमान ठेको के कुल क्षेत्र को एक ठेके में संयोजित किया जा सकेगा और ऐसे मामले में आरक्षित कीमत समामेलित की जाने वाली सभी ठेको की कुल विद्यमान वार्षिक ठेका राशि से संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता के पूर्व अनुमोदन से दस प्रतिशत उच्चतर होगी।

परन्तु यह और कि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उस आरक्षित कीमत राशि से कम दस प्रतिशत तक आरक्षित कीमत को पुनरीक्षित करने के लिए किसी अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी।

39. बोली प्रतिभूति.–(1) बोली प्रतिभूति इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण (आरटीजीएस/एनईएफटी इत्यादि) के रूप में होगी।

(2) बोली प्रतिभूति की राशि आरक्षित कीमत की दस प्रतिशत होगी।

40. प्रतिभूति निक्षेप.–(1) प्रतिभूति निक्षेप राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक की कम से कम तीन वर्ष के लिए मान्य सावधि जमा रसीद या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में जो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी हो या ठेको के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों के किसी भी अन्य रूप में होगी। सावधि जमा रसीद ठेकेदार के बैंक खाता से बनायी गयी हो।

(2) प्रतिभूति निक्षेप की राशि बोली राशि की दस प्रतिशत होगी।

(3) ठेकेदार प्रतिभूति निक्षेप की राशि का अंतर अधिशुल्क की दर में परिवर्तन या अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों इत्यादि में बढोतरी के कारण ठेका राशि में अभिवृद्धि के अनुपात में तीस दिवस में जमा करायेगा।

(4) प्रतिभूति निक्षेप संबंधित खनि अभियंता द्वारा संविदा के सफलतापूर्वक पूरा होने के तीस दिवस के भीतर इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्रतिदत्त किया जायेगा कि ठेका ठेकेदार की ओर कोई चूक किये बिना पूरी की जाती है।

41. संपादन प्रतिभूति.–(1) संपादन प्रतिभूति राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक कम से कम तीन वर्ष के लिए मान्य सावधि जमा रसीद या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, जो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी हो, या राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक की संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में प्रारूप 5 में यथाविनिर्दिष्ट बैंक प्रत्याभूमि के रूप में या ठेके के सम्यक् अनुपालन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों के किसी भी अन्य रूप में होगी। सावधि जमा रसीद ठेकेदार के बैंक खाता से बनायी जायेगी।

(2) संपादन प्रतिभूति वार्षिक ठेका राशि की पंद्रह प्रतिशत होगी।

(3) ठेकेदार संपादन प्रतिभूति की राशि का अंतर अधिशुल्क की दर में परिवर्तन या अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों इत्यादि में बढोतरी के कारण ठेका राशि में अभिवृद्धि के अनुपात में तीस दिवस में जमा करायेगा।

(4) संपादन प्रतिभूति ठेके की समाप्ति या रद्दकरण पर विभाग के देयों, यदि कोई हों, के पेटे समायोजित की जायेगी अन्यथा वह संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा ठेका पूर्ण करने के तीस दिवस के भीतर उसे प्रतिदत्त की जायेगी।

42. बोली राशि.–(1) अधिशुल्क और/या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके का बोलीदाता, जिसके पक्ष में ठेका सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, ठेके के निष्पादन के पूर्व निम्नलिखित राशि जमा करेगा:–

(i) जहां वार्षिक बोली राशि पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं है, बोली राशि का पच्चीस प्रतिशत पहली तिमाही किस्त के रूप में जमा किया जायेगा और शेष तीन तिमाही किस्तें करार में विनिर्दिष्ट तारीखों को अग्रिम रूप से जमा की जायेंगी; और

(ii) यदि वार्षिक बोली राशि पच्चीस लाख रुपये से अधिक है तो वह समान मासिक किस्तों में जमा की जायेगी किन्तु पहली किस्त करार के निष्पादन के पूर्व जमा की जायेगी। शेष मासिक किस्तें करार में विनिर्दिष्ट तारीखों को अग्रिम रूप से जमा की जायेंगी।

(2) मासिक या, यथास्थिति, वार्षिक किस्त करार में यथाविनिर्दिष्ट तारीख को अग्रिम रूप से संदत्त की जायेंगी।

(3) यदि ठेकेदार मासिक या तिमाही किस्तें नियत तारीख को जमा करने में विफल रहता है तो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता ठेके को रद्द कर सकेगा और प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर सकेगाः

परन्तु ठेके के रद्दकरण और प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण की कार्रवाई ठेकेदार को उसके पंजीकृत पते पर पंद्रह दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं की जायेगी।

43. ठेके का निष्पादन.–(1) प्राप्तिकर्ता प्रतिभूति निक्षेप, संपादन प्रतिभूति और बोली राशि की अग्रिम किस्त प्रस्तुत करेगा और प्रारूप 22 में करार स्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर निष्पादित करेगा।

(2) बोली आमंत्रित करने की सूचना में सम्मिलित निबंधन और शर्तें करार का भाग समझी जायेंगी।

(3) जहां बोलीदाता उप–नियम (1) के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है तो स्वीकृति का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत किया जा सकेगा और जमा कोई भी राशि समपहृत की जायेगी और नया ई–नीलामी संचालित किया जायेगाः

परन्तु यदि सभी अध्यापेक्षित औपचारिकताएं विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर बोलीदाता द्वारा पूरी कर दी गयी हों और करार का निष्पादन ऐसे किसी कारण से नहीं हो सका जो सद्भावी त्रुटि के कारण नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से करार के निष्पादन की कालावधि को विस्तारित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि स्वीकृति आदेश के प्रतिसंहरण के पूर्व यदि ठेकेदार नियम (1) में यथावर्णित औपचारिकताएं पूरी कर देता है और प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए वार्षिक बोली राशि के नौ प्रतिशत की दर से शास्ति जमा करके संविदा के निष्पादन के लिए समय के विस्तार के लिए आवेदन करता है तो निष्पादन कालावधि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तार किया जा सकेगा। विलंब की गणना स्वीकृति आदेश की प्राप्ति से पंद्रह दिवस के पश्चात् से की जायेगी।

(4) संविदा करार पर हस्ताक्षर राज्यपाल की ओर से संबंधित खनि अभियंता द्वारा किये जायेंगे जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है।

44.अधिशुल्क संग्रहण ठेका और अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके **की शर्तें**.–अधिशुल्क संग्रहण ठेका और अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके की निम्नलिखित शर्तें होंगीः–

(1) ठेकेदार अधिशुल्क और अन्य अनुज्ञेय प्रभारों के संग्रहण के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा।

(2) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और हस्ताक्षरित अधिशुल्क रसीद प्रारूप 23 या, यथास्थिति, प्रारूप 24 में होगी।

(3) ठेकेदार अधिशुल्क का संग्रहण यथासंभव पट्टे या अनुज्ञप्ति क्षेत्र के निकट और यदि संभव या व्यवहार्य नहीं हो तो, पट्टे या अनुज्ञप्ति क्षेत्र के निकट किसी स्थान पर किन्तु ठेका क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर करेगाः

परन्तु ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए जिसके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, एक हजार रुपये के संदाय के साथ (अप्रतिदेय) आवेदन किये जाने पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के लिखित में पूर्व अनुमोदन के पश्चात् स्थापित किये जायेंगे। खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता किसी स्थान विशेष के लिए लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा और सूचना ठेकेदार को देगा।

(4) ठेकेदार उक्त खनिज के प्रत्येक प्रेषण के लिए संगृहीत अधिशुल्क या अधिक अधिशुल्क, अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों की राशि के लिए प्रारूप 23 या प्रारूप 24 में विधिमान्य अधिशुल्क रसीदें जारी करेगा और रसीद के सभी स्तंभों को भरेगा। ठेकेदार रसीद की पहली प्रति वाहन के प्रभारी को देगा, रसीद की दूसरी प्रति संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करेगा और तीसरी प्रति अपने पास रखेगा।

(5) अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार, अधिक अधिशुल्क केवल ऐसे वाहनों से संगृहीत करेगा जिनके पास पट्टेधारी द्वारा जारी विधिमान्य रवन्ना है। ठेकेदार रवन्ना की दूसरी प्रति अपने पास रखेगा और पहली प्रति स्टांप लगाने के पश्चात् वाहन के स्वामी को लौटा देगा। संविदाकार रवन्ना की दूसरी प्रति उसके द्वारा जारी रसीद के साथ संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रारूप 26 में मासिक विवरण के साथ जमा करायेगा।

(6) ठेकेदार स्थिर भाटक के पेटे जारी अधिशुल्क संदत्त रवन्ना रखने वाले वाहनों से कोई भी अधिशुल्क वसूल नहीं करेगाः

परन्तु तुलाई के पश्चात् यदि खनिज की कोई मात्रा रवन्ना में उल्लिखित तौल से अधिक पायी जाती है तो ठेकेदार ऐसे अधिक तौल के लिए अधिशुल्क वसूल कर सकेगा।

(7) ठेकेदार कोई भी अधिशुल्क वसूल नहीं करेगा यदि संविदा में विनिर्दिष्ट खनिज का उपयोग राज्य सरकार के विभागों द्वारा संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा मंजूर विधिमान्य अल्पावधि अनुज्ञापत्र या अनुज्ञापत्र के अधीन स्वयं के लिए किया जाता है।

(8) ठेकेदार इन नियमों के अधीन जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र या अनुज्ञापत्र से अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र फीस वसूल नहीं करेगा और उसका समायोजन संविदा राशि के पेटे नहीं किया जायेगा।

(9) अधिशुल्क संविदा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अप्रधान खनिजो के प्रेषण पर संगृहीत किया जायेगा और संविदा क्षेत्र के बाहर से या प्रधान खनिज पट्टों से लाये गये अप्रधान खनिज पर संगृहीत नहीं किया जायेगा।

(10) ठेकेदार राष्ट्रीय, मेगा राजमार्गों, चार या छह लेन सड़कों के संनिर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण, रेल ट्रेक बिछाने और मरम्मत में प्रयुक्त खनिजों के लिए अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र फीस संगृहीत नहीं करेगा। ऐसे संकर्मों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए संकर्म संविदाकार को पृथक् अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।

(11) कोई भी अधिशुल्क ऐसे क्षेत्रों से हटाये गये अप्रधान खनिजो पर संगृहीत नहीं की जायेगी जो पट्टे या अनुज्ञप्ति के चालू गर्त में नहीं हैं जैसा नियम 74 में उपबंधित है।

(12) ठेकेदार सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिट विशेष संकर्मों या स्कीमों में प्रयुक्त खनिजों पर कोई भी अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र फीस वसूल नहीं करेगा।

(13) ठेकेदार अधिशुल्क संग्रहण और/या अधिक अधिशुल्क संग्रहण अनुज्ञापत्र का फीस या अन्य प्रभारों के साथ या उनके बिना क्रमशः प्रारूप 25 और प्रारूप 26 में ऑनलाईन मासिक विवरण पंद्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(14) जहां ठेकेदार अधिशुल्क या अन्य प्रभार विनिर्दिष्ट दरों से अधिक वसूल करता है वहां इस प्रकार संगृहीत अधिक राशि ठेकेदार से वसूल की जायेगी और ठेके का पंद्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात् समाप्ति कर दिया जायेगा और ठेकेदार को काली सूची में डाला जा सकेगा या अगले पांच वर्ष की कालावधि के लिए आगे अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

(15) ठेकेदार को ठेके में उल्लिखित अधिशुल्क, अनुज्ञापत्र फीस के परिवहन किये गये खनिज के वास्तविक तौल के लिए प्रचलित दरों पर संग्रहण के सिवाय ठेका क्षेत्र में ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा जिसके लिए ठेका दिया गया हैं।

(16) संबंधित क्षेत्र में पट्टे या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण और अध्यर्पण, नये पट्टे या अनुज्ञप्ति की स्वीकृति, विद्यमान पट्टे के स्थिर भाटक, सरकार या न्यायालय द्वारा या किसी भी अन्य कारण से पट्टे या अनुज्ञप्ति की अस्थायी या स्थायी बंदी का वार्षिक ठेका राशि पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा।

(17) ठेकेदार ठेका राशि की किस्त का संदाय नियत तारीख को अग्रिम रूप से करेगा और यदि किसी राशि का संदाय नियत तारीख को नहीं किया जाता है तो उसका संग्रहण भूराजस्व की बकाया के रूप में किया जायेगा और नियत तारीख से ठेके के रद्दकरण या शास्ति के अधिरोपण के लिए की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई को विचार में लाये बिना अट्ठारह प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

(18) जहां ठेका राशि दस करोड़ या उससे अधिक है, ठेकेदार ऐसे मार्ग पर, जिस पर ठेका क्षेत्र में खनिज का अधिकतम परिवहन या प्रेषण आता हो, पर्याप्त वेब कैमरों, नेट कनेक्टिीविटी के साथ कम्प्यूटर और जनरेटर के साथ कम से कम एक इलैक्ट्रानिक कांटा प्रणाली प्रतिस्थापित करेगा। कांटा विभाग की ऑनलाईन प्रणाली से जोड़ा जायेगा और ठेके की समाप्ति या समाप्ति पर उपर्युक्त सभी उपस्करों के साथ कांटा चालू स्थिति में विभाग को सौंपेगा अन्यथा प्रतिभूति निक्षेप समपहृत किया जायेगा। सरकार जीपीएस ट्रेकिंग प्रणाली विहित करने की संभावना तलाशेगी।

(19) ठेकेदार अपने पंजीकरण प्राधिकारी को उसे आबंटित किसी भी ठेके के बारे में आवंटन से पंद्रह दिवस के भीतर सूचित करेगा।

(20) ठेकेदार संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा सम्यक् रूप से हस्तारित और स्टांपित फोटो पहचान पत्र अधिशुल्क संग्रहण के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी नाकेदारों या व्यक्तियों को जारी करेगा। ठेकेदार अधिशुल्क संग्रहण के लिए उसके द्वारा लगाये जाने वाले नाकेदारों या व्यक्तियों की सूची पहचान पत्र और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए एक सौ रुपये की फीस के साथ प्रस्तुत करेगा। ऐसे पहचान पत्र केवल ठेके के चालू रहने के दौरान विधिमान्य होंगे। सभी नाकेदार या व्यक्ति पहचान पत्र को अधिशुल्क संग्रहण के दौरान प्रदर्शित करते हुए अपने पास रखेंगे।

(21) ठेकेदार किसी भी शिकायत के लिए प्रत्येक नाका या जांच चौकी पर स्पष्ट रूप से दृश्य और दूरी से पठनीय प्रकाश्य बोर्ड परिनिर्मित करेगा जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके का क्षेत्र, खनिज का नाम, अधिशुल्क की दर, अनुज्ञापत्र फीस और अन्य लागू प्रभार (यदि कोई हों) और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता का नाम और संपर्क संख्यांक उल्लिखित होगा।

(22) ठेकेदार संविदा और इन नियमों के अधीन किये गये किसी भी संशोधन के सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा और सरकार या विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों का भी अनुसरण करेगा।

(23) ठेका राज्य सरकार द्वारा पंद्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात् समाप्त किया जा सकेगा यदि उसके द्वारा इसे लोक हित में समझा जाये।

(24) ठेकेदार संपूर्ण ठेका या उसके किसी भाग का अंतरण नहीं करेगा और किसी भी अन्य व्यक्ति को या उसके नाम में उप–ठेका भी मंजूर नहीं करेगा।

(25) ठेकेदार अपने स्थायी पते के परिवर्तन की सूचना सबूत के साथ संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को ऐसे परिवर्तन के एक मास के भीतर देगा।

(26) संविदा के निबंधनों और शर्तों के पालन में व्यतिक्रम की दशा में संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता पंद्रह दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ठेके का समाप्ति कर सकेगा और प्रतिभूति समपहृत कर सकेगा या आनुकल्पिक रूप से अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

45. ठेकेदार का विवर्जित किया जाना या काली सूची में डाला जाना.–(1) सक्षम प्राधिकारी लिखित में कारण अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ठेकेदार को ठेके में भाग लेने से निम्नलिखित किन्हीं भी कारणों से विवर्जित कर सकेगा, अर्थात्:–

(i) जहां ठेकेदार ठेके की स्वीकृति के पश्चात् संविदा निष्पादित, प्रतिभूति, संपादन प्रतिभूति या अग्रिम किस्त जमा नहीं करता है;

(ii) जहां ठेकेदार को अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र फीस और/या अन्य प्रभार की विनिर्दिष्ट दरों से अधिक वसूली का दोषी पाया जाता है;

(iii) जहां ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया के दौरान या ठेके की स्वीकृति या निष्पादन के पश्चात् प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या किसी एजेंट के माध्यम से किसी भी भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, प्रपीड़क आचरण या अवांछनीय आचरण या निर्बन्धनात्मक आचरण में लगा हुआ या लिप्त पाया जाता है और यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि ठेकेदार या उसका कर्मचारी रिश्वत, भ्रष्टाचार, कपट या ऋजु नीलामी प्रक्रिया के दूषण जैसे अनाचार का दोषी पाया जाता है;

(iv) जहां ठेकेदार या उसके भागीदार या उसके प्रतिनिधि को सरकार के संविदा से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जुड़े हुए किसी अधिकारी या पदधारी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है; और

(v) जहां ठेकेदार या उसके भागीदार या उसके प्रतिनिधि को संविदा से उद्भूत नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(2) सक्षम प्राधिकारी ठेकेदार को विवर्जित करने के पश्चात् ठेकेदार को उसे पंद्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात् भावी संविदाओं में पांच वर्ष की कालावधि के लिए भाग लेने के लिए काली सूची में डाल सकेगा।

अध्याय 8
अधिशुल्क निर्धारण

46. अधिशुल्क का स्वनिर्धारण.–(1) ऐसे प्रत्येक पट्टेधारी के लिए, जिसने मासिक और वार्षिक विवरणी विहित समय के भीतर फाइल की है और संबंधित क्षेत्र की अधिशुल्क या स्थिर भाटक की दर या राशि के बारे में कोई विवाद नहीं है, उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह समझा जायेगा कि वार्षिक विवरणी के आधार पर उसका निर्धारण हो गया है।

(2) प्रत्येक वर्ष न्यूनतम दस प्रतिशत विवरणी हाथ से पूर्णता संविक्षित तथा निर्धारित की जायेगी। यह विवरणियां यादृच्छिकता ऑन लाईन प्रक्रिया से चयनित की जायेगी।

(3) प्रारूप 17 में वार्षिक विवरणी की ऑनलाईन अभिस्वीकृति रसीद को प्रथमदृष्ट्या स्वनिर्धारण का साक्ष्य माना जायेगा और कोई पृथक् आदेश वहां के सिवाय अपेक्षित नहीं होगा जहां,–

(i) विवरणी संवीक्षा के अधीन आयी हो; और

(ii) निर्धारण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि ऑनलाईन विवरणियां गलत हैं।

47. अधिशुल्क जमा करने या विवरणियां प्रस्तुत करने में विफलता पर निर्धारण.–(1) जहां कोई निर्धारिती इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अधिशुल्क जमा करने में विफल रहा है या ऑनलाईन मासिक और वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहा है वहां निर्धारण प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस कालावधि के अधिशुल्क का निर्धारण अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निर्धारित अधिशुल्क में अग्रिम में जमा स्थिर भाटक या अधिशुल्क राशि के समायोजन के पश्चात् शेष राशि निर्धारिती द्वारा मांग नोटिस की तामील की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर संदेय होगी।

(3) इस नियम के अधीन कोई भी आदेश निर्धारण की कालावधि की समाप्ति से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा और इस अवधि के पश्चात् निर्धारण को काल वर्जित माना जायेगा और निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

48. गलत रूप से निर्धारित अधिशुल्क का निर्धारण.–(1) जहां निर्धारण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि निर्धारिती ने अधिशुल्क का परिवर्जन या अपवंचन किया है या यदि किसी भी कारण से पट्टाकृत क्षेत्र से खनिजों के संपूर्ण प्रेषण या उनका भाग या पट्टाकृत क्षेत्र के भीतर खनिज का उपभोग अधिशुल्क से छूट गया है या किसी भी वर्ष में निर्धारण कम दर से किया गया है तो निर्धारण प्राधिकारी निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर, यदि कोई हो, देने के पश्चात् अधिशुल्क का निर्धारण किसी भी समय और किसी भी कालावधि के लिए अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से कर सकेगा।

(2) किसी भी वर्ष में खनिज के प्रेषण और उपभोग के संबंध में इस नियम के अधीन ऐसा कोई भी निर्धारण सुसंगत निर्धारण वर्ष की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह नियम अपील या पुनरीक्षण के आदेश या किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश में अन्तर्विष्ट किसी भी निष्कर्ष या निर्देश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने में किये गये किसी भी निर्धारण या पुनःनिर्धारण को लागू नहीं होगा।

49. निर्धारण के सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के मामलों का पुनःखोला जाना.–(1) जहां कोई निर्धारण निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से किया गया है वहां निर्धारिती निर्धारण को पुनःखोलने के लिए निर्धारण के परिणामस्वरूप मांग के नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिवस के भीतर इस आधार पर आवेदन करता है,–

(i) कि निर्धारिती को निर्धारण के प्रयोजन के लिए उसे जारी किया गया समन या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ; और

(ii) निर्धारिती किसी भी समन या नोटिस का पालन करने में पर्याप्त कारण से निवारित था।

(2) निर्धारण प्राधिकारी, यदि ऐसे आधार की विद्यमानता के बारे में समाधान हो जाता है तो, निर्धारण रद्द कर सकेगा और और नया निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगाः

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी अपनी स्वप्रेरणा से भी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के आधार पर किये गये निर्धारण को पुनःखोल सकेगा यदि उसके पास ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं।

50. अधिशुल्क निर्धारण के लिए विशेष खण्ड या वृत्त का सृजन.—इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, सरकार किसी भी खनिज या खनिजों के समूह के लिए अधिशुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा कोई भी विशेष खण्ड या वृत्त सृजित कर सकेगी।

अध्याय 9

अनुज्ञापत्र की स्वीकृति

51. अल्पावधि अनुज्ञापत्र.—(1) अल्पावधि अनुज्ञापत्र खनिज चुनाई पत्थर, मुर्रम, साधारण मिट्टी के उत्खनन और उपयोग के लिए किसी ठेकेदार को सरकार, अर्द्ध सरकार, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं या ऐसे संगठनों के संकर्म निष्पादित करने के लिए मंजूर किया जा सकेगा जिनको सरकार द्वारा सहायता या निधि दी जाती है।

(2) अल्पावधि अनुज्ञापत्र किसी भी भवन के संनिर्माण या विकास परियोजना की प्रक्रिया के दौरान पता चले किसी भी खनिज के निपटारे के लिए परियोजना क्षेत्र के बाहर मंजूर किया जा सकेगा।

(3) उप–नियम (1) और (2) के अधीन अल्पावधि अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के लिए प्रत्येक आवेदन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को ऐसे खनिजों और ऐसे कालावधि का, जिसके लिए अनुज्ञप्ति वांछित है, उल्लेख करते हुए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा:–

(i) कार्य आदेश या रियायतग्राही करार की प्रति;

(ii) जी अनुसूची या मात्राओं के बिल की प्रति;

(iii) ऐसे क्षेत्र की योजना और वर्णन जहां से खनिज का उत्खनन किया जायेगा;

(iv) क्षेत्र का राजस्व अभिलेख; और

(v) खातेदार की सम्मति यदि भूमि आवेदक की नहीं है।

(4) आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता सम्मतियां या अनुमोदन, यदि किसी भी विधि के अधीन अपेक्षित हों, अभिप्राप्त करने के पश्चात् और प्रत्येक खनिज के लिए पृथक् रूप से संदेय अनुज्ञापत्र फीस का निम्नलिखित दरों पर संदाय करने पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा:–

क.सं.	खनिज की मात्रा	अनुज्ञापत्र फीस (रुपये में)
1.	2	3
1.	दस टन तक	बीस
2.	दस टन से अधिक और बीस टन तक	पचास
3.	बीस टन से अधिक और पचास टन तक	सौ
4.	पचास टन से अधिक और सौ टन तक	एक सौ बीस
5.	सौ टन से अधिक	एक सौ पचास +प्रत्येक सौ टन या उसके भाग के लिए पचास रुपये

(5) खनिजों पर अधिशुल्क अनुसूची 2 के अनुसार संदेय होगी।

(6) अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय समय–समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार करेगा।

(7) अल्पावधि अनुज्ञापत्र की कालावधि कार्य आदेश की सहविस्तारी होगी जब तक कि लघुतर कालावधि के लिए आवेदन न किया गया हो।

(8) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता किसी भी क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए अनुज्ञापत्र की स्वीकृति से लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से इंकार कर सकेगा और उसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

(9) ठेकेदार संकर्म के निष्पादन में प्रयुक्त खनिज के लिए अधिशुल्क का संदाय करने के लिए निम्नलिखित किसी भी विकल्प का विकल्प दे सकेगा:–

(i) अनुज्ञापत्र के लिए मात्रा के बिल या जी–अनुसूची, अनुज्ञापत्र फीस के साथ आवेदन करेगा और अधिशुल्क और जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय की संबंधित विभाग द्वारा चालू बिलों से कटौती करने का विकल्प दे सकेगा। ठेकेदार निर्धारण के लिए अभिलेख सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपभोग प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। यदि किसी भी प्रतिदाय का दावा किया जाना है तो ऐसा आवेदन कार्य की समाप्ति के तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;

(ii) अनुज्ञापत्र के लिए मात्रा के बिल या जी–अनुसूची, अनुज्ञापत्र फीस, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय और अधिशुल्क राशि के साथ आवेदन करेगा। ठेकेदार निर्धारण के लिए अभिलेख सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपभोग प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा;

(iii) अनुज्ञापत्र के लिए मात्रा के बिल, जी–अनुसूची और ऐसे स्वप्रमाणित वचनबंध के साथ आवेदन करेगा जिसमें कथन होगा कि खनिज की संपूर्ण मात्रा का उपापन या उपयोग अधिशुल्क संदत्त करके किया जायेगाः

परन्तु ठेकेदार निर्धारण के लिए खनिजों पर संदत्त अधिशुल्क का अभिलेख निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपभोग प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा;

(iv) चालू बिल से अधिशुल्क कटौती के लिए संबंधित खनि अभियंता या सहायक अभियंता को मात्रा के बिल, या जी–अनुसूची और स्वप्रमाणित वचनबंध के साथ आवेदन करेगा कि खनिज की संपूर्ण मात्रा का उपयोग अधिशुल्क संदत्त करके किया जायेगा। ऐसे माामले में कोई भी निर्धारण अपेक्षित नहीं होगा और चालू बिल से अधिशुल्क की कटौती संबंधित संकर्म विभाग द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगीः–

(क)	संनिर्माण/ सड़कों का चौड़ाकरण और भवन संनिर्माण	बिल राशि का तीन प्रतिशत
(ख)	मरम्मत और अन्य संकर्म	बिल राशि का डेढ प्रतिशत

परन्तु संबंधित संकर्म विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्था, संगठन अधिशुल्क और जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय की कटौती प्रत्येक चालू बिल से करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां ठेकेदार अधिशुल्क और जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय की चालू बिल से कटौती का विकल्प देता है।

(10) राष्ट्रीय या मेगा राजमार्ग, चार या छह लेन सड़कों के संनिर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण, रेल ट्रेक बिछाने और मरम्मत के लिए ठेकेदार उप–नियम (3) के अनुसार आवेदन करेगा और अधिशुल्क और अन्य प्रभार उप–नियम (9)के खण्ड (ii) के अनुसार संदत्त किये जायेंगे।

(11) जहां ठेकेदार ने खनिज का उत्खनन और प्रेषण या उपभोग अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त दस प्रतिशत की सीमा तक किया है, तो एक बारीय अधिशुल्क और दस प्रतिशत से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत तक मात्रा तक किया है, तो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त संपूर्ण मात्रा पर अधिशुल्क का दुगुना वसूल किया जायेगा और पच्चीस प्रतिशत से अधिक मात्रा है, तो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संपूर्ण मात्रा को अप्राधिकृत उत्खनन माना जायेगा और ठेकेदार ऐसे अधिक खनिज की कीमत देने का दायी होगा जो प्रचलित दर पर संदेय अधिशुल्क का दस गुना होगी।

(12) ऐसे खनिजों का उपापन करते समय, जिन पर अधिशुल्क सरकार द्वारा अधिरोपित की गयी है तो राज्य सरकार की प्रत्येक उपापन इकाई का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि उपाप्त ऐसी सारी सामग्री के साथ समुचित प्राधिकारी या, यथास्थिति, सरकार के प्राधिकृत अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार को किये गये अधिशुल्क संदाय का सारवान् सबूत दे जिसमें विफल रहने पर सामग्री किसी उपापन इकाई को स्वीकार्य नहीं होगी।

(13) राज्य सरकार संकर्म विभाग को अल्पावधि अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के लिए यथोचित किसी कतिपय क्षेत्र को आरक्षित कर सकेगी।

52. अनुज्ञापत्र.–(1) खनन क्षेत्र में जमा अतिभार, साधारण मिट्टी या मुर्रम को हटाने के लिए,–

(i) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता किसी व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र या खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्र के अंदर या बाहर पड़े अतिभार या साधारण मिट्टी या मुर्रम के प्रेषण के लिए ऐसी विशेष अनुज्ञापत्र फीस के संदाय पर अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा जिसकी गणना प्रति टन दस रुपये की दर से की जायेगी या जो समय–समय पर पुनरीक्षित की जाये जो अधिशुल्क,समय–समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दर से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय के अतिरिक्त होगी। ऐसा अनुज्ञापत्र आवेदक द्वारा यथावांछित मात्रा के लिए अधिकतम छह मास की कालावधि के मंजूर किया जायेगा। इस प्रकार जमा अधिशुल्क पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदेय स्थिर भाटक या वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के पेटे समायोजित नहीं की जायेगी:

परन्तु जहां अतिभार, साधारण मिट्टी या मुर्रम पट्टे या अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भीतर पड़ी है वहां अनुज्ञापत्र पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी को या पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी की सम्मति प्रस्तुत करने वाले अन्य व्यक्ति को मंजूर किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि इस प्रकार प्रेषित खनिज के साथ विधिमान्य रवन्ना होगा;

(ii) अनुज्ञापत्र के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ रेखाचित्रीय नक्शा लगाया जायेगा जिसमें ऐसे ढेर की लगभग अवस्थिति, आवेदित मात्रा और प्रेषण के लिए अपेक्षित समय दर्शित होगा:

परन्तु संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता निरीक्षण, ढेर की मात्रा और खनिज की परीक्षा के पश्चात्, यदि अपेक्षित हो, अधिशुल्क और अन्य प्रभार अग्रिम में जमा होने पर अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा;

(iii) अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र में वर्णित मात्रा से अधिक खनिज प्रेषित नहीं करेगा:

परन्तु यदि अनुज्ञापत्र धारक ने अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त खनिज उत्खनित और प्रेषित किया है, तो केवल एक बारीय अधिशुल्क, और दस प्रतिशत से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत तक किया है, तो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संपूर्ण मात्रा पर अधिशुल्क का दो गुना वसूल किया जायेगा और पच्चीस प्रतिशत से अधिक कोई भी मात्रा होने पर, अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संपूर्ण मात्रा को अप्राधिकृत उत्खनन माना जायेगा और अनुज्ञापत्र धारक ऐसे अधिक खनिज की कीमत देने का दायी होगा जिसकी गणना प्रचलित दर से संदेय अधिशुल्क के दस गुना से की जायेगी;

(iv) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता अनुज्ञापत्र की स्वीकृति से लेखबद्ध किये जाने वाले और आवेदक को संसूचित कारण से इंकार कर सकेगा; और

(v) अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र की समाप्ति के पंद्रह दिवस के भीतर अभिलेख प्रस्तुत करने का उत्तरदायी होगा।

(2) प्रधान खनिज पट्टो से अप्रधान खनिज स्टॉक हटाने के लिए,–

(i) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता, सत्यापन के पश्चात्, संबंधित पट्टेधारी को अधिशुल्क के और समय–समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय के अग्रिम संदाय पर संबंधित प्रधान खनिज पट्टा क्षेत्र से अप्रधान खनिज हटाने के लिए अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा। ऐसा अनुज्ञापत्र पट्टेधारी द्वारा यथावांछित मात्रा के लिए अधिकतम छह मास की कालावधि के लिए मंजूर किया जायेगा। इस प्रकार जमा अधिशुल्क पट्टेधारी द्वारा संदेय स्थिर भाटक में समायोजित नहीं की जायेगी:

परन्तु पट्टेधारी खनिज विधिमान्य रवन्ना के साथ प्रेषित करेगा;

(ii) अनुज्ञापत्र के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ रेखाचित्रीय नक्शा लगाया जायेगा जिसमें अप्रधान खनिज स्टॉक की अवस्थिति, अपेक्षित मात्रा और कालावधि दर्शित होगी:

परन्तु खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता, सत्यापन पर, अधिशुल्क और अन्य प्रभार अग्रिम रूप से जमा होने पर अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा जिसमें खनिज की मात्रा और अनुज्ञापत्र की अवधि का उल्लेख होगा; और

(iii) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता अनुज्ञापत्र की स्वीकृति से लेखबद्ध किये जाने वाले और आवेदक को संसूचित कारण से इंकार कर सकेगा;

(iv) अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र में वर्णित मात्रा से अधिक खनिज प्रेषित नहीं करेगाः

परन्तु यदि अनुज्ञापत्र धारक ने अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त खनिज उत्खनित और प्रेषित किया है, तो केवल एक बारीय अधिशुल्क और दस प्रतिशत से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत तक किया है, तो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संपूर्ण मात्रा पर अधिशुल्क का दो गुना वसूल किया जायेगा और पच्चीस प्रतिशत से अधिक कोई भी मात्रा होने पर, अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संपूर्ण मात्रा को अप्राधिकृत उत्खनन माना जायेगा और अनुज्ञापत्र धारक ऐसे अधिक खनिज की कीमत देने का दायी होगा जिसकी गणना प्रचलित दर से संदेय अधिशुल्क के दस गुना से की जायेगी।

(3) भूमि के सुधार के लिए कृषि भूमि से जिप्सम निकालने या हटाने के लिए,–

(i) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, खातेदारी भूमि से जिप्सम उत्खनन और हटाने के लिए अनुज्ञापत्र खातेदार को उसकी भूमि के सुधार के लिए अनुज्ञापत्र समिति के अनुमोदन के पश्चात् मंजूर किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगेः–

(क) जिला कलेक्टर;

(ख) संबंधित क्षेत्र का उप खण्ड अधिकारी;

(ग) खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता; और

(घ) वरिष्ठ भूवैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक ।

समिति अपना अनुमोदन इस उप–नियम के खण्ड (iv) के अधीन की गयी सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् देगी;

(ii) संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता खातेदारी भूमि में अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने के लिए दो दैनिक समाचारपत्रों में अधिसूचना जारी करेगा जिनमें से कम से कम एक राज्य स्तरीय होगा और दूसरा ऐसे क्षेत्र में व्यापक प्रचार वाला होगा जहां अनुज्ञापत्र मंजूर किया जाना है;

(iii) अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन इस उप–नियम के खण्ड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना में वर्णित शर्तों के अनुसार खातेदार द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा;

(iv) अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता क्षेत्र का निरीक्षण, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक और तहसीलदार के साथ करेगा और जिप्सम भंडार की गहराई, जिप्सम की मात्रा, ऐसी भूमि से जिप्सम के हटाये जाने की आवश्यकता के बारे में, जिसके लिए अनुज्ञापत्र इच्छित है, अपनी सिफारिश इस उप–नियम के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट समिति को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर भेजेगा;

(v) इस उप–नियम के खण्ड (iv) के अधीन प्रस्तुत सिफारिश की प्राप्ति पर खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट समिति परीक्षा करेगी और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को अपने विनिश्चय से तीस दिवस के भीतर संसूचित करेगी;

(vi) समिति के अनुमोदन के पश्चात् संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता आवेदक को सात दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यावरण निर्बाधन, यदि लागू हो, प्रस्तुत करने और किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद के रूप में या संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में गिरवी रखे गये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में चालीस हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए सूचित करेगा;

(vii) इस उप–नियम के खण्ड (vi) में वर्णित औपचारिकताएं पूरी करने पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता निम्नलिखित राशि जमा करने के पश्चात् खातेदार को अनुज्ञापत्र जारी करेगा और खनिज के प्रेषण के लिए रवन्ना भी जारी करेगाः–

(क) एक हजार रुपये की दर से अनुज्ञापत्र फीस + प्रेषित किये जाने वाले खनिज के लिए प्रति टन एक रुपया;

(ख) अनुसूची 2 के अनुसार अधिशुल्क;

(ग) प्रेषित किये जाने वाले खनिज के प्रत्येक टन के लिए एक सौ रुपये की दर से प्रीमियम राशि; और

(घ) समय–समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दरों से अभिदाय:

परन्तु जहां अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके दिये हुए है वहां खण्ड (ख), (ग) और (घ) में वर्णित राशि ठेकेदार द्वारा, खनिज जिप्सम ले जाने वाले वाहनों से अनुमोदित जांच चौकी या नाका पर संगृहीत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि रवन्ना की विधिमान्यता जारी किये जाने की तारीख से छह मास से अधिक नहीं होगी;

(viii) अनुज्ञापत्र धारक खनिज जिप्सम अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार हटायेगा:

परन्तु यदि अनुज्ञापत्र धारक ने अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा के दस प्रतिशत से अधिक प्रेषित किया है तो अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक संपूर्ण मात्रा को अवैध माना जायेगा और उसे अधिशुल्क की दस गुना की दर से प्रभारित किया जायेगा;

(ix) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता इस उप–नियम के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट समिति के पूर्व अनुमोदन से, कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अनुज्ञापत्र मंजूर करने से इंकार कर सकेगा और उसकी संसूचना लिखित में आवेदक को दी जायेगी;

(x) अनुज्ञापत्र धारक खातेदार,–

(क) अनुज्ञापत्र या उसमें के किसी भी अधिकार, हक या हित को किसी रीति से समनुदेशित, उपपट्टे या बंधकित या अंतरित नहीं करेगा; और

(ख) कोई भी ठहराव, संविदा या समझौता निष्पादित नहीं करेगा या नहीं करेगा जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र धारक का सारवान् सीमा तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषण किया जायेगा या किया जा सकेगा और जिसके द्वारा या अधीन उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक से भिन्न किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा सारवान् रूप से नियंत्रित किया जायेगा या किया जा सकेगा;

(xi) अनुज्ञापत्र के निबंधनों और शर्तों के किसी भी अतिक्रमण की दशा में अनुज्ञापत्र संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा, इस उप–नियम के उप–खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिभूति के समपहरण के साथ तुरंत रद्द किया जा सकेगा; और

(xii) अनुज्ञापत्र धारक अधिशुल्क के निर्धारण के लिए तिमाही अभिलेख संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करेगा और आगे रवन्ना, अधिशुल्क के निर्धारण और निर्धारित राशि जमा करने के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।

53. ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र.–(1) कोई भी ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र मंजूर नहीं किया जायेगा,–

(i) खातेदारी भूमि में, खातेदार से भिन्न किसी भी व्यक्ति को या खातेदार की नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित लिखित सम्मति के बिना;

(ii) यदि क्षेत्र 1.00 हेक्टर से कम है; और

(iii) यदि ईंट मिट्टी की गहराई सतह से दो मीटर से अधिक है।

(2) आवा कजावा के रूप में ईंट बनाने के लिए उपयोग में ली गयी ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिए कोई अनुज्ञापत्र अपेक्षित नहीं होगा तथापि, समय–समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय के साथ अधिशुल्क तैयार (पक्की) ईंटें ले जाने वाले वाहन से जांच चौकी या नाका पर संगृहीत की जायेगी। अधिशुल्क की

संगणना के प्रयोजन के लिए 9 इंच x 4 इंच x 3 इंच आकार की एक हजार ईंटों में ईंट मिट्टी के वजन को साढे तीन टन माना जायेगा।

(3) चिमनी भट्टा या ऐसे भट्टे के लिए जो हवा या धुंए के संचार के लिए चिमनी के स्थान पर धौंकनी इत्यादि का उपयोग करता है, अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के लिए आवेदन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रारूप 27 में विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उप–नियम (3) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगाः–

(i) दो हजार रुपये की अप्रतिदेय आवेदन फीस;

(ii) खसरा नक्शा और राजस्व अभिलेख की स्कैन प्रति जिसमें अनुज्ञापत्र के लिए आवेदित क्षेत्र की पटवारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित अवस्थिति, जहां से ईंट मिट्टी उत्खनित की जायेगी;

(iii) खसरा नक्शा और राजस्व अभिलेख की स्कैन प्रति जिसमें विद्यमान या प्रस्तावित ईंट भट्टा की अवस्थिति दर्शित हो;

(iv) आवेदक के ऐसे शपथपत्र की स्कैन प्रति कि विभाग को कोई देय उसके या उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य के विरुद्ध और किसी फर्म या कंपनी जिसका वह भागीदार या निदेशक है या था/थी, के विरुद्ध भी बकाया नहीं है;

(v) भूस्वामी की नोटरीकृत सम्मति की स्कैन प्रति जहां भूमि ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिए आवेदक के स्वामित्व में नहीं है;

(vi) आवेदक के ऐसे शपथपत्र की स्कैन प्रति कि वह ईंट भट्टा लगााने के लिए भूमि को राजस्व विभाग से संपरिवर्तित करा लेगा;

(vii) आवेदक और ईंट भट्टा स्वामी के बीच के करार की स्कैन प्रति यदि ईंट भट्टा आवेदक के स्वामित्व में नहीं है;

(viii) पंद्रह हजार रुपये की वार्षिक अनुज्ञापत्र फीस; और

(ix) किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में या प्रतिभूति के ऐसे किसी रूप में, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये और जो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी हो, पंद्रह हजार रुपये का प्रतिभूति निक्षेप।

(5) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता, क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् प्रारूप 28 में अनुज्ञापत्र जारी करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र में समीप का कोई क्षेत्र या कोई पृथक् खसरा सम्मिलित करवाना चाहता है तो वह प्रत्येक बार दो हजार रुपये की फीस जमा करने के पश्चात् संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा सम्मिलित किया जायेगा।

(6) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता अनुज्ञापत्र मंजूर करने से या विद्यमान अनुज्ञापत्र में अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित करने से, लेखबद्ध किये जाने वाले और आवेदक को संसूचित कारणों से आवेदन फीस के समपहरण के साथ इंकार कर सकेगाः

परन्तु ऐसी कार्रवाई नहीं की जायेगी यदि आवेदक पंद्रह दिवस का नोटिस तामील करने के पश्चात् कमियां पूरी करने में विफल नहीं होता है।

(7) अनुज्ञापत्र न्यूनतम एक वर्ष की और अधिकतम दस वर्ष की कालावधि के लिए मंजूर किया जायेगा और कालावधि 30 सितम्बर को समाप्त होगी।

(8) प्रत्येक ईंट भट्टा अनुज्ञापत्र में निम्नलिखित शर्तें होंगीः–

(i) अनुज्ञापत्र धारक वार्षिक अनुज्ञापत्र फीस प्रति वर्ष अग्रिम रूप से जमा करेगा;

(ii) अनुज्ञापत्र क्षेत्र से ईंट मिट्टी के उत्खनन के पूर्व अनुज्ञापत्र धारक ऊपरी मृदा एक फुट की गहराई तक हटायेगा और उसे ईंट मिट्टी के उत्खनन के पश्चात् भूमि के पुनरुद्धार के लिए अलग से भंडारित करेगा;

(iii) अगला अनुज्ञापत्र भंडारित ऊपरी मृदा के पुनरुद्धार के सत्यापन के पश्चात् ही जारी किया जायेगा;

(iv) अनुज्ञापत्र धारक ऐसी ईंट मिट्टी का उस ईंट भट्टा तक परिवहन करेगा जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है;

(v) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि के साथ अधिशुल्क तैयार (पक्की) ईंट ले जाने वाले वाहनों से जांच चौकी या नाका पर संगृहीत की जायेगी। ईंट मिट्टी के वजन की संगणना उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी;

(vi) प्रत्येक ईंट भट्टे का स्वामी प्रत्येक ईंट भट्टा के लिए पृथक् अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त करेगा। एक ईंट भट्टा के लिए जारी अनुज्ञापत्र के अधीन उत्खनित ईंट मिट्टी का उपयोग दूसरे ईंट भट्टा के लिए नहीं किया जयेगा;

(vii) जहां अनुज्ञापत्र के अधीन मंजूर किसी क्षेत्र में ईंट मिट्टी की गुणवत्ता ईंट बनाने के लिए यथोचित नहीं है या खनिज निःशेष हो जाता है, ऐसे मामले में अनुज्ञापत्र का अध्यर्पण संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा मंजूर किया जा सकेगा यदि अनुज्ञापत्र के धारक के विरुद्ध कोई शोध्य नहीं है;

(viii) अनुज्ञापत्र धारक को ऐसी भूमि के संबंध में जिसके लिए अनुज्ञापत्र मंजूर किया गया है, अनुज्ञापत्र की कालावधि के दौरान क्षेत्र में प्रवेश करने और उक्त खनिजों का खनन, बोर, खुदाई, ड्रिल करने, कार्य प्राप्त करने, स्टाक, ड्रेस, प्रसंस्करण, संपरिवर्ति करने और ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा;

(ix) अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र की सीमाओं के भीतर कार्यकरण करने तक और सतह से दो मीटर की गहराई तक सीमित रखेगा;

(x) अनुज्ञापत्र धारक समीपवर्ती पट्टों, अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञापत्रों तक पहुंच में बाधा नहीं डालेगा। पहुंच सड़क के बारे में किसी विवाद के मामले में संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के निर्देश अंतिम और आबद्धकर होंगे;

(xi) अनुज्ञापत्र संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा पंद्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ रद्द किया जा सकेगा यदि अनुज्ञापत्र का कोई धारक अनुज्ञापत्र के किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है:

परन्तु अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र के किसी भी निबंधन और शर्त का उल्लंघन करता है और पंद्रह दिवस का नोटिस प्राप्त करने के पश्चात्, नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु अनुज्ञापत्र के रद्दकरण के पूर्व उल्लंघनों का निवारण कर देता है तो प्रत्येक उल्लंघन के लिए प्रतिभूति का दस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा; और

(xii) अनुज्ञापत्र का अंतरण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(9) ईंट मिट्टी नीति, 1994 के अधीन मंजूर सभी विद्यमान अनुज्ञापत्र इन नियमों के अधीन मंजूर किये हुए समझे जायेंगे।

अध्याय 10
अपराध, शास्तियां और अभियोजन

54. खनिजों का अवैध खनन, परिवहन और भंडारण.–(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कोई भी पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं इन नियमों के अधीन मंजूर या, यथास्थिति, अनुज्ञात किसी भी खनन रियायत, अनुज्ञापत्र या अन्य अनुज्ञा धारण किये बिना नहीं करेगा और खानों से खनिज का प्रेषण खदान अनुज्ञप्त क्षेत्र या ईंटों को छोड़कर विधिमान्य रवन्ना या अभिवहन पास के बिना नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी भी खनिज का परिवहन या भंडारण करेगा या परिवहन या भंडारण करायेगा अन्यथा नहीं।

(3) जो कोई भी उप–नियम (1) और (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा:

परन्तु अतिरिक्त निदेशक खान, अधीक्षण खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता), खनि कार्यदेशक, सर्वेक्षक या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या पदधारी, निदेशक या अतिरिक्त निदेशक, खान या तो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् उप–नियम

(1) और (2) के उल्लंघन में किये गये अपराध का शमन खनिज की कीमत और नीचे यथाउल्लिखित शमन फीस के संदाय पर कर सकेगाः–

क.सं.	यान/उपस्कर	प्रति इकाई शमन फीस (रुपये में)
1.	ट्रेक्टर ट्राली	पच्चीस हजार
2.	हाफ बाडी ट्रक	पचास हजार
3.	फुल बाडी ट्रक,डंपर, ट्रौला, वायर शा, क्रेन, एक्सकेवेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेशर, ड्रिलिंग मशीन इत्यादि	एक लाख

टिप्पणीः भाटक, अधिशुल्क, पर्यावरणीय निम्नीकरण और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिभुक्त भूमि पर प्रभार्य कर इत्यादि के बदले में खनिज की कीमत अधिशुल्क का दस गुना ली जायेगीः

परन्तु ऊपर यथाविनिर्दिष्ट से भिन्न मामलों में शमन फीस की राशि बीस हजार रुपये से कम नहीं होगी और खनिज की कीमत के अतिरिक्त होगी।

(4) जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि पर उप–नियम (1) के उल्लंघन में अतिचार करता है वहां ऐसे अतिचारी पर अतिरिक्त निदेशक खान, अधीक्षण खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता), जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, उप वन संरक्षक (वन भूमि में), सहायक वन संरक्षक (वन भूमि में), प्रादेशिक वन अधिकारी (वन भूमि में) , राजस्व आसूचना निदेशालय के राजस्व आसूचना अधिकारी, खनि कार्यदेशक, सर्वेक्षक या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी या पदधारी, निदेशक या अतिरिक्त निदेशक,खान द्वारा बेदखली का आदेश तामील किया जा सकेगा।

(5) जब कभी कोई भी व्यक्ति, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, किसी भी खनिज रियायत या किसी भी अन्य अनुज्ञा के अधीन के सिवाय किसी भूमि से कोई भी खनिज जुटाता है और ऐसे प्रयोजन के लिए कोई भी औजार, उपस्कर, वाहन या अन्य वस्तु लाता है वहां ऐसा औजार, उपस्कर, वाहन इत्यादि उप–नियम (1) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा, खनिज, यदि कोई हो, के साथ अभिगृहीत किया जा सकेगा जो ऐसे व्यक्ति को रसीद देगा जिसके कब्जे से संपत्ति या खनिज अभिगृहीत किया जाता हैः

परन्तु उप–नियम (1) के अधीन अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी इस प्रकार अभिगृहीत संपत्ति या खनिज को समीपस्थ पुलिस थाना या पुलिस चौकी के सुपुर्द कर सकेगाः

परन्तु यह और कि अभिगृहीत यान, उपस्कर या खनिज को उप–नियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट शमन फीस के साथ खनिज की कीमत जमा करने के पश्चात् छोड़ा जा सकेगाः

परन्तु यह भी कि जहां इस प्रकार जुटाया गया खनिज पहले ही प्रेषित कर दिया गया है या उसका उपभोग कर लिया गया है वहां उप–नियम (3) में वर्णित प्राधिकारी उप–नियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट शमन फीस के साथ खनिज की कीमत वसूल करेंगेः

परन्तु यह और भी कि जहां इस प्रकार अभिगृहीत यान, उपस्कर या खनिज नहीं छोड़ा गया है वहां संपत्ति या खनिज अभिगृहीत करने वाला अधिकारी ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को बहत्तर घण्टे के भीतर करेगा।

(6) इस नियम के अधीन अभिगृहीत सारी संपत्ति मजिस्ट्रेट के आदेश से अधिहरणीय होगी यदि खनिज की कीमत, भाटक, अधिशुल्क, पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए प्रतिकर और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिभुक्त भूमि पर प्रभार्य कर इत्यादि के बदले में अधिशुल्क की दस गुना के बराबर राशि अतिचारी द्वारा ऐसे अपराध के किये जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर या उस समय तक जब वसूलियां नहीं हो जाती हैं, संदत्त नहीं कर दी जाती हैः

परन्तु इन शोध्यों के तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर संदाय पर इस प्रकार अभिगृहीत सारी संपत्तियों को छोड़े जाने का आदेश किया जायेगा और वे अतिचारी या संपत्ति के स्वामी को सौंप दी जायेंगी।

(7) जहां इन नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध के किये जाने के समय कंपनी का भारसाधक और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अभियोजित किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

(8) खान, राजस्व, पुलिस और परिवहन विभाग खनिज के अवैध खनन या परिवहन पर सतर्कता रखने के लिए समन्वित प्रयास करेंगे।

55. पट्टे की कतिपय शर्तों का उल्लंघन.–कोई भी पट्टेधारी, उसका अंतरिती या उसका समनुदेशिती नियम 28 के उप–नियम (1) के खण्ड (x) में और/या नियम 28 के उप–नियम (2) के खण्ड (iv) में वर्णित पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा। चालू उल्लंघन की दशा में ऐसे पहले उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है, पांच सौ रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।

56. अपराध केवल लिखित परिवाद पर संज्ञेय.–कोई भी न्यायालय इन नियमों के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नियम 54 के उप–नियम (4) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा किये गये लिखित परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

परन्तु खनि कार्यदेशक या सर्वेक्षक कोई भी परिवाद करने के पूर्व संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

57. पुलिस की भूमिका.– नियम 54 और नियम 60 के अधीन कार्रवाई करने के लिए सशक्त प्राधिकारी पुलिस की सहायता लेने के लिए लिखित में अनुरोध कर सकेंगे और पुलिस प्राधिकारी, अधिकारियों या पदधारियों को अवैध खनन और खनिजों के अवैध संचलन को रोकने के लिए इन नियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए ऐसी सहायता देंगे जो आवश्यक हो। खनिजों की चोरी के मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता,1860 की सुसंगत धारा के अधीन संबंधित पुलिस थाना में की जायेगी।

58. अपराधों का अन्वेषण.–(1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जायें, नियम 54 के उप–नियम (4) में वर्णित प्राधिकारी इन नियमों के अधीन दंडनीय सभी या किन्हीं भी अपराधों का अन्वेषण करेंगे।

(2) इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी ऐसा अन्वेषण करने में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा, संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस थाना भारसाधक को प्रदत्त हैं ।

59. शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति.– नियम 54 के उप–नियम (4) में वर्णित निर्धारण प्राधिकारी या अन्वेषण अधिकारी और अपील प्राधिकारी को इन नियमों के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों के बारे में वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अधीन न्यायालय में निहित हैं:–

(i) किसी भी व्यक्ति की हाजिरी प्रवर्तित करना और उसकी शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा करना;

(ii) दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना; और

(iii) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना और अपील प्राधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही में निर्धारण प्राधिकारी और अन्वेषण अधिकारी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193, 196 और 228 के अर्थान्तर्गत '' न्यायिक कार्यवाही'' समझा जायेगा।

60. जांच चौकियों या नाकों की स्थापना और अभिवहन में खनिजों का निरीक्षण और तौल.–(1) अधिशुल्क के अपवंचन को रोकने या जांच के लिए संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता ऐसे स्थान पर और ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, जांच चौकी या नाके स्थापित करने का निर्देश दे सकेगा।

(2) निदेशक, अतिरिक्त निदेशक खान, अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता), खनि कार्यदेशक, सर्वेक्षक, फील्ड सहायक, नाकेदार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी या पदधारी, निदेशक या अतिरिक्त निदेशक,खान खनिज ले जा रहे वाहन की किसी भी स्थान पर जांच कर सकेगा और वाहन का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित विधिमान्य

रवन्ना या अभिवहन पास या अधिशुल्क रसीद और ऐसे अन्य दस्तावेज या विशिष्टियां देगा जिनकी मांग ऐसा अधिकारी करे।

(3) उप–नियम (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक जांच चौकी या नाके पर या किसी भी अन्य स्थान पर जब जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी या उप–नियम (2) के अधीन सशक्त अधिकारी या पदधारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये, वाहन का स्वामी या भारसाधक कोई भी व्यक्ति उसे रोकेगा, उसमें के खनिजों का तौल करायेगा और सरकार द्वारा समय–समय पर यथानियत तुलाई प्रभार संदत्त करेगा और वाहन को तब तक खड़ा रखेगा जब तक कि युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो और जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी या ऐसे अधिकारी को अभिवहन में के खनिजों की परीक्षा करने देगा और ऐसे स्वामी या अन्य व्यक्ति के कब्जे में के खनिजों से संबंधित सभी अभिलेखों का निरीक्षण भी करने देगा। वाहन का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, यदि जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी या इस प्रकार सशक्त कोई भी अधिकारी ऐसे अपेक्षा करे तो अपना साथ ही वाहन के स्वामी का भी नाम और पता और परेषक और परेषिती का नाम और पता देगा। वाहन और खनिज की जांच करने के पश्चात् जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या ऐसा अधिकारी रवन्ना, अभिवहन पास या अधिशुल्क रसीद पर अपने हस्ताक्षर करेगा जिससे अन्य जांच चौकी पर किसी और जांच से बचा जा सके।

(4) वाहन का प्रत्येक स्वामी भारसाधक व्यक्ति लाये गये खनिज के बारे में विभाग द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित विधिमान्य रवन्ना, अभिवहन पास या अधिशुल्क रसीद अपने साथ रखेगा और उसे जांच चौकी के किसी भी भारसाधक अधिकारी या उप–नियम (2) के अधीन सशक्त अन्य अधिकारी या पदधारी के समक्ष पेश करेगा।

स्पष्टीकरणः खनिज क्रशिंग, तोड़ने, शुष्किकरण, चूर्णीकरण,भस्मीकरण जैसा कोई भी प्रसंस्करण या खनिज को विक्रय या उपभोग के उचित या यथोचित करने के लिए आशयित किसी भी अन्य प्रक्रिया के कारण खनिज होना बंद नहीं कर देगा।

(5) जहां जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी या उप–नियम (2) के अधीन सशक्त किसी भी अधिकारी या पदधारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिशुल्क के लिए निर्धारणीय किसी भी खनिज के बारे में अधिशुल्क का अपवंचन किया जाना संभाव्य है तो ऐसा अधिकारी वाहन के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति से खनिज की कीमत, भाटक, अधिशुल्क, पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए प्रतिकर और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिभुक्त भूमि पर प्रभार्य कर इत्यादि के बदले में नियम 54 के उप–नियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट शमन फीस के साथ अधिशुल्क के दस गुना के बराबर राशि संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगाः

परन्तु जहां जांच चौकी पर तौल पर या मापने द्वारा यह पाया जाता है कि खनिज की संपूर्ण मात्रा रवन्ना में सम्मिलित नहीं है तो ऐसे अंतर पर अधिशुल्क की राशि जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी द्वारा वसूल की जायेगी।

(6) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या उप–नियम के अधीन सशक्त अधिकारी या पदधारी को वाहन के साथ ऐसे खनिज को अभिगृहीत और अधिहृत करने की शक्ति होगी जो विभाग द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित रवन्ना, अभिवहन पास या अधिशुल्क रसीद में सम्मिलित नहीं है यदि वाहन का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति उप–नियम (5) के अधीन यथापेक्षित संदाय करने से इंकार करता है, अभिगृहीत खनिज वाहन के साथ समीपस्थ पुलिस थाना, पुलिस चौकी या विभागीय जांच चौकी के भारसाधक के सुपुर्द किया जायेगा। जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या इस निमित्त सशक्त कोई भी अधिकारी या पदधारी उसके द्वारा अभिगृहीत वाहन के साथ खनिज की रसीद ऐसे व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से वह अभिगृहीत किया गया है। जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी या उप–नियम (2) के अधीन सशक्त अधिकारी या पदधारी वाहन के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को इस प्रकार अभिगृहीत खनिज के साथ वाहन को समीपस्थ पुलिस थाना, पुलिस चौकी या विभागीय जांच चौकी पर ले जाने का निर्देश दे सकेगा।

(7) जब कभी उप–नियम (6) के अधीन अभिगृहीत वाहन के साथ खनिज के बारे में अधिहरण का आदेश राज्य सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी या पदधारी द्वारा किया जाता है तो ऐसा अधिकारी वाहन के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को ऐसे अधिहरण के बदले में उप–नियम (5) में यथाविनिर्दिष्ट राशि संदत्त करने का विकल्प देगा। ऐसा विकल्प लेने में वाहन के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के विफल होने की दशा में अधिहृत सामग्री अधिहरण अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी

द्वारा लोक नीलाम द्वारा व्ययनित की जा सकेगी या वह उसे समीप के क्षेत्र में प्रचलित दर से सीधे ही बेच सकेगाः

परन्तु उप–नियम (6) के अधीन अधिहृत वाहन के साथ कोई ऐसा खनिज अधिहरण अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे अधिहरण के अड़तालीस घण्टे के पूर्व व्ययनित नहीं किया जायेगा और उस समय तक वाहन के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के पास उप–नियम (5) के अनुसार राशि का संदाय करने के पश्चात् खनिज को ले जाने का विकल्प रहेगा।

(8) निदेशक परव्यक्तियों द्वारा राज्य में स्थापित इलैक्ट्रानिक कांटों को ऐसी शर्तों पर प्राधिकृत कर सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जायें।

(9) खनिज रियायत धारक या पंजीकृत कांटा स्वामी नियम 54 के उप–नियम (4) में वर्णित प्राधिकारियों को उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय या हर समय प्रत्येक तौल मशीन और उसके लिए प्रयुक्त बाटों की यह अभिनिश्चय करने के लिए परीक्षा और जांच करने देगा कि वे क्रमशः सही और अच्छी स्थिति में और व्यवस्थि हैं और यदि कोई अस्पष्टता पायी जाती है तो उनमें खनिज रियायत धारक या पंजीकृत कांटा स्वामी द्वारा सुधार किया जायेगा।

61. प्रवेश, अभिलेखों के निरीक्षण और व्यवहारी या निर्धारिती की लेखा बहियों के अभिग्रहण की शक्ति.–(1) कोई निर्धारण प्राधिकारी या अन्वेषण अधिकारी, जो सहायक खनि अभियंता की रैंक से नीचे का न हो, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का राजस्व आसूचना अधिकारी या सरकार या निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी किसी भी व्यवहारी या निर्धारिती से अपने समक्ष खनन संक्रिया या व्यवसाय सें संबंधित लेखा, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज पेश करने और कोई भी अन्य जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) किसी व्यवहारी या निर्धारिती के व्यवसाय से संबंधित सभी लेखे, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज, उसके कब्जे में का या उसकी ओर से तत्समय उसके एजेंट या दलाल के कब्जे में का खनिज और उसका कार्यालय, गोदाम , कारखाना, यान या कोई भी अन्य स्थान जहां व्यवसाय किया जाता है या लेखे रखे जाते हैं, ऐसे किसी भी प्राधिकारी द्वारा हर युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण और परीक्षा के लिए खुला रहेगा।

(3) जहां ऐसे किसी प्राधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई भी व्यवहारी या निर्धारिती इन नियमों के अधीन अधिशुल्क या अन्य शोध्यों का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है वहां वह लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से व्यवहारी या निर्धारिती के ऐसे लेखे, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज अभिगृहीत कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और व्यवहारी या निर्धारिती या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को रसीद देगा जिसकी अभिरक्षा से ऐसे लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज अभिगृहीत किये जाते हैं। इस प्रकार अभिगृहीत लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज ऐसे अधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन केवल उनकी परीक्षा के लिए, किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए या अभियोजन के लिए रखे जायेंगेः

परन्तु इस प्रकार अभिगृहीत लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज ऐसे अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से निदेशक के लिखित आदेश के बिना अभिग्रहण की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं रखे जायेंगेः

परन्तु यह और कि लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज लौटाने के पूर्व ऐसा अधिकारी अपेक्षा कर सकेगा कि व्यवहारी या निर्धारिती यह लिखित वचनबंध देगा कि लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज, जब कभी उप–नियम (1) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा इन नियमों के अधीन अपेक्षा की जायेगी, प्रस्तुत किये जायेंगे और कि ऐसा बचनबंध संबंधित प्राधिकारी के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या सावधि जमा रसीद के रूप में दस हजार रुपये के प्रतिभूति निक्षेप से समर्थित होगा।

(4) उप–नियम (2) और (3) के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी को हर युक्तियुक्त समय पर ऐसे किसी भी कार्यालय, गोदाम, कारखाना, या वाहन या व्यवसाय के किसी भी अन्य स्थान या ऐसे किसी भी भवन या स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति होगी जहां ऐसे किसी भी प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यवहारी या निर्धारिती अपने व्यवसाय या खनन संक्रियाओं से संबंधित किसी भी खनिज के लेखे, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज रखता है या तत्समय रख रहा है और ऐसे कार्यालय, गोदाम, कारखाना, वाहन, भवन या स्थान में पाये गये किसी भी अन्य व्यक्ति की भी तलाशी लेने की शक्ति होगी जिसके बारे में ऐसे किसी भी प्राधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि

वह ऐसा कोई खनिज, लेखा बहियां, रजिस्टर या दस्तावेज अपने वैयक्तिक कब्जे में रखा हुआ हो सकता है।

(5) ऐसा प्राधिकारी जब कोई भी पुस्तक या लेखा, रजिस्टर, दस्तावेज या खनिज अभिगृहीत करना साध्य नहीं हो तो, व्यवहारी या निर्धारिती या ऐसे व्यक्ति पर जिसका उन पर सीधा कब्जा या नियंत्रण है,आदेश तामील कर सकेगाा कि वह ऐसे प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना उन्हें नहीं हटायेगा, विलग या अन्यथा संव्यवहार नहीं करेगा।

(6) उप–नियम (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति में ऐसे किसी भी संदूक या पात्र को तोड़ने या खोलने की, जिसमें व्यवहारी या निर्धारिती का कोई भी खनिज, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज रखा हो सकता है या ऐसे किसी भी परिसर का दरवाजा तोड़ने या खोलने की, जिसमें ऐसा कोई भी खनिज, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज रखा हो सकता है, या उसकी लेखा बहियों , रजिस्टरों या दस्तावेजों पर पहचान चिह्न लगाने की या उनके उद्धरण या प्रतियां लेने या लिवाने की शक्ति सम्मिलित होगीः

परन्तु दरवाजा तोड़ने या खोलने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जायेगा जब व्यवहारी या निर्धारिती या परिसर के अधिभोगी किसी भी अन्य व्यक्ति, यदि वह उसमें उपस्थित है, दरवाजा खोलने में ऐसा करने के लिए उसे पुकारे जाने पर विफल रहता है या इंकार करता है।

(7) ऐसे किसी भी प्राधिकारी को ऐसे किसी भी खनिज को अभिगृहीत करने की शक्ति होगी जिसका हटाया जाना या विक्रय अधिशुल्क या कीमत संदाय करने का दायी है और जो व्यवहारी या निर्धारिती के कब्जे में या उसके एजेंट या दलाल के या तत्समय उसकी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति के कब्जे में या व्यवहारी या निर्धारिती के या उसके एजेंट या दलाल के या उसकी ओर से उक्त खनिज धारित करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के किसी भी कार्यालय, गोदाम, कारखाना, वाहन या व्यवसाय के किसी भी अन्य स्थान या भवन में पाया जाता है किन्तु जिसका हिसाब व्यवहारी या निर्धारिती ने अपने व्यवसाय या किसी भी खनन संक्रिया के अनुक्रम में संधारित अपने लेखा, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों में नहीं दिया हैः

परन्तु इस उप–नियम के अधीन अभिगृहीत खनिजों या दस्तावेजों की सूची ऐसे प्राधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी और उस पर दो आदरणीय साक्षियों के हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

(8) ऐसा प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, व्यवहारी या निर्धारिती से हिसाब में न लिये गये खनिज के कब्जे के लिए, खनिज की कीमत, भाटक, अधिशुल्क, पर्यावणीय निम्नीकरण के लिए प्रतिकर और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिभुक्त भूमि पर प्रभार्य कर इत्यादि के बदले में दस गुना अधिशुल्क के बराबर राशि वसूल सकेगा।

(9) ऐसा प्राधिकारी इन नियमों के अधीन अभिगृहीत खनिज या दस्तावेजों को खनिज की कीमत, भाटक, अधिशुल्क, पर्यावणीय निम्नीकरण के लिए प्रतिकर और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिभुक्त भूमि पर प्रभार्य कर इत्यादि के बदले में दस गुना अधिशुल्क के बराबर राशि के संदाय पर या उसके संदाय के लिए ऊपर वर्णित राशि के बराबर न्यूनतम छह मास के लिए बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसा प्रतिभूति निक्षेप देने पर, जो वह आवश्यक समझे, निर्मुक्त कर सकेगा।

(10) ऐसा कोई भी प्राधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति से,–

(i) जो किसी व्यवहारी या निर्धारिति को या उसकी ओर से परिदान के लिए किसी भी खनिज का परिवहन करता है या धारण करता है, ऐसे खनिज के बारे में, जो उसके कब्जे में होना संभाव्य है, कोई भी सूचना देने या, यथास्थिति, उसका निरीक्षण करने की अनुज्ञा देने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ii) जो व्यवसाय या खनन संक्रिया से संबंधित कोई भी लेखा, पुस्तक या दस्तावेज संधारित करता है या अपने कब्जे में रखता है, ऐसे लेखा, पुस्तकें या दस्तावेज निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(11) दंड प्रक्रिया संहिता,1973 के तलाशी से संबंधित उपबंध, यथाशक्य, इन नियमों के अधीन की तलाशियों को लागू होंगे।

62. समन करने की शक्ति.–(1) निर्धारण प्राधिकारी इन नियमों के पालन के लिए और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से राज्य में खनिज का उपयोग और/या संव्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति को समन कर सकेगा और आवश्यक जानकारी और ऐसे स्रोतों की मांग कर सकेगा जहां से खनिज उपाप्त किया गया है और निर्धारण प्राधिकारी लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी जानकारी

संगृहीत करने के लिए किसी भी अधिकारी या पदधारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा और तत्पश्चात् अधिशुल्क या, यथास्थिति, वसूलीय खनिज की कीमत, भाटक, अधिशुल्क, पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए प्रतिकर और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिभुक्त भूमि पर प्रभार्य कर इत्यादि के बदले में अधिशुल्क के दस गुना के बराबर राशि निर्धारित कर सकेगा।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो खनिजों के संव्यहार में लगा हुआ है, उसके द्वारा क्रीत, भंडारित और विक्रीत खनिजों का सही हिसाब रखेगा और ये अभिलेख निरीक्षण के लिए पेश किये जायेंगे यदि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जायेः

परन्तु यदि ऐसा व्यवहारी उसके द्वारा क्रीत खनिजों का अभिलेख पेश करने में विफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां खनिज भंडारित है और उसका माप या गिनती कर सकेगा और खनिज की कीमत, भाटक, अधिशुल्क, पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए प्रतिकर और विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिभुक्त भूमि पर प्रभार्य कर इत्यादि के बदले में अधिशुल्क के दस गुना के बराबर राशि निर्धारित कर सकेगा जो व्यवहारी से वसूल की जायेगी।

अध्याय 11
अपील और पुनरीक्षण

63. अपील.–(1) अधीक्षण खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), सहायक खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) के द्वारा इन नियमों के अधीन पारित किसी भी आदेश से व्यथित व्यक्ति को सरकार द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त निदेशक, खान को अपील करने का अधिकार होगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश या इन नियमों के अधीन निदेशक या अतिरिक्त निदेशक, खान द्वारा पारित किसी भी आदेश से व्यथित व्यक्ति को सरकार को अपील करने का अधिकार होगा।

(3) प्रत्येक अपील प्रारूप–29 में दो प्रतियों में की जायेगी और पांच हजार रुपये की फीस के साथ की जायेगी।

(4) अपील ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर की जायेगी जिसके विरुद्ध अपील की गयी हैः

परन्तु अपील उक्त कालावधि के पश्चात् प्रस्तुत की जा सकेगी यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास अपील उक्त कालावधि के भीतर फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था किन्तु अपील ऐसे आदेश की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् फाइल नहीं की जायेगी जिसके विरुद्ध अपील की गयी है।

64. पुनरीक्षण.–(1) सरकार अपील में या इन नियमों के अधीन किसी भी अधिकारी द्वारा अन्यथा पारित किसी भी आदेश के बारे में, व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर या अपनी स्वप्रेरणा से, संबंधित अभिलेख की, ऐसे आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए अपेक्षा कर सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी, ऐसे आदेश को अभिपुष्ट, उपांतरित या विखंडित कर सकेगी।

(2) पुनरीक्षण, आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर किया जायेगाः

परन्तु पुनरीक्षण के लिए आवेदन सरकार द्वारा उक्त तीन मास की कालावधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास पुनरीक्षण आवेदन समय पर फाइल न करने का पर्याप्त हेतुक था किन्तु पुनरीक्षण ऐसे आदेश की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण किया गया है।

(3) प्रत्येक पुनरीक्षण प्रारूप–30 मे दो प्रतियों मे की जायेगी और पांच हजार की फीस के साथ की जायेगी।

65. अपील और पुनरीक्षण की प्रक्रिया.–(1) अपील या पुनरीक्षण की प्राप्ति पर अपील या, यथास्थिति, पुनरीक्षण की प्रति ऐसे अधिकारी को, जिसका आदेश अपील या पुनरीक्षण के अध्यधीन है, या अन्य प्राधिकारी और सभी पक्षकारों को उनसे ऐसी अभ्युक्तियां संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर करने की, जो वे करना चाहें, भेजी जायेगी।

(2) ऊपर उप–नियम (1) के अधीन किसी भी पक्षकार से प्राप्त अभ्युक्तियां अन्य पक्षकारों को उनसे ऐसी और अभ्युक्तियां, जो वे करना चाहें, ऐसी संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर करने के लिए उपलब्ध करायी जायेंगी।

(3) उप–नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट अपील या पुनरीक्षण, ऐसी संसूचनाएं, जिनमें अभ्युक्तियां अन्तर्विष्ट है, मामले का अभिलेख होंगी।

(4) उप–नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी आदेश को अभिपुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे।

(5) अपील या पुनरीक्षण का अंतिम निपटारा होने तक अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, पर्याप्त हेतुक से ऐसे आदेश का निष्पादन रोक सकेगा जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किया गया है।

अध्याय 12
विविध

66 .खनन पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों का समामेलन.–सक्षम प्राधिकारी खनिज विकास के हित में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पट्टेधारी या, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित एक या अधिक लगे हुए पट्टे या अनुज्ञप्तियों का समामेलन अनुज्ञात कर सकेगाः

परन्तु समामेलित पट्टे या अनुज्ञप्ति की कालावधि ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति की सहविस्तारी होगी जिसकी कालावधि पहले समाप्त होती है।

67. इन नियमों का लागू होना.–ये नियम ऐसे सभी विद्यमान खनन पट्टों और खदान अनुज्ञप्तियों, जो मंजूर या नवीनीकृत की गयी हैं या जिनकी कालावधि का विस्तार किया गया है, इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों के साथ या उनके बिना मंजूर अल्पावधि अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र, अधिशुल्क संग्रहण ठेका, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका को लागू होंगे।

68. नुकसानी के लिए प्रतिकर का निर्धारण.–(1) खनन पट्टे के समाप्ति के पश्चात्, सरकार पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं द्वारा भूमि को हुई नुकसानी, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगी और अनुज्ञप्तिधारी या, यथास्थिति, पट्टेधारी द्वारा सतह भूमि के अधिभोगी को संदेय प्रतिकर की राशि का अवधारण करेगी।

(2) ऐसा प्रत्येक निर्धारण सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी द्वारा, खनन पट्टे के समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर किया जायेगा।

69. नाम, राष्ट्रीयता इत्यादि के परिवर्तन से सूचित किया जाना.–(1) आवेदक या खनिज रियायत का धारक सरकार को ऐसे किसी परिवर्तन की सूचना साठ दिवस के भीतर देगा जो सरकार को दिये गये उसके नाम, राष्ट्रीयता या अन्य विशिष्टियों में हो।

(2) यदि खनिज रियायत का धारक उप–नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना पर्याप्त हेतुक के बिना देने में विफल रहता है तो सरकार जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा और उप–नियम (1) के उपबंधों का उल्लंघन चालू रहने की दशा में सरकार खनिज रियायत का समाप्ति कर सकेगीः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश पट्टेधारी या, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी को अपने मामले का कथन करने का अवसर दिया बिना नहीं किया जायेगा।

70. शक्तियों का प्रत्यायोजन.–(1) इन नियमों के अधीन सरकार द्वारा प्रयोज्य किसी भी शक्ति का प्रयोग सरकार के इन नियमों से संलग्न अनुसूची 6 में यथावर्णित अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जायेगा।

(2) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह और निर्दिष्ट कर सकेगी कि उसके द्वारा इन नियमों के अधीन प्रयोज्य कोई भी शक्ति ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोज्य होगी।

71. शोध्यों का भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाना.– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार स्थिर भाटक, अधिशुल्क, अनुज्ञप्ति फीस, अधिशुल्क संग्रहण ठेका राशि, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका राशि, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय, किन्हीं भी शोध्यों

को ब्याज यदि लागू हो के साथ खनिज की कीमत, शास्तियों को भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी।

72. ई–संदाय.– इन नियमों के अधीन संदेय सभी प्रकार की फीस, शास्ति, शोध्य, स्थिर भाटक, अधिशुल्क या कोई भी अन्य संदाय केवल ई–संदाय के माध्यम से किया जायेगाः

परन्तु संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता प्रणाली में तकनीकी समस्या के मामले में कोई भी संदाय हाथ से जमा कर सकेगा। ऐसे मामले में जैसे ही प्रणाली कार्य करने लगे वैसे ही संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता ऐसे हाथ से की गयी जमाओं को ऑनलाईन प्रणाली में अपलोड करेगा।

73. ई–रवन्ना.–(1) पट्टेधारी के लिए ऑनलाईन माध्यम से जनित ई–रवन्ना अभिप्राप्त करना आज्ञापक होगा।

(2) प्रत्येक पट्टेधारी स्वयं को विभागीय वेबसाइट में पंजीकृत करायेगा और उपयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करेगा। लॉगइन के पश्चात् वह न केवल ई–रवन्ना जनित कर सकेगा अपितु पट्टा ब्यौरा, मांग रजिस्टर और पट्टे से संबंधित सारी अन्य जानकारी तक पहुंच सकेगा।

(3) ई–रवन्ना जनन में किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में पट्टेधारी संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से रवन्ना भौतिक रूप से अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) पट्टेधारी इस प्रकार जारी भौतिक रवन्ना का ब्यौरा जैसे ही प्रणाली प्रत्यावर्तित हो वैसे ही अपलोड करेगा।

74. छूटें.–(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कृषि भूमि के सुधार के लिए जिप्सम के उत्खनन या हटाये जाने, ईंटें या मृद्भांड बनाने के उपयोग में ली गयी ईंट मिट्टी की खुदाई या उत्खनन, सड़कों या रेल की भराई, समतलीकरण या तटबंध के लिए दो मीटर की गहराई तक उपयोग के लिए साधारण मिट्टी या मुर्रम को खनन संक्रियाओं के रूप में नहीं माना जायेगाः

परन्तु ऐसी संक्रियाएं संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र या ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र के अधीन की जायेंगी।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी भाटक, अधिशुल्क या फीस निम्नलिखित के लिए प्रभारित नहीं की जायेगीः–

(i) ऐसे क्षेत्र से, जो खनिज रियायत के धारक के कार्यशील गर्त नहीं हैं, किसी अभिधारी द्वारा निम्नलिखित के संनिर्माण या मरम्मत के सद्भावी प्रयोजन के लिए साधारण मिट्टी जिसमें ईंट मिट्टी सम्मिलित हैं और चिनाई पत्थर के उत्खनन के लिए,–

(क) सिंचाई टंकी, सरणी और नालियां;

(ख) कुंए;

(ग) खेतों की चहारदीवारी; या

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में आवासिक घर जिसमें चहारदीवारी और पशु शेड सम्मिलित हैं:

परन्तु–

(I) उपर्युक्त खनिज का ऐसा उत्खनन और हटाया जाना ऐसे ग्राम की पंचायत या पटवारी द्वारा, जहां अभिधारी निवास करता है, जारी अनुज्ञापत्र के आधार पर किया जायेगा। अनुज्ञापत्र में खनिज की कुल मात्रा, कालावधि, उत्खनन और हटाये जाने के उसके क्षेत्र और अभिधारी के नाम और पते का ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा; और

(II) इस उप–नियम की कोई बात राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 36 के अधीन कृषक के अधिकारों को न्यून नहीं करेगी;

(ii) ग्राम पंचायत में स्थित सरोवर या तालाब से गाद हटाने के लिए जो साधारण मिट्टी के उत्खनन और अभिधारियों द्वारा खेतों की भराई या समतलीकरण या ग्राम में किसी भी अन्य सामुदायिक कार्य के लिए ऐसे मिट्टी के और उपयोग के लिए;

(iii) ऐसे वंशानुगत कुम्हारों द्वारा साधारण मिट्टी के उत्खनन के लिए लघु उद्योग के आधार पर मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं;

(iv) ऐसे कवेलू निर्माताओं द्वारा साधारण मिट्टी के हाथ से उत्खनन के लिए जो लघु उद्योग आधार पर कवेलू तैयार करते हैं;

(v) बोर, होल, गर्त, खाई के रूप में या अन्यथा मृदा में कोई विघ्न डाले बिना सतह से ऊपर निकली चट्टानों की चिप्पी उतारकर सतह पर खनिजों की तलाशी और नमूने अभिप्राप्त करने के लिए;

(vi) उपनिवेशन कार्य के लिए किसी भी भूमि को उपयुक्त बनाने के लिए उसकी कटाई और भराई या समतलीकरण के लिए;

(vii) जलप्लावन या बाढ़ की घटना से संरक्षा संकर्म के लिए किसी नदी प्रणाली का जलसरणीकरण के लिए परन्तु संक्रिया में उत्खनित खनन का उपयोग सुरक्षा तटबंधों के निर्माण के लिए उसी क्षेत्र में किया जाता है और उसका व्ययन ऐसे क्षेत्र के बाहर नहीं किया जाता है;

(viii) किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दान या अभिदाय से विद्यालयों और अस्पतालों जैसे जनोपयोगी भवनों के संनिर्माण के लिए ऐसे क्षेत्र से चिनाई पत्थर, मुर्रम और बजरी के उत्खनन के लिए जो रियायत धारक के कार्यशील गर्त नहीं हैं:

परन्तु उपर्युक्त खनिजों का ऐसा खनन और हटाया जाना संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा सरपंच या प्रधान से सत्यापन के पश्चात् मंजूर पट्टे के अधीन किया जायेगा;

(ix) बोरो भूमि से साधारण मिट्टी के उत्खनन के लिए और जिसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेल ट्रेक और बांधों को छोड़कर सरकारी संकर्मों में सड़कों या तटबंधों, एनिकटों के संनिर्माण के लिए किया जाता है;

(x) ग्राम पंचायत में स्थित स्रोतों से ग्राम में वैयक्तिक उपयोग या सामुदायिक कार्य के प्रयोजन के लिए साधारण मिट्टी के उत्खनन के लिए; और

(xi) ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा हाथ में लिये गये सामुदायिक संकर्म जैसे ग्रामीण सड़कें या विभागीय कोई भी अन्य क्रियाकलाप।

(3) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इन नियमों के कार्यक्षेत्र से छूट दे सकेगी परन्तु यह तब जबकि खनिज वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भंडारित किया या ले जाया जाता है।

75. अकृत और शून्य.–कोई भी खनन पट्टा, खदान अनुज्ञप्ति, अल्पावधि अनुज्ञापत्र या कोई भी अन्य अनुज्ञापत्र इन नियमों के उपबंधों से अन्यथा मंजूर नहीं किया जायेगा और मंजूर किया जाता है तो उसे अकृत और शून्य समझा जायेगा।

76. खनिज रियायत, संविदा और अनुज्ञापत्र का नामांतरण.–(1) जहां खनिज रियायत, संविदा या अनुज्ञापत्र के धारक की व्यष्टि होने पर खनिज रियायत, संविदा या अनुज्ञापत्र के चालू रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है वहां उसके विधिक वारिस इस संबंध में संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को तीस दिवस की कालावधि के भीतर सूचना देगा और क्षेत्र में सभी खनन संक्रियाएं तुरंत निलंबित कर देगा। खनन संक्रियाएं केवल नामांतरण विलेख के निष्पादन के पश्चात् पुनःचालू की जायेंगी।

(2) नामांतरण के लिए कोई आवेदन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को मृत्यु की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर किया जायेगा जिसके साथ दो हजार रुपये की फीस, मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, विधिक वारिसों का शपथपत्र, अन्य विधिक वारिसों का आवेदक के पक्ष में उनके अधिकारों के त्यजन का शपथपत्र, यदि कोई हो, लगाया जायेगा। आवेदक आवेदन के साथ फोटो पहचान और पते के सबूत के लिए स्थायी खाता संख्यांक पत्र (पेन) की स्वअनुप्रमाणित प्रति और चालन अनुज्ञप्ति, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या आधार पत्र की स्वअनुप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

(3) आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता ऐसे किसी एक दैनिक समाचारपत्र, जिसका राज्य में व्यापक परिचालन हो और प्रश्नगत क्षेत्र के परिक्षेत्र के एक स्थानीय समाचारपत्र में, लोक सूचना के माध्यम से आक्षेप आमंत्रित करेगा। ऐसी सूचना संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के सूचना पट्ट पर भी चिपकायी जायेगी और खान या खदान

स्थल पर भी सहजदृश्य स्थान पर चिपकायी जायेगी। ऐसी सूचना ऐसे अंतिम प्रकाशन या चिपकाने की तारीख से कम से कम पूर्ण पंद्रह दिवस की होगी:
परन्तु विधिक वारिसता से संबंधित विवाद की दशा में संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता आवेदक को सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा।
(4) नामांतरण के प्रत्येक आवेदन का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिमानतः तीन मास की कालावधि के भीतर किया जायेगा।
(5) नामांतरण विलेख नामांतरण का आदेश जारी होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर या ऐसे कालावधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, प्रारूप 31 में निष्पादित किया जायेगा।
(6) खनिज रियायत, संविदा या अनुज्ञापत्र रद्द किया हुआ समझा जायेगा यदि खनिज रियायत, संविदा या अनुज्ञापत्र के नामांतरण के लिए आवेदन रियायतग्राही, ठेकेदार या अनुज्ञापत्र धारक की मृत्यु की तारीख से तीन मास की विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है।
(7) नामांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा वहां प्रतिसंहृत किया जायेगा और क्षेत्र का कब्जा ले लिया जायेगा जहां नामांतरण का आदेश पारित किया गया है किन्तु विधिक वारिस नामांतरण विलेख विनिर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित करने में विफल रहता है।

77. ब्याज की दर.—अट्ठारह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज स्थिर भाटक, अधिशुल्क, वार्षिक खदान अनुज्ञप्ति फीस, अधिशुल्क संग्रहण ठेका, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका राशि और जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के पेटे अभिदाय के संबंध में सभी शोध्यों पर नियत तारीख से प्रभारित किया जायेगा:

परन्तु ब्याज, शास्ति या खनिज की कीमत के बारे में किन्हीं भी शोध्यों की दशा में, कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जायेगा।

78. बापी और सांपतिक अधिकारों की मान्यता.—सरकार किसी भी भूमि में किसी भी बापी या सांपतिक अधिकार को मान्यता नहीं देगी जिसमें किसी भी खनिज वाली भूमि, खदान या खान पर ऐसे अधिकार का दावा किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जब तक कि सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित न हो।

79. भूल की परिशुद्धि.—सरकार या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश में किसी भी लिपिकीय या गणितीय भूल या आकस्मिक चूक या लोप से उद्भूत किसी भी गलती को सरकार या, यथास्थिति, अधिकारी द्वारा आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर ठीक किया जा सकेगा:

परन्तु किसी भी व्यक्ति के प्रतिकूल कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपने मामले में अपना कथन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

80. प्रतिदाय.—निर्धारण प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किसी निर्धारिती को उसके द्वारा देय राशि से अधिक संदत्त किसी राशि का प्रतिदाय या तो नकद संदाय द्वारा या समायोजन द्वारा करेगा:

परन्तु प्रतिदाय का दावा केवल तभी अनुज्ञात किया जायेगा जब वह मांगा जाये और ऐसी तारीख से दो वर्ष के भीतर, जिसको निर्धारण का आदेश पारित किया गया था, या अपील में अंतिम आदेश के बारह मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जायेगा।

81. रजिस्टर का निरीक्षण के लिए खुला रखा जाना.—खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के कार्यालय में इन नियमों के अधीन संधारित सभी रजिस्टर ऐसे किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए, जो इन नियमों के अधीन खनिज रियायत धारित करता है या अर्जित करने का आशय रखता है, प्रत्येक निरीक्षण के लिए एक सौ रुपये की फीस के संदाय पर खुले रहेंगे।

82. खनिज के परिवहन का विनियमन.—सरकार लोक हित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट समय के लिए किसी भी क्षेत्र से किसी खनिज के परिवहन को निर्बंधित या विनियमित कर सकेगी।

83. नियमों का शिथलिकरण.—सरकार लोक हित में किन्हीं भी शोध्यों या किसी भी अन्य राशि के अधित्यजन के लिए समुचित स्कीम बना सकेगी।

84. सरकार द्वारा क्षेत्र का आरक्षण.—(1) जहां किसी भी खनिज का पूर्वेक्षण राज्य या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकारी कंपनी या उसके स्वामित्वाधान या उसके द्वारा नियंत्रित निगम द्वारा हाथ में लिया जाना है वहां सरकार ऐसे क्षेत्र और कालावधि, जिसके लिए ऐसी संक्रिया हाथ में ली जानी है,

का ब्यौरा देते हुए, अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। ऐसे आरक्षण की कालावधि पांच वर्ष तक की होगी। पूर्वेक्षण एजेंसी पूर्वेक्षण संक्रियाओं के पूरे परिणाम राज्य सरकार को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास की कालावधि के भीतर सूचित करेगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आरक्षित क्षेत्र के लिए पृथक् नियंत्रण रजिस्टर निदेशालय में प्रारूप–32 में संधारित किया जायेगा और इस प्रकार आरक्षित प्रत्येक क्षेत्र की पूर्वेक्षण संक्रियाओं की प्रगति अर्द्ध वार्षिक आधार पर मॉनीटर की जायेगी।

(3) राज्य या केन्द्रीय सरकार या उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनी द्वारा पूर्वेक्षण संक्रियाएं हाथ में लेने के लिए आरक्षित क्षेत्र के मामले में इस प्रकार जारी अधिसूचना, कालावधि समाप्ति पर व्यपगत हो जायेगी और क्षेत्र को मुक्त माना जायेगा।

(4) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण संक्रिया हाथ में लेने के लिए आरक्षित क्षेत्र के मामले में, अधिसूचना कालावधि की समाप्ति के पश्चात् कालावधि का विस्तार दो वर्ष तक किया जा सकेगा।

(5) यदि पूर्वेक्षण संक्रिया के पश्चात् खनिज साक्ष्य स्थापित हो जाता है तो उप–नियम (1) में वर्णित एजेंसी खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकेगी।

(6) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, राज्य या केन्द्रीय सरकार उसके स्वामित्च के या उसके द्वारा नियंत्रित निगम या कंपनी को ऐसी अतिरिक्त राशि के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, खनन पट्टा मंजूर कर सकेगी।

85. अदेयता प्रमाणपत्र की अध्यपेक्षा.–यदि आवेदक या उसके कुटुंब का सदस्य राज्य में कोई खनिज रियायत, अधिशुल्क या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका धारित करता है या उसने धारित की है तो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाणपत्र की प्रति की अपेक्षा किसी भी खनिज रियायत की स्वीकृति के लिए केवल आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय की जायेगी। नवीनतम अदेयता प्रमाणपत्र पट्टा विलेख के निष्पादन या खदान अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने समय भी अपेक्षित होगा।

86. नोटिस की तामील.–(1) इन नियमों के अधीन खनिज रियायत, अनुज्ञापत्र, ठेका संविदा इत्यादि के धारक को प्रत्येक नोटिस लिखित में या तो व्यक्तिशः या पट्टा विलेख, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या ठेका संविदा में अभिलिखित पते पर या ऐसे अन्य पते पर जो ऐसे व्यक्ति द्वारा समय–समय पर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारियों को लिखित में सूचित किया गया हो, पंजीकृत डाक से दिया जायेगा।

(2) कुटुंब के किसी भी वयस्क सदस्य, एजेंट या प्राधिकृत किसी भी अन्य सदस्य पर ऐसे नोटिस की तामील उचित और विधिमान्य तामील समझी जायेगी और उसे उसके द्वारा प्रश्नगत या आक्षेपित नहीं की जायेगी। डाक कर्मचारी द्वारा ऐसे पृष्ठांकन को कि ऐसे व्यक्ति ने परिदान लेने से इंकार किया या व्यक्ति अंतिम ज्ञात पते पर उपलब्ध नहीं था, प्रथमदृष्ट्या तामील का सबूत समझा जायेगा।

(3) जहां संबंधित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि संबंधित व्यक्ति तामील से बचने के प्रयोजन से अपने को दूर रख रहा है या किसी भी अन्य कारण से नोटिस सामान्य रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो नोटिस की तामील संबंधित कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पा करके और ऐसे घर या खान के, जिसमें व्यक्ति का अंतिम बार निवास किया है या व्यवसाय किया है या लाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य किया है, किसी सहजदृश्य स्थान पर भी चस्पा करके या ऐसी अन्य रीति से की जायेगी जो संबंधित प्राधिकारी उचित समझे।

87. वसूली का विशेष ढंग.–(1) नियमों या संविदा में किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी किसी भी समय, लिखित में नोटिस द्वारा (जिसकी प्रति निर्धारिती को उसके अंतिम ज्ञात पते पर भेजी जायेगी) ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिसके द्वारा कोई राशि ऐसे निर्धारिती को देय है या देय हो जाये, जो कोई भी भाटक, अधिशुल्क, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के पेटे अभिदाय, शास्ति, ब्याज या सरकार को देय कोई राशि संदत्त करने में विफल रहता है, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर कुल शोध्यों तक सीमित राशि संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन नोटिस जारी करने वाला निर्धारण प्राधिकारी, किसी भी समय ऐसे नोटिस को संशोधित या प्रतिसंहृत कर सकेगा या नोटिस के अनुसरण में कोई भी संदाय करने के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन जारी नोटिस के अनुपालन में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई संदाय निर्धारिती के प्राधिकार के अधीन किया गया संदाय समझा जायेगा और संदाय की खजाना रसीद निर्धारिती के प्रति ऐसे व्यक्ति के ऐसी रसीद में विनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक दायित्व का अच्छा और पर्याप्त उन्मोचन होगा।

(4) उप–नियम (1) के अधीन उस पर तामील नोटिस के पश्चात् निर्धारिती के किसी भी दायित्व का उन्मोचन करने वाले व्यक्ति, के प्रति सरकार को निर्धारिती से देय किसी भी अन्य राशि के बारे में निर्धारिती के प्रति दायित्व के उन्मोचन की सीमा तक व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(5) कोई भी असंदत्त राशि जिसके संदाय की किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाये या जिसके लिए वह उप–नियम (1) के अधीन सरकार को संदाय के लिए व्यक्तिगत दायी है, यदि ऐसी राशि असंदत्त रह जाती है, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

88. आवेदक की मृत्यु पर स्वीकृति की प्रास्थिति.–(1) जहां खनिज रियायत, ठेका या, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के लिए स्वीकृति का आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक की मृत्यु हो जाती है वहां ऐसा आवेदन उसके विधिक वारिसों द्वारा किया हुआ समझा जायेगा।

(2) ऐसे आवेदक की दशा में जिसके संबंध में खनिज रियायत की स्वीकृति या कालावधि विस्तार का आदेश या ठेके की स्वीकृति का आदेश जारी किया गया है किन्तु जिसकी विलेख के निष्पादन या खदान अनुज्ञप्ति जारी होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, आदेश उसके विधिक वारिसों के नाम जारी किया हुआ समझा जायेगा।

89. लंबित आवेदनों की प्रास्थिति.–इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, नियम 4 और 5 के अधीन जिनकी व्यावृत्ति है, समस्त लंबित आवेदन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नामंजूर किये हुए समझे जायेंगे:

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ पर और उसके पश्चात् सभी आवेदन, जिनमें राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अधीन नामंजूर या अधिसूचना दिनांक 3 अप्रैल, 2013 के अधीन नामंजूर या पश्चात्वर्ती प्रत्यावर्तित आवेदन सम्मिलित हैं, नामंजूर किये हुए समझे जायेंगे और ऐसे आवेदक को इन नियमों के अधीन सुने जाने का अधिकार नहीं होगा।

90. खनन संक्रियाओं का बंद किया जाना.–निदेशक, अतिरिक्त निदेशक खान, अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता, खनन संक्रियाओं को प्रतिषिद्ध कर सकेगा और खनिज, उपस्कर, औजार और वाहनों को अभिगृहीत कर सकेगा यदि खनन संक्रियाएं इन नियमों के अधीन मंजूर खनिज रियायत या अनुज्ञापत्र के निबंधनों और शर्तों के अनुसार नहीं की जाती हैं:

परन्तु खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी खनिज रियायत क्षेत्र में खनन संक्रियाओं को प्रतिषिद्ध नहीं करेगा किन्तु खान कर्मकारों या किसी भी मानव जीवन को आसन्न संकट की दशा में खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता और निदेशक, खान सुरक्षा को, जहां कहीं लागू हो, चौबीस घण्टे के भीतर सूचना के अधीन खनन संक्रियाओं को तत्काल प्रतिषिद्ध कर सकेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, संबंधित अधीक्षण खनि अभियंता स्थल का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेगा और खनन संक्रियाओं के बंद किये जाने का लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पंद्रह दिवस के भीतर अनुमोदन या अननुमोदन करेगा। आगे की कार्रवाई नियम 28 के अनुसार की जायेगी। ऐसे अभिगृहीत खनिज या उपस्कर को अधीक्षण खनि अभियंता के पूर्व अनुमोदन से, उल्लंघन की परिशुद्धि के पश्चात् ही छोड़ा जायेगा और खनन संक्रियाएं पुनःप्रारंभ की जायेंगी।

91. सर्वेक्षण और सीमांकन.–(1) पट्टा या अनुज्ञप्ति के अधीन मंजूर क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए व्यवस्थाएं खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी के खर्चे पर की जायेंगी और क्षेत्र का सर्वेक्षण ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या डिफ्रेनशियल ग्लोबल पोजीसनिंग सिस्टम का उपयोग करके किया जा सकेगा।

(2) सीमांकन के लिए फीस प्रति हैक्टर या उसके भाग के लिए अधिकतम पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए एक हजार पांच सौ रुपये होगी:

परन्तु सीमा स्तंभों के पुनःसत्यापन के लिए सीमांकन फीस ऊपर वर्णित राशि की दो गुना होगी।

92. अभिवहन पास.–(1) व्यवहारी या थोक व्यापारी अधिशुल्क संदत्त खनिज के प्रेषण के लिए अभिवहन पास के लिए संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रारूप 33 में आवेदन, उसमें विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों को सम्यक् रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए करेगा।

(2) अभिवहन पास के आवेदन के साथ अधिशुल्क संदाय के सुसंगत दस्तावेजों अर्थात् व्यवहारी या थोक व्यापारी के नाम से अधिशुल्क रसीदों, रवन्ना या अभिवहन पास की प्रतियां लगायी जायेंगी जिसके साथ स्टॉक प्राप्ति और प्रेषण रजिस्टर भी होगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर भौतिक सत्यापन के पश्चात्, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो आवश्यक समझी जायें, विनिर्दिष्ट मात्रा और कालावधि के लिए प्रारूप 34 में अभिवहन पास जारी कर सकेगा। खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता लेखबद्ध किये जाने वाले और व्यवहारी को संसूचित कारणों से अभिवहन पास जारी करने से इंकार कर सकेगा।

(4) खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता अभिवहन पास जारी करने का रजिस्टर प्रारूप 35 में संधारित करेगा।

(5) परिवहन पासों के बदले में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रवन्ना, रॉयल्टी रसीदों या परिवहन पास को संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा ''रद्द और परिवहन पास जारी'' के रूप में स्टांपित किया जायेगा।

अनुसूची 1
खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षेत्र

{नियम 7(2) देखिए}

भाग–क			भाग–ख		
क.सं.	खनिज	क्षेत्र (हैक्टर में)	क.सं.	खनिज	क्षेत्र (हैक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	बजरी(नदी बालू)	5.00	1.	अगेट	4.00
2.	बजरी(नदी बालू से भिन्न)	1.00	2	बाल क्ले	4.00
3.	ईंट मिट्टी	1.00	3.	बेराइट्स	4.00
4.	चर्ट	1.00	4.	बेन्टोनाईट	4.00
5.	डायोराईट	1.00	5.	कैल्केरियस सैण्ड	4.00
6.	डोलेराईट	1.00	6.	केल्साइट	4.00
7.	नाईस	1.00	7.	चॉक	4.00
8.	ग्रेनाइट	1.00	8.	चाईना क्ले	4.00
9.	झाझड़ा/धांधला	1.00	9.	अन्य क्ले	4.00
10.	कंकर	1.00	10.	कोरेण्डम	4.00
11.	चूना कंकर	1.00	11.	डायस्पोर	4.00
12.	चूना पत्थर	4.00	12.	डोलामाईट	4.00
13.	चूना पत्थर(आयामी)	4.00	13.	ड्यूनाईट/पायरोक्सेनाईट	4.00
14.	संगमरमर	4.00	14.	फेल्साईट	4.00
15.	चिनाई पत्थर	1.00	15.	फेल्सपार	4.00
16.	मुर्रम	1.00	16.	फायरक्ले	4.00
17.	सामान्य मृत्तिका	1.00	17.	फुलर्स अर्थ	4.00
18.	सामान्य मिट्टी	1.00	18.	जिप्सम	4.00
19.	फिलाईट्स	1.00	19	जैस्पर	4.00
20.	रायोलाईट	1.00	20.	केओलिन	4.00
21.	सैण्डस्टोन	1.00	21.	लेटेराईट	4.00
22.	शिष्ट	1.00	22.	अभ्रक	4.00

23.	सरपेन्टाईन	1.00	23.	गेरू (ऑकर)	4.00
24.	शैल	1.00	24.	पायरोफीलाईट	4.00
25.	स्लेट स्टोन	1.00	25.	क्वार्टज	4.00
26.	सुर्खी	1.00	26.	क्वार्टजाइट	4.00
27.	इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट न किये गये अन्य खनिज	1.00	27.	साल्ट पिटर	4.00
			28.	सिलिका सैण्ड	4.00
			29.	सेलखेडी / टाल्क / सोप स्टोन	4.00

अनुसूची 2
अधिशुल्क की दर
{नियम 28(2)(i),28(3)(i)}
भाग—क

	खनिज का नाम	खनिज का गुण, आकृति और आकार	अधिशुल्क की दर (रु. प्रतिटन)
1.	2.	3.	4.
1.	सैण्डस्टोन	आयामी पत्थर—	
		(i) ड्रेस, पालिश किया हुआ या कटी हुई पट्टियां, पट्टी कातला, अशलर, टाईल्स, फर्श और छत के पत्थर तथा ब्लाक्स	240.00
		(ii) अनड्रेस्ड, विषम या खुरदरे स्लैब, पट्टी कातला, अशलर, टाईल्स, फर्श और छत के पत्थर—	
		(क) जिला भरतपुर, धौलपुर और करौली	155.00
		(ख) जिला कोटा और बूंदी	130.00
		(ग) समस्त अन्य जिले	100.00
		कोबल्स	100.00
		चक्की पत्थर	100.00
		खण्डा—	
		(i) जिला भरतपुर, धौलपुर, करौली और जोधपुर	30.00
		(ii) अन्य जिले	23.00
2.	चूना पत्थर	आयामी पत्थर—	
		(i) फर्श, छत और स्तंभ इत्यादि के रूप में प्रयुक्त	
		(क) जिला कोटा और झालावाड़	110.00
		(ख) जिला जैसलमेर	125.00
		(ग) जैसलमेर अशलर	30.00
		(घ) सभी अन्य जिले	100.00
		(ii) किसी उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त चूना पत्थर (आयामी) का खनिज अपशिष्ट	23.00 90.00

		(iii) खनिज अपशिष्ट यदि उद्योगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है कोबल्स	100.00
3.	चूना पत्थर और चूना	चूना बनाने के उपयुक्त चूना	90.00 135.00
4.	चूना कंकर, झाझड़ा कंकर	चूना कंकर और झाझड़ा कंकर	20.00
5.	संगमरमर, सरपेन्टाइन और अन्य सजावटी पत्थर	पट्टियां और टाइलें– (i) पट्टियां और टाइलें जिनका एक आयाम (चौड़ाई) 35 सेंमी. और अधिक है और अन्य तैयार उत्पाद (क) मकराना क्षेत्र के लिए (ख) राजस्थान के सभी अन्य क्षेत्रों के लिए (ii) टाइलें जिनका एक आयाम 35 सेंमी. से कम है ब्लाक (i) विषम या असमान ब्लॉक (ii) एकल चक्र कटर से प्रसंस्कृत असम ब्लाक जिनका व्यास 60 सेंमी. से अधिक नहीं है और जो राजस्थान में अवस्थित हैं: परन्तु ऐसे ब्लाक कारखाना परिसर में प्रसंस्कृत नहीं किये जाते है जहां अन्य चक्र कटर जिनका व्यास 60 सेंमी. से अधिक है या किसी भी डिजाइन की गैंगसॉ स्थापित हैं। क्रेजी उद्योगों में प्रयुक्त खंडा/क्रेजी चिनाई पत्थर के रूप में प्रयुक्त खण्डा (i) अलवर, भरतपुर, जयपुर, झंझनूं और सीकर जिले (ii) अन्य जिले	380.00 430.00 350.00 240.00 130.00 65.00 90.00 30.00 23.00
परन्तु संगमरमर स्लरी/संगमरमर पाउडर पर कोई अधिशुल्क देय नहीं होगी।			
6.	ग्रेनाइट, डायोराईट और अन्य आग्नेय चट्टान के प्रकार, जो पोलिश के लिए उपयुक्त हो	ब्लॉक (i) ब्लॉक जिनका कोई भी आयाम 70 सेंमी. से अधिक हो (ii) ब्लाक जिनका कोई भी आयाम 70 सेंमी. से अधिक नहीं हो चिनाई पत्थर के रूप में प्रयुक्त खंडा	215.00 90.00 23.00
7.	चिप्स बनाने वाले खनिज जैसे डोलोमाईट, चूना पत्थर, संगमरमर,	चिप्स बनाने के लिए प्रयुक्त	65.00

	रायोलाईट, चर्ट, सर्पेन्टाइन, क्वार्टजाइट आदि।		
8.	चिनाई पत्थर (डोलोमाईट,ग्रेनाइट, चूना पत्थर, रायोलाईट, सैण्डस्टोन, क्वार्टजाइट,शिस्ट,फिलइट्स इत्यादि)	(i) खण्डा, ब्लास्ट, रोड मैटल, फाचरे, गिट्टी/ग्रिट, पापड़ा, क्रेशर डस्ट, ग्रेवल, झाझड़ा, क्वारी रबिश, ग्रेनूलर सब–बेस (जी.एस.बी.) इत्यादि के रूप में प्रयुक्त (क) जिला अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझनूं और सीकर (ख) अन्य जिले (ii)कोबल्स बनाने के लिए प्रयुक्त	30.00 23.00 100.00
9.	बजरी, कंकर और साधारण मिट्टी	बजरी, कंकर (i) भरतपुर, झुंझनूं, धौलपुर, टोंक और सीकर जिले (ii) अन्य जिले निम्न उपयोग के लिए साधारण मिट्टी– (i) मिट्टी के बर्तन, टाइलें इत्यादि के विनिर्माण (ii) तटबंध, सड़कें, रेल इत्यादि के संनिर्माण में भराई या समतलीकरण के प्रयोजन के लिए	35.00 30.00 12.00 3.00
10	ईंट मिट्टी, मुर्रम, सुर्खी	ईंट मिट्टी, मुर्रम, सुर्खी	25.00
11.	फिलाईट और शिस्ट	आयामी पत्थर जिसका उपयोग पट्टी, कातला,छत या फर्श इत्यादि के लिए किया जाता है	60.00
12.	स्लेट पत्थर		120.00
13	रंगाई के लिए प्रयुक्त साधारण मृत्तिका		15.00
14.	(क) ईंट मिट्टी, फिलाईट और शिष्ट, बजरी (ख) विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त शैल, नाईसेस और कोई अन्य चट्टान/खनिज	उद्योग में विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त	120.00 100.00

भाग–ख

क.सं.	खनिज का नाम	खनिज का गुण, आकृति और आकार	अधिशुल्क की दर (रु.प्रतिटन)
1	2	3	4
1.	अगेट		110.00
2.	बाल क्ले	कूड	60.00
		प्रसंस्कृत	120.00
3.	बैराइट्स	सफेद	70.00
		ऑफ कलर	55.00

4.	बेन्टोनाईट		110.00
5.	केलसाईट		120.00
6.	चॉक		60.00
7.	चाईना क्ले	कूड	50.00
		प्रसंस्कृत	400.00
8.	क्ले (अन्य)		50.00
9.	कोंरण्डम		325.00
10.	डायस्पार		120.00
11.	डोलोमाईट	ब्लॉक्स	240.00
		लम्पस	90.00
12.	ड्यूनाईट / पायराक्सेनाईट		30.00
13.	फेलसाईट		80.00
14.	फेलस्पार	ब्लाक्स	215.00
		लम्पस	60.00
15.	फायरक्ले		70.00
16.	फुलर्स अर्थ		100.00
17.	जिप्सम		125.00
18.	जेस्पार		100.00
19.	केओलिन	कूड	50.00
		प्रसंस्कृत	400.00
20.	लैटराईट		60.00
21.	अभ्रक	कूड	500.00
		अपशिष्ट और स्क्रैप	80.00
22.	ऑकर (गेरू)		24.00
23.	पायरोफीलाईट		75.00
24.	क्वार्टज		60.00
25.	क्वार्टजाईट	ब्लाक्स	265.00
		लम्पस	65.00
26.	साल्ट पिटर		2500.00
27.	सिलिका सैण्ड		70.00
28.	सेलखेड़ी या टॉल्क या सोपस्टोन	खरड़ा (डुंगरपुर जिले की तहसील डुंगरपुर,सिमलवाड़ा, बिच्छीवाड़ा और उदयपुर जिले की तहसील खेरवाड़ा, ऋषभदेव)	30.00
		कीटनाशक श्रेणी	75.00
		कीटनाशक श्रेणी से भिन्न	350.00
29.	ऊपर विनिर्दिष्ट न किये गये अन्य खनिज		पिटमाउथ मूल्य का 12 प्रतिशत

अनुसूची 3
स्थिर भाटक
{नियम 28(2)(ii)}
भाग–क

क.सं.	खनिज का नाम	प्रति दस वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए

		स्थिर भाटक की दर रुपये में
1.	2	3
1	आयामी पत्थरः सैण्डस्टोन, चूना पत्थर, स्लेट पत्थर और ऐसे अन्य आयामी पत्थर जिनका इस अनुसूची में अन्य कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है फिलाईट और शिस्ट	70.00 35.00
2.	चूना बनाने में प्रयुक्त पत्थरः चूना पत्थर चूना कंकर, धांधला और झाझड़ा कंकर	60.00 25.00
3.	चिप्स बनाने में प्रयुक्त खनिजः चूना पत्थर, संगमरमर, चर्ट, सरपेंटाइन, रायोलाइट, क्वार्टजाइट और अन्य चट्टानें	60.00
4.	ब्लाकों में प्रयुक्त और पट्टियों और टाइलों के रूप में चिरा हुआ खनिजः संगमरमर, सरपेंटाइन और अन्य चट्टानें, ग्रेनाइट, डायोराइट, रायोलाइट, डोलेराइट और अन्य चट्टानें	100.00 60.00
5.	चिनाई पत्थर और संनिर्माण जैसे ब्लास्ट, सड़क मेटल, ईंट मिट्टी, मुर्रम, कंकर, बजरी या सुर्खी इत्यादि के रूप में प्रयुक्त खनिज	30.00
6.	बजरी (नदी बालू)	3.00
7.	सामान्य सफेद/पीली/लाल मृत्तिका	20.00
8.	अन्य खनिज जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं	50.00

भाग–5

क.सं.	खनिज का नाम	प्रति दस मीटर या उसके भाग के लिए स्थिर भाटक की दर रुपये में
1	2	3
1.	अगेट, बाल क्ले, कैल्केरियस सैण्ड,कैल्साईट चाक, चाईना क्ले, क्ले (अन्य)कोरण्डम,डायसपोर, डोलोमाईट, ड्यूनाईट/पाईराक्सेनाईट, फेलसाईट, फायर क्ले, जिप्सम,जैसपार, केओलीन, लेटेराईट, अभ्रक, ऑकर, पाईरोफीलाईट, क्वार्टजाईट, सिलिका सैण्ड और स्टेटाईट/टाल्क/सॉपस्टोन	30.00
2.	फैल्सपार, क्वार्टज	25.00
3.	बैराईट्स, बेनटोनाईट	45.00
4.	फुलर्स अर्थ	25.00
5.	सॉल्टपिटर	15.00
6.	अन्य खनिज जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं	50.00

अनुसूची 4
खनन पट्टे करार के निबंधन और शर्तों के अननुपालन के लिए शास्तियां
{नियम 28(2)(xvii)(क) देखिए

क. सं.	नियम	करार का खण्ड	उल्लंघन की संक्षिप्त अन्तर्वस्तु	शास्ति
1	2	3	4	5

1.	28(2)(i) 28(2)(ii), 28(1)(ii) 28(1)(iii)	4(1), 4(2), 4(3), 4(4), 4(6)	अधिशुल्क, स्थिर भाटक और अन्य प्रभारों का असंदाय	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर कर दी जाती है, तो प्रतिभूति निक्षेप का दस प्रतिशत या पांच हजार रुपये, इनमें जो भी अधिक हो, समपहृत किये जायेंगे। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा: परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दी जाती है तो पट्टा खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत या दस हजार रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो, समपहृत किये जायेंगे।
2.	29(14), 19(3), 19(4), 20(3), 20(4)	4(5)	वित्तीय आश्वासन, प्रतिभूति निक्षेप और संपादन प्रतिभूति के अंतर का असंदाय	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर किया जाता है तो प्रतिभूति निक्षेप का दस प्रतिशत या पांच हजार रुपये, इनमें जो भी अधिक हो, समपहृत किये जायेंगे। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस दिवस के पश्चात् नहीं किया जाता है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा: परन्तु यदि उल्लंघन का उपचार पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दिया जाता है तो पट्टा खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत या दस हजार रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो, समपहृत किये जायेंगे।
3	28(1)(iv)	4(9)	सीमा स्तंभों का परिनिर्माण न किया जाना और उचित संधारण न किया जाना	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति के पैंतालीस दिवस के भीतर कर दी जाती है तो न्यूनतम पांच हजार रूपये और अधिकतम दस हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति निक्षेप का दस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैतालीस दिवस के भीतर नहीं की जाती है तो

				पट्टा प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा। परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दी जाती है तो पट्टा खण्डित नहीं किया जायेगा और न्यूनतम दस हजार रुपये और अधिकतम बीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा।
4.	28(1)(viii)	4(11)	खनन संक्रियाओं का पट्टे के निष्पादन की तारीख से छह मास के भीतर प्रारंभ न किया जाना और उसके पश्चात् प्रभावी रूप से न किया जाना	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिवस के भीतर कर दी जाती है तो प्रतिभूति निक्षेप का दस प्रतिशत या पांच हजार रुपये, इनमें से जो भी उच्चतर हो, समपहृत किया जायेगा। (ii) यदि उल्लंघन की पालना नब्बे दिवस की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा: परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व पूर्णतया कर दी जाती है तो पट्टा खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत या दस हजार रुपये, इनमें से जो भी उच्चतर हो, समपहृत किये जायेंगे।
5.	28(2)(iv)	4(12)	खनिज उत्पाद का सही लेखा संधारित न करना	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख के पैंतालीस दिवस के भीतर कर दी जाती है तो न्यूनतम पांच हजार रुपये और अधिकतम बीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा: परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दी जाती है तो पट्टा खण्डित नहीं किया जायेगा और न्यूनतम दस हजार रुपये और अधिकतम चालीस

				हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति निक्षेप का चालीस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा।
6.	28(1)(xiv) 28(1)(xv)	4(17) 4(18)	(क) क्षेत्र में नये खनिज की खोज की रिपोर्ट करने में विफलता (ख) ऐसे खनिज का प्रेषण जो पट्टे में सम्मिलित नहीं है	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर कर दी जाती है तो प्रतिभूति निक्षेप का पचास प्रतिशत समपहृत किया जायेगा। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगाः परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दी जाती है तो पट्टा खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप समपहृत किया जायेगा। प्रेषित खनिज की कीमत नियम 54 के अनुसार वसूल की जायेगी।
7.	28(2)(xi)(क)	4(11)	बजरी(नदी बालू) सतह से तीन मीटर गहराई से अधिक खनन कार्यकरण	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर कर दी जाती है तो प्रतिभूति निक्षेप का पचास प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, समपहृत किया जायेगा। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगाः परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दी जाती है तो पट्टे को खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप या पचास हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, समपहृत किया जायेगा।
8.	11(1)(ii)	4(25)	सरकार की अनुज्ञा के बिना भारतीय नागरिक से भिन्न कार्मिक का नियोजन	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर किया जाता है तो प्रतिभूति निक्षेप का पचास प्रतिशत या बीस हजार रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, समपहृत किया जायेगा। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस

				दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगाः परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दी जाती है तो पट्टे को खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप या पचास हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, समपहृत किये जायेंगे।
9.	29	4(12)	खनन योजना/खनन स्कीम और उसके संशोधन का प्रस्तुत न किया जाना	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर किया जाता है तो प्रतिभूति निक्षेप का पच्चीस प्रतिशत या बारह हजार पांच सौ रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, समपहृत किये जायेंगे। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगाः परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दी जाती है तो पट्टे को खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप का पचास प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, समपहृत किये जायेंगे।
10.	28(1)(viii)	4(11)	कार्यकुशल रीति से खानों में खनन कार्य न करना	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर कर दी जाती है तो प्रतिभूति निक्षेप का पचास प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, समपहृत किये जायेंग। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगाः परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दिया जाता है तो पट्टे को खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप या पचास हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, समपहृत किये जायेंगे।

11.	30(1,2)	6(17)	अर्हित व्यक्तियों का अनियोजन	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर किया जाता है तो प्रतिभूति निक्षेप का पच्चीस प्रतिशत या बारह हजार पांच सौ रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, समपहृत किये जायेंगे। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगाः परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दी जाती है तो पट्टे को खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप का पचास प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, समपहृत किये जायेंगे।
12.	34(2)(v)	4(11)	अतिभार का चिह्नित स्थानों पर न डाला जाना	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर कर दी जाती है तो प्रतिभूति निक्षेप का पच्चीस प्रतिशत या बारह हजार पांच सौ रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, समपहृत किये जायेंगे। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगाः परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर दी जाती है तो पट्टे को खण्डित नहीं किया जायेगा और प्रतिभूति निक्षेप का पचास प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, समपहृत किये जायेंगे।
13.	—		ऐसे सभी अन्य पालना योग्य उल्लंघन जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर कर दी जाती है तो न्यूनतम एक हजार रुपये और अधिकतम सात हजार पांच सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति निक्षेप का दस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा। (ii) यदि उल्लंघन की पालना पैंतालीस दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो

				पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगाः परन्तु यदि उल्लंघन की पालना पट्टे का खण्डित आदेश जारी किये जाने के पूर्व कर कर दी जाती है तो पट्टे को खण्डित नहीं किया जायेगा और न्यूनतम दो हजार रुपये और अधिकतम पंद्रह हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा।
14.	—		ऐसे सभी अन्य अपालनीय उल्लंघन जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है	(i) यदि उल्लंघन पट्टेधारी द्वारा विधिक नोटिस प्राप्ति के पश्चात् चालू नहीं रहता है तो पट्टेधारी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगा। (ii) यदि उल्लंघन चेतना पत्र की प्राप्ति के पश्चात् चालू रहता है तो पट्टा, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा।

अनुसूची 5

अधिशुल्क संग्रहण ठेका/ अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका करार के निबंधनों और शर्तों के अननुपालन के लिए शास्तियां

{नियम 44(26) देखिए}

क्र. सं.	नियम	करार का खण्ड	उल्लंघन की संक्षिप्त अन्तर्वस्तु	शास्ति
1	2	3	4	5
1.	44(4)	3(iv)	अपूर्ण अधिशुल्क रसीदें जारी करना	(i) यदि उल्लंघन चेतना पत्र की प्राप्ति के पश्चात् चालू नहीं रहता है तो प्रतिभूति निक्षेप का दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, ठेकेदार द्वारा संदेय होंगे। (ii) यदि उल्लंघन चेतना पत्र कालावधि के पश्चात् चालू रहता है तो ठेका प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जाएगाः परन्तु यदि उल्लंघन की पालना ठेके के खण्डन के पूर्व कर दी जाती है तो ठेका खण्डित नही किया जाएगा और प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत या बीस हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, ठेकेदार द्वारा संदेय होंगे।
2.	44(6), 44(7), 44(8), 44(9),	3(vi), 3(vii), 3(viii),	(क) वार्षिक स्थिर भाटक के पेटे जारी अधिशुल्क संदत्त रवन्ना रखने वाले वाहनों से अधिशुल्क का संग्रहण।	(i) यदि उल्लंघन ठेकेदार द्वारा विधिक नोटिस के पश्चात् चालू नहीं रहता है तो ठेकेदार द्वारा इस प्रकार संग्रहित राशि प्रतिभूति निक्षेप के दस प्रतिशत या

	44(10), 44(11)	3(ix), 3(x), 3(xi)	(ख) इन नियमों के अधीन जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र / अनुज्ञापत्र धारकों से अधिशुल्क का संग्रहण। (ग) ठेका क्षेत्र के बाहर से या प्रधान खनिज पट्टों से लाये गये अप्रधान खनिजों से अधिशुल्क का संग्रहण। (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग / मेगा राजमार्ग / चार / छह लेन सड़कों के संनिर्माण / मरम्मत / नवीनीकरण, रेल ट्रेक बिछाने और मरम्मत में प्रयुक्त खनिजों के लिए अधिशुल्क का संग्रहण। (ङ.) ऐसे अप्रधान खनिजों पर अधिशुल्क का संग्रहण जो ऐसे क्षेत्र से हटाया गया हो जो पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारी के कार्यशील गर्त नहीं हैं।	पचास हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, के साथ वसूल की जायेगी। (ii) यदि उल्लंघन चेतना पत्र प्राप्ति के पश्चात् भी चालू रहता है तो ठेका, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जाएगा।
3.	44(13)	3(xiii)	रसीदों और अन्य अभिलेखों के प्रतिपर्णक के साथ अनुज्ञापत्र फीस / अन्य प्रभारों के सहित या रहित मासिक विवरण प्रस्तुत न किया जाना	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर कर दी जाती है तो प्रतिभूति राशि का दस प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, ठेकेदार द्वारा संदेय होंगे। (ii) यदि उल्लंघन की पालना तीस दिवस के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के पूर्व कर दी जाती है तो प्रतिभूति राशि का बीस प्रतिशत या पचास हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो, ठेकेदार द्वारा संदेय होंगे। (iii) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस की प्राप्ति के साठ दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो ठेका प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा।
4.	44(14)	3(xiv)	अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट से उच्चतर दर पर अधिशुल्क प्रभारित करना और इन नियमों के अधीन विहित से उच्चतर या अन्यथा अनुज्ञापत्र फीस / अन्य प्रभार प्रभारित करना	(i) यदि उल्लंघन विधिक चेतना पत्र की प्राप्ति के पश्चात् चालू नहीं रहता है तो नियमों में यथा विनिर्दिष्ट से उच्चतर दर पर ठेकेदार द्वारा संगृहीत अधिक राशि अट्ठारह प्रतिशत ब्याज और प्रतिभूति निक्षेप के दस प्रतिशत या पचास हजार रुपये, इनमें से जो

				भी न्यूनतर हो, के साथ वसूल की जायेगी। (ii) यदि उल्लंघन चेतना पत्र कालावधि के पश्चात् चालू रहता है तो ठेका, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा।
5.	44(17)	3(xvii)	ठेका धन की किस्तों का अग्रिम रूप से संदाय न करना जैसा करार में विनिर्दिष्ट है	(i) यदि ठेकेदार द्वारा उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के भीतर कर दी जाती है तो कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी। (ii) यदि ठेकेदार द्वारा उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु ठेके के खण्डन के पूर्व कर दी जाती है तो प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत या एक लाख रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, ठेकेदार द्वारा संदेय होंगे। (iii) यदि ठेकेदार द्वारा उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् नहीं की जाती है तो ठेका प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा।
6.	40(3), 41(2)	3(xxii)	संविदा राशि की अभिवृद्धि के कारण प्रतिभूति निक्षेप और संपादन प्रतिभूति के अंतर का असंदाय	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के भीतर कर दी जाती है तो कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी। (ii) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु ठेका के खण्डन के पूर्व कर दी जाती है तो प्रतिभूति निक्षेप का चार प्रतिशत या चालीस हजार रुपये, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, ठेकेदार द्वारा संदेय होंगे। (iii) यदि ठेकेदार द्वारा उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् नहीं की जाती है तो ठेका प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा।
7.	—	—	सभी अन्य पालना योग्य उल्लंघन जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है	(i) यदि उल्लंघन की पालना नोटिस कालावधि के पश्चात् किन्तु नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर कर दी जाती है तो न्यूनतम दस हजार रुपये और अधिकतम पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति का दस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा। (ii) यदि उल्लंघन की पालना तीस दिवस के पश्चात् नहीं की जाती है तो ठेका प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा।

				परन्तु यदि उल्लंघन की पालना ठेके के खण्डन के पूर्व कर दी जाती है तो ठेका खण्डित नहीं होगा और न्यूनतम बीस हजार रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा।
8.	—	—	सभी अन्य अपालनीय उल्लंघन जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है	(i) यदि उल्लंघन ठेकेदार द्वारा विधिक नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् चालू नहीं रहता है तो प्रतिभूति निक्षेप का बीस प्रतिशत या पचास हजार रुपये, इनमें जो भी न्यूनतर हो, ठेकेदार द्वारा संदेय होगा। (ii) यदि उल्लंघन चेतना पत्र की प्राप्ति के पश्चात् भी चालू रहता है तो तो ठेका, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जायेगा।

अनुसूची 6
शक्तियों का प्रत्यायोजन
{नियम 70(1) देखिए}

मद सं.	अधिकारी या प्राधिकारी जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाना है	नियम	विषय जिनके संबंध में शक्तियों का प्रयोग किया जाना है	शक्तियों का विस्तार
1	2	3	4	5
1.	निदेशक	4(7), 4(8), 5, 16(2), 16(3), 16(4)	मंशापत्र / मंशापत्र की अवधि विस्तार स्वीकृत करना / खनन पट्टे के आवेदनों की स्वीकृति / अस्वीकृति	खनिज बजरी (नदी बालू) के लिए बीस लाख रुपये तक स्थिर भाटक और अन्य खनिजों अगेट, बैराईट्स, कैलकेरियस सैण्ड, केलसाईट, कोरण्डम, डायसपोर, डोलामाईट, जिप्सम, जैसपर,लैटराइट, गेरु, पायरोफीलाइट,क्वार्ट्जाईट, सोपस्टोन के लिए
2.	अतिरिक्त निदेशक खान	4(7), 4(8), 5, 16(2), 16(3), 16(4)	मंशापत्र / मंशापत्र की अवधि विस्तार स्वीकृत करना / खनन पट्टे के आवेदनों की स्वीकृति / अस्वीकृति	खनिज बजरी (नदी बालू) के लिए दस लाख रुपये तक स्थिर भाटक और अन्य खनिजों बाल क्ले, चइना क्ले, चाक, क्ले (अन्य), ड्यूनाईट / पायराक्सेनाईट, फेलसाईट, फेल्सपार,फायर क्ले, केओलिन, अभ्रक, क्वार्ट्ज, सिलिका सैण्ड, कैल्क सैण्ड के लिए
3.	अधीक्षण खनि अभियंता	4(7), 4(8), 5, 16(2), 16(3), 16(4)	मंशापत्र / मंशापत्र की अवधि विस्तार स्वीकृत करना / खनन पट्टे के आवेदनों की स्वीकृति / अस्वीकृति	खनिज बजरी (नदी बालू) के लिए पांच लाख रुपये तक स्थिर भाटक और उसकी अधिकारिता के भीतर क्र.सं. 1 और 2 में वर्णित से भिन्न

				खनिजों के लिए
4.	अधीक्षण खनि अभियंता	4(7), 4(8), 5, 16(2), 16(3), 16(4)	आवेदक द्वारा वापस लिये गये खनन पट्टे का आवेदन अस्वीकृत किया जाना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
5.	अधीक्षण खनि अभियंता	19(5), 20(5)	प्रतिभूति निक्षेप/ संपादन प्रतिभूति का प्रतिदाय करना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
6.	अधीक्षण खनि अभियंता	21(4)	खनन पट्टे के निष्पादन के लिए कालावधि का विस्तार करना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
7.	निदेशक/अतिरिक्त निदेशक खान/अधीक्षण खनि अभियंता	21(4)	स्वीकृति आदेश प्रतिसंहृत करना	ऐसे खनिज जिनके लिए उसके द्वारा खनन पट्टा मंजूर किया जा सकता है
8.	अधीक्षण खनि अभियंता	25	खनिज/क्षेत्र का अध्यर्पण अनुज्ञात करना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
9.	निदेशक/अतिरिक्त निदेशक खान/अधीक्षण खनि अभियंता	27(3), 27(6)	खनन पट्टों के अंतरण के लिए आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करना और खनन पट्टे के अंतरण की स्वीकृति को प्रत्यासंहृत करना	ऐसे खनिज जिनके लिए उसके द्वारा खनन पट्टा मंजूर किया जा सकता है
10.	अधीक्षण खनि अभियंता	27(3)	खनन पट्टे के अंतरण के लिए ऐसे आवदेन अस्वीकृत करना जो पट्टेधारी द्वारा वापस ले लिया गया है	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
11.	अधीक्षण खनि अभियंता	27(4)	खनन पट्टे के अंतरण के निष्पादन के लिए कालावधि का विस्तार करना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
12	अतिरिक्त निदेशक खान/अधीक्षण खनि अभियंता/खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता/अधीक्षण भू वैज्ञानिक /वरिष्ठ भू वैज्ञानिक /भू वैज्ञानिक/ खनिकार्यदेशक/ सर्वेक्षक/फील्ड सहायक	28(1)(x)	खान,योजनाओं, लेखाओं इत्यादि का निरीक्षण करना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
13	निदेशक	28(1)(xv)	खनन पट्टे/खदान अनुज्ञप्ति में खनिज का समावेश स्वीकृत करना	संपूर्ण शक्तियां
14	खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता	28(2)(xvii)	निबंधनों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के लिए नोटिस जारी करना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
15.	अधीक्षण खनि अभियंता	28(2)(xvii)	अनुसूची 4 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
16.	निदेशक/अतिरिक्त निदेशक(खान)/अधीक्षण खनि अभियंता	28(2)(xvii)	खनन पट्टे का खण्डन	ऐसे खनिज जिनके लिए उसके द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकता है
17.	खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता	28(1)(xxi)	कोई भी खनिज या चल संपत्ति अभिगृहीत करना और उसका विक्रय	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
18.	अधीक्षण खनि अभियंता	29	खनन पट्टे के लिए खनन योजना/खनन स्कीम/सरलीकृत खनन स्कीम और 1.0 हेक्टर से अधिक क्षेत्र वाली खदान अनुज्ञप्ति के लिए सरलीकृत खनन स्कीम का अनुमोदन करना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
19.	खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता	29	1.0 हेक्टर तक क्षेत्र वाली खदान अनुज्ञप्ति के लिए सरलीकृत खनन स्कीम,	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां

			अल्पावधि अनुज्ञापत्र और अनुज्ञापत्र का अनुमोदन करना	
20.	अधीक्षण खनि अभियंता	29(17)	वित्तीय आश्वासन निर्मुक्त करना	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
21.	अतिरिक्त निदेशक खान	35	ठेकेदारों का पंजीकरण, पंजीकरण का नवीनीकरण, इंकारी, रद्दकरण	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
22.	निदेशक	36(5) 37(10)	अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका की स्वीकृति/अस्वीकृति	संपूर्ण शक्तियां
23.	अतिरिक्त निदेशक खान	36(5) 37(10)	अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका की स्वीकृति/अस्वीकृति	तीन सौ लाख रुपये तक बोली राशि के लिए संपूर्ण शक्तियां
24.	अधीक्षण खनि अभियंता	36(5) 37(10)	अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका की स्वीकृति/अस्वीकृति	एक सौ लाख रुपये तक बोली राशि के लिए संपूर्ण शक्तियां
25	खनि अभियंता	36(5) 37(10)	अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका की स्वीकृति/अस्वीकृति	पचास लाख रुपये तक बोली राशि के लिए संपूर्ण शक्तियां
26.	निदेशक	43(3)	बोली प्रतिभूति/प्रतिभूति निक्षेप समपहरण के साथ बोली स्वीकृत या स्वीकृति रिवोक करना और ठेका के निष्पादन के लिए कालावधि का विस्तार करना	संपूर्ण शक्तियां
27.	निदेशक	45	ठेकेदार को विवर्जित करना/काली सूची में डालना	संपूर्ण शक्तियां
28.	निदेशक	66	खनन पट्टों/खदान अनुज्ञप्तियों का समामेलन	संपूर्ण शक्तियां
29	अतिरिक्त निदेशक खान	76	खनन रियायत/ ठेको का नामांतरण अनुज्ञात करना और आदेश का प्रतिसंहरण	उनकी अधिकारिता के भीतर संपूर्ण शक्तियां
30.	निदेशक/अतिरिक्त निदेशक खान/अधीक्षण खनि अभियंता/ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता	80	किसी भी दावे का प्रतिदाय करना	सामान्य वित्त और लेखा नियमों के अनुसार

टिप्पणीः

(1) इसमें ऊपर किसी बात के होते हुए भी, 10.00 हेक्टर से अधिक क्षेत्र वाला कोई भी खनन पट्टा, खनिज बजरी (नदी बालू) को छोड़कर, सरकार द्वारा मंजूर किया जायेगा।

(2) इन शक्तियों का प्रयोग ऐसे सभी मामलों में जिनमें वित्तीय या राजस्व विवक्षताएं हैं, कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ लेखा कार्मिक के परामर्श से किया जायेगा।

प्रारूप 1
खनन पट्टे के लिए आवेदन
{नियम 4(2) देखिए}

प्रेषिती

खनि अभियंता/
सहायक खनि अभियंता,
खान और भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान.............................

पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पां करें।

महोदय,

1. मै/हम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अधीन .... हेक्टर क्षेत्र पर ...... वर्ष की कालावधि के लिए खनिज .... के लिए मुझे/हमें खनन पट्टा मंजूर करने के लिए अनुरोध करता हूं/करते हैं।
2. मैंने/हमने नियम 4(2) के अधीन संदेय आवेदन फीस के रूप में .... रुपये ई–संदाय बैंक का नाम .... जीआरएन सं .... दिनांक .... के माध्यम से जमा करा दिये हैं।
3. अपेक्षित विशिष्टियां निम्नलिखित हैः–

(क) आवेदक का नाम और पता ....
....

(ख) दूरभाष सं कार्यालय .... निवास ....
मोबाईल सं .... (पैन कार्ड) संख्यांक ....

.

ई–मेल पता ....
बैंक खाता सं ....
आईफएससी कोड ....

(ग) यदि आवेदक व्यष्टि हैः
(1) पिता का नाम/पति का नाम..
(2) जाति...
(3) आजीविका...................................
(4) राष्ट्रीयता..

(घ) यदि आवेदक फर्म/कंपनी/संगम/सोसाइटी हैः
(1) आवेदक का प्रकार.........................
(2) व्यवसाय का प्रकार.................................
(3) व्यवसाय स्थान..........................
(4) पंजीकरण का स्थान............................
(5) निदेशकों/भागीदारों की राष्ट्रीयता.................

4. आवेदक द्वारा राज्य में धारित खनिज रियायतों का ब्यौराः

क्र.सं	एमएल/पीएल/क्यूएल/आरसीसी/ईआरसीसी	खनिज	निकट ग्राम	तहसील	जिला	संबंधित स.ख.अ./ख.अ.	क्षेत्र हेक्टर में/ठेका क्षेत्र	कालावधि		अभ्युक्तियां
								से	तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

आवेदक द्वारा राज्य में आवेदित खनिजवार क्षेत्रों की विशिष्टियांः–

क्र.सं.	एमएल/क्यूएल	खनिज	निकट ग्राम	तहसील	जिला	सखअ/खअ	क्षेत्र हेक्टर में	अभ्युक्तियां
	2	3	4	5	6	7	8	9

5. पहले से अर्जित कुल क्षेत्र (हेक्टर में)..............................
6. क्या पहले से ही खनिज के उपयोग के लिए खनिज आधारित उद्योग स्थापित है, यदि हां तो अवस्थिति, विद्यमान पट्टे से प्रयुक्त खनिज की गुणवत्ता सहित, खनिज की वार्षिक अपेक्षा और ऐसे विभिन्न स्रोतों का ब्यौरा दें जहां से ऐसे कच्ची सामग्री प्राप्त की जा रही है...
....

7. यदि क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने का आशय हो (यदि ऐसा है तो उसकी विशिष्टियां दें)..

8. (क) नियम 4(3)(x) के अनुसार आवेदित क्षेत्र की किनारे के खंभों (डब्ल्यूजीएस 84 डेटम) के अक्षांश और देशांतर के साथ प्लान और वर्णन रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।

(ख) नियम 4(3)(xi) के अनुसार खसरा नक्शा ट्रेस, खसरा या आराजी संख्यांक, जमाबंदी और आवेदित क्षेत्र में आने वाले खसरा/आराजी के क्षेत्र की सीमा के साथ आवेदित क्षेत्र के राजस्व ब्यौरे की और परतदार नक्शे की प्रति।

9. अदेयता प्रमाणपत्र का सख्यांक और तारीख (प्रति संलग्न करें)..

(यदि आवेदन की तारीख को आवेदक कोई भी खनिज रियायत/ठेका इत्यादि धारण नहीं करता है तो इस प्रभाव का शपथपत्र संलग्न किया जायेगा)

10. कृपया आवेदित क्षेत्र से निम्नलिखित की दूरी उपदर्शित करें:

(क) आवेदित क्षेत्र से 1.00 किमी. अर्द्धव्यास के भीतर आने वाले कोई महत्वपूर्ण तालाब या बांध..... ......

(ख) आवेदित क्षेत्र के 1.00 किमी. अर्द्धव्यास के भीतर आने वाले किसी महत्वपूर्ण मंदिर, मस्जिद या पूजा का अन्य स्थान या पुरातत्व या पर्यटन महत्व का स्थान जिसमें कब्रिस्तान इत्यादि सम्मिलित हैं.................................

(ग) आवेदित क्षेत्र से 1.00 किमी. अर्द्धव्यास के भीतर आने वाली कोई नदी, नहर/ पक्की सड़क/रेल लाइन..

(घ) आवेदित क्षेत्र के 1.00 किमी. अर्द्धव्यास के भीतर आने वाली कोई भी स्थायी संरचना जैसे पावर लाइन/माइक्रोवेव टावर/जलाशय इत्यादि..

11. पैन कार्ड संख्यांक (पैन), फोटो पहचान पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति और पते के सबूत के लिए संलग्न करें (निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी दो)

(i) आधार कार्ड;

(ii) चालन अनुज्ञप्ति की प्रति;

(iii) मतदाता पहचान पत्र की प्रति;

(iv) पासपोर्ट की प्रति;

(v) बैंक पास बुक;

(vi) नवीनतम विद्युत बिल; या

(vii) दूरभाष बिल/जल बिल।

12. कंपनी/भागीदारी फर्म/व्यक्तियों के संगम की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न किये जायेंगेः–

(1) भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी फर्म विलेख और फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित प्रति, प्राइवेट परिसीमित कंपनी की दशा में संगम ज्ञापन और अनुच्छेद और निगमन प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित प्रति और व्यष्टि संगम की दशा में व्यष्टि संगम के दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रति;

(2) जहां आवेदक कंपनी है निदेशक बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में पारित संकल्प की स्वअनुप्रमाणित प्रति जो आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है;

(3) जहां आवेदक फर्म/व्यक्तियों का संगम है आवेदन फर्म के सभी भागीदारों/व्यक्तियों संगम के सदस्यों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में फर्म के भागीदारों या व्यक्तियों के संगम के सदस्यों द्वारा निष्पादित मुख्तारनामा की अनुप्रमाणित प्रति जो आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गयी विशिष्टियां सही हैं और मै/हम इस संबंध में मांग किये जाने पर अपेक्षित कोई भी अन्य ब्यौरा/दस्तावेज दे दूंगा/दे देंगे।

भवदीय

स्थान..........
तारीख..........

आवेदक के हस्ताक्षर
द्वारा प्रस्तुत

हस्ताक्षर.............
नाम और पता.........

प्रारूप–2
खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए आवेदन की प्राप्ति रसीद
{नियम 4(5)देखिए}

क्र.सं..................कार्यालय का नाम................ .... ख.प सं..................................दिनांक

ग्राम.....................तहसील........................जिला के पास स्थित........हेक्टर भूमि के लिए श्री/श्रीमती/सुश्री/मैसर्स...से खनिज.................के खनन के लिए आवेदन निम्नलिखित संलग्नकों के साथ........................20......को प्राप्त किया।

अनुलग्नक :–
....
....
....

प्राप्तिकर्ता

अधिकारी के हस्ताक्षर
और पदनाम

स्थान...........
तारीख..........

प्रारूप 3
बोली पत्र
{नियम 14(8)(i)(क)(I) और 37(7)(i)(क)(I) देखिए}

प्रेषिती

अतिरिक्त निदेशक,खान (मुख्यालय)
निदेशालय, खान और भूविज्ञान विभाग
शास्त्री सर्किल,उदयपुर–313001

विषयः खनन पट्टे, खदान अनुज्ञप्ति, अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके की स्वीकृति के के लिए बोली पत्र।

प्रिय महोदय,

बोली आमंत्रित करने की आपकी सूचना दिनांक (........)के प्रति निर्देश से, मैं बोली आमंत्रित करने की सूचना की परीक्षा करने और उसकी अन्तर्वस्तु समझने पर, अपनी तकनीकी बोली इसके द्वारा प्रस्तुत करता हूं:–

(1) तकनीकी बोली अशर्त और अविशेषित है।

(2) हमने बोली आमंत्रित करने वाली सूचना के निबंधनों का पुनर्विलोकन किया है और इसके द्वारा अशर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से उसके निबंधनों को स्वीकार, सहमत और अभिस्वीकृत करते हैं।

(3) हम अभिस्वीकृत करते हैं कि सरकार सम्मिलित बोलीदाता के चयन के लिए और सफल बोलीदाता के पश्चात्वर्ती चयन के लिए तकनीकी बोली में दी गयी जानकारी और तकनीकी बोली के साथ के दस्तावेजों पर निर्भर रहेगी और हम प्रमाणित करते हैं कि उसमें दी गयी समस्त जानकारी सत्य और सही है, ऐसे कोई बात लोपित नहीं की गयी है जो ऐसी जानकारी को भ्रामक बनाये और तकनीकी बोली के साथ के सभी दस्तावेज उनके संबंधित मूल दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं।

(4) यह कथन निविदा प्रक्रिया में हमारी भागीदारी के अभिव्यक्त प्रयोजन और सफल बोलीदाता के रूप में संभव चयन के लिए किया गया है।

(5) हम इसके द्वारा अभिपुष्टि करते हैं कि हम बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। हमारे भारतीय नागरिक होने के दस्तावेज संलग्न किये जाते हैं।

(6) हम इसके द्वारा अभिस्वीकृत करते हैं कि यदि हम कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत या पेश करते हैं और तत्पश्चात् यह प्रकट होता है कि ऐसा दस्तावेज मिथ्या या गलत था तो हम तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन दायी होंगे।

(7) हम सरकार को ऐसी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करायेंगे जो वह आवश्यक समझे या जिसकी तकनीकी बोली की अनुपूर्ति या अधिप्रमाणन करने के लिए अपेक्षा की जाये।

(8) मैं हमारी तकनीकी बोली और/या अंतिम कीमत प्रस्ताव को कोई भी कारण बताये बिना या अन्यथा नामंजूर करने के सरकार के अधिकार को अभिस्वीकृत करता हूं और इसके द्वारा उसे किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से चुनौती देने के हमारे अधिकार का अधित्यजन करता हूं।

(9) हम घोषणा करते हैं कि:

(i) हमने अधिनियम, तद्धीन विरचित किये गये नियमों, बोली आमंत्रित करने वाली सूचना और उसमें निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों की परीक्षा कर ली है और उन्हें समझ लिया है;

(ii) हम सरकार या किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम या केन्द्रीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा जारी प्रस्तावों के लिए किसी भी निविदा या उनके साथ किये गये किसी भी करार के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या किसी अभिकर्त्ता के माध्यम से किसी भी भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, प्रपीड़क आचरण या अवांछनीय आचरण या निर्बन्धनात्मक आचरण में लगे हुए या लिप्त नहीं हैं; और

(iii) हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं कि नियमों के अनुरूप हमारे लिए या हमारी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, प्रपीड़क आचरण या अवांछनीय आचरण या निर्बन्धनात्मक आचरण में लगा हुआ नहीं है या नहीं लगेगा।

(10) हम यह समझते हैं कि आप बोलीदाताओं के प्रति कोई भी दायित्व उपगत किये बिना नियमों के अनुसार निविदा प्रक्रिया किसी भी समय रद्द कर सकते हैं और कि आप न तो ऐसी कोई भी बोली स्वीकार करने, जो आप प्राप्त करें और न ही बोलीदाताओं को बोली लगाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आबद्ध हैं।

(11) हम इसके द्वारा ऐसे किसी भी अधिकार या उपचार को अप्रतिसंहरणीय रूप से अधित्यक्त करते हैं जो हमें विधि के अनुसार किसी भी प्रक्रम पर प्राप्त हो या सफल बोलीदाता के चयन के संबंध में या बोली आमंत्रित करने वाली सूचना और उसके क्रियान्वयन के संबंध में

निविदा प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा किये गये किसी भी विनिश्चय को चुनौती देने या प्रश्नगत करने के लिए किसी प्रकार से अन्यथा उद्भूत हो।

(12) हमें सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किये जाने पर हम ऐसी राशि का संदाय करने और उसमें यथापेक्षित ऐसी प्रतिभूति देने के लिए सहमत हैं।

(13) हमने बोली आमंत्रित करने वाली सूचना का अनुपालन हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सुनिश्चित कर लिया है कि यह बोली उसके निबंधनों के अनुसार है।

(14) हम सहमत हैं और समझते हैं कि बोली नियमों के अध्यधीन है। किसी भी मामले में हमारा किसी भी प्रकार की किसी प्रकृति का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा यदि खनन पट्टा, खदान अनुज्ञप्ति, अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका हमें नहीं दी जाती है या हमारी बोली नहीं खोली जाती है या नामंजूर की जाती है।

(15) प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव उद्धृत किया गया है और अंतिम कीमत प्रस्ताव बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में कथित सभी निबंधनों और शर्तों पर विचार करने के पश्चात् हमारे द्वारा उद्धृत किया जायेगा।

(16) हम इस प्रस्ताव को बोली आमंत्रित करने की सूचना में विनिर्दिष्ट बोली की नियत तारीख से 180 दिवस या ऐसी विस्तारित अवधि के लिए विधिमान्य रखेंगे जो सरकार के साथ तय पायी जाये।

जिसके साक्ष्यस्वरूप हम यह बोलीपत्र प्रस्तुत करते हैं जो नियमों और बोली आमंत्रित करने की सूचना के निबंधनों के अधीन और अनुसार हमारी तकनीकी बोली का भाग है।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्तारकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम)
बोलीदाता का नाम और मुहर

तारीख........
स्थान.......
संलग्नः
(संलग्न दस्तावेजों की सूची और वर्णन)

प्रारूप 4

मुख्तारनामा

{नियम 14(8)(i)(क)(VII) देखिए}

इन विलेखों से सभी को ज्ञात हो कि हम (बोलीदाता का नाम और पता)..................(. नाम)..........................(.पुत्र/पुत्री/पत्नी)(पिता/पति का नाम)...........स्थायी निवासी (.पता) को, जो वर्तमान में हमारे यहां नियोजित है और (.पदनाम)........धारण कर रहा है, हमारे नाम से और हमारी ओर से ऐसे सभी कार्य,काम और बातें, जो सरकार द्वारा जारी बोली आमंत्रित करने की सूचना दिनांक....... के प्रत्युत्तर में खनिज ब्लाक/ ठेका (.खनिज ब्लाक/ ठेका का नाम) (''खनिज ब्लाक/ ठेका '') के लिए हमारी बोली प्रस्तुत किये जाने के संबंध में या आनुषंगिता में आवश्यक या अपेक्षित हों, सम्मिलित करते हुए किन्तु सीमित न करते हुए सभी आवेदनों, शपथपत्रों, बोलियों और अन्य दस्तावेजों और लेखनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें प्रस्तुत करने, बोलीदाताओं के भाग लेने और सरकार को सूचना/प्रत्युत्तर देने, सरकार के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करने, खनिज ब्लाक के लिए हमारी बोली के संबंध में या बारे में या उससे उद्भूत सभी मामलों में और/या खनन पट्टे/खदान अनुज्ञप्ति/अधिशुल्क संग्रहण ठेका /अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके की स्वीकृति तक सामान्यतया सरकार से संव्यवहार करने के लिए हमारे सच्चे और विधिपूर्ण मुख्तार (''मुख्तार'') के रूप में इसके द्वारा अप्रतिसंहरणीय रूप से गठित, नामनिर्देशित, नियुक्त और प्राधिकृत करते हैं।

और हम इस मुख्तारनामा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण और प्रयोग में हमारे मुख्तार द्वारा किये गये या कारित सभी कार्यों, कामों और बातों का इसके द्वारा अनुसमर्थन और अभिपुष्ट करने के लिए सहमत हैं और इसके द्वारा अनुसमर्थन और अभिपुष्ट करते हैं और इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में हमारे उक्त मुख्तार द्वारा किये गये सभी कार्य, काम और बातें हमारे द्वारा की गयी और सदैव की हुई समझी जायेंगी।

जिसके साक्ष्यस्वरूप हमने (बोलीदाता का नाम), ऊपर नामित मालिक ने यह मुख्तारनामा आज (तारीख)..............को निष्पादित किया।

......................की ओर से
(हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)

साक्षीः
1......................
2....................
(नोटरीकरण की विशिष्टियां)

प्रारूप 5
संपादन प्रतिभूति के लिए बैंक प्रत्याभूति
{नियम 20 और 41 देखिए}

(.बैंक का निर्देश संख्यांक) दिनांक

प्रेषिती
संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता
का नाम और पता
यतः

क. निगम पहचान संख्यांक (.आवेदक का निपसं.) के साथ कंपनी अधिनियम,1956 (1956/2013) के अधीन भारत में निगमित (.नाम).........जिसका पंजीकृत कार्यालय (. पंजीकृत कार्यालय का नाम)............ पर स्थित है और व्यवसाय का मुख्य स्थान (यदि पंजीकृत कार्यालय से भिन्न है तो व्यवसाय के मुख्य स्थान का नाम.)................पर स्थित है, (.....आवेदक) से संपादन प्रतिभूति के रूप (संपादन बैंक प्रत्याभूति की समाप्ति तक) तक (...समाप्ति तारीख) विधिमान्य संपादन प्रतिभूति के रूप में (भारतीय रुपये में) अंकों में...........शब्दों में...........के बराबर राशि के लिए अशर्त और अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति देने की अपेक्षा की गयी है।
केवल कंपनियों के लिए उल्लिखित, फार्मेट में व्यष्टि/अन्य आवेदक सम्मिलित हो सकेंगे।

ख. संपादन प्रतिभूति संबंधित खनि अभियंता/सहायक अभियंता और पता (खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता का नाम)(....राज्य) को (प्रमुख दस्तावेज–खनन पट्टा/अधिशुल्क संग्रहण ठेका /अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके का निर्देश)(तारीख) के अधीन (खनिज की विशिष्टियां) (सामूहिक रूप से–रियायत दस्तावेज) के संबंध में कतिपय बाध्यताओं के उन्मोचन के लिए दिये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ग. हम (बैंक का नाम) (.....बैंक) आवेदक के अनुरोध पर रियायत दस्तावेज के अधीन आवेदक की बाध्यताओं को प्रतिभूत करने के लिए राज्य की ओर से मांग पर इसमें नीचे अन्तर्विष्ट निबंधनों और शर्तों पर भारतीय रुपये में (प्रत्याभूति राशि) अंकों में...... शब्दों में......से अनधिक राशि संदत्त करने का इसके द्वारा वचन देते हैं।

अतः अब बैंक आवेदक की ओर से यह अप्रतिसंहरणीय और अशर्त बैंक प्रत्याभूति (...प्रतिभूति) प्रत्याभूत राशि के लिए राज्य सरकार के पक्ष में जारी करता है।

1. बैंक इस प्रयोजन के लिए राज्य से पहली लिखित मांग की प्राप्ति पर, किसी भी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध या अवलंब के बिना कुल प्रत्याभूति राशि से अनधिक राशि या राशियां (एक या अधिक दावों के रूप में) उसमें विनिर्दिष्ट राशि के लिए ऐसी मांग के लिए बैंक का राज्य द्वारा कोई आधार या कारण साबित या दर्शित करने की आवश्यकता के बिना राज्य को और किसी भी प्रकार के किसी भी मामले में राज्य और आवेदक के बीच किसी विवाद या मतभेद के होते हुए भी अशर्तीय और अप्रतिसंहरणीय रूप से वचन देता है। बैंक इस प्रकार मांगा गया कोई भी धन आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी वाद या कार्यवाही में उठाये गये किसी विवाद या विवादों के होते हुए भी राज्य को संदत्त करने का वचन देता है और उसके संबंध में इस विलेख के अधीन बैंक का दायित्व आंत्यतिक और सुस्पष्ट है।
2. बैंक अभिस्वीकृत करता है कि बैंक द्वारा राज्य को संदेय राशि की राज्य द्वारा ऐसी कोई मांग आवेदक द्वारा रियायत दस्तावेज के अधीन संदेय राशिों के बारे में अंतिम, बाध्यकर और निश्चायक साक्ष्य होगी।
3. बैंक उपर्युक्त राशि या उसके भाग की आवेदक से मांग करने से राज्य के लिए आवश्यकता का अधित्यजन करता है और ऐसे किसी अधिकार का भी अधित्यजन करता है कि बैंक प्रत्याभूति के अधीन संदाय के लिए बैंक को कोई भी लिखित मांग प्रस्तुत किये जाने के पूर्व राज्य से आवेदक के विरुद्ध पहले अपने विधिक उपचार का अनुसरण करने की अपेक्षा करेगा।

   टिप्पणीः यदि आवेदक कंपनी नहीं है तो उपांतरित करें।
4. बैंक आगे राज्य के साथ अशर्तीय रूप से सहमत है कि राज्य, बैंक की किसी सम्मति के बिना और इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक की बाध्यता को किसी रीति से प्रभावित किये बिना, समय–समय पर,–
   (i) रियायत दस्तावेज के किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों को फेरफार और/या उपांतरित करने के लिए ;
   (ii) आवेदक के रियायत दस्तावेज के अधीन की बाध्यताओं के संपादन के लिए समय का विस्तार और/या स्थगित करने के लिए ; या
   (iii) रियायत दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों के अधीन आवेदक के विरुद्ध राज्य द्वारा किन्हीं भी अधिकारों से प्रविरत रहने या उन्हें प्रवर्तित करने के लिए,–

   स्वतंत्र होगा और बैंक अपने दायित्व से राज्य की ओर से किसी भी ऐसे कार्य या लोप के या राज्य द्वारा आवेदक के प्रति किसी भी उदारता या किसी भी प्रकार की अन्य बातों के कारण जिसका प्रभाव इस उपबंध के सिवाय, प्रतिभुओं से संबंधित विधि के अधीन बैंक को इस प्रत्याभूति के अपने दायित्वों से मुक्त करने का होता, अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा।
5. इसके अधीन किया गया कोई भी संदाय किसी भी वर्तमान या भावी करों, उद्ग्रहणों, लेवी, आयात, शुल्कों; प्रभारों, फीसों, कमीशन, कटौतियों या किसी प्रकार की किसी भी रुकावट के लिए या उसके मद्धे कटौती से मुक्त और उसके बिना स्पष्ट होगा।
6. बैंक सहमत है कि राज्य अपने विकल्प पर आवेदक के विरुद्ध पहली बार कार्यवाही किये बिना पहली बार मुख्य ऋणी के रूप में बैंक के विरुद्ध इस प्रत्याभूति को प्रवर्तित करने का हकदार होगा।
7. बैंक आगे सहमत है कि इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति उस कालावधि के दौरान पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी जो रियायत दस्तावेज में विनिर्दिष्ट है और यह संपादन प्रतिभूति के संबंध में उक्त रियायत दस्तावेज के अधीन या आधार पर आवेदक की सभी बाध्यताओं का पूर्णतया संदाय होने और उसके दावे चुकाने या उन्मोचित किये जाने तक या राज्य द्वारा यह प्रमाणित कर दिये जाने तक कि संपादन प्रतिभूति के संबंध में रियायत दस्तावेज के निबंधन और शर्तें आवेदक द्वारा पूर्णतया कार्यान्वित कर दी गयी हैं और तदनुसार इस

प्रत्याभूति को उन्मोचित करती है, प्रवर्तनीय रहेगी। इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि इस प्रत्याभूति के अधीन मांग या दावा समाप्ति तारीख को या उसके पूर्व लिखित में बैंक को नहीं किया जाता है तो बैंक उसके पश्चात् प्रत्याभूति के अधीन के सभी दायित्वों से उन्मोचित हो जायेगा।

8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा इस प्रकार किया गया संदाय उसके अधीन संदाय के लिए बैंक के दायित्व का विधिमान्य उन्मोचन होगा और राज्य का ऐसा संदाय करने के लिए बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।

9. प्रत्याभूति भारत की विधियों के अध्यधीन है। इस प्रत्याभूति से उद्भूत कोई भी वाद, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही या इसकी विषयवस्तु राजस्थान राज्य में स्थित न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता के अध्यधीन होगी।

10. बैंक घोषित करता है कि उसे यह प्रत्याभूति जारी करने और इसमें अनुध्यात बाध्यताओं का उन्मोचन करने की शक्ति है, अधोहस्ताक्षरी सम्यक् रूप से प्राधिकृत है और उसे बैंक की ओर से और उसके निमित्त यह प्रत्याभूति निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

11. बैंक राज्य की लिखित में पूर्व सहमति के सिवाय, इस प्रत्याभूति को इसके चालू रहने के दौरान प्रतिसंहृत न करने का वचन देता है।

12. राज्य बैंक को पूर्व सूचना से, इस प्रत्याभूति के अधीन के अधिकार ऐसे किसी भी अन्य विभाग, मंत्रालय या किसी सरकारी एजेंसी को, जो राज्यपाल के नाम से कार्य कर सकती हो, समनुदिष्ट कर सकेगा। इस खण्ड में यथाउपबंधित के सिवाय, यह प्रत्याभूति समनुदेशीय या अंतरणीय नहीं होगी।

13. इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन बैंक का दायित्व प्रत्याभूति राशि से अधिक नहीं होगा। यह बैंक प्रत्याभूति समाप्ति तारीख तक विधिमान्य होगी।

14. बैंक इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूत राशि या उसके भाग का संदाय करने के लिए केवल तब ही दायित्वाधीन है जब राज्य ने समाप्ति तारीख को या उसके पूर्व लिखित दावा या मांग तामील कर दी हो।

तारीख दिवस......मास........वर्ष

जिसके साक्ष्यस्वरूप बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और स्टांप लगा दी है।

....

(हस्ताक्षर)

....

(नाम और पदनाम)

बैंक स्टांप

प्रारूप 6
खनन पट्टे का प्रारूप
{नियम 21(2) देखिए}

यह अनुबंध एक पक्ष के रूप में राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसका पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे)

और

दूसरे पक्षकार के रूप में जब पट्टेधारी व्यष्टि (व्यक्ति का नाम)............ है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''पट्टेधारी'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित होंगे)

या

जब पट्टेधारी कोई पंजीकृत फर्म है (पहले भागीदार का नाम और पता)...............और (दूसरे भागदार का नाम और पता).......................और (तीसरे भागीदार का नाम और पता)...........जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन पंजीकृत (फर्म का नाम)............के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारी में व्यवसाय करते हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय (फर्म का पता)......................... में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''पट्टेधारी'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उक्त फर्म के सभी भागीदार, उनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

या

जहां पट्टेधारी कोई पंजीकृत कंपनी है (कंपनी का नाम)... .. और कंपनी (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है)...............................के अधीन पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय (कंपनी का पता)...........................में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टेधारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे) के बीच आज दिनांक........ ....को किया गया।

पृष्ठभूमिः

क. पट्टेधारी ने खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए इलैक्ट्रोनिक नीलामी में भाग लिया था, जिसके अनुसरण में पट्टेधारी खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए पात्र हो गया है या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी थी या मंशा पत्र जारी किया गया है या खनन पट्टा मंजूर किया गया है, जिसके संबंध में पट्टेधारी ने खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन अध्यपेक्षाओं को पूरा कर दिया है।

ख. तद्नुसार, राज्य सरकार इसमें इसके पश्चात् आरक्षित और अन्तर्विष्ट पट्टेधारी की ओर से संदत्त, अनुपालित और संपादित किये जाने के लिए फीस, अधिशुल्क, प्रसंविदा और करार के प्रतिफल में पट्टेधारी को पट्टे की स्वीकृति के लिए अब यह विलेख निष्पादित कर रहीं है।

ग. राज्य सरकार इसमें इसके पश्चात् खण्ड 1(ख) में वर्णित भूमि के बारे में खनिज.............. ... के लिए खनन पट्टा इसके द्वारा मंजूर करती है और उसने/उन्होंने प्रतिभूति के रूप में...................रुपये, संपादन प्रतिभूति के रूप में.........रुपये और वित्तीय आश्वासन के रूप में ....रुपये की राशि जमा कर दी है।

अतः अब यह विलेख साक्षी है और इसके पक्षकार इसके द्वारा निम्नलिखित करार करते हैं:–

1. पट्टांतरणः

(1) इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट और पट्टेधारी/पट्टेदारों की ओर से संदत्त, अनुपालित और संचालित किये जाने के लिए भाटक और अधिशुल्क, प्रसंविदा और करार के प्रतिफल में पट्टेधारी/ पट्टेदारों को ऐसी भूमियों, जिनका निर्देश इसमें इसके पश्चात् किया गया है, में या उस पर स्थित, पड़ी और होने पर ये सभी खानें/परतें/धारियां/संस्तर (इसमें इसके पश्चात् उक्त खनिजों के रूप में निर्दिष्ट) और इस पट्टे के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सरकार इसके द्वारा मंजूर करती है और पट्टांतरित करती है।

(2) उक्त भूमियों का क्षेत्र निम्नलिखित है (इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि या पट्टाकृत क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है)।

(3) पट्टेधारी इसके द्वारा मंजूर और पट्टांतरित परिसरों को.........वर्ष की कालावधि के लिए तत्पश्चात् आगामी परिणाम तक धारित करेगा।

2. स्वतन्त्रताएं, शक्तियां और विशेषाधिकार जिनका उपयोग और उपभोग पट्टेदारों द्वारा किया जायेगाः

पट्टेधारी/ पट्टेदारों, द्वारा उपयोग और उपभोग की जाने वाली निम्नलिखित स्वतन्त्राए, शक्तियां और विशेषाधिकार इस पट्टे के अन्य उपबंधों के अध्यधीन हो सकेगी :

(1) भूमि में प्रवेश करना और तलाशी, प्राप्ति, कार्य इत्यादि.—इसके द्वारा पट्टांतरित अवधियों के दौरान हर समय उक्त भूमियों में प्रवेश करने और उक्त खनिजों की तलाशी करने, उनका खनन, बोर डिग, ड्रिल करने, कार्य, ड्रेस, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन करने, उन्हें ले जाने और व्ययन करने के लिए स्वतंत्रता और शक्तियां।

(2) सिंक, ड्राइव और गर्त बनाना, शाफ्ट और ढलाव इत्यादि बनाना—इस खण्ड में वर्णित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए या उनके संबंध में स्वतंत्रता और शक्तियां उक्त भूमियों में सिंक, ड्राइव बनाना, संधारण और उपयोग करना और गर्तों, शॉफ्टों, ढलानों, प्रवाहों, स्तरों, जलसरणियों, वायु मार्गों और अन्य संकर्म करने की और उक्त भूमियों में ऐसी ही प्रकृति के किसी भी विद्यमान संकर्म का उपयोग, संधारण, गहरा या विस्तार करना;

(3) मशीनरी और उपस्कर लाना और उनका उपयोग करना.—इस खण्ड में वर्णित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए या उनके संबंध में स्वतंत्रता और शक्ति के लिए उक्त भूमि पर या उसके नीचे कोई भी इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, ड्रेसिंग फर्श, भट्टियां, कोयला भट्टी, ईंट भट्टा, कार्यशाला, भंडार गृह, बंगलों, गोदामों, शेड और अन्य भवनों और अन्य संकर्मों और उक्त भूमि पर या उसके नीचे ऐसी ही प्रकृति की अन्य सुविधाओं का परिनिर्माण, संनिर्माण, संधारण और उपयोग करना;

(4) जलधारा इत्यादि से जल का उपयोग करना.—इस खण्ड में वर्णित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए या उनके संबंध में स्वतंत्रता और शक्ति के लिए परन्तु, किसी विद्यमान या भावी पट्टेधारी के अधिकारों के अध्यधीन रहते हुए और कलक्टर की लिखित अनुज्ञा से, उक्त भूमि में या उस पर किसी भी जलधारा, जलसरणी, झरने या अन्य स्रोत से जल का विनियोजन और उपयोग करना और ऐसी किसी भी जलधारा या जलसरणी का अपयोजन, ऐसी किसी भी जलधारा या जलसरणी को बांधना और संगृहीत या अवरुद्ध करना। किसी भी जलसरणी, भूमिगत नाली या जलाशय इस प्रकार बनाना, संनिर्मित और संधारित करना जिससे न तो कोई खेत, ग्राम, भवन या पशुधन के पानी पीने के स्थान से जल के समुचित प्रदाय से, जो पहले था, वंचित हों और न ही ऐसी किसी भी जलधारा या झरने को गंदा या प्रदूषित करेगा परन्तु यह तब जबकि पट्टेधारी न तो किसी भी नौगम्य जलधारा के नौगमन में विघ्न डालेगा और न ही ऐसी जलधारा को सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना अपयोजित करेगा।

3. स्वतंत्रताओं के प्रयोग इत्यादि के बारे में निर्बंधनः

खण्ड 2 के अधीन मंजूर स्वतंत्रताएं, शक्तियां और विशेषाधिकार निम्नलिखित निर्बंधनों के अध्यधीन और इस पट्टे के अन्य उपबंधों के अध्यधीन होंगेः—

(1) लोक संकर्म इत्यादि के 45 मीटर के भीतर खनन संक्रियाएं इत्यादि.—पट्टेधारी कोई भी खनन संक्रिया रेल लाइन से पैंतालीस मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिन्दु पर संबंधित रेल प्रशासन की लिखित अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, या किसी भी रज्जुमार्ग या रज्जुमार्ग टकटकी या स्टेशन के नीचे या नीचे की ओर रज्जुमार्ग के स्वामित्व वाले प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, या (खान पहुंच सड़क/ग्राम सड़क को छोड़कर) किसी भी लोक सड़क, जलाशय, नहर, अन्य लोक स्थान, रेलवे के भवन या खंभों और सड़क पुलों या बसे हुए स्थलों से पैंतालीस मीटर दूरी के भीतर के किसी बिन्दु पर कलक्टर या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय और या तो साधारण या विनिर्दिष्ट ऐसे अनुदेशों, निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार से अन्यथा नहीं करेगा या किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा जो ऐसी अनुज्ञा से संलग्न की जायें। पैंतालीस मीटर की उक्त दूरी का माप (खान पहुंच सड़कों/ग्राम सड़कों को छोड़कर) लोक सड़कों, रेल, जलाशय या नहर के मामले में किनारे की बाहरी ठोकर या, यथास्थिति, कटिंग के बाहरी किनारे से क्षैतिजीय रूप से और किसी भवन के मामले में उसकी कुर्सी से क्षैतिजीय रूप से किया जायेगा। पट्टेधारी खान पहुंच सड़क/ग्राम सड़क (जिनमें राजस्व अभिलेख में ग्राम सड़क के रूप में दर्शित कोई ट्रैक

सम्मिलित है) की दशा में कटिंग के बाहरी किनारे के दस मीटर की दूरी के भीतर कोई भी कलक्टर या राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय और या तो साधारण या विनिर्दिष्ट ऐसे अनुदेशों, निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार से अन्यथा नहीं करेगा जो ऐसी अनुज्ञा से संलग्न की जा सकेगी।

(2) पहले से उपयोग में न ली गयी किसी भूमि पर सतह संक्रिया के लिए अनुज्ञा–भूमि, जिसका उपयोग ऐसी संक्रियां के लिए पहले नहीं किया गया है, सतह संक्रिया के लिए उपयोग में लेने के पूर्व, पट्टेधारी जिला कलक्टर को एक कलैण्डर मास का लिखित में पूर्व नोटिस उसमें इस प्रकार उपयोग में लिए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की अवस्थिति और विस्तार और ऐसा प्रयोजन जिसके लिए वह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट करते हुए देगा और उक्त भूमि का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जायेगा, यदि कलक्टर द्वारा उसके द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् एक मास के भीतर कोई आक्षेप किया जाता है यदि इस प्रकार कथित आक्षेप को सरकार को निर्देश किये जाने पर खंडित या अधित्यक्त नहीं कर दिया जाता है।

4. पट्टेधारी सरकार के साथ इसके द्वारा निम्नलिखित प्रसंविदा करता हैः–

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अनुसार प्रसंविदा–पट्टेधारी/ पट्टेदारों द्वारा पट्टाकृत क्षेत्र से प्रेषित या उसके भीतर उपभुक्त उक्त खनिज की मात्रा पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट दर से अधिशुल्क का संदाय करेगा/करेंगेः

परन्तु यह तब जबकि उक्त दरें सरकार द्वारा पुनरीक्षणीय होंगी और ऐसा पुनरीक्षण इस पट्टे को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए लागू होगा कि अधिशुल्क की दर में अभिवृद्धि तीन वर्ष की किसी कालावधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं की जायेगी।

(2) सतह भाटक और अन्य संदायः

(क) पट्टेधारी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में यथाविनिर्दिष्ट प्रीमियम राशि का संदाय करेगा।

(ख) पट्टेधारी/ पट्टेदारों (खनन प्रयोजन के लिए) उसके/उनके द्वारा उपयोग में लिये गये सतह क्षेत्र के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य के भू–राजस्व विभाग को संदेय भू–राजस्व के बराबर सतह भाटक का संदाय करेगा/करेंगे।

(ग) पट्टेधारी अधिशुल्क के अतिरिक्त, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में समय–समय पर, यथासंशोधित, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार संदाय करेगा।

(3) स्थिर भाटक–पट्टेधारी/ पट्टेदारों प्रत्येक वर्ष के लिए समय–समय पर, यथाअवधारित, वार्षिक स्थिर भाटक भी अग्रिम रूप से संदत्त करेगा/करेंगेः

परन्तु यह तब जबकि पट्टेधारी/पट्टेदारों प्रत्येक खनिज के बारे में स्थिर भाटक या अधिशुल्क, इनमें से जो भी उच्चतर हो, संदत्त करने का दायी होगा न कि दोनों।

(4) स्थिर भाटक इत्यादि की दर और संदाय–ऊपर उप–खंड (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पट्टे के पंजीकरण की तारीख से, पट्टेधारी/ पट्टेदारों सरकार को..........रुपये की ''स्थिर भाटक'' के रूप में न्यूनतम वार्षिक अधिशुल्क पूर्वोक्तानुसार के अध्यधीन रहते हुए खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के कार्यालय में संदत्त करेगा/करेंगे। यह उपबंध अधिशुल्क, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास या किन्हीं भी अन्य प्रभारों के संदाय को भी लागू होगा। सतह भाटक राजस्व विभाग के पास जमा कराया जायेगा।

(5) पुनरीक्षित प्रतिभूति, संपादन प्रतिभूति और वित्तीय आश्वासन–पट्टेधारी प्रतिभूति और संपादन प्रतिभूति के अंतर की राशि का संदाय पुनरीक्षित स्थिर भाटक के अनुसार करेगा। पट्टेधारी वित्तीय आश्वासन के अंतर की राशि का भी संदाय करेगा यदि क्षेत्र खनन और सहबद्ध क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लिया जाता है।

(6) ढेर हटाये जाने के प्रभार–पट्टेधारी उक्त क्षेत्र में खानों और खदानों के पारिस्थितिक प्रत्यावर्तन के लिए सरकार को प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए ऐसी राशि, ऐसे समय पर और ऐसी दर से संदत्त करेगा/करेंगे, जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाये।

(7) नुकसानी के लिए प्रतिकर का संदाय करना और सरकार की क्षतिपूर्ति करना– पट्टेधारी/पट्टेदारों ऐसी सभी नुकसानियों, क्षति या विघ्न के लिए, जो उसके/उनके द्वारा पट्टे द्वारा मंजूर शक्तियों के प्रयोग में किये गये हों, ऐसा युक्तियुक्त समाधान करेगा/करेंगे और प्रतिकर संदत्त करेगा/करेंगे और ऐसे सभी दावों के विरूद्ध सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा जो ऐसी नुकसानी, क्षति या विघ्न के बारे में किसी तीसरे पक्षकार द्वारा किये गये हों।

(क) सभी दावों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति करना और तीसरे व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रतिकर का संदाय करना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों ऐसा युक्तियुक्त समाधान करेगा/करेंगे और प्रतिकर संदत्त करेगा/करेंगे, जो विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा सभी नुकसानियों, क्षति या विघ्न के लिए, जो उसके/उनके द्वारा इस पट्टे द्वारा मंजूर शक्तियों के प्रयोग में किये गये हों, इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार निर्धारित किया जाये और ऐसे सभी दावों के, जो ऐसी नुकसानी, क्षति या विघ्न के बारे में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किये गये हों, और उनसे संबंधित सभी लागतों और व्ययों के विरूद्ध सरकार की पूर्णतः और पूर्णता से क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे और क्षतिपूर्ति रखेगा/रखेंगे।

(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहिति न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी संदत्त करना।

(ग) खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का अनुपालन करना।

(घ) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के उपबंधों का अनुपालन करना।

(8) वृक्षों को क्षति न पहुंचाना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों अपने पट्टा क्षेत्र में किसी वृक्ष को सक्षम प्राधिकारी की लिखित में पूर्व स्वीकृति के बिना क्षति नहीं पहुंचायेगा/पहुंचयोंगे या उसे नहीं काटेगा/काटेंगे।

(9) सीमा और मध्यवर्ती स्तंभों का संधारण–पट्टेधारी/ पट्टेदारों इससे संलग्न योजना में दर्शित और नियम 28 के उप–नियम (1) के खण्ड (iv) में यथाविनिर्दिष्ट सीमांकन के अनुसार अपने स्वयं के खर्चे पर सीमा और मध्यवर्ती स्तंभों का परिनिर्माण करेगा/करेंगे और हर समय संधारित और मरम्मत करते रहेगा/रहेंगे।

(10) कतिपय स्थानों पर भवनों इत्यादि का परिनिर्माण न करना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों किसी भी लोक आमोद–प्रमोद मैदान, पूजा स्थानों, पवित्र कब्र, शमशान या कब्रिस्तान, आवास या लोक सड़क या ऐसे अन्य स्थानों के लिए ग्रामीण स्थलों पर, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस निर्बंधन के भीतर लाने के लिए लोक मैदान के रूप में अवधारित करे, कोई भवन परिनिर्मित नहीं करेगा/करेंगे या कोई भी सतह संक्रियाएं नहीं करेगा/करेंगे।

(11) खनन संक्रियाएं छह मास के भीतर प्रारंभ करना और उन्हें उचित रूप से करना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों खनन संक्रियाएं उसे/उन्हें मंजूर पट्टे की तारीख से छह मास के भीतर प्रारंभ करेगा/करेंगे और उसके पश्चात् ऐसी संक्रियाएं अपशिष्ट के सावधानीपूर्वक भंडारण और जल निकास के पर्याप्त अतिभार को हटाकर अपशिष्ट के निवारण के बारे में और खान के सारे मूल्यवान् खनिजों को भीतर से हटाने के बारे में उचित कौशल और कार्यकुशलता दोनों रीति के साथ प्रभावी रूप से करेगा/करेंगे। पट्टेधारी/पट्टेदारों सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और पर्यावरण मित्रवत् खनन के लिए कार्यकुशलता के साथ कार्य करेगा, जिससे खनिज भंडारों का व्यवस्थित विकास, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षा और मानव और मशीनरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(12) लेखा–पट्टेधारी/ पट्टेदारों खान से अभिप्राप्त सभी खनिजों की मात्रा और विशिष्टियां, विक्रीत या प्रेषित खनिज का ब्यौरा और उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या और खान की पूर्ण योजनाएं भी दर्शित करते हुए सही–सही लेखा रखेगा/रखेंगे और विभाग के किसी भी

अधिकारी को ऐसे लेखाओं और खान योजना की परीक्षा किसी भी समय करने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे और उसे उपर्युक्त मामले के बारे में ऐसी जानकारी और विवरणी देगा/देंगे, जिसकी अपेक्षा की जाये।

(13) नियमों का पालन करना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों सभी विद्यमान अधिनियमों और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित नियमों का और ऐसे सभी अन्य अधिनियमों या नियमों का जो समय–समय पर खानों के कार्यकरण और पट्टेधारी/ पट्टेदारों की या जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुविधा को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के बारे में प्रवर्तित किये जायें, पालन करेगा/करेंगे।

(14) अन्य खनिज रियायत या अनुज्ञापत्र धारकों को सुविधाओं का अनुज्ञात किया जाना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों ऐसी किसी भी भूमि के विद्यमान और भावी खनिज रियायत या अनुज्ञापत्र धारकों को, जो पट्टेधारी/ पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट हो या उससे लगी हुई हो या जिससे होकर पहुंचा जाता है, पहुंच के लिए समुचित सुविधाएं अनुज्ञात करेगा/करेंगे।

(15) अधिकारियों के प्रवेश की अनुज्ञा देना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों विभाग के किसी भी अधिकरी या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को पट्टे में समाविष्ट परिसर में उसकी परीक्षा करने के प्रयोजन से प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे और उसके द्वारा खनिजों और सापेक्ष मामलों के संरक्षण और विकास के बारे में समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करेगा/करेंगे।

(16) पट्टेधारी द्वारा परिनिर्मित भवन–पट्टेधारी/ पट्टेदारों उसे मंजूर क्षेत्र पर, सद्भावी प्रयोजन के लिए अपेक्षित कोई भवन परिनिर्मित कर सकेगा/सकेंगे और ऐसा भवन पट्टे के समाप्ति या पट्टे के पूर्ववर्ती समाप्ति या अध्यर्पण के पश्चात् सरकार की संपत्ति होगाः

परन्तु यह तब जबकि इस खण्ड के उपबंध खनिज बजरी (नदी बालू) के लिए खनन पट्टे के पट्टेधारी/ पट्टेदारों के लिए लागू नहीं होंगे।

(17) दुर्घटना और किसी भी अन्य खनिज का पता लगने की रिपोर्ट करना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को ऐसी किसी दुर्घटना की रिपोर्ट, जो उक्त परिसर पर या उसमें घटित हो जाये और पट्टे द्वारा पट्टाकृत खानों की किसी भी भूमि पर या उसमें पट्टे में विनिर्दिष्ट न किये गये किसी भी खनिज का, चाहे वह अप्रधान हो या अन्यथा, पता लगने की रिपोर्ट भी अविलंब करेगा/करेंगे।

(18) पता चले नये खनिजों की स्वीकृति/कार्यकरण–जहां स्वीकृति के पश्चात्, किसी नये खनिज का पता चलता है, वहां पट्टेधारी उसे प्राप्त और उसका व्ययन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे पट्टे में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता है या पृथक् पट्टा प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। यदि पट्टेधारी ऐसे खनिज को सम्मिलित किये जाने लिए आवेदन नहीं करता है तो पट्टे को समाप्त किया जा सकेगा और नया पट्टा ई–नीलामी के माध्यम से मंजूर किया जायेगा।

(19) संरक्षित क्षेत्र का कब्जा सौंपा जाना–यदि पट्टा क्षेत्र में से किसी क्षेत्र को प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के अधीन संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो पट्टेधारी को उस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रतिकर का दावा किये बिना राज्य सरकार को कब्जा वापस देना होगा।

(20) पट्टे का समाप्त करने की स्वतंत्रता–पट्टेधारी/ पट्टेदारों किसी भी समय राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लिखित में नोटिस देकर इस पट्टे को समाप्त कर सकेगा/सकेंगे और सभी भाटकों, जल दरों, रायल्टियों, नुकसानी के लिए प्रतिकर और ऐसे अन्य धन का संदाय करेगा/करेंगे, जो उस समय पट्टाकर्ता या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को इन विलेखों के अधीन शोध्य और संदेय हो और इन विलेखों का परिदान सक्षम प्रधिकारी को करेगा/करेंगे और तब इसके द्वारा मंजूर यह पट्टा और उक्त निबंधन और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और विशेषाधिकार पूर्णतया बंद और समाप्त हो जायेंगे किन्तु उसके विलेख में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रसंविदा या करार के

किसी उल्लंघन के बारे में पट्टाकर्ता के किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(21) निरस्तीकरण–पट्टा निरस्त किए जाने का दायी होगा यदि पट्टेधारी/ पट्टादारों सक्षम प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना खान में कार्य छह मास की निरंतर कालावधि के लिए बंद कर देता है/देते हैं।

(22) शुफाधिकार–सरकार को पट्टे द्वारा पट्टाकृत भूमि में या उस पर पड़े सभी खनिजों पर चालू बाजार दरों पर शुफाधिकार होगा और वह ऐसे खनिजों के बारे में किसी भी अन्य पक्षकार के दावों के विरुद्ध पट्टेधारी/ पट्टादारों की क्षतिपूर्ति करेगी।

(23) अधिशुल्क या भाटक के असंदाय का परिणाम–सरकार पट्टेधारी को शोध्यों का संदाय, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर करने के लिए नोटिस तामील करने के पश्चात् पट्टे को समाप्त करेगी और प्रतिभूति निक्षेप समपहृत करेगी, यदि स्थिर भाटक अधिशुल्क या ढेर हटाने के प्रभारों का संदाय इन विलेखों में नियत तारीख के पश्चात् अगले तीस दिवस के भीतर नहीं किया जाता है। सरकार को उपर्युक्त नोटिस तामील करने के पश्चात् किसी भी समय उक्त भूमि पर प्रवेश करने और उसमें के किन्हीं भी या सारे खनिजों या चल सम्पत्ति का करस्थम करने का और इस प्रकार करस्थम सम्पत्ति को ले जाने, करस्थम करने या विक्रय करने के आदेश का अधिकार होगा, जितना भाटक या ढेर हटाने के प्रभारों की अधिशुल्क और उसके असंदाय के कारण हुई सभी लागतों और व्ययों को चुकाने के लिए पर्याप्त हो। ये अधिकार सरकार के अपने सभी शोध्यों की, राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं.5) या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अधीन वसूली करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

(क) अन्य प्रसंविदाओं के उल्लंघन का परिणाम–पट्टेधारी/ पट्टादारों की ओर से पट्टे में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रसंविदा या शर्त के किसी भी उल्लंघन की दशा, में चाहे वह इस खण्ड में अन्तर्विष्ट हो या इस पट्टे किसी भी अन्य खण्ड में, सरकार पट्टे का समाप्त कर सकेगी और प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर सकेगी और उक्त परिसर का कब्जा ले सकेगी या वैकल्पिक रूप से अनुसूची 4 में, यथाविनिर्दिष्ट, शास्ति का संदाय अधिरोपित कर सकेगी। ऐसी कार्रवाई तक तब नहीं की जायेगी जब तक कि पट्टेधारी/ पट्टादारों तीस दिवस के नोटिस के पश्चात् उपचार करने में विफल रहता है/रहते हैं।

(ख) पट्टे के समाप्ति पर परिदान–पट्टे की समाप्ति या उसके पूर्ववर्ती समाप्ति पर पट्टेधारी उक्त परिसर और किसी भी कार्यकरण के बारे में खोदा गया सारा खनिज (यदि कोई हो), जिसके बारे में सरकार ने परित्याग स्वीकृत किया हुआ हो सकता है, परिदत्त करेगा/करेंगे।

(ग) (i) लोक हित में पट्टे का समापन–सरकार पट्टे का समापन कर सकेगी यदि सरकार का यह विचार हो कि पट्टाधीन अप्रधान खनिज जनता के हित में उद्योग स्थापित करने के लिए अपेक्षित है।

(ii) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पट्टे का समापन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि सरकार द्वारा लिखित में छह मास का नोटिस पट्टेधारी/ पट्टेदारों को नहीं दे दिया जाता है। तथापि, ऐसा नोटिस आपात युद्ध में दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(24) अनुसूचित क्षेत्र में, पट्टेधारी नियोजन में जनजातियों और ऐसे व्यक्तियों को अधिमान देगा, जो खनन संक्रियाएं करने के कारण विस्थापित हो जाते हैं।

(25) विदेशी नागरिकों का नियोजन–पट्टेधारी/पट्टेदारों पूर्वेक्षण संक्रियाओं के संबंध में, ऐसे किसी व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय नियोजित नहीं करेगा, जो भारतीय नागरिक नहीं है।

5. पट्टेधारी की और प्रसंविदाएं:

पट्टेधारी/ पट्टेदारों इसके द्वारा सरकार के साथ निम्नलिखित प्रसंविदा करता है/करते हैं:–

(1) पट्टेधारी/ पट्टेदारों जब सरकार द्वारा आज्ञा दी जाये, गर्तमुख या प्रत्येक गर्तमुख पर या में या समीप के क्लस्टर क्षेत्र में, जिस पर खनिज किनारे लाया जायेगा, समुचित रूप से संनिर्मित और दक्ष कम्प्यूटरीकृत तुलाई मशीन का प्रबंध करेगा और हर समय रखेगा और उस पर किनारे लाये गये, विक्रीत, निर्यातित और संपरिवर्तित सभी खनिजों का और संपरिवर्तित उत्पादों का भी तौल करेगा या तुलवायेगा। पट्टेधारी प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर पूर्व के चौबीस घण्टे के दौरान निकाले गये, विक्रीत, निर्यातित और संपरिवर्तित उक्त खनिजों के ऐसे साधनों के द्वारा अभिनिश्चित कुल वजन को, पट्टेधारी द्वारा संधारित लेखा रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा। पट्टेधारी पट्टे की अवधि के दौरान हर समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पूर्वानुसार उक्त खनिजों के तौलने के समय उपस्थित रहने और उसका लेखा रखने और पट्टेधारी द्वारा संधारित लेखाओं की जांच करने के लिए सरकार को अनुज्ञात करेगा।

(2) तुलाई मशीन का परीक्षण अनुज्ञात करना–पट्टेधारी पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय या हर समय, सरकार द्वारा उस निमित्त नियुक्त किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को पूर्वानुसार उपबंधित और रखी गयी कम्प्यूटरीकृत तुलाई मशीन की और उपयोग में लिये गये बाटों की परीक्षा और जांच यह अभिनिश्चित करने के लिए अनुज्ञात करेगा कि वे क्रमशः सही और अच्छी स्थिति में है और व्यवस्थित हैं। यदि ऐसी किसी भी परीक्षा या जांच में, ऐसी कोई भी तुलाई मशीन गलत या खराब या अव्यवस्थित पायी जाती है तो सरकार अपेक्षा कर सकेगी कि उन्हें पट्टेधारी द्वारा और उसके खर्चे पर ठीक किया जाये, उनकी मरम्मत की जाये और सुव्यवस्थित किया जाये। यदि ऐसी अध्यपेक्षा का पालन उसके किये जाने के पश्चात् तीस दिवस के भीतर नहीं किया जाता है तो सरकार पट्टेधारी के खर्चे पर ऐसी तुलाई मशीन या बाटों को ठीक, मरम्मत और सुव्यवस्थित करायेगी। यदि पूर्वोक्तानुसार ऐसी किसी परीक्षा या जांच पर किसी भी तुलाई मशीन या बाट में, सरकार के प्रतिकूल किसी गलती का पता चलता है तो ऐसी गलती के लिए यह माना जायेगा कि वह उसका पता चलने के तीन मास पूर्व से या उसी तुलाई मशीन और बाटों की इस प्रकार परीक्षा और जांच के अंतिम अवसर से विद्यमान थी, यदि ऐसा अवसर उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर है और पट्टेधारी तद्नुसार संगणित अधिशुल्क का संदाय करेगा।

(3) अन्य खनिजों के कार्यकरण में बाधा न डालना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों इसके द्वारा मंजूर स्वतंत्रताओं और शक्तियों का प्रयोग ऐसी रीति से करेगा/करेंगे कि उक्त भूमि के भीतर इस पट्टे में सम्मिलित न किये गये किन्हीं भी खनिजों के कार्यकरण के विकास में कोई अनावश्यक या युक्तियुक्त रूप से शून्यकरणीय बाधा या अवरोध कारित न हो और हर समय केन्द्रीय और राज्य सरकार और खनिज रियायत धारकों को किसी भी भूमि के भीतर ऐसे किसी भी खनिज या, यथास्थिति, ऐसी भूमि से लगी किसी भी भूमि के भीतर किसी भी खनिज के बारे में ऐसे खनिजों तक पहुंच के समुचित साधन और उक्त भूमि पर और आरपार सुरक्षित सुविधाजनक रास्ता उन्हें प्राप्त, कार्यकरण, विकास करने और ले जाने के प्रयोजन के लिए देगा/देंगे परन्तु यह तब जबकि पट्टेधारी/ पट्टेदारों ऐसी किसी नुकसानी या क्षति के लिए युक्तियुक्त प्रतिकर प्राप्त करेगा/करेंगे जो खनिज रियायतों के ऐसे पट्टेधारी या धारक द्वारा ऐसे रास्ते के उपयोग के परिणामस्वरूप हो।

(4) पट्टे के समापन के पश्चात् तीन मास से अधिक पड़ी संपत्ति का समपहरण–यदि पट्टे की समाप्ति या पट्टे के पूर्ववर्ती समापन पर या ऐसी तारीख के पश्चात्, जिससे पट्टेधारी द्वारा इस पट्टे के खण्ड 4 के उप–खण्ड (20) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन उक्त भूमि का कोई भाग या के भागों का अध्यर्पण प्रभावी हो जाता है,

उक्त भूमि या, यथास्थिति, अध्यर्पित भाग या भागों में या उन पर कोई भी इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, निर्माण, ट्रामवे, रेल और अन्य संकर्म परिनिर्माण और सुविधाएं या अन्य संपत्ति रह जाती है, जिसकी पट्टेधारी/ पट्टेदारों द्वारा उक्त भूमि के उन भागों में उसकी/उनकी संक्रियाओं के संबंध में अपेक्षा नहीं की जाती है, वे सरकार की संपत्ति हो जायेंगी और उनका पट्टे की समाप्ति या पूर्ववर्ती समापन की तारीख से तीन मास की कालावधि के पश्चात्, किसी भी प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व के बिना विक्रय या व्ययन ऐसी रीति से किया जा सकेगा जो सरकार उचित समझे।

(5) अभिधारियों के लिए अधिशुल्क की छूट–अभिधारी द्वारा नियम 75 में यथाविनिर्दिष्ट, सद्भावी प्रयोजनों के लिए अपेक्षित अप्रधान खनिज पर कोई अधिशुल्क प्रभारित नहीं की जायेगी।

6. पट्टेधारी की और प्रसंविदाएंः

पट्टेधारी/ पट्टेदारों सरकार के साथ निम्नलिखित और प्रसंविदा करता है/करते हैंः–

(1) ब्याज–पट्टेधारी इस पट्टे के अधीन पट्टेधारी/ पट्टेदारों के विरुद्ध बकाया सभी राशिों पर, चाहे वे स्थिर भाटक, अधिशुल्क, सतह भाटक के रूप में हों या अन्यथा, पंद्रह प्रतिशत, प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का सरकार को संदाय करेगा/करेंगे।

(2) खानों इत्यादि को सुव्यवस्थित रखना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों सभी खानों, भवनों, इंजिनों, मशीनरी और अन्य खनन संयंत्रों को अपनी संपूर्ण अवधियों में अच्छी और कार्यशील स्थिति में रखेगा/रखेंगे।

(3) रोड़ी पत्थर इत्यादि का केवल पट्टाकृत क्षेत्र से लाया जाना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों अपनी खदानों से रोड़ी पत्थर, खंडा और अनगढे पत्थर केवल पट्टाकृत क्षेत्र में सद्भावी उपयोग के लिए ले जायेगा/जायेंगे और उपयोग करेगा/करेंगे और इस प्रकार उपयोग में लिये गये खनिज के लिए अधिशुल्क का संदाय करेगा/करेंगे।

(4) चट्टानों इत्यादि के नमूनों का परिदान–पट्टेधारी/ पट्टेदारों सरकार के प्रतिनिधि को खानों में पायी गयी या उससे निकाली गयी सभी चट्टानों और पट्टेधारी/ पट्टेदारों द्वारा विक्रीत या विक्रीत किये जाने के लिए आशयित सभी मध्यम और तैयार उत्पादों के नमूने या नमूनों का परिदान करेगा/करेंगे या ले जाने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे।

(5) गर्त और शाफ्टों की सुरक्षा और उन्हें भरा न जाना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों गर्तों और शाफ्टों की उचित रूप से सुरक्षा करेगा/करेंगे और खनि अभियंता की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी खान या शाफ्ट को जानबूझकर बंद नहीं करेगा/करेंगे, नहीं भरेगा/भरेंगे या जाम नहीं करेगा/करेंगे।

(6) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अलग रखना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों जब सरकार द्वारा इस प्रकार अपेक्षा की जाये, लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अलग रखेगा/रखेंगे और सरकार जब कभी आवश्यक या समीचीन समझे, उस पर अधिभोग कर सकेगी किन्तु सरकार जहां तक उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुकूल हो, भूमि का चयन इस प्रकार से करेगी, जिससे पट्टेधारी/ पट्टेदारों की खनन संकियाओं में हस्तक्षेप न हो और पट्टेधारी/ पट्टेदारों को समय–समय पर ऐसी धनराशि, जो इस प्रकार अलग रखी गयी किसी पर भी सतह अधिकार खरीदने और उस पर किये गये किसी भी संकर्म के हटाये जाने की लागत में खर्च हुई हो और खनन संक्रिया में किसी भी हस्तक्षेप के कारण पट्टेधारी/ पट्टेदारों को कारित किसी भी हानि या नुकसानी के लिए संदत्त करेगी।

(7) (क) अधिभुक्त भूमि में प्रवेश से प्रविरत रहना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों सरकार की किसी भी अधिभुक्त भूमि की या पट्टाकृत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी भी प्राइवेट भूमि की सतह पर अधिभोगी की लिखित सम्मति के बिना प्रवेश करने से प्रविरत रहेगा/रहेंगे।

(ख) पट्टेधारी/ पट्टेदारों पट्टाकृत क्षेत्र में कोई भी नयी खदान या डिपो संबंधित खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता की पूर्व स्वीकृति के बिना खोलने से प्रविरत रहेगा/रहेंगे।

(8) सड़क इत्यादि में बाधा न डालना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों किसी भी सड़क पथ या रास्ते को खुला रखेगा/रखेंगे और किसी भी प्रकार के किसी भी साधन द्वारा किसी भी प्रकार बाधा नहीं डालेगा/डालेंगें।

(9) अन्य खनिज के कार्यकरण में बाधा न डालना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों पट्टा लेने से उसके/उनके द्वारा इंकार करने की दशा में, सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों को पट्टाकृत क्षेत्र में प्रवेश करने और उस पर (खनिज का नाम).............से भिन्न खनिजों या अन्य पदार्थ के बारे में पूर्वेक्षण और खनन संक्रिया करने देगा किन्तु सरकार जहां तक उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुकूल हो, इस प्रकार अलग रखे जाने के लिए भूमि का चयन और विनियोजन ऐसी रीति से करेगी जिससे पट्टेधारी/ पट्टेदारों की खनन संक्रियाओं में हस्तक्षेप न हो और खनन संक्रियाओं में किसी भी हस्तक्षेप से कारित किसी भी हानि या नुकसानी के लिए पट्टेधारी/ पट्टेदारों की क्षतिपूर्ति करेगी।

(10) तालाबों, जल सरणियों इत्यादि के मुफ्त उपयोग के लिए जनता और सरकार को अनुज्ञात करना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों तालाबों, जल सरणियों, पूजा स्थलों, पवित्र कब्रों, कब्रिस्तान और मकानों के लिए ग्राम स्थलों, जो विद्यमान हैं या इसके पश्चात् अलग रखे जायें, या पट्टाकृत क्षेत्र में इसमें इसके पूर्व विनियोजित हों, में समस्त हस्तक्षेप से प्रविरत रहेगा/रहेंगे और जनता और सरकार को मुफ्त उपयोग के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे।

(11) भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग न करना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों भूमि पर खेती नहीं करेगा/करेंगे या पट्टे के प्रयोजनों को छोड़कर उसका उपयोग नहीं करेगा/करेंगे।

(12) वन भूमि इत्यादि में प्रवेश न करना या संक्रियाएं प्रारम्भ न करना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों पट्टाकृत क्षेत्र में समाविष्ट विशेष संरक्षण के अधीन की किसी भी वन भूमि में, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के सिवाय, प्रवेश नहीं करेगा/करेंगे या कोई भी खनन संक्रिया प्रारम्भ नहीं करेगा/करेंगे।

(13) जल अधिकारों का आदर करना और साथ लगी हुई संपत्ति को क्षति न पहुंचाना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों जल के किसी भी स्रोत या विद्युत या जल प्रदाय को क्षति नहीं पहुंचायेगा/पहुंचायेंगे या क्षय कारित नहीं करेगा/करेंगे और जल के किसी झरने या जलधारा को किसी भी रीति से उपयोग के लिए अनुपयुक्त नहीं बनायेगा/बनायेंगे या साथ लगी हुई भूमियों,ग्रामों या मकानों को क्षति पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगा/करेंगे।

(14) पट्टे की समाप्ति या समापन पर खनिज के स्टॉक का हटाया जाना–पट्टेधारी/ पट्टेदारों पट्टे के समापन या पूर्ववर्ती समापन पर, उत्खनित सारे खनिज को पट्टाकृत क्षेत्रों के परिसर से तीन मास की कालावधि के भीतर हटायेगा/हटायेंगे। पट्टे के अवसान या समापन के तीन मास के पश्चात् उक्त भूमि में अव्ययनित छोड़ा गया उत्खनित सारा खनिज सरकार की संपत्ति समझा जायेगा:

परन्तु यह तब जबकि खनिज बजरी (नदी बालू) के खनन पट्टे की दशा में, पट्टेधारी को पट्टा कालावधि के अवसान या समापन के आदेश की प्राप्ति के पश्चात्, बजरी के किसी स्टॉक को हटाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(15) पट्टेधारी को नोटिस की तामील–पट्टेधारी/ पट्टेदारों पट्टा क्षेत्र पर हर समय सम्यक् रूप से प्रत्यायित अधीक्षक या एजेंट को रखेगा, जिसे सभी नोटिस दिये जा सकेंगे और विभाग या सरकार के अधिकारियों द्वारा समस्त पत्रादि परिदत्त किये जा सकेंगे, यदि पट्टाकृत क्षेत्र पर कोई ऐसा अधीक्षक या एजेंट नहीं है तो सरकार वहां उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसे एजेंट के रूप में मानने और सभी नोटिस

और अन्य दस्तावेज उक्त व्यक्ति पर तामील करने के लिए या पूर्वोक्तानुसार ऐसे अन्य व्यक्ति के वहां पर न होने की दशा में, खनन ब्लॉक के किसी सहजदृश्य स्थान पर ऐसे नोटिस या दस्तावेज चस्पा करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(16) जनता को पत्थरों का प्रदाय–पट्टेधारी/ पट्टेदारों जब तक कि सरकार के समाधानप्रद रूप से युक्तियुक्त कारण, उदाहरणार्थ खदान ढह जाना इत्यादि से प्रविरत न हो, (खनिज का नाम)........... जनता को गर्त के मुंह पर (विनिदिर्ष्ट करे)..... ..... की युक्तियुक्त कालावधि के भीतर प्रदाय करने में उपेक्षा या विलंब नहीं करेगा/करेंगे। पट्टेधारी/ पट्टेदारों द्वारा स्थानीय जनता को असंतोषप्रद प्रदाय की दशा में, खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता, निदेशक के अनुमोदन से, उपभोक्ताओं को विद्यमान खदानों या डिपो से बाहर पट्टाकृत क्षेत्र में उनकी अपनी व्यवस्था से खोदने/उत्खनित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और पट्टेधारी इस कारण से किसी भी अधिशुल्क का हकदार नहीं होगा अपितु वह सरकार को संदेय होगी।

(17) अनुमोदित पद्धति के अनुसार खनन संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए अर्हित व्यक्तियों का नियोजन–

(i) पूर्णकालिक खनि अभियंता और भूवैज्ञानिक या ऐसा व्यक्ति, जिसके पास महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा जारी सक्षमता का प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणपत्र हो, जहां खनन संक्रियाएं गहरी बोर ड्रिलिंग, उत्खनन, लदाई और परिवहन के लिए, भारी खनन मशीनरी लगाकर की जाती हैं या जहां औसत नियोजन प्रतिदिवस एक सौ पचास से अधिक है;

(ii) पूर्णकालिक खनि अभियंता या ऐसा व्यक्ति, जिसके पास महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा जारी सक्षमता का द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक प्रमाणपत्र हो, जहां खनन संक्रियाएं गहरी बोर ड्रिलिंग, उत्खनन, लदाई और परिवहन के लिए, भारी खनन मशीनरी लगाकर की जाती हैं या जहां औसत नियोजन प्रतिदिवस पिचहतर से अधिक है;

(iii) किसी अन्य खान के मामले में, ऐसा व्यक्ति, जिसके पास खनन में उपाधि है या खनन संक्रियाओं में दो वर्ष के अनुभव के साथ खनन में डिप्लोमा है या भूवैज्ञानिक है या ऐसा व्यक्ति जिसके पास महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा जारी सक्षमता का फोरमेन प्रमाणपत्र है:

परन्तु यह तब जबकि ऐसे मामले में, जहां पट्टे का क्षेत्र एक हेक्टर तक है और खनन केवल हस्त साधनों से किया जाता है, खण्ड (i), (ii) या (iii) में वर्णित अर्हता रखने वाला व्यक्ति अधिकतम पंद्रह पट्टों या पचास खदान अनुज्ञप्तियों के लिए कार्य कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि ऐसे सभी पट्टे/खदान एक सौ किलोमीटर के अर्द्धव्यास में स्थित हों:

परन्तु यह और कि ऊपर खण्ड (ii) या (iii) के अन्तर्गत आने वाले पट्टे के बारे में कोई भी शंका उद्‌भूत होती है तो वह उसके विनिश्चय के लिए निदेशक को निर्दिष्ट की जायेगी जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण.– अभिव्यक्ति ''औसत नियोजन'' से पूर्ववर्ती तिमासी के दौरान खान के कुल नियोजन का प्रतिदिवस का औसत अभिप्रेत है (जो मानव कार्य दिवसों की कुल संख्या को कार्य दिवसों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया गया हो)।

(18) पट्टेधारी अपनी स्थावर संपत्ति और उसके मूल्य में किसी परिवर्तन की सूचना सरकार को ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिवस की कालावधि के भीतर देगा।

7. अधिशुल्क की संगणना, कर का समनुदेशन और शोध्यों की वसूली:

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित करार और किया जाता है:–

(1) इसके अधीन संदेय अधिशुल्क की संगणना पट्टाकृत क्षेत्र से प्रेषित या उसमें उपभुक्त मात्रा पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जायेगी;

(2) पट्टेधारी/ पट्टेदारों पट्टाकृत क्षेत्र या उसके किसी भाग को उक्त नियमों के नियम 27 में अनुज्ञात रीति के सिवाय समनुदेशित नहीं करेगा/करेंगे, उपपट्टे पर नहीं देगा/देंगे या उसके कब्जे से अलग नहीं करेगा/करेंगे;

(3) इस पट्टे या किसी विधि के किसी भी उपबंध के अधीन वसूली के किसी भी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पट्टेधारी/ पट्टेदारों के विरुद्ध इसके अधीन शोध्य होने वाली सभी राशिं, ऐसी वसूली के लिए प्रवृत्त विधि के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेंगी।

(4) पट्टेधारी/ पट्टेदारों पट्टाकृत क्षेत्र, उक्त खनिजों या खानों के कार्यकरण के बारे में सभी कर, उपकर और स्थानीय देय सक्षम प्राधिकारी को सम्यक् और नियमित रूप से संदत्त करेगा/करेंगे।

8. यदि सक्षम प्राधिकारी के आदेश, राजस्थान अप्रधान खनिज नियम, 2017 के अध्याय 11 के अधीन या उक्त नियमों किन्ही भी अन्य उपबंधों के अधीन कार्यवाहियों के अनुसरण में अपील प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित या रद्द किये जाते हैं तो पट्टेधारी/ पट्टेदारों इन विलेखों द्वारा उसे/उन्हें प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकार के प्रयोग में उसे/उन्हें हुई किसी भी हानि के लिए प्रतिकर का हकदार नहीं होगा/होंगे।

9. यदि सरकार या इन नियमों के अधीन सशक्त किसी भी अन्य अधिकारी के आदेश, अपील प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पुनरीक्षित, पुनर्विलोकित या रद्द किये जाते हैं तो पट्टेधारी/ पट्टेदारों इन विलेखों द्वारा उसे/उन्हें प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकार के प्रयोग में उसे/उन्हें हुई किसी भी हानि के लिए प्रतिकर का हकदार नहीं होगा/होंगे।

10. युद्ध या आपात की स्थिति की विद्यमानता की दशा में (जिसकी विद्यमानता के लिए सरकार एकमात्र न्यायाधीश होगी और राजस्थान राजपत्र में इस प्रभाव की अधिसूचना निश्चायक सबूत होगा), सरकार को समय–समय और हर समय, उक्त निबंधनों के दौरान इस पट्टे के अधीन उक्त भूमियों पर स्थित या उक्त भूमि या संक्रियाओ के संबंध में उपयोग के लिए अभिप्रेत पट्टेधारी/ पट्टेदारों के संकर्मों, मशीनरी और परिसर का कब्जा और नियंत्रण ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान पट्टेधारी तुरंत लेने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेधारी/ पट्टेदारों को लिखित नोटिस देकर किया जाना है) और ऐसे संकर्म, संयंत्र, परिसर और खनिजों के उपयोग या नियोजन के संबंध में सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिये गये सभी निदेशों की पुष्टि और पालन करेगा/करेंगे:

परन्तु उचित प्रतिकर, जो करार के व्यतिक्रम में सरकार द्वारा अवधारित किया जायेगा, इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या परिणामस्वरूप उसे/उन्हें हुई सभी हानियों या नुकसानियों के लिए संदत्त किया जायेगा:

परन्तु यह और कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग, इसके द्वारा मंजूर उक्त निबंधन का समाप्ति नहीं करेगा या इन विलेखों के निबंधनों और उपबंधों को उससे आगे प्रभावित नहीं करेगा, जितना इस खण्ड को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है।

11. प्रतिभूति और उसका समपहरण:

(1) सरकार पट्टेधारी/पट्टेदारों द्वारा इस पट्टे के अधीन प्रतिभूति के रूप में जमा राशि या उसका कोई भाग समपहृत किया जा सकेगा, यदि पट्टेधारी इस पट्टे के अधीन पट्टेधारी/ पट्टेदारों द्वारा संपादित की जाने वाली किसी भी प्रसंविदा का उल्लंघन करता है/करते हैं।

(2) जब कभी उक्त प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग या सरकार के पास उसके प्रतिस्थापन में जमा कोई और राशि उप–खण्ड (1) के अधीन समपहृत की जाती है या सरकार के इस पट्टे के अधीन किन्हीं अन्य शोध्यों के चुकारे में सरकार द्वारा उपयोजित की जाती है (जिसके लिए सरकार ऐसा करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत है) तो पट्टेधारी/ पट्टेदारों सरकार के पास ऐसी और राशि तुरंत जमा करेगा, जो सरकार के

पास जमा राशि को नियम 19 में यथावर्णित सीमा तक लाने के लिए उसके अविनियोजित भाग के लिए पर्याप्त हो।

(3) इस खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकार इस पट्टे के किसी भी अन्य उपबंध द्वारा या किसी भी विधि द्वारा सरकार को प्रदत्त अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

(सीमांकन रिपोर्ट के सीमा चिन्हों के साथ नक्शा संलग्न किया जाये)

12. निर्वचनः खण्ड में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,–

(1) ''विभाग'' से खान और भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;

(2) ''निदेशक'' से खान और भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान का तत्समय निदेशक अभिप्रेत है और इसमें उसके द्वारा उसके किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने के प्राधिकृत कोई भी अधिकारी सम्मिलित है;

(3) ''सरकार'' में सरकार का ऐसा अधिकारी सम्मिलित है, जिसको सरकार की कोई भी शक्ति तत्समय प्रत्यायोजित की गयी है।

साक्ष्यस्वरूप इस अनुबंध पर पट्टेधारी/पट्टेदारों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

पट्टेधारी/ पट्टेदारों के हस्ताक्षर हस्ताक्षर

....

....

हस्ताक्षर राजस्थान के राज्यपाल के आदेश से और उनकी ओर से

साक्षी (1)................................ (पदनाम)

साक्षी (2).............................

प्रारूप 7

खदान अनुज्ञप्ति का प्रारूप

{नियम 17(3)देखिए}

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम :..
2. पिता/पति का नाम :..
3. पता :..
   ....
   ....
4. संपर्क संख्यांक
   मोबाइल/लैण्ड लाइन सं. ....
   ई–मेल पता ....
5. पैन सं. :..
6. खदान या भूखण्ड सं. ....
7. ब्लाक/सीमा का नामः नामः........................
   तहसीलः....................................
   जिलाः..................................
8. कार्यालय का नाम ....
9. स्वीकृति के आदेश की सं. और तारीख :................................
10. प्रारंभिक स्वीकृति के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की कालावधि : ....से
    ....तक
11. (क) विस्तार की कालावधि ....से
    ....तक
    (ख) विस्तार की कालावधि : ....से

.............................तक

अनुज्ञप्ति के अंतरण/नामांतरण के बारे में ब्यौरा:

क. सं	पिता/पति का नाम और अंतरिती/विधि के वारिस का पता	संपर्क सं. ई–मेल पता और स्थायी लेखा कार्ड (पैन) सं.	अंतरण/नामांतरण के आवेदन की तारीख	आदेश सं. और तारीख	अंतरण फीस	जमा की तारीख	अंतरक के हस्ताक्षर	अंतरिती/विधिक वारिस के हस्ताक्षर	खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुज्ञप्ति फीस के संदाय और पश्चातवर्ती विस्तार के बारे में ब्यौरा:

क.सं.	जमा की गई राशि	चालान/जीआर सं./नकद रसीद सं.	जमा की तारीख	अनुज्ञप्ति फीस कालावधि	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर	खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

प्रारूप 8
खनन पट्टा आवेदनों का रजिस्टर

{नियम 22(1) देखिए}

क.सं.	खनन पट्टा सं.	आवेदन प्राप्ति की तारीख	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	जाति और आजीविका	स्थायी पता	पैन कार्ड सं.	बैंक खाता सं. और आईएफएससी कूट संकेत
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्षेत्र हेक्टर में	आवेदित क्षेत्र का विवरण	आवेदित खनिज/खनिजों का विवरण	आवेदन फीस ब्यौरा	आवेदित खनन पट्टे की कालावधि	स्वीकृति/अस्वीकृति का आदेश सं. और तारीख	अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
10	11	12	13	14	15	16	17

प्रारूप 9
खनन पट्टों का रजिस्टर
{नियम 22(2) देखिए}

क.सं	खनन पट्टा सं.	आवेदन प्राप्ति की तारीख	पट्टेधारी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति और आजीविका	स्थायी पता	पैन कार्ड सं.	बैंक खाता सं. और आईएफएससी कूट संकेत
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्षेत्र हेक्टर में	स्वीकृत क्षेत्र विवरण के साथ	स्वीकृत खनिज/खनिजों का विवरण	पट्टे/नवीनीकरण की कालावधि	आदेश सं.	स्वीकृति की तारीख	मूल/पुनरीक्षित स्थिर भाटक की राशि	जमा प्रतिभूति	जमा संपादन प्रतिभूति
10	11	12	13	14	15	16	17	18

अंतरिती का नाम और पिता/पति का नाम और पता	अंतरण की तारीख	विस्तार की तारीख	समाप्ति/खण्डन/अध्यर्पण/भागिक अध्यर्पण की तारीख	अधिकारी के हस्ताक्षर	परिवर्तन ब्यौरा	ईसी ब्यौरा	अभ्युक्तियां
19	20	21	22	23	24	25	26

प्रारूप 10

खदान अनुज्ञप्ति आवेदनों का रजिस्टर

{नियम 22(3) देखिए}

क्र.सं.	आवेदक का नाम और पिता/पति का नाम और पता	जाति और आजीविका	आवेदन प्राप्ति की तारीख	सीमा का नाम	आवेदित भूखण्ड सं.
1	2	3	4	5	6

भूखण्ड का आकार	आवेदित खनिज या खनिजों का विवरण	स्वीकृति/अस्वीकृति का आदेश सं. और तारीख	अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
7	8	9	10	11

प्रारूप 11

खदान अनुज्ञप्ति का रजिस्टर

{नियम 22(4) देखिए}

ब्लाक/सीमा का नामः

ब्लाक में खदानों की कुल सं. ....

ब्लाक/सीमा का विस्तार करके जोड़ी गयी खदानों की सं.........

1 .आदेश तारीख........

2...................................

3.................................

क.सं.	खदान/भूखण्ड सं.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	पैन कार्ड सं.	बैंक खाता सं. और आईएफएससी कूट संकेत	जाति और आजीविका
1	2	3	4	5	6	7	8

आवेदन प्राप्ति की तारीख	अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का आदेश सं. और तारीख	अनुज्ञप्ति के पश्चात्वर्ती विस्तार का ब्यौरा	प्रतिभूति निक्षेप की राशि	संपादन प्रत्याभूति की जमा राशि	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की राशि	तारीख जिसको अनुज्ञप्ति फीस राशि सहित जमा की गयी	अंतरण की तारीख
9	10	11	12	13	14	15	16

अंतरिती का नाम और पिता/पति का नाम और पता	समाप्ति/खण्डन/अध्यर्पण की तारीख	तारीख जिसको भूखण्ड स्वीकृति के लिए मुक्त होगा	अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
17	18	19	20	21

प्रारूप 12
खनन पट्टे के अंतरण के लिए प्रारूप

{नियम 27(4) देखिए}

यह अनुबंध प्रथम पक्षकार के रूप में, जब अंतरक एक व्यष्टि है, (व्यक्ति का नाम और पता और आजीविका)................(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अंतरक'' के रूप निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे);

जब अंतरक एक से अधिक व्यष्टि हो (व्यक्तियों के नाम और पते और आजीविका)...........(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अंतरक'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे);

जब अंतरक कोई पंजीकृत फर्म है (सभी भागीदारों के नाम और पते)..... .जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का अधिनियम सं. 9) के अधीन पंजीकृत फर्म (फर्म का नाम).............के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारी में व्यवसाय करते हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय (फर्म का पता)............ .... में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अंतरक'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस

अभिव्यक्ति में जहां इस प्रकार गृहीत हो, उक्त फर्म के सभी भागीदार, उनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

जहां अंतरक कोई पंजीकृत कंपनी है (कंपनी का नाम).. और कंपनी (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है)...............................के अधीन पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय (कंपनी का पता)...........................में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अंतरक'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

और

द्वितीय पक्षकार के रूप में, जब अंतरिती एक व्यष्टि है, (व्यक्ति का नाम और पता और आजीविका)...... ....(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अंतरिती'' के रूप निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे);

जब अंतरिती एक से अधिक व्यष्टि हो (व्यक्तियों के नाम और पते और आजीविका)...........(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अंतरिती'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ इस प्रकार गृहीत हो, उनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे);

जब अंतरिती कोई पंजीकृत फर्म है (सभी भागीदारों के नाम और पते)..... .जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का अधिनियम सं. 9) के अधीन पंजीकृत फर्म (फर्म का नाम)............के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारी में व्यवसाय करते हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय (फर्म का पता)............ .... में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अंतरिती'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां इस प्रकार गृहीत हो, उक्त फर्म के सभी भागीदार, उनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

जब अंतरिती कोई पंजीकृत कंपनी है (कंपनी का नाम).. और कंपनी (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है)...............................के अधीन पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय (कंपनी का पता)..........................में स्थित है (इसमें इसके पश्चात् ''अंतरिती'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

और

तृतीय पक्षकार के रूप में, राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''राज्य सरकार'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके पदोत्तरवर्ती और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे) के बीच आज.................... 20... को किया गया।

यतः राज्य सरकार (जिसे इसके पश्चात् ''पट्टाकर्ता'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और अंतरक (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''पट्टेधारी'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के बीच किये गये पट्टे के अनुबंध तारीख..................के आधार पर जो उप रजिस्ट्रार (स्थान)........के कार्यालय में (तारीख).........को पंजीकृत किया गया (जिसे इसके पश्चात् ''पट्टे'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), जिसका मूल इससे संलग्न है और 'क' चिह्नित किया गया है, अंतरक इसकी अनुसूची में और इसे संलग्न अनुसूची में भी वर्णित भूमियों में (खनिज का नाम).............के बारे में निबंधनों और भाटक और रायल्टियों के संदाय और पट्टे के उक्त विलेख में आरक्षित और अन्तर्विष्ट पट्टेधारी की प्रसंविदा और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिसमें राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उसके अधीन पट्टे या किसी भी हित को समनुदिष्ट न करने की प्रसंविदा सम्मिलित है, प्राप्त करने, तलाश करने और खानों और खनिजों में कार्य करने का हकदार है;

और यतः अंतरक अब अंतरिती को पट्टे का अंतरण और समनुदेशन करने का इच्छुक है और राज्य सरकार ने अंतरक के अनुरोध पर अंतरक को आदेश................दिनांक...... पट्टे के ऐसे अंतरण और समनुदेशन की अनुज्ञा अंतरिती के ऐसे करार की शर्त पर मंजूर की है, जिसमें इसके पश्चात् उपवर्णित निबंधन और शर्तें अन्तर्विष्ट हों।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:–

1. अंतरिती द्वारा अंतरक को संदत्त.........रुपये के प्रतिफल में, जिसकी प्राप्ति अंतरक इसके द्वारा अभिस्वीकृत करता है, अंतरक अंतरिती को इसमें इसके पूर्व उद्धृत उक्त पट्टे के अधीन के सभी अधिकार और बाध्यताएं इसके द्वारा हस्तांतरित, और उसे उक्त पट्टे की असमाप्त कालावधि के लिए इस विलेख के निष्पादन की तारीख से अंतरिती द्वारा धारित करने के लिए हस्तांतरित, समनुदिष्ट और अंतरित करता है।
2. अंतरिती इसके द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अंतरण और समनुदेशन से और उसके पश्चात् अंतरिती इसमें इसके पूर्व उद्धृत उक्त पट्टे में अन्तर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं, अनुबधों और शर्तों के लिए, सभी बातों में उसी रीति से आबद्ध होगा और उनका पालन, अनुपालन और अभिपुष्ट करने का दायी होगा और उनके सभी उपबंधों के अध्यधीन होगा, मानो पट्टा अंतरिती को उसके अधीन पट्टेधारी के रूप में मंजूर किया गया है और उसने इसे इस रूप में मूल रूप से निष्पादित किया था।
3. एक पक्षकार के रूप में अंतरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती द्वारा इसके द्वारा यह करार और किया जाता है और घोषित किया जाता है कि:–
   (i) अंतरक और अंतरिती घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि ऐसे क्षेत्र पर खनिज अधिकार जिसके लिए खनन पट्टा अंतरित किया जा रहा है, राज्य सरकार में निहित हैं।
   (ii) अंतरक इसके द्वारा घोषणा करता है कि अब अंतरित किये जा रहे खनन पट्टे को समनुदिष्ट, अध्यधीन, बंधकित या किसी भी अन्य रीति से अंतरित नहीं किया है और कि किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अंतरित किये जा रहे वर्तमान पट्टे के अधीन कोई भी अधिकार, हक या हित नहीं है।
   (iii) अंतरक आगे घोषित करता है कि उसने ऐसा कोई भी करार, संविदा या समझौता नहीं लिखा है या नहीं किया है, जिसके द्वारा उसका सारवान् सीमा तक प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से वित्तपोषण किया गया है या किया जा रहा है, जिसके द्वारा या अधीन अंतरक की संक्रिया या समझौते अंतरक से भिन्न किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा सारवान् रूप से नियंत्रित किये गये थे या किये जा रहे हैं।
   (iv) अंतरक यह घोषणा और करता है कि उसने वर्तमान खनन पट्टे के अंतरण के अपने आवेदन के साथ शपथपत्र उसमें यह विनिर्दिष्ट करते हुए दे दिया है कि उसने अंतरिती से प्रतिफल पहले ही ले लिया है/प्रस्ताव करता है।
   (v) अंतरक यह घोषणा और करता है कि वह खनन संक्रियाएं करने में वित्तीय रूप से समर्थ है और सीधे ही खनन संक्रियाएं करेगा।
   (vi) अंतरक ने क्षेत्र में और उसके आसपास छह मीटर चौड़ाई की पट्टी में परित्यक्त कार्यकरणों की सभी योजनाओं की मूल/या प्रमाणित प्रतियां अंतरिती को दे दी हैं।
   (vii) अंतरिती यह घोषणा और करता है कि वह एक बार में ही प्रीमियम की राशि का संदाय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार करेगा।
   (viii) अंतरिती इसके द्वारा यह घोषणा और करता है कि इस अंतरण के परिणामस्वरूप, उसके द्वारा अप्रधान खनिज रियायत के अधीन धारित कुल क्षेत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 7(4) के उल्लंघन में नहीं है।
   (ix) अंतरक ने इस पट्टे के संबंध में, आज की तारीख तक के सरकार के पेटे सभी भाटक, अधिशुल्क और अन्य शोध्यों का संदाय कर दिया है।
   (x) पूर्व पट्टेधारी के पक्ष में अभिप्राप्त खातेदार की पंजीकृत सम्मति खनन पट्टे की कालावधि तक चालू रहेगी।

जिसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने ऊपर पहले लिखित तारीख को और वर्ष में हस्ताक्षर कर दिये हैं।

....	....
अंतरक के हस्ताक्षर (पदनाम)	राजस्थान राज्य के राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षरित

अंतरिती के हस्ताक्षर
तारीख..................
साक्षी 1.........................
साक्षी 2......................

प्रारूप 13
उत्पादन, प्रेषण और स्टाक रजिस्टर
{नियम 28(2)(vi)(क)देखिए}

खनन पट्टा सं.....................
खान...................
मास............................

क. सं.	तारीख	नियोजित व्यक्तियों की सं.	आरंभिक स्टाक	उत्पादन	कुल
1	2	3	4	5	6

प्रेषित खनिज की अनुमानित मात्रा	विक्रय कीमत प्रतिटन (श्रेणीवार)	अनुमानित स्टाक अतिशेष	वास्तविक प्रेषण
7	8	9	10

शेष स्टॉक	रवन्ना सं.	वाहन सं.	अभ्युक्तियां
11	12	13	14

पूरे मास का योग..........
पट्टेधारी के हस्ताक्षर

प्रारूप 14
रवन्ना रजिस्टर
{नियम 28(2)(iv)(क)}

खनन पट्टा सं........................
खान...

क.सं.	तारीख	रवन्ना सं.	खनिज की गुणवत्ता	स्थान जहां खनिज भेजा जा रहा है	व्यक्ति / पक्षकार का नाम जिसको खनिज प्रेषित किया जा रहा है (व्यवहारी पंजीकरण सं. यदि	परिवहन की रीति	वाहन सं.	प्रेषित खनिज की अनुमानित मात्रा

					कोई हो)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रेषित खनिज की वास्तविक मात्रा	प्रेषण का समय	प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
10	11	12	13

प्रारूप 15
खनन पट्टे के लिए मासिक ई–विवरणी
{नियम 28(2)(iv)(घ) देखिए}

पट्टेधारी का नाम........................... मास...
खान का नाम.................................. पट्टे की कालावधि..

प्रेषित मात्राः

क.सं.	खनिज का आरंभिक स्टाक	उत्पादन	कुल	प्रयोजन–प्रग्रहण स्व–उपयोग / विक्रय
1	2	3	4	5

रवन्ना सं.	तारीख	रवन्ना में उल्लिखित वजन	वास्तविक वजन	बंद अतिशेष	इस मास में किया गया वृक्षारोपण
6	7	8	9	10	11

मजदूरों की औसत सं.	इस मास में बीमाकृत मजदूरों की सं.	इस मास तक बीमाकृत मजदूरों की सं.	इस मास में की गयी मजदूरों की चिकित्सीय जांचों की सं.	कार्य दिवस	हटाये गये अतिभार की मात्रा	अभ्युक्तियां
12	13	14	15	16	17	18

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गयी विशिष्टियां सही हैं और मैं/हम इस संबंध में मांग किये जाने पर अपेक्षित अन्य कोई ब्यौरा/दस्तावेज दे दूंगा/दे देंगे।

भवदीय

स्थानः...............

तारीखः..........

पट्टेधारी/अर्हित तकनीकी व्यक्ति

का हस्ताक्षर

नाम और पता ....

....

...

प्रारूप 16

खनिज पट्टे की अधिशुल्क के निर्धारण के लिए वार्षिक ई–विवरणी

{नियम 28(2)(iv)(घ) देखिए}

पट्टेधारी का नामः.......................................   खान का नाम/खनन पट्टा सं...................

ईमेल पताः...

पैन कार्ड सं. ....

कार्यालय का नाम ख.अ./स.ख.अ. ....   तहसील..

वार्षिक स्थिर भाटक...................................   जिला.......................................

पट्टे की कालावधि.......................

खनिज का नाम...............................

निर्धारण की कालावधि................

क.सं.	मास या कालावधि (वर्ष सहित)	खनिज का आरंभिक स्टाक	उत्पादन	कुल	प्रेषित/विक्रीत/उपयोग में ली गयी मात्रा
1	2	3	4	5	6

खनिज का शेष स्टॉक	प्रेषित खनिज का ब्यौरा–प्रग्रहण उपयोग/स्व–उपयोग	मजदूरों की कुल औसत सं. पुरूष	महिला	कुल	कार्य दिवसों की कुल सं.
7	8	9	10	11	12

वर्ष में किया गया वृक्षारोपण	वर्ष में बीमाकृत मजदूरों की सं.	वित्तीय वर्ष के अंत तक बीमाकृत मजदूरों की सं.	वर्ष में की गयी मजदूरों की चिकित्सीय जांचों की सं.	हटाये गये अतिभार की मात्रा	अभ्युक्तियां
13	14	15	16	17	18

(i) अधिशुल्क की दर ....रुपये प्रति टन

(ii) अधिशुल्क की कुल राशि ....रुपये

(iiii) पहले से संदत्त स्थिर भाटक या अधिशुल्क घटाएं ....रुपये

तारीखानुसार चालान/जीआरएन वार ब्यौरा दिया जायेगा।

(iv) संदेय अधिक अधिशुल्क ....रुपये

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गयी विशिष्टियां सही हैं और मैं/हम इस संबंध में मांग किये जाने पर अपेक्षित अन्य कोई ब्यौरा/दस्तावेज दे दूंगा/दे देंगे।

भवदीय

स्थानः................

तारीखः...........

पट्टेधारी के हस्ताक्षर
नाम और पता

प्रारूप 17

अधिशुल्क के निर्धारण के लिए वार्षिक ई–विवरणी की प्राप्ति की अभिस्वीकृति

{नियम 28(2)(iv)(घ) देखिए}

क.सं.....कार्यालय का नाम.......खनन पटट्ा सं.................तारीख..................................

ग्राम............तहसील..................... जिला................ के पास स्थित ....हैक्टर भूमि के लिए,................. खनिज के खनन के लिए श्री/श्रीमती/मैसर्स/सुश्री................से खनन पट्टे के लिए निम्नलिखित संलग्नकों के साथ अधिशुल्क के लिए वार्षिक ई–विवरण............20.....को प्राप्त की।

संलग्नकः

प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
और नाम

स्थान

तारीख

प्रारूप 18

रवन्ना

{नियम 28(2)(iv)(ड.)देखिए}

क.सं.......... तारीख ....

....

खनिज रियायत/अनुज्ञापत्र धारक का नाम...................

खनन पट्टा सं./अनुज्ञापत्र सं..

खानों की अवस्थिति..............................

खनिज का नाम.....................................

खनिज की गुणवत्ता.....................

स्थान जहां खनिज भेजा जा रहा है...................................

व्यक्ति/पक्ष का नाम जिसको खनिज प्रेषित किया जा रहा है.....................

(व्यवहारी का पंजीकरण सं. यदि कोई हो)

परिवहन की रीति...वाहन सं.......................

खनिज का वजन/मात्रा.....................

''रवन्ना रजिस्टर'' का पृष्ठ और क्रमांक सं., जिस पर रवन्ना प्रविष्ट किया गया है...........

प्रेषण का समय................

परिदान का अनुमानित समय.................

चालक के हस्ताक्षर..................................

खान स्वामी/प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्रारूप 19
अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार के पंजीकरण के लिए आवेदन
{नियम 35(1) देखिए}

प्रेषिती,

पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

अतिरिक्त निदेशक (खान),
खान और भू–विज्ञान विभाग,
.... (राजस्थान)

विषयः अनुज्ञापत्र फीस/अन्य प्रभारों के साथ या उनके बिना अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क के संग्रहण की संविदा की स्वीकृति के लिए नीलामी/निविदा में भाग लेने के लिए ठेकेदार के रूप में पंजीकरण के लिए।

महोदय,

1. उपर्युक्त संदर्भ मे, मैं/हम एए/ए/बी/सी वर्ग के लिए ठेकेदार के रूप में मुझे/हमें रजिस्टर करने के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं/रहे हैं और मैंने/हमने नियम 35(4)(i) के अधीन संदेय आवेदन फीस के रूप में ....रुपये ई–संदाय, बैंक का नाम........ जीआरएन सं...........तारीख....... के माध्यम से जमा कर दिये हैं।
2. (क) आवेदक का नाम और पता.............
   (ख) दूरभाष सं. कार्यालय........................निवास................
   फैक्स सं........................मोबाईल सं................
   ईमेल पता................... पैन कार्ड सं. ....
   बैंक खाता सं............................IFSC कूट संकेत.....................
   (ग) यदि आवेदक व्यष्टि है–
   (1) पिता/पति का नाम
   (2) जाति
   (3) आजीविका
   (4) राष्ट्रीयता
   (घ) यदि आवेदक फर्म/कंपनी/व्यष्टि संगम/सोसाइटी है–
   (1) व्यवसाय का प्रकार
   (2) व्यवसाय का स्थान
   (3) पंजीकरण का स्थान
   (4) निदेशकों/भगीदारों की राष्ट्रीयता
   (5) ईमेल पता
   टिप्पणीः कृपया ठेका के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के बारे में, फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र, भागीदारी विलेख, मुख्तारनामा, निगमन प्रमाणपत्र, संगम का ज्ञापन और अनुच्छेद और निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रतियां संलन करें।
3. वर्तमान व्यवसाय ....
   ....
4. आवेदक और उसके कुंटुंब और फर्म के भागीदारों/प्राइवेट परिसीमित कंपनी के निदेशकों/व्यक्तियों के संगम के नाम से धारित/अनुज्ञात ठेकों/खनिज रियायतों का ब्यौराः

क्र. सं.	एमएल/पीएल/क्यूएल/आरसीसी/ईआरसीसी	खनिज	निकट ग्राम	तहसील	जिला	संबंधित सखअ/खअ कार्यालय	क्षेत्र हेक्टर में	कालावधि		अभ्युक्तियां
								से	तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(संबंधित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता द्वारा जारी अदेयता प्रमाणपत्र संलग्न करें)

5. प्रारूप 20 के अनुसार.............रुपये मूल्य के लिए चार्टड अकाउण्टेंट का शुद्ध संपत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें।
6. निविदा/नीलामी के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए अतिरिक्त निदेशक (खान) के पक्ष में गिरवी रखी गयी सावधि जमा रसीद/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में प्रतिभूति राशि संलग्न करें। (बैंक और शाखा/डाकघर का नाम).........से..........वर्ष की कालावधि के लिए......रुपये के लिए जारी सावधि जमा रसीद/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र सं........।
7. यह कथन करते हुए उचित रूप से शपथित शपथपत्र कि
   (क) विभाग के कोई भी शोध्य आवेदक और उसके कुटुंब के सदस्यों के विरुद्ध बकाया नहीं हैं;
   (ख) आवेदक वित्तीय रूप से सुदृढ़ है और ऐसी संविदाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ है;
   (ग) आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी सत्य और सही है;
   (घ) संविदा की निविदा/नीलामी के किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन की दशा में, या यदि दी गयी कोई जानकारी गलत पायी जाती है तो विभाग पंजीकरण रद्द कर सकेगा और ठेकेदार को पंद्रह दिवस का नोटिस तामील करने के पश्चात्, प्रतिभूति राशि के समपहरण के साथ शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।
8. पैन कार्ड सं., फोटो पहचान और पते के सबूत की स्वअनुप्रमाणित प्रति संलग्न (निम्नलिखित दस्तावेजों में कोई भी दो):
   (i) आधार कार्ड;
   (ii) चालन अनुज्ञप्ति की प्रति;
   (iii) मतदाता पहचान पत्र की प्रति;
   (iv) पासपोर्ट की प्रति;
   (v) बैंक पास बुक;
   (vi) नवीनतम विद्युत; या
   (vii) दूरभाष बिल/जल बिल।

भवदीय

तारीख........

आवेदक

प्रारूप 20

शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्र

(प्रारूप 19 के साथ संलग्न किया जाये)

{नियम 35(4)(i)देखिए}

मैंने/हमने, श्री/श्रीमती/मैसर्स.. की सम्पत्तियों और दायित्वों का सत्यापन हमारी जानकारी के आधार पर और मुझे/हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार किया है। हम प्रमाणित करते हैं कि श्री/श्रीमती/मैसर्स..............का शुद्ध मूल्य निम्नलिखित हैः–

(राशि करोड़ रुपये में)

	सम्पत्ति	उप योग	योग	मूल्यांकन का आधार
क.	**1.स्थावर सम्पत्ति**			
(क)				
(ख)				
(ग)				
(घ)				
	विवरण, अवस्थिति, भूक्षेत्र, निर्मित क्षेत्र इत्यादि को सम्मिलित करते हुए स्थावर आस्तियों			

	का पूरा ब्यौरा दें			
	2. चल **सम्पत्ति**			
(क)	विनिधान			
(ख)	उधार और अग्रिम/प्राप्य			
(ग)	नकद और बैंक अतिशेष			
(घ)	कोई भी अन्य आस्तियां			
	विवरण के साथ चल **सम्पत्ति** की सूची का पूरा ब्यौरा दें।			
	कुल आस्तियां (क)			
ख.	**दायित्व**			
(क)	प्रतिभूत उधार			
(ख)	अप्रतिभूत उधार और जमा			
(ग)	अन्य दायित्व			
	कुल दायित्व (ख)			
ग.	**शुद्ध मूल्य (क–ख)**			

ऊपर दी गयी जानकारी का सत्यापन मेरे द्वारा व्यक्तिशः किया गया है और यह सत्य है जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट की ओर से
( )
भागीदार/स्वत्वधारी
एम.सं.........

टिप्पणः मूल्यांकन के आधार का उल्लेख विस्तार से किया जाना चाहिए जैसे 1.अनुमोदित मूल्यांकक की मूल्यवान रिपोर्ट, 2. आयकर अभिलेख, 3.मूल हक विलेख, 4 आयकर के साथ प्रस्तुत तुलन–पत्र या, 5. संपरीक्षित तुलन पत्र इत्यादि।

प्रारूप 21
अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार के पंजीकरण के आवेदन की अभिस्वीकृति
{ नियम 35(5) देखिए}

कूट संकेतः अतिरिक्त निदेशक खान......../वर्ग........./क्रमांक......../वर्ष
तारीख....... कार्यालय का नाम.........

अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क ठेकेदार के पंजीकरण के लिए श्री/श्रीमती/सुश्री/मैसर्स.......................... .... का प्रवर्ग......... के लिए आवेदन, निम्नलिखित अनुलग्नकों के साथ...........20..... को प्राप्त किया।

अनुलग्नकः
....
....
....

प्राप्त करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम

स्थानः

तारीखः

प्रारूप 22

अधिशुल्क और/या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका संविदा के करार का आदर्श प्रारूप

{नियम 43(1) देखिए}

यह अनुबंध प्रथम पक्षकार के रूप में, राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''सरकार'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

और

दूसरे पक्षकार के रूप में–

(1) जब ठेकेदार व्यष्टि है, (व्यक्ति का नाम और पता और आजीविका)................(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''ठेकेदार'' के रूप निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे);

या

(2) जब ठेकेदार कोई पंजीकृत फर्म है (पहले भागीदारों का नाम और पता)..... .(दूसरे भागीदार का नाम और पता).................(तीसरे भागीदार का नाम और पता)........जो सभी भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का अधिनियम सं. 9) के अधीन पंजीकृत फर्म (फर्म का नाम)............के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारी में व्यवसाय करते हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय (फर्म का पता)........................ में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''ठेकेदार'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां इस प्रकार गृहीत हो, उक्त फर्म के सभी भागीदार, उनके अपने अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

या

(3) जहां ठेकेदार कोई पंजीकृत कंपनी है (कंपनी का नाम).. और कंपनी (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है)...............................के अधीन पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय (कंपनी का पता)..........................में स्थित है (इसमें इसके पश्चात् ''ठेकेदार'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में इस प्रकार गृहीत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

के बीच आज दिनांक........20.....को किया गया।

यतः ठेकेदार ने (संविदा क्षेत्र का ब्यौरा)........तहसील......जिला..... में स्थित खदानों से उत्खनित और हटाये गये (खनिज).......... के लिए अनुज्ञापत्र फीस/अन्य प्रभारों के साथ या उनके बिना अधिशुल्क संग्रहण ठेका और/या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका(विनिर्दिष्ट करें)......की स्वीकृति के लिए प्रतिवर्ष.... .....रुपये की बोली का प्रस्ताव किया है।

और यतः उक्त बोली राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और संविदकार ने संविदा की पहली किस्त के लिए......रुपये संदत्त कर दिये हैं और शेष राशि राज्य सरकार को संबंधित मास/तिमासी की नियत तारीख को अग्रिम रूप से संदेय मासिक/तिमासी किस्तें इस शर्त के साथ संदत्त करने का वचन दिया है कि कार्यशील खनन पट्टे/खदान धारक अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र फीस या कोई भी अन्य प्रभार, ठेकेदार को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15क के उपबंधों के अधीन बनाये गये, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट दरों से संदाय करने पर खनन अधिकार का उपभोग करेंगे।

और यतः ठेकेदार ने संविदा की शेष कालावधि के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 की अनुसूची 2 में संशोधन या अनुज्ञापत्र फीस/ अन्य प्रभारों में वृद्धि के कारण अधिशुल्क की दर में अभिवृद्धि के अनुपात में संविदा धन, प्रतिभूति निक्षेप और संपादन प्रतिभूमि की अभिवृद्धित राशि का ऐसी अभिवृद्धि की तारीख से उपर्युक्तानुसार संदेय मासिक/तिमासी किस्तों के साथ संदाय करने का और वचन दिया है।

और यतः ठेकेदार ने इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबंधनों और प्रसंविदाओं को पूरा करने के लिए.. ......रुपये का प्रतिभूति निक्षेप और.......रुपये की बैंक प्रत्याभूति/सावधि जमा के रूप में संपादन प्रतिभूति संदत्त कर दी है।

अब ये विलेख निम्नलिखित के साक्षी हैं:–

(1) राज्य सरकार ने खनन पट्टे/खदान अनुज्ञप्ति के धारकों या खनन पट्टों/खदानों से उत्खनित और इस करार के अधीन के क्षेत्र से प्रेषित (खनिज का नाम)......ले जाने या हटाने वाले व्यक्तियों से *अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क/अनुज्ञापत्र फीस और अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करे)...........,अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट दर से और/या राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञापत्र फीस और/या अन्य प्रभार और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15क के उपबंधों के अधीन बनाये गये नियमों में यथाविनिर्दिष्ट अन्य प्रभार संगृहीत करने के लिए इसके द्वारा संविदा मंजूर की है।

(2) करार (तारीख)..................से (तारीख)................तक विधिमान्य रहेगा।

(3) ठेकेदार निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा:–

(i) ठेकेदार अधिशुल्क और अनुज्ञेय अन्य प्रभारों के संग्रहण के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा।

(ii) अधिशुल्क रसीद प्रारूप 23 या, यथास्थिति, प्रारूप 24 में होगी, जो संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और जारी की हुई हो।

(iii) ठेकेदार अधिशुल्क, जहां तक संभव हो, खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्र के निकट और यदि संभव या व्यवहार्य नहीं हो तो, पट्टों या अनुज्ञप्तियों के निकट किसी भी अन्य स्थान पर किन्तु ठेका क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर संगृहीत करेगा:

परन्तु ऐसे स्थान ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए जिसके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, (अप्रतिदेय) एक हजार रुपये के ऑनलाईन संदाय पर, आवेदन पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के लिखित पूर्व अनुमोदन के पश्चात् स्थापित किये जायेंगे। खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता किसी स्थान विशेष के लिए लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा और उसकी संसूचना ठेकेदार को देगा।

(iv) ठेकेदार उक्त खनिज के प्रत्येक प्रेषण के लिए संगृहीत अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों की राशि के लिए प्रारूप 23 या प्रारूप 24 में विधिमान्य अधिशुल्क रसीदें जारी करेगा और रसीद के सभी स्तंभ भरेगा। ठेकेदार रसीद की पहली प्रति वाहन के प्रभारी को, दूसरी प्रति संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को, ऑनलाईन विवरण के साथ देगा और तीसरी प्रति स्वयं अपने पास रखेगा।

(v) अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार, केवल ऐसे वाहनों से अधिक अधिशुल्क संगृहीत करेगा, जिनके पास पट्टेधारी द्वारा जारी विधिमान्य रवन्ना हो। ठेकेदार रवन्ना की दूसरी प्रति अपने स्वयं के पास रखेगा और पहली प्रति स्टांप लगाने के पश्चात् वाहन स्वामी को लौटा देगा। ठेकेदार रवन्ना की दूसरी प्रति उसके द्वारा जारी रसीद की दूसरी प्रति के साथ प्रारूप 26 में मासिक विवरण के साथ संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के पास जमा करेगा।

(vi) ठेकेदार ऐसे वाहनों से अधिशुल्क वसूल नहीं करेगा, जिनके पास वार्षिक स्थिर भाटक के विरूद्ध जारी अधिशुल्क संदत्त रवन्ना हैं:

परन्तु तुलाई के पश्चात् यदि खनिज की कोई मात्रा रवन्ना में उल्लिखित वजन से अधिक पायी जाती है तो ठेकेदार ऐसे अधिक वजन की अधिशुल्क वसूल सकेगा।

(vii) यदि संविदा में विनिर्दिष्ट खनिज का उपयोग संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा जारी विधिमान्य अल्पावधि अनुज्ञापत्र या अनुज्ञापत्र के अधीन

सरकारी विभागों द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है तो ठेकेदार कोई भी अधिशुल्क वसूल नहीं करेगा।

(viii) ठेकेदार इन नियमों के अधीन जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र या अनुज्ञापत्र से अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र फीस वसूल नहीं करेगा और उसका समायोजन संविदा राशि के विरूद्ध किया जायेगा।

(ix) अधिशुल्क अप्रधान खनिज के संविदा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से प्रेषण पर संगृहीत की जायेगी न कि संविदा क्षेत्र के बाहर से या प्रधान खनिज पट्टों से लाये गये अप्रधान खनिज पर।

(x) ठेकेदार राष्ट्रीय, मेगा राजमार्गों, चार या छह लेन सड़कों के संनिर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण, रेल ट्रैक बिछाने और मरम्मत में उपयोग में लिये गये खनिज के लिए अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र फीस वसूल नहीं करेगा। ऐसे संकर्मों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए पृथक् अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।

(xi) ऐसे क्षेत्र से हटाये गये अप्रधान खनिज पर कोई अधिशुल्क वसूल नहीं की जायेगी, जो पट्टेधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यशील गर्त नहीं हैं जैसा नियम 74 में उपबंधित है।

(xii) ठेकेदार सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट विशेष संकर्मों या स्कीमों के उपयोग में लिये गये खनिजों, से कोई भी अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र फीस वसूल नहीं करेगा।

(xiii) ठेकेदार अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों के साथ या उनके बिना अधिशुल्क संग्रहण और/या अधिक अधिशुल्क संग्रहण का ऑनलाईन विवरण क्रमशः प्रारूप 25 और प्रारूप 26 में, मास की समाप्ति से पंद्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(xiv) जहां ठेकेदार अधिशुल्क और अन्य प्रभार विनिर्दिष्ट दरों से अधिक वसूल करता है, वहां इस प्रकार संगृहीत अधिक राशि ठेकेदार से वसूल की जायेगी और ठेके का, पंद्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात् खण्डित किया जा सकेगा और ठेकेदार को और आगे अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके के लिए अगले पांच वर्ष की कालावधि के लिए काली सूची में डाला जा सकेगा या विवर्जित किया जा सकेगा।

(xv) ठेकेदार को पट्टों या अनुज्ञप्तियों के संबंध में, परिवहित खनिज के वास्तविक वजन के लिए प्रचलित दरों से संविदा में उल्लिखित अधिशुल्क, अनुज्ञापत्र फीस या अन्य प्रभारों, जिनके लिए ठेका दिया गया हैं, के सिवाय कोई अधिकार नहीं होगा।

(xvi) सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा या संबंधित क्षेत्र में किसी भी अन्य कारण की वजह से, पट्टे या अनुज्ञप्ति के रद्दकरण और अध्यर्पण, नये पट्टे या अनुज्ञप्ति की स्वीकृति, विद्यमान पट्टे के स्थिर भाटक के पुनरीक्षण, पट्टे या अनुज्ञप्ति की अस्थायी या स्थायी बंदी का वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(xvii) ठेकेदार ठेका राशि की किस्त का संदाय नियत तारीख को अर्थात् प्रत्येक मास या तिमासी के.... को अग्रिम रूप से करेगा और यदि कोई राशि नियत तारीख को संदत्त नहीं की जाती है तो वह भू–राजस्व की बकाया के रूप में संगृहीत की जायेगी और अट्ठारह प्रतिशत की दर से ब्याज संविदा के रद्दकरण या शास्ति अधिरोपण के लिए की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियत तारीख से प्रभारित किया जायेगा।

(xviii) जहां ठेका राशि दस करोड़ के बराबर या उससे अधिक है, ठेकेदार संविदा क्षेत्र में खनिज के अधिकतम परिवहन या प्रेषण वाले मार्ग पर कम से कम एक इलैक्ट्रोनिक धर्म कांटा प्रणाली पर्याप्त वेब कैमरों, नेट संबंध के साथ कम्प्यूटर और जनरेटर के साथ स्थापित करेगा। धर्म कांटा विभागीय आनलाईन प्रणाली से जोड़ा जायेगा और धर्म कांटा उपर्युक्त सभी उपस्करों के साथ ठेके की समाप्ति या खण्डन

के पश्चात् उचित चालू हालत में विभाग को सौंपेगा अन्यथा प्रतिभूति निक्षेप समपहृत किया जायेगा। सरकार जीपीएस ट्रेकिंग प्रणाली विहित करने की संभावना तलाशेगी।

(xix) ठेकेदार पंजीकरण प्राधिकारी को उसे आबंटित किसी भी संविदा के बारे में आबंटन से पंद्रह दिवस के भीतर ऑनलाईन सूचित करेगा।

(xx) ठेकेदार अधिशुल्क संग्रहण के लिए उसके द्वारा नियोजित नाकेदारों या व्यक्तियों को खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और स्टांपित फोटो पहचान पत्र जारी करेगा। ठेकेदार अधिशुल्क संग्रहण के लिए लगाये गये नाकेदारों या व्यक्तियों की सूची फोटो पहचान पत्र और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए एक सौ रुपये की फीस के साथ प्रस्तुत करेगा। ऐसे पहचान पत्र केवल संविदा के चालू रहने के दौरान विधिमान्य होंगे। नाकेदार या व्यक्ति पहचान पत्रों को अधिशुल्क के संग्रहण के दौरान अपने पास प्रदर्शित करते हुए रखेंगे।

(xxi) ठेकेदार शिकायत के लिए प्रत्येक नाका या जांच चौकी पर स्पष्ट रूप से दृश्य और दूर से सुपाठ्य परावर्ती बोर्ड, उसमें ठेकेदार के नाम, ठेका क्षेत्र, खनिज के नाम, अधिशुल्क की दर, अनुज्ञापत्र फीस और अन्य लागू प्रभारों (यदि कोई हों) और संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के नाम और संपर्क संख्यांक का उल्लेख करते हुए परिनिर्मित करेगा।

(xxii) ठेकेदार संविदा के सभी निबंधनों और शर्तों और इन नियमों के अधीन किये गये किसी भी संशोधनों से बाध्य होगा और सरकार या विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों का भी अनुसरण करेगा।

(xxiii) ठेका राज्य सरकार द्वारा पंद्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात्, समाप्त किया जा सकेगा यदि वह लोक हित में ऐसा होना उचित समझे।

(xxiv) ठेकेदार संपूर्ण ठेके या उसके भाग को अंतरित नहीं करेगा और किसी भी अन्य व्यक्ति को या उसके नाम से कोई उप ठेका मंजूर नहीं करेगा।

(xxv) ठेकेदार अपने स्थायी पते के परिवर्तन की सूचना पते के सबूत के साथ, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को ऐसे परिवर्तन के एक मास के भीतर देगा।

(xxvi) ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन में व्यतिक्रम की दशा में, संविदा संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा पंद्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात्, प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के साथ खण्डित किया जा सकेगा या वैकल्पिक रूप से वह अनुसूची 5 के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

जिसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने इन विलेखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

....

(ठेकेदार के हस्ताक्षर) राजस्थान के राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षरित

तारीखः.........................

....

(पदनाम)

साक्षीः 1....................

साक्षीः 2..................

जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रारूप 23

अधिशुल्क रसीद

अधिशुल्क संग्रहण ठेका के लिए

{नियम 44(2), 44(4) देखिए}

ठेकेदार का कूट संकेत...............

पुस्तक सं.............................. क्रमांक.........................

तारीख.......................................

1. ठेकेदार का नाम..
2. ठेका क्षेत्र...
3. ठेका राशि..
4. ठेका कालावधि...
5. खनिज का नाम..
6. अधिशुल्क दर (प्रति टन).....................................
7. जांच चौकी/नाका का नाम....................
8. स्थान जहां से खनिज लाया जा रहा है..............................
9. स्थान जहां खनिज भेजा जा रहा है.................................
10. व्यक्ति/पक्षकार का नाम जिसको खनिज प्रेषित किया जा रहा है..............................
11. परिवहन की रीति ....वाहन सं...
12. खनिज का वास्तविक वजन...
13. प्रेषण का समय.........................
14. वसूल अधिशुल्क/अनुज्ञापत्र फीस/जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि/ अन्य प्रभार (रुपये में)
    क. अधिशुल्क अंकों में..................................
    ख. अनुज्ञापत्र फीस अंकों में..............................
    ग. जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि अंकों में ....
    घ. अन्य प्रभार अंकों में....................
    (विनिर्दिष्ट करें)

    ड. वसूल कुल राशि अंकों में...
    शब्दों में...

चालक के हस्ताक्षर नाका प्रभारी के हस्ताक्षर और मुहर

प्रारूप 24
अधिशुल्क रसीद
अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका के लिए
{नियम 44(2), 44(4) देखिए}

ठेकेदार का कूट संकेत...............

पुस्तक सं.............................. क्रमांक.........................

तारीख.......................................

1. ठेकेदार का नाम..
2. ठेका क्षेत्र...
3. ठेका राशि..
4. ठेका कालावधि...
5. खनिज का नाम..
6. अधिशुल्क दर (प्रति टन).....................................
7. जांच चौकी/नाका का नाम....................
8. पट्टेधारी का नाम और खनन पट्टा सं. जिससे खनिज लाया जा रहा है............................
9. रवन्ना सं.............................. रवन्ना में वर्णित खनिज की मात्रा................... (टन)
10. स्थान जहां खनिज भेजा जा रहा है.................
11. व्यक्ति/पक्षकार का नाम जिसको खनिज प्रेषित किया जा रहा है................
12. परिवहन की रीति...........वाहन सं......................

13. खनिज का वास्तविक वजन..................
14. खनिज का अधिक वजन (संदत्त रवन्ना की दशा में).................
15. प्रेषण का समय.....................
16. वसूल अधिक अधिशुल्क (रुपये) अंकों में..............
    शब्दों में..........................
17. वसूल जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि (रुपये) अंकों में...................
    शब्दों में.............
    वसूल अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें) (रुपये) अंकों में........
    शब्दों में...............................
18. वसूल कुल राशि (रुपये) अंकों में............
    शब्दों में......................

चालक के हस्ताक्षर — नाका प्रभारी के हस्ताक्षर और मुहर

प्रारूप 25

अधिशुल्क संग्रहण ठेका **के लिए मासिक ई–विवरणी**
{नियम 44(13) देखिए}

ठेकेदार का कूट संकेतः..................
ठेकेदार का नाम...............
मास.....................................
ठेका क्षेत्र.........................
खनिज................................

कसं.	तारीख	वाहन सं.	खनिज	अधिशुल्क रसीद सं.	खनिज का वास्तविक वजन (टन में)
1	2	3	4	5	6

अधिशुल्क (रुपये)	अनुज्ञापत्र फीस (रुपये)	अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)	अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)	संगृहीत कुल राशि (रुपये)	अभ्युक्तियां
7	8	9	10	11	12

तारीख...................

ठेकेदार/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रारूप 26

अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके के लिए मासिक ई–विवरणी
{नियम 44(5), 44(13) देखिए}

ठेकेदार का कूट संकेत.........
मास ....
ठेकेदार का नाम.....................

ठेका क्षेत्र.................................
खनिज................................

क्र.सं	तारीख	पट्टेधारी का नाम	खनन पट्टा सं.	रवन्ना सं.	वाहन सं.
1	2	3	4	5	6

खनिज का नाम	खनिज की मात्रा जिसके लिए पट्टेधारी द्वारा रवन्ना जारी किया गया	अधिशुल्क रसीद सं.	खनिज का वास्तविक वजन (टन)	खनिज की मात्रा का अधिक वजन (10–8)	संगृहीत अधिक अधिशुल्क (रुपये)
7	8	9	10	11	12

अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)	अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)	संगृहीत कुल राशि
13	14	15

तारीख..............

ठेकेदार/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रारूप 27
ईंट मिट्टी के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन
{नियम 53(3) देखिए}

प्रेषिती
खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता,
खान और भू–विज्ञान विभाग,
राजस्थान.............................

पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पां करें।

महोदय,

1. मै/हम ....हैक्टर क्षेत्र से......वर्ष की कालावधि के लिए ईंट मिट्टी का उत्खनन करने के लिए मुझे/हमें अनुज्ञापत्र मंजूर करने के लिए अनुरोध करता हूं/करते हैं।
2. मैंने/हमने नियम 53(4)(i) के अधीन संदेय आवेदन फीस के रूप में.........रुपये ई–संदाय, बैंक का नाम.........जीआरएन सं........दिनांक.........के माध्यम से जमा करा दिये हैं।
3. अपेक्षित विशिष्टियां निम्नलिखित हैं:–

(क) आवेदक का नाम और पता:...
....
....

(ख) दूरभाष सं कार्यालय........................निवास.....................................
मोबाईल सं................ पैन कार्ड संख्यांक..................

ई–मेल पता..

(ग) यदि आवेदक व्यष्टि हैः
(1) पिता का नाम / पति का नाम..
(2) जाति..
(3) आजीविका....................................
(4) राष्ट्रीयता...
(घ) यदि आवेदक फर्म / कंपनी / संगम / सोसाइटी हैः
(1) व्यवसाय का प्रकार...................................
(2) व्यवसाय स्थान...........................
(3) पंजीकरण का स्थान............................
(4) निदेशकों / भागीदरों की राष्ट्रीयता..................

टिप्पणीः कृपया ईंट मिट्टी के उत्खनन के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करने के बारे में, फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र, भागीदारी विलेख, मुख्तारनामा, निगमन प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन और अनुच्छेद और निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रतियां सलग्न करें।

4. आवेदक द्वारा राज्य में धारित खनिज रियायतों का ब्यौराः

क्र. सं.	एमएल / पीएल / क्यूएल / आरसीसी / ईआरसीसी	खनिज	निकट ग्राम	तहसील	जिला	संबंधित ख.अ. / स.ख.अ का कार्यालय	क्षेत्र हेक्टर में	कालावधि		अभ्युक्तियां
								से	तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5. आवेदक द्वारा राज्य में आवेदित खनिज वार क्षेत्र की विशिष्टियांः

क्र.सं.	खप / क्यूएल	खनिज	निकट ग्राम	तहसील	जिला	संबंधित ख.अ. / स.ख.अ का कार्यालय	क्षेत्र हेक्टर में	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6. पहले से अर्जित कुल क्षेत्र (हैक्टर में):
7. अनुज्ञापत्र क्षेत्र, जहां से ईंट मिट्टी उत्खनित की जायेगी, की, अवस्थिति दर्शित करते हुए नियम 53(4)(ii) के अनुसार संबंधित पटवारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित खसरा नक्शा और राजस्व अभिलेख की प्रति संलग्न करें।
(क) नियम 53(4)(iii) के अनुसार ईंट भट्टा की विद्यमान / प्रस्तावित अवस्थिति दर्शित करते हुए खसरा नक्शा और राजस्व अभिलेख की प्रति संलग्न करें।
(ख) ईंट मिट्टी का उत्खनन करने के लिए भूमि के स्वामी की सम्मति, यदि भूमि आवेदक की नहीं है।
8. अदेयता प्रमाणपत्र का संख्यांक और तारीखः (प्रति संलग्न)..................
(यदि आवेदन किए जाने की तारीख पर आवेदक कोई खनिज रियायत / ठेका / अनुज्ञा इत्यादि, धारित नहीं करता है, इस प्रभाव का शपथपत्र संलग्न किया जायेगा)
9. पैन कार्ड, फोटो पहचान और पता सबूत की स्व–सत्यापित प्रति सलग्न करें (निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दो)

(i) पैन कार्ड;

(ii) आधार कार्ड;

(iii) चालन अनुज्ञप्ति की प्रति;

(iv) मतदाता पहचान–पत्र की प्रति;

(v) पासपोर्ट की प्रति;

(vi) बैंक पास बुक;

(vii) विद्युत बिल/जल बिल।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गयी विशिष्टियां सही हैं और मैं/हम मांग के संबंध में अपेक्षित कोई भी अन्य ब्यौरा/दस्तावेज दे दूंगा/दे देंगे।

स्थान..................

भवदीय

तारीख.........

आवेदक के हस्ताक्षर
द्वारा प्रस्तुत

हस्ताक्षर..........................
नाम और पता.............................

प्रारूप 28
ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र का प्रारूप
{नियम 53(5) देखिए}

क्.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	2	3
1.	अनुज्ञापत्र धारक का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	पता	
4.	अनुज्ञात क्षेत्र की अवस्थिति	ग्राम............... तहसील........................ जिला................
5.	आराजी/खसरा सं.	
6.	ईंट भट्टा की अवस्थिति	ग्राम............... तहसील........................ जिला................
7.	आराजी/खसरा सं.	
8.	कार्यालय का नाम	
9.	अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के आदेश का सं. और तारीख	
10..	आरंभिक स्वीकृति के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र की कालावधि	से.......... .... तक

वार्षिक अनुज्ञापत्र फीस के संदाय के बारे में ब्यौरा:

क.सं.	जमा राशि	चालान/आरएन सं.	जमा की तारीख	कालावधि के लिए संदत्त फीस	खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के हस्ताक्षर

1	2	3	4	5	6

शर्तेंः

(i) अनुज्ञापत्र धारक वार्षिक अनुज्ञापत्र फीस प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से जमा करेगा।

(ii) स्वीकृत अनुज्ञापत्र क्षेत्र से ईंट मिट्टी के उत्खनन के पूर्व, अनुज्ञापत्र धारक ऊपरी मृदा एक फुट की गहराई तक हटायेगा और उसका भंडारण ईंट मिट्टी के उत्खनन के पश्चात् भूमि के पुनरुद्धार के लिए अलग से किया जायेगा।

(iii) अगला अनुज्ञापत्र भंडारित ऊपरी मृदा के पुनरुद्धार के सत्यापन के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।

(iv) अनुज्ञापत्र धारक ऐसी ईंट मृदा का परिवहन उस ईंट भट्टे के लिए करेगा, जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है।

(v) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के पेटे अभिदाय के साथ अधिशुल्क, ऐसी जांच चौकी या नाका पर संगृहीत की जायेगी जिससे वाहन तैयार (पक्की) ईंट ले जाते हैं।

(vi) अनुज्ञापत्र केवल ऊपर यथावर्णित ईंट भट्टे के लिए विधिमान्य होगा।

(vii) जहां अनुज्ञापत्र के अधीन मंजूर क्षेत्र में ईंट मिट्टी की गुणवत्ता ईंट बनाने के लिए यथोचित नहीं है या खनिज निःशेष हो जाता है, ऐसे मामले में, अनुज्ञापत्र का अध्यर्पण संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा, यदि अनुज्ञापत्र धारक के विरुद्ध कोई शोध्य नहीं है।

(viii) अनुज्ञापत्र धारक को ऐसे भूखण्ड या भूमि के बारे में, जिसके लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है, अनुज्ञापत्र की कालावधि के दौरान हर समय क्षेत्र में और उक्त खनिज का खनन, बोर, डिग, ड्रिल, प्राप्त कार्य, स्टाक, ड्रेस, प्रसंस्करण, संपरिवर्तित करने, ले जाने और व्ययन की स्वतंत्रता होगी।

(ix) अनुज्ञापत्र धारक अपने कार्यकरण को अनुज्ञापत्र क्षेत्र की सीमाओं के भीतर और सतह से दो मीटर गहराई तक सीमित रखेगा।

(x) अनुज्ञापत्र धारक साथ लगे पट्टों/अनुज्ञप्तियों/अनुज्ञापत्रों तक पहुंच में विघ्न नहीं डालेगा। पहुंच सड़क के बारे में किसी विवाद की दशा में, खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता के निर्देश अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

(xi) अनुज्ञापत्र के निबंधनों और शर्तों के किसी उल्लंघन पर अनुज्ञापत्र खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा पंद्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात् प्रतिभूति के समपहरण के साथ रद्द किया जा सकेगाः

परन्तु यदि अनुज्ञापत्र धारक अनुज्ञापत्र के किसी भी निबंधन और शर्त का उल्लंघन करता है और नोटिस के पंद्रह दिवस के पश्चात्, नोटिस कालावधि के पश्चात्, किन्तु अनुज्ञापत्र के रद्दकरण के पूर्व उल्लंघन की पालना कर देता है, ऐसे मामले में, प्रत्येक उल्लंघन के लिए प्रतिभूति निक्षेप का दस प्रतिशत समपहृत किया जायेगा।

(xii) अनुज्ञापत्र का अंतरण अनुज्ञात नहीं होगा।

खनि अभियंता/सहायक खनि
अभियंता के हस्ताक्षर

प्रारूप 29

अपील के ज्ञापन का प्रारूप

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)

{नियम 63(3) देखिए}

1. व्यष्टि / फर्म / कंपनी का नाम और पताः ....
2. व्यष्टि / फर्म या कंपनी का व्यवसायः..
3. आदेश की सं. और तारीख जिसके विरुद्व अपील की जानी है (प्रति संलग्न)...
4. प्राधिकारी का नाम जिसने उक्त आदेश पारित किया है ....
5. खनिज या खनिजों जिसके / जिनके लिए अपील की जानी हैः ....
6. क्षेत्र का ब्यौरा जिसके संबंध में अपील फाइल की जानी है — कार्यालय का नाम...................

एमएल / पीएल / क्यूएल / आरसीसी / ईआरसीसी ब्यौरा

ग्राम.........................
तहसील.................
जिला.................

7. क्या आवेदन फीस नियम 63(3) के अनुसार ई–संदाय के माध्यम से जमा की गयी है, यदि ऐसा है तो बैंक का नाम, जीआरएन सं. और तारीखः — सं................. तारीख.................
8. क्या अपील आवेदन सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के तीन मास के भीतर फाइल की गयी हैः ....
9. यदि नहीं तो विहित समयावधि के भीतर उसके प्रस्तुत न किये जाने का कारण जैसा नियम 63(4) के परन्तुक में उपबंधित हैः ....
10. पक्षकार बनाये गये व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम और पूरा पताः
11. अपील के आधारः

तारीख....
स्थानः.....

भवदीय,
आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 30
पुनरीक्षण के आवेदन का प्रारूप
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)
{नियम 64(3) देखिए}

1. व्यष्टि / फर्म / कंपनी का नाम और पताः ....
2. व्यष्टि / फर्म या कंपनी का व्यवसाय ....
3. आदेश का सं. और तारीख जिसके

विरुद्ध पुनरीक्षण किया जाना है (प्रति संलग्न) ....

4. प्राधिकारी का नाम जिसने उक्त आदेश पारित किया हैः ....

....

5. खनिज या खनिजों जिसके/जिनके लिए पुनरीक्षण किया जाना हैः ....

6. क्षेत्र का ब्यौरा जिसके संबंध में पुनरीक्षण फाइल किया जाना है

कार्यालय का नाम...................

एमएल/पीएल/क्यूएल/आरसीसी/ईआरसीसी ब्यौरा

ग्राम.......................

तहसील................

जिला.................

7. क्या आवेदन फीस नियम 64(3) के अनुसार ई–संदाय के माध्यम से जमा की गयी है, यदि ऐसा है तो बैंक का नाम, जीआरएन सं. और तारीखः

सं.....

तारीख.......

8. क्या पुनरीक्षण आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के तीन मास के भीतर फाइल किया गया हैः ....

9. यदि नहीं तो विहित समयावधि के भीतर उसके प्रस्तुत न किये जाने का कारण जैसा नियम 64(2) के परन्तुक में उपबंधित हैः ....

10. पक्षकार बनाये गये व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम और पूरा पताः ....

11. पुनरीक्षण के आधारः

तारीख....

स्थानः.....

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारुप 31

*खनिज रियायत/ *ठेका/*अनुज्ञापत्र के नामांतरण के लिए प्रारूप

{नियम 76(5) देखिए}

यह अनुबंध एक पक्षकार के रूप में, राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''सरकार'' निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां इस प्रकार गृहीत हो, उसके पदोत्तरवर्ती सम्मिलित समझे जायेंगे)

और

दूसरे पक्षकार के रूप में (व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम और पता और आजीविका).. ..(जिसे इसके पश्चात ''विधिक वारिस'' के रूप में निर्दिष्ट, किया गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां इस प्रकार गृहीत हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे). के बीच आज...................20... को किया गया।

यतः (खनिज का नाम)............के बारे में (तारीख).......से प्रभावी *पट्टे/ अनुज्ञप्ति/ ठेका /अनुज्ञापत्र सं. .....के आधार पर *पट्टे/अनुज्ञप्ति/ ठेका /अनुज्ञापत्र के अधीन का क्षेत्र (क्षेत्र का ब्यौरा).......... (मृतक का नाम)................को भाटक, अधिशुल्क और/या अन्य प्रभारों के संदाय और *पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी/ठेकेदार या अनुज्ञापत्र धारक की प्रसंविदा और उक्त *करार/विलेख/अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र में आरक्षित और अन्तर्विष्ट शर्तों, जिनमें उसके अधीन कोई भी हित राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना समनुदेशित न करने की प्रसंविदा सम्मिलित है, के अध्यधीन रहते हुए, निबंधनों और शर्तों पर मंजूर और अंतरित किया जाता है;

और यतः अब विधिक वारिस/वारिसों *पट्टा/अनुज्ञप्ति/ ठेका /अनुज्ञापत्र का नामांतरण अपने नाम करवाने के इच्छुक है/हैं और सरकार ने विधिक वारिस/वारिसों के अनुरोध पर नामांतरण की अनुज्ञा आदेश सं.............तारीख.....द्वारा मंजूर की है। *पट्टे/अनुज्ञप्ति/संविदा/अनुज्ञापत्र का ऐसा नामांतरण और समनुदेशन अंतरिती द्वारा करार करने की शर्त पर होगा, जिसमें इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित निबंधन और शर्तें होंगीः–

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैः–

1. विधिक वारिस सरकार के साथ इसके द्वारा प्रसंविदा करता है/करते हैं कि *पट्टे/अनुज्ञप्ति/संविदा/अनुज्ञापत्र के नामांतरण से और उसके पश्चात् विधिक वारिस इसमें इसके पूर्व उद्धृत उक्त *पट्टे/अनुज्ञप्ति/ ठेका /अनुज्ञापत्र में अन्तर्विष्ट प्रसंविदा के सभी उपबंधों, अनुबद्धों और शर्तों द्वारा, इससे उद्भूत सभी हितों, हानियों, नुकसानियों, शास्तियों, कार्रवाई, मांग और सभी प्रकार की सभी लागतों के साथ उसी प्रकार आबद्ध होगा और उनका पालन और अभिपुष्ट करने के दायित्वाधीन होगा और उनके अध्यधीन होगा मानो *पट्टा/अनुज्ञप्ति/ ठेका /अनुज्ञापत्र विधिक वारिस/वारिसों को मंजूर किया गया है और उसने उसे इस प्रकार मूल रूप से निष्पादित किया था।
2. खनन/पूर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए मृतक द्वारा किसी भी खातेदार/ग्राम पंचायत/स्वायतशासी निकाय/सरकारी उपक्रम या केन्द्रीय या सरकार के किसी भी विभाग से ली गयी सम्मतियां, *पट्टे/अनुज्ञप्ति/ ठेका /अनुज्ञापत्र के नामांतरण के पश्चात्, मृतक के विधिक वारिस/वारिसों द्वारा ली गयी समझी जायेंगी।

जिसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारो ने इसमें ऊपर पहले लिखी तारीख को और वर्ष में हस्ताक्षर कर दिये हैं।

....

विधिक वारिस/वारिसों (विधिक प्रतिनिधियों) के हस्ताक्षर

राजस्थान राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षरित

तारीख..........

साक्षीः 1..................

साक्षीः 2.................

- जो लागू न हो उसे काट दें

प्रारूप 32

क्षेत्र के आरक्षण/अनारक्षण का रजिस्टर

{नियम 84(2) देखिए}

क.	क्षेत्र	टोपोशीट	खनि	क्षेत्र	आरक्षण	अनारक्षण	प्रोस्पेक्टिं	वर्तमा	आरक्षित	विशेष

सं.	का नाम	सं.	ज	(वर्ग किमी)	राज पत्र सं.	अधि– सूचना सं	राज पत्र सं.	अधि– सूचना सं	ग एजेंसी का नाम	न प्रास्थिति/ अतिशेष क्षेत्र	क्षेत्र जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/पी. एस.यू. को आबंटित किया गया है	विवरण

प्रारूप 33

अभिवहन पास जारी करने का रजिस्टर

{नियम 92(1) देखिए}

1. व्यवहारी का नामः................................
2 पंजीकरण सं......................................
3 खनिज का नाम....................................
4 स्टॉक की अवस्थिति............................
5 वर्तमान स्टाक और वार्षिक पण्यावर्त...
(अद्यतन स्टाक रजिस्टर की प्रति संलग्न करें)
6 पूर्व में जारी अभिवहन पासों का ब्यौरा..........
(ब्यौरा संलग्न करें)
7 निम्नलिखित सारणी में खनिज का स्रोत और रवन्ना/अधिशुल्क रसीद/अभिवहन, जिसके द्वारा खनिज उपाप्त किया गयाः–

क्र.सं.	पट्टेधारी/ अनुज्ञप्तिधारी/ स्टॉकिस्ट का नाम	खान/स्टाक का स्थान	रवन्ना/अधिशुल्क रसीद/अभिवहन पास सं.	तारीख	वाहन सं.	खनिज का वजन (टन में)
1	2	3	4	5	6	7

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गयी उपर्यक्त जानकारी सत्य है। मैंने/हमने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के सभी उपबंधों को पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

आवेदन की तारीखः आवेदक के हस्ताक्षर
स्थानः

प्रारूप 34

अभिवहन पास

{नियम 92(3) देखिए}

व्यवहारी का पंजीकरण सं................
अभिवहन पास पुस्तक सं.......... अभिवहन पास सं........
(1) पारेषक का नाम और पता........................
(2) स्टॉक/ट्रेडिंग की अवस्थिति.....................
(3) खनिज का नाम.............................

(4) पारेषिती का नाम और पता.........................
(5) मात्रा (वजन/मात्रा)....................
(6) (क) पारेषण की तारीख...............
(ख) पारेषण का समय........
(ग) स्थान जहां खनिज भेजा जा रहा है..........
(7) (i) परिवहन की रीति......
(ii) वाहन सं.
(8) वाहन चालक का नाम और पता......................

चालक के हस्ताक्षर और तारीख

पारेषक के हस्ताक्षर और तारीख

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और गोल मुहर

जांच प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम और तारीख

प्रारूप 35
अभिवहन पास जारी करने का रजिस्टर
{नियम 92(4) देखिए}

क्र. सं.	व्यवहारी का नाम	पंजीकरण सं.	अभिवहन पास के आवेदन की तारीख	जारी अभिवहन पासों की संख्या	जारी अभिवहन पासों का क्रमांक	व्यवहारी के हस्ताक्षर और तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख	विभाग को लौटाये गये प्रयुक्त अभिवहन पास और तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप–2/2015–पार्ट–II]
राज्यपाल के आदेश से,

इकबाल,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।